चतुर्थ माला, खंड 30, अंक 1 सोमवार, 21 जुलाई, 1969/30 आषाढ़, 1891 (शक)
Fourth Series, Vol. XXX, No. 1 Monday, July 21, 1969/30 Asadha, 1891 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 21 जुलाई, 1969/30 आषाढ़, 1891 (शक)
No. 1, Monday, July 21, 1969/Asadha 30, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
श्री नी० संजीव रेड्डी द्वारा अध्यक्ष-पद से त्याग-पत्र	Resignation by Shri N. Sanjiva Reddy of Office of Speaker ..	1—2
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn ..	2
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference ..	2—5
मानव द्वारा चांद पर पहुंचना	Mans Landing on the Moon	5

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1.	जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में कटौती	Reduction in LIC Premium Rates ..	6—9
2.	अरब सागर में तेल के कुंए खोदना	Drilling of Oil Wells in the Arabian Sea..	9—15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
3.	सरकारी उपक्रमों के लिये लेखा परीक्षा बोर्ड	Audit Board for Public Undertakings	15—16
4.	कर अपवंचन के मामले	Tax evasion cases	16
5.	तूफान के कारण आंध्र प्रदेश को हुई क्षति	Losses suffered by Andhra Pradesh due to Cyclones ..	17—18
6.	आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण जान तथा माल की हानि	Loss of life and property due to floods in Andhra Pradesh ..	19—20

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
7. नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceiling on Urban Property ..	20
8. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का कार्य संचालन	Working of Central Water and Power Commission ..	20—21
9. सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का गंडक अधवारा और कोसी परियोजना क्षेत्रों का दौरा	Inspection by Minister of Irrigation and Power of Gandak Adhwara and Kosi Project Areas	21
10. बाढ़ रोकने के लिए बनाई गई योजना	Scheme to Check floods	21—22
11. कांग्रेस पार्टी को बैंक द्वारा ऋण का दिया जाना	Bank Advance to Congress Party	22
12. आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली	Ayurvedic System of Medicines ..	23
13. केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों में उद्योगों के लिये ऋण	Loans to Industries in States by Central Financial Institutions ..	23—24
14. गंगा के फालतू पानी को मोड़ने के लिये विशाल जल प्रदाय नहर	Grand Feeder canal for diversion of surplus water of Ganga	24—25
15. पी० एल० 480 निधियों के प्रभाव के बारे में प्रतिवेदन	Report on impact of PL 480 Funds ..	25—27
16. भारत को अमरीकी सहायता	US Aid to India ..	27
17. दिल्ली के लिये सामूहिक आवास योजना	Group Housing Scheme for Delhi ..	27—28
18. गजेन्द्र गडकर आयोग का प्रतिवेदन	Ganjendragadkar Commission Report ..	28
19. विदेशों में सह उद्यम	Joint Ventures Abroad ..	28
20. दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्य संचालन के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the working of Delhi Development Authority ..	29
21. स्ट्रा बोर्ड तथा मिल बोर्ड पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Straw Board and Mill Board ..	29
22. बम्बई के श्री नैनमल पूंजाजी शाह द्वारा विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार	Foreign Exchange Racket by Mr. Nainmal Poonjaji Shah of Bombay ..	30

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्र० संख्या . Nos.		
मैंगनीज खानों का विस्तार	Expansion of the Manganese Mines	30—31
दफतरियों के लिये प्रवर संवर्ग पद	Selection Grade posts for Daftries ..	31
शेख अब्दुल्ला को दिल्ली में दिया गया बंगला	Bungalow allotted in Delhi to Sheikh Abdullah	31—32
बढ़े हुये करों का प्रभाव	Effect of Increased Taxation	32
पेट्रोल आदि से रसायन का उत्पादन	Production of chemicals from petrol etc. ..	33
मैसर्स हिन्द गैलवैनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन को सामान की सप्लाई	Supply of stores to Indian Oil Corporation by M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. Ltd. ..	33—34
नामरूप (आसाम) में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex at Namrup (Assam) ..	34
संयुक्त राष्ट्र अध्ययन दल द्वारा भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन	Evaluation of Family Planning Programme by UN Study Team in India ..	35
ा० प्र० संख्या . Q. Nos.		
1. मध्य प्रदेश में चिकित्सालय महाविद्यालय	Medical Colleges in Madhya Pradesh ..	35—36
2. दामोदर घाटी निगम में लक्ष्य पूरे न होना	Non-achievement of Targets by Damodar Valley Corporation ..	36
3. किसानों को ऋण	Loans to Agriculturists ..	36—37
4. जाली निर्यातकर्ताओं का गिरोह	Bogus Exports Racket ..	37—38
6. सरकारी उपक्रमों में लगी पूंजी	Investment in Public Undertakings	38—39
7. पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, अमझोर	Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, Amjhore ..	39—40
8. एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक धन वाले व्यक्ति	Persons with wealth of Rs. one crore and above ..	40—41

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
9. इंडियन आयल कारपोरेशन के उत्तरी शाखा डिपो को की गई सप्लाई	Supplies made to Northern Branch Depots of IOC	41
10. अध्ययन दौरे पर विदेशों में गये अधिकारी	Officers on Study Tour Abroad	42
11. प्रधान मंत्री को पुस्तकों तथा अन्य साधन प्राप्त रायल्टी	Royalty from Books and other sources received by Prime Minister	42—43
12. शीतागारों के लिए दिये गये ऋण	Loans given to cold storages	43—45
13. फिल्म उद्योग में आयकर, अपवंचक	Income Tax evaders in Film Industry	45
14. हथकरघा उद्योग को औद्योगिक विकास बैंक की सहायता	Industrial development Bank's help to Handloom Industry	45—46
15. कम विकसित देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता	Assistance given by India to under-developed countries	46
16. देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय	National income and per-capita income in the country	47
17. राज्य सरकारों की ओर बकाया केन्द्रीय ऋण	Central loans due from State Governments	47—48
18. मैसर्स एयरोप्लेन शू फैक्टरी	M/s Aeroplane Shoe Factory	48—49
19. जीवन बीमा निगम में संगणक (कम्प्यूटर)	Computers in Life Insurance Corporation ..	49
20. नैनीताल में सिंचाई मंत्रियों का सम्मेलन	Irrigation Ministers' conference at Nainital	49—50
21. जीवन बीमा निगम, कलकत्ता में इलेक्ट्रानिक संगणक लगाया जाना	Introduction of electronic computers in LIC, Calcutta	50
22. पोर्ट केनिंग परियोजना में छंटनी किये गये कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	Reinstatement of Retrenched Workmen in the Port Canning Project	51
23. सिंचाई कर में वृद्धि	Increase of Irrigation Tax	51—52
24. कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of coking coal mines	52—53

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
25. बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के बहाये जाने और गंगा के जल के दूषित होने सम्बन्धी समिति	Barauni refinery discharge and Ganga Pollution Committee	35
26. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	Indian drugs and pharmaceuticals Ltd.	53—54
27. दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised Colonies in Delhi	54—55
28. गंगा कोबडक परियोजना	Effect of Ganga Kobadak Project ..	55
29. विदेशी तकनीकी लोगों को देश में लाने पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange spent on import of Technical know-how	56—57
30. संसद् सदस्यों के उपयोग के लिये वातानुकूलक	Air conditioners for the use of M.Ps.	57—58
31. मंत्रियों की विदेश यात्रायें	Visits by Ministers abroad	58
32. भारतीय तेल निगम द्वारा ढोल संभरणकर्ताओं को भुगतान	Payment of IOC to suppliers of Barrels	58
33. आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic dispensaries	59
34. मंत्रियों द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत न किये जाना	Income tax returns not filled by Ministers ..	59—60
35. भाखड़ा के पानी में राजस्थान सरकार का भाग	Rajasthan's share in Bhakra Waters	60
36. शहरों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of cities	61
37. गर्भपात सम्बन्धी कानूनों को उदार बनाना	Liberalisation of abortion laws	61—62
38. तट दूर तक छिद्रण के लिये संयुक्त उद्यम	Joint ventures in off shore drilling	62—63
39. मानवीय सम्बन्धी संस्था की स्थापना	Setting up of institute of Human Relations	63
40. केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग का नौरोजी नगर, नई दिल्ली स्थित पूछताछ कार्यालय के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the C.P.W.D. Enquiry Office, Nauroji Nagar, New Delhi ..	63—64

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
41. सेवा नगर रेलवे कालोनी, नई दिल्ली में अस्वच्छता की स्थिति	Insanitary conditions in Sewa Nagar Railway Colony, New Delhi	..	64
42. दक्षिण दिल्ली की बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civic Amenities in South Delhi Colonies	..	64—65
43. दिल्ली में क़िदवई नगर में समाज सदन कम्युनिटी हाल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Community Hall and other Amenities in Kidwai Nagar, Delhi	..	65
44. औषधियां बेचने वाली अमरीकी फर्मों के विरुद्ध जांच	Enquiry against US Drug Firm	..	65—66
45. डाक जीवन बीमा और जीवन बीमा निगम की पालिसियों की प्रीमियम की दरें	Premium rates of Postal Life and Life Insurance Corporations Policies	..	66
46. दिल्ली के लिये पेय जल	Drinking water for Delhi	..	66—67
47. सिक्योरिटी प्रेस, नासिक का विस्तार	Expansion of Security Press at Nasik	..	67
48. खाद्य पदार्थों में मिलावट	Adulteration of foodstuffs	..	67—68
49. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत परियोजनाओं से लाभों के मूल्यांकन के लिये संगठन	Machinery to evaluate the Benefits from the irrigation flood control and power projects	..	68
50. वेतन में महंगाई भत्ता मिलाना	Merger of dearness allowance with Pay	..	69—70
51. संसद् सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कर	Tax on salaries of M. Ps. and Government Employees	..	70—71
52. तीसरा वेतन आयोग	Third Pay Commission		71—72
53. भारत सहायता सार्थसमूह से सहायता	Aid from aid India consortium	..	72—73
54. गंडक परियोजना	Gandak Project	..	73—74
55. सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर चरस का पकड़ा जाना	Seizure of Charas at Safdarjang Airport, New Delhi	..	74—75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
56.	सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों और नर्सों की मांगें	Demands of Doctors and Nurses working in Government Hospitals ..	75—76
57.	केरल के आयकर-दाता	Income Tax Payers in Kerala	76
58.	इण्डियन मेडिकल एसोशियेशन का ज्ञापन	Memorandum by Indian Medical Association	77
59.	राजस्थान नहर का निर्माण पूरा करना	Completion of the Rajasthan Canal	77—78
60.	आय कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	78—79
61.	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में पानी की कमी	Shortage of Water in R. K. Puram, New Delhi ..	80
62.	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के नये सेक्टरों में बिजली के कनेक्शन	Electric connections in New Sectors of R. K. Puram, New Delhi	81
63.	दिल्ली में सरकारी कालोनियों में पार्कों का विकास	Development of Parks in Government Colonies in Delhi	81—82
64.	रामकृष्णपुरम, दिल्ली का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूछताछ कार्यालय	C. P. W. D. enquiry office of R. K. Puram (Delhi)	82
65.	मानव स्वास्थ्य पर धूम्रपान के कुप्रभाव	Effects of Smoking on Human Health	83
66.	भूटान में जिप्सम के निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of Gypsum Deposits in Bhutan ..	83
67.	चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of fertilizers factories during fourth plan ..	83—84
68.	पेट्रोलियम एवं कोक शोधक परियोजना	Project for refining petroleum coke ..	84
69.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की आरक्षित पदों पर पदोन्नति	Promotion of scheduled castes and scheduled tribes against reserve post ..	85

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

70. सामान्य भविष्य निधि	General Provident Fund	85
71. बदिहारसापुर में तुंगभद्रा के रिसने के परिणामस्वरूप रायचूर जिले के निवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Residents of Raichur District on account of seepage of Tungabhadra in Badiharsapur ..	85—86
72. बेलारी जिला (मैसूर) में हगरीबोमनहाली परियोजना	Hagribommanahalli Project in Bellary District (Myosre)	86
73. हिरेनाला परियोजना मैसूर	Hirenala Project, Mysore	86—87
74. बर्माशैल तथा एस्सो द्वारा अशोधित तेल का शोधन	Refining of Crude by Burmah Shell and Esso ..	87
75. मुसलमानों में परिवार नियोजन	Family Planning among Muslims	87—88
76. मिट्टी के तेल का चोरबाजार में बेचा जाना	Sale of kerosene oil in black market	88
77. सरकारी क्षेत्र में विनियोजन	Investment in Public Sector	88—89
78. भारत में डाक्टरों और नर्सों की आवश्यकता	Requirement of doctors and nurses in India	89—90
79. भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व	Representation of Himachal Pradesh on Bhakra Control Board	90
80. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली	Hindustan Insecticides Limited, New Delhi	91—92
81. जीवन बीमा निगम सम्बन्धी मुरारका समिति	Morarka Committee on LIC ..	92
82. नेशनल बोर्ड आफ़ न्यूटरीशन फार चिल्ड्रेन (राष्ट्रीय बाल पोषाहार मंडल)	National Board of Nutrition for Children ..	92—93
83. आसाम में स्वर्ण भण्डार	Gold Reserves in Assam ..	93
84. मैसूर राज्य में खानों के मालिक	Mine owners in Mysore State ..	94
85. पंजाब में पोलिस्टर फाइबर के कारखाने की स्थापना	Setting up of Polyster Fibre Plant in Punjab ..	94
86. सोने और घड़ियों की तस्करी	Smuggling of gold and watches ..	94—95
87. यूनिटों का बिक्री तथा पुन: खरीद मूल्य	Sale and Repurchased Price of units ..	95—96

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

88. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से सहायता	Aid from International Development Association	96
89. फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक	Finance Minister's Meeting with Film Industry	96—97
90. सिन्धु आयोग का प्रतिवेदन	Indus Commission Report	98—99
91. नेपाल में भारतीय तेल निगम का सहायक संगठन	IOC subsidiary in Nepal	99—100
92. शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफजल बेग की सम्पत्ति	Wealth of Sheikh Abdullah and Mirza Afzal Beg	100—101
93. चोरी किये गये आय-कर की वसूली	Collection of Evaded income Tax	101
94. ढेंकानाल उड़ीसा में आय-कर कार्यालय स्थापित करना	Location of income tax office at Dhenkanal, Orissa	101
95. जनसंख्या में वृद्धि को रोकने में लूप के प्रयोग से सफलता	Achievements through IUCD for curbing population growth ..	102
96. नर्मदा जल विवाद सम्बन्धी अधिकरण	Tribunal on Narmada Water Dispute ..	102—103
97. परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रगति	Progress of family planning programme ..	103—104
98. प्रधान मंत्री के लिये नया निवास स्थान	New Residence for Prime Minister	104
99. सरकारी उपक्रमों का लाभ न कमाना	Non-profitable working of Public undertakings	104—105
100. भूरे (ग्रे) कपड़े के निर्माताओं पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Grey Textile Manufacturers	105
101. टाटा उर्वरक परियोजना	Tata Fertilizer project	106
102. भाखड़ा गांव का विद्युतीकरण	Electrification of Bahakra Village	106—107
103. मेसर्स हिन्द गलवानाइाजग एण्ड इंजीनिय्रिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों का सम्भरण	Supply of barrels by M/s Hind Galvanising and Engineering Company to Indian oil Corporation	107—108

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

104. तेल शोधक कारखानों द्वारा गाज इस्पात चादरों का आयात	Import of Gauge steel Sheets by oil Refineries	108—109
105. कांसे की खपत और आवश्यकता	Consumption and requirement of Bronze ..	109
106. फारस की खाड़ी में डुबाई से सोने की तस्करी	Smuggling of gold from Dubai in Persian Gulf ..	109—110
108. वर्ष 1968-69 में सम्पत्ति-कर का लगाया जाना	Levy of Wealth Tax in 1968-69	110
109. राज्यों द्वारा करों की वसूली	Recovery of taxes by States	110
110. सिंचाई के लिये बिजली की समान दरें	Uniform rates of power for irrigation purposes	111
111. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता में कमी	Reduction in Financial help from IMF	111
112. आसाम और उत्तर बंगाल में बाढ़	Floods in Assam and North Bengal	111—112
113. पोंग बांध का पूर्णरूप से निर्माण	Completion of Pong Dam	112—113
114. राजस्थान के पोंग बांध क्षेत्र में भूमि की खरीद	Purchase of land in Pong Dam Area of Rajasthan	113
115. बिजली, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण की विस्तार योजनाओं की सफलता का अनुमान लगाने के लिये विशेषज्ञ समिति	Committee of experts to assess the success of schemes for expansion of eletricity, Irrigation and Flood Control	113
117. महालेखापाल, बिहार के कार्यालय में अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled tribes in the office of Accountant General, Bihar ..	114
118. दिल्ली में अनधिवासी परिवारों का पुनर्वास	Resettlement of squatters Families in Delhi	114—115
119. दिल्ली में आवश्यकता से अधिक भूमि का अर्जन	Excess Acquisition of land in Delhi	115
120. दिल्ली में मादीपुर नागलोई, हस्तल नामक झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में प्लाट बदलने के लिये अनुमति	Permission for changing plots in J. J. Colony, Madipur, Nangloi and Hustal in Delhi	115—116

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

121. दिल्ली की मादीपुर नामक झुग्गी झोंपड़ी बस्ती में प्लाटों के आवंटन में अनियमितता	Irregularities in allotment of plots in J.J. Colony, Madipur (Delhi) ..	116
122. दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन झुग्गी झोंपड़ी योजना में प्रतिनियुक्ति अधिकारी	Officers on deputation in J.J. Scheme under DDA	117
123. दिल्ली को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई	Supply of power to Delhi from Bhakra	117—118
124. राजस्थान के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये चिकित्सा सहायता	Medical assistance for famine affected areas of Rajasthan	118—119
126. बेलाडिला लौह-अयस्क परियोजना में सामग्री उतारने चढ़ाने वाला संयंत्र	Materials Handling Plant at Bailadilla Iron ore Project ..	119
127. भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति के लिये राष्ट्रीय स्मारक	National Memorial for the late President of India ..	119—120
128. विदेशी ऋण का भुगतान	Repayment of Foreign Loans ..	120
129. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता	U.N. Assistance for Family Planning Programme	121
130. गांधी शताब्दी वर्ष में ग्राम विद्युतीकरण	Rural Electrification during Gandhi Centenary Year	122
131. दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को दुकानों का नियतन	Allotment of Shops to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi	122—123
132. रासायनिक पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Chemicals	123
133. मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल	M/s Amin Chand Payarelal ..	124
134. उत्तरीय क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन	Power Production in Northern Region	124—125
135. भाखड़ा परियोजना के स्वामित्व का दावा	Claim of Ownership of Bhakra Project ..	125
136. इन्द्रावती परियोजना	Indravati Project ..	126

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
137.	एशियाई विकास बैंक	Asian Development Bank	126
138.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एक प्रोफेसर द्वारा नेशनल फोरम की स्थापना	rormation National Forum by a Professor of all India Institute of Medical Science ..	127
139.	उड़ीसा के दैत्री खानों से प्राप्त लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Daitari Mines in Orissa	127—128
140.	नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस को सरकार के अधिकार में लिया जाना	Taking over of Birla House, New Delhi ..	128
141.	यमुना तल से पेय जल	Underground drinking water from bed of Yamuna river ..	128—129
142.	पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये भाड़ा	Freight for Import of Petroleum Products ..	129
143.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd. ..	130
144.	तलकर्षक के पुर्जों के आयात लिये गुजरात सरकार को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Gujarat Government for Importing Dredger Components ..	130—131
145.	इंडियन आयल कारपोरेशन में विनियोजन	Investment in Indian Oil Corporation	131—132
146.	तेल मशीनरी और तेल उत्पादों का आयात	Import of Oil Machinery and Oil Products	132—133
147.	पश्चिम बंगाल के बोर्दा में तेल छिद्रण	Oil Drilling at Borda in West Bengal	133—134
148.	पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project	134—135
149.	राजस्थान में जैसलमेर में तेल की खोज	Oil Exploration in Jaiselmer (Rajasthan) ..	135
150.	कलक्टरों द्वारा ली जाने वाली भिन्न-भिन्न सीमा-शुल्क दरें	Different Customs Rates Charged by Collectors	135—136
151.	मोरेना तथा भिण्ड के सिंचित क्षेत्र	Area under Irrigation in Monera and Bhind	136—137

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

152. भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड को नागल हरीके तथा फिरोजपुर बांधों का सौंपना	Handing over of Nangal Harike and Forozepur Dams to Bhakra Control Board ..	137
153. दक्षिण मोती बाग, नई दिल्ली को जाने वाली सड़क का बन्द किया जाना	Closure of approach road to South Moti Bagh Colony, New Delhi ...	137—138
154. सूरत में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशी माल का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Goods by Customs Authorities at Surat	138
155. मध्य प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in Madhya Pradesh Hospitals	138
156. मध्य प्रदेश की फर्मों की ओर आयकर की बकाया धनराशि	Income Tax Arrears Outstanding against Firms of Madhya Pradesh ..	139
157. गुजरात के गांवों में पीने के पानी की सुविधा के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Provision of Drinking Water in Gujarat Villages	139—140
158. कर प्रणाली का अध्ययन करने हेतु समिति	Committee to Study Tax System	140
160. मंत्रालयों तथा विभागों में विदेशी सलाहकार	Foreign Advisers in Ministries and Departments	140
161. उर्वरक उद्योग का विकास	Development of Fertilizer Industry	140—141
162. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था के लिये कलकत्ता में आवास	Accommodation occupied by Geological Survey of India in Calcutta	141—142
163. भारत में हैजे का प्रकोप	Incidence of Cholera in India	143
164. गोहाटी तेल शोधक कारखाना	Gauhati Refinery	143—144
165. नया मोतीनगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई	Water Supply in New Moti Nagar, New Delhi	144—145
166. आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित योजना को कार्यान्वित करना	Implementation of Schemes, relating to Andhra Pradesh ..	145—146
167. प्रतिनिधि-मण्डलों का विदेशों में दौरा	Delegation's Visit Abroad	146

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
168. पंचग्राम में तेल निधि	Oil Found in Panchgram	146
169. गैर-सरकारी भवनों में खोले गये रिजर्व बैंक के कार्यालय	Reserve Bank Offices housed in private buildings	147
170. त्रिवेन्द्रम स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी	Employees of A. Gs. Office, Trivandrum ..	147—148
171. पश्चिमी सहायता	Western Aid	148
172. रामकृष्णपुरम्, दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के आवंटियों और किरायेदारों के विरुद्ध शिकायतें	Complain ts against the Allottees/ Sub-Allottees of Class IV Quarters in R. K. Puram, Delhi	148—149
173. निर्माण सम्बन्धी उपकरणों की प्राप्ति के लिये समिति	Committee on Procurement of Construction Equipment	149—150
174. भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को युनिसेफ से सहायता	UNICEF Aid to Indian Health Services ..	150—151
175. सरकारी परियोजनाओं की कार्य पद्धति	Working of Public Sector Projects	151
176. थाम्पसन रोड, नई दिल्ली पर डाक व तार विभाग के क्वार्टर	Posts and Telegraph Quarters Thompson Road, New Delhi ..	152
177. कोसी बांध क्षेत्र के निवासियों को मुआवजे का भुगतान	Payment of Compensation to Inhabitants of Kosi Embankment ..	152—153
178. विभिन्न राज्यों में अनुर्वरीकरण लप लगवाने तथा ट्यूबकटामी के मामले	Sterilization, Loop Insertion and Tubectomy cases in various States	153
179. चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme during Fourth Plan	154
180. उड़ीसा में निकल धातु के भण्डार	Nickel Reserves in Orissa	154
181. उड़ीसा सरकार द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकालना	Overdrafts by Orissa Government	155
182. भारत के स्टेट बैंक के निरीक्षकों की हड़ताल	Strike by Supervisors of State Bank of India ..	155

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

183. बाढ़ सहायता के लिये उड़ीसा सरकार की केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa Government for Flood Relief Measures ..	155—156
184. प्रधान मंत्री के लिये नया निवास-स्थान	New Residence for Prime Minister	156—157
185. भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग तथा केन्द्रीक सरकार के दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को प्रति-नियुक्ति भत्ता	Allowance to staff of Indian Audit and Accounts Department and Central Government on Deputation to Delhi Administration	157—158
186. स्वर्ण को अवैध रूप में रखना	Illegal Possession of Gold	158
187. दिल्ली में अविवाहितों के लिये चैमरियां	Chummeries for Bachelors in Delhi	158—160
188. रिजर्व बैंक द्वारा फटे पुराने नोटों को बदलना	Exchange of Mutilated Currency Notes by Reserve Bank	160
189. कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal Based Fertilizer Plant	160
190. मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आवश्यकता	Drinking water requirements of Rural Areas in M. P.	160—161
191. आसाम के चाय बागानों के मालिकों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income Tax by Owners of Tea Gardens in Assam	161—162
192. भारतीय तेल निगम द्वारा बाजार व्यापार में वृद्धि	Increase in Market Participation by Indian Oil Corporation	162
193. उदयपुर के निकट उद्योग समूह	Fertilizers Complex near Udaipur	162
194. विश्व बैंक द्वारा भारत को ऋण	World Bank Loan to India	163
195. बिहार में युनिसेफ केन्द्र का कार्य	Performance of UNICEF Centre in Bihar ..	163
196. कोसी और कमला बलान में बाढ़ नियंत्रण	Control of Kosi and Kamla Balan Floods ..	164—165
197. दिल्ली में बिजली तथा पानी की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Supply of Electricity and Water in Delhi	165

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

198. कोयली में पेट्रोलियम रसायन कारखाना समूह	Petro Chemical Complex at Koyali	165—166
199. दक्षिण मोती बाग (नानकपुर) को जाने वाले मार्ग का बन्द किया जाना	Closure of approach Road to South Moti Bagh (Nanakpur)	166
200. भारत में कुष्ट रोग के उपचार तथा उसकी रोकथाम के लिये चिकित्सक	Doctors for Leprosy Cure and Control work in India ..	166—167
अतारांकित प्रश्न संख्या 1505 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to USQ No. 1505	167
अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to USQ No. 1040 ..	167—168
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
भारतीय सैनिक मिशन और भारतीय वायरलैस आपरेटरों का नेपाल से वापिस बुलाया जाना	Withdrawal of Indian Military Mission and Indian Wireless Operators from Nepal	168—171
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	168—169
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	169—171
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	171—181, 214
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
79वां तथा 89वां प्रतिवेदन	Seventy-ninth and Eighty-ninth Reports ..	182
रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य	Statement on Railway Accidents	182—185
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	182—185
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य	Statement re. Nationalisation of Banks	185—191
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	187—191
उप-प्रधान मंत्री के त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य	Statement re: Resignation of the Deputy Prime Minister ..	191—194
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	191—193
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	193—194

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
उच्चतम न्यायालय के अपीलय क्षेत्राधिकार (आपराधिक मामलों में) के विस्तार के लिये विधेयक प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने की अवधि का विस्तार	Enlargement of the Appellate (Criminal) Jurisdiction of the Supreme Court Bill—Extension of time for Presentation of Report of Select Committee	194
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	194
(एक) तेल क्षेत्र (विनियम तथा विकास) संशोधन विधेयक	(i) Oil-fields (Regulation and Development) Amendment Bill	194—195
(दो) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक	(ii) Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill ..	195—197
भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के बारे में सांविधिक संकल्प तथा भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution re : Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1969 and Indian Railways (Second Amendment) Bill ..	197—214
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari ..	197—200
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	200
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	200—201
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	202—203
चौधरी रणधीर सिंह	Choudhary Randhir Singh	203
श्री जि० मो० बिश्वास	Shri J. M. Biswas ..	203—206
श्री के० एन० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	206
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	206—207
श्री द्वारिका नाथ तिवारी	Shri D. N. Tiwary ...	207
श्री बी० पी० मण्डल	Shri B. P. Mandal	207
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav ..	207—208
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail ..	208
श्री सोनावने	Shri Sonavane ..	209
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	209—210
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhury ..	210—211
श्री बे० कृ० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury ..	212—213
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar ..	213—214
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ..	214

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अंबाजागन, श्री (तिरूचेंगोड)
अंबुचेजियान, श्री (डिंडीगुल)
अगडी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अदिचन, श्री (अडूर)
अनिरुद्धन, श्री क० (चिरयिन्कील)
अब्राहम, श्री के० एम० (कोट्टयम)
अमात, श्री दे० (सुन्दरगढ़)
अमीन, श्री रा० की० (ढंढुका)
अमीन, श्री रामचन्द्र ज० (मेहसाना)
अयरवाल, श्री राम सिंह (सागर)
अरुमुगम, श्री (टेंकासी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
असगर हुसैन, श्री (अकोला)
अहमद, डा० इ० (गिरिडीह)
अहमद, श्री ज० (धुबरी)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आत्म दास, श्री (मुरैना)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फाजिलका)

उ

उइके, श्री (मंडला)
उमानाथ, श्री (पुद्दूकोटै)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारदगा)
उलाका, श्री राम चन्द्र (कोरापुट)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
एस्थोस, श्री (मुवत्तुपुजा)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओबराय, श्री एम० एस० (हजारीबाग)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कथम, श्री बी० ना० (जलपाईगुड़ी)
कन्डप्पन, श्री (मैटूर)
कपूर, श्री लखन लाल (किशनगंज)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कमलनाथन्, श्री (कृष्णगिरि)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कलिता, श्री धीरेश्वर (गोहाटी)
कस्तुरे, श्री अ० श्री० (खामगांव)
कांबले, श्री (लातूर)
कामराज, श्री के० (नगरकोइल)
कामेश्वर सिंह, श्री (खगरिया)
कावड़े, श्री भा० रा० (नासिक)
काहानडोल, श्री ज० मं० (मालेगांव)
किकर सिंह, श्री (भटिंडा)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री अ० कु० (झाड़ग्राम)
कुंटे, श्री दत्तात्रेय (कोलाबा)
कुचेलर, श्री (वैल्लोर)
कुन्दू, श्री स० (बालासौर)
कुरील, श्री बै० ना० (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री शफी (अनन्तनाग)
कुशवाह, श्री यशवन्त सिंह (भिंड)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
कृपालानी, श्री जी० भा० (गुना)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (गोंडा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णन् श्री (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री (हस्कोटे)
कृष्णमूर्ति, श्री (कडलूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केसरी, श्री सीताराम (कटिहार)
कोठारी, श्री स्वतन्त्र सिंह (मंदसौर)
कौशिक, श्री कृ० मा० (चांदा)

ख

खन्ना, श्री प्रे० कि० (शाहजहांपुर)
खां, श्री अजमल (पेरियाकुलम)
खां, श्री गयूर अली (कैराना)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मु० अ० (कासगंज)
खां, श्री लताफत अली (मुजफ्फरनगर)
खाडिलकर, श्री (खेड़)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
गणेश, श्री (अंडमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरिजा कुमारी, श्रीमती (शहडोल)
गिरिराज शरण सिंह, श्री (मथुरा)
गुडाडिन्नी, श्री ब० क० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुप्त, श्री कंवरलाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री राम कृष्ण (हिसार)
गुप्ता, श्री लाखन लाल (रायपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेविट, श्री तुकाराम (नानदरबार)
गोपालन, श्री अ० कु० (कासरगोड)
गोपालन, श्री प० (तेल्लिचेरी)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अम्बलपुजा)
गोयल, श्री श्रीचन्द (चंडीगढ़)
गोविन्ददास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (त्रिपत्तूर)
गौड, श्री गाडिलिंगन (कुरनूल)
गौडर, श्री नंजा (नीलगिरि)
गौडा, श्री हुच्चे (चिकमगलूर)
गौतम, श्री चि० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री गणेश (कलकत्ता-दक्षिण)
घोष, श्री परिमल (घाटल)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची)
घोष, श्री विमल कान्ति (सेरामपुर)

च

चक्रपाणि, श्री (पोन्नाणि)
चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार (हावड़ा)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रो० ला० (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (भोलपुर)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (जहांनाबाद)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चह्वाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चह्वाण, श्री यशवन्तराव बलवन्तराव (सतारा)
चित्ती बाबू, श्री (चिंगलपट)
चौधरी, श्री जे० के० (त्रिपुरा-पश्चिम)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बाल्मीकि (हाजीपुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छत्रपति, श्रीमती विजयमाला (हथकनंगले)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जमीर, श्री स० चु० (नागालैंड)
जगैया, श्री को० (ओंगोल)
जनार्दनन, श्री (त्रिचूर)
जमुना लाल, श्री (टोंक)
जय सिंह, श्री (होशियारपुर)
जयपाल सिंह, श्री (खुन्टी)
जाधव, श्री तुलसीदास (बारामती)
जाधव, श्री वें० नं० (जालना)
जेना, श्री (भद्रक)
जेवियर, श्री (तिरुनेलवेल्लि)
जोशी, श्री एस० एम० (पूना)
जोशी, श्री जगन्नाथराव (भोपाल)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झा, श्री शिव चन्द्र (मधुबनी)
झारखण्डे राय, श्री (धोसी)

ठ

ठाकुर, श्री गुणानन्द (सहरसा)
ठाकुर, श्री प्र० रं० (नवद्वीप)

ड

डांगे, श्री श्री० अ० (बम्बई मध्य-दक्षिण)

ढ

ढिल्लो, श्री गुरदयाल सिंह (तरनतारन)

त

तापड़िया, श्री सु० कु० (पाली)
तामस्कर, श्री (दुर्ग)
तारोडकर, श्री वें० बा० (नांदेड)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतिया)
तिवारी, श्री द्वा० ना० (गोपालगंज)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
त्यागी, श्री ओम् प्रकाश (मुरादाबाद)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)

द

दंडपाणि, श्री (धारापुरम)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दांडेकर, श्री नारायण (जामनगर)
दामानी, श्री (शोलापुर)
दार, श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव)
दास चौधरी, श्री बे० कु० (कूच बिहार)
दास, श्री न० ता० (जमुई)
दास, श्री सी० (तिरूपति)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिग्विजय नाथ, श्री महन्त (गोरखपुर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गं० च० (खंडवा)
दीपा, श्री अनिरुद्ध (फूलबनी)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरिच्चि)
दुरायरासु, श्री (पेरम्बलूर)
देव, श्री क० प्र० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री धीरेन्द्र नाथ (अगुंल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री रा० रा० सिंह (बोलनगीर)
देवगुण, श्री हरदयाल (पूर्व दिल्ली)
देवधरे, श्री न० रा० (नागपुर)
देविन्द्र सिंह, श्री (लुधियाना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शं० (परभणी)
देसाई, श्री चं० चु० (साबरकंठा)
देसाई, श्री दिनकर (कनारा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धरंगधरा, श्री श्रीराज मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर)
धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नम्बियार, श्री (तिरुचिरापल्लि)
नायनार, श्री इ० के० (पालघाट)
नाघनूर, श्री मु० न० (बेलगांव)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री गुरु चरण (क्योंझर)
नायक, श्री रा० वें० (रायचूर)
नायडू, श्री चेंगलराया (चित्तुर)
नायर, श्री क० कृ० (बहराइच)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (पीरमाडे)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नारायणन, श्री (पोलाची)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निर्लेप कौर, श्रीमती (संगरूर)
निहालसिंह, श्री (चंदौली)
नैयर, डा० सुशीला (झांसी)

प

पटेल, श्री जे० एच० (शिमोगा)
पटेल, श्री ना० नि० (बुलसर)
पटेल, श्री पाशाभाई (बड़ौदा)
पटेल, श्री बाबूराव (शाजापुर)
पटेल, श्री मणिभाई जे० (दमोह)
पटेल, श्री मनुभाई (डभाई)
पद्मावती देवी, श्रीमती (राजनन्दगांव)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री द० रा० (पाटन)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पस्वान, श्री केदार (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिन्डौन)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री चू० अ० (धूलिया)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री ना० रा० (भोर)
पाटिल, श्री स० का० (बनासकांठा)
पाटिल, श्री स० दा० (सांगली)
पाटिल, श्री से० ब० (बागलकोट)
पाटोदिया, श्री देवकीनन्दन (जालोर)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाण्डेय, श्री काशीनाथ (पदरौना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (गाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री (राजमपेट)
पालचौधरी, श्रीमती इला (कृष्णनगर)
पुनाचा, श्री चे० मु० (मंगलौर)
पुरी, डा० सूर्य प्रकाश (नवादा)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधानी, श्री ख० (नौरंगपुर)
प्रमाणिक, श्री जि० ना० (बलूरघाट)
प्रसाद, श्री य० ऊ० (मचिलीपट्टणम)

फ

फरनेन्डीज, श्री जार्ज (बम्बई-दक्षिण)

ब

बख्शी, श्री गुलाम मुहम्मद (श्रीनगर)
बजाज, श्री कमलानयन (वर्धा)
बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरमन, श्री किरित विक्रमदेव (त्रिपुरा-पूर्व)
बरुआ, श्री बेदब्रत (कलियाबोर)
बरुआ, श्री राजेन्द्रनाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (मंगलदाई)
बसवन्त, श्री (भिवंडी)
बसी, श्री सोहन सिंह (फिरोजपुर)

बसु, डा० मैत्रेयी (दारजीलिंग)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री प० ल० (गंगानगर)
बिड़ला, श्री राधा कृष्ण (झुंझनू)
बिरुआ, श्री कोलाई (सिंहभूम)
बिष्ठ, श्री जं० ब० सिं० (अलमोड़ा)
बिस्वास, श्री जि० मो० (बांकुरा)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बृज भूषण लाल, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह कोटा, श्री (झालाबाड़)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (भरतपुर)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री स० च० (दुमका)
बेहेरा, श्री बेधर (जाजपुर)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री अमीय नाथ (आरामबाग)
बोहरा, श्री ओंकार लाल (चित्तौड़गढ़)
ब्रह्म प्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)
ब्रह्मानन्द, स्वामी (हमीरपुर)

भ

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री (तेजपुर)
भगवान दास, श्री (औसग्राम)
भट्टाचार्य, श्री चपलाकांत (रायगंज)
भण्डारे, श्री रा० ढो० (बम्बई-मध्य)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भानु प्रकाश सिंह, श्री (सीधी)
भारती, श्री महाराज सिंह (मेरठ)
भार्गव, श्री ब० ना० (अजमेर)

म

मंगलाथुमाडम, श्री (मवेलिक्करा)
मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री जुगल (उलुबेरिया)
मंडल, श्री बि० प्र० (माधोपुरा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मधुकर, श्री क० मि० (केसरिया)
मधोक, श्री बलराज (दिल्ली दक्षिण)
मनोहरन, श्री (मद्रास उत्तर)
मयाबन, श्री (चिदाम्बरम)
मरंडी, श्री (राजमहल)
मरन, श्री मु० (मद्रास-दक्षिण)
मलहोत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
मसानी, श्री मो० रु० (राजकोट)
मसुरियादीन, श्री (चायल)
महतो, श्री भजहरि (पुरूलिया)
महाजन, श्री विक्रम चन्द (चम्बा)
महादेव प्रसाद, श्री (महाराजगंज)
महादेवप्पा, श्री रामपुर (गुलबर्गा)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
महीडा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माझी, श्री महेन्द्र (मयूरभंज)
माने, श्री शंकरराव दत्तात्रय (कोल्हापुर)
मास्टर, श्री भोलानाथ (अलवर)
मिनीमाता, अगमदास गुरू, श्रीमती (जंजगीर)
मिर्जा, श्री बाकर अली (सिकन्दराबाद)
मिश्र, श्री एस० एन० (कनौज)
मिश्र, श्री ग० शं० (छिन्दवाड़ा)
मिश्र, श्री जनेश्वर (फूलपुर)
मिश्र, श्री विभूति (मोतिहारी)
मिश्र, श्री श्रीनिवास (कटक)
मिश्र, श्री श्रीपति (सुल्तानपुर)
मीना, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
मुकने, श्री यशवन्त राव (दहानु)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुत्तुस्वामी, श्री सी० (करूर)

मुल्ला, श्री आनन्द नारायण (लखनऊ)
मुहम्मद इमाम, श्री जे० (चित्रदुर्ग)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मंजेरी)
मुहम्मद यूसुफ, श्री (सीवन)
मुहम्मद शरीफ, श्री (रामनाथपुरम)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मृत्युन्जय प्रसाद, श्री (महाराज गंज)
मेघ चन्द्र, श्री (आन्तरिक मनीपुर)
मेनन, श्री कृष्ण (मिदनापुर)
मेनन, श्री गोविन्द (मुकन्दपुरम)
मेनन, श्री विश्वनाथ (एरणाकुलम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मोडक, श्री वि० कु० (हुगली)
मोडी, श्री पीलु (गोधरा)
मोलहू प्रसाद, श्री (बांसगांव)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़-दक्षिण)
मोहिन्द्र कौर, श्रीमती (पटियाला)

य

याज्ञिक, श्री (अहमदाबाद)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री जागेश्वर (बांदा)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (देहरादून)

र

रंगा, श्री (श्रीकाकुलम)
रघुरामैया, श्री (गुन्टूर)
रजनीदेवी, श्रीमती (रायगढ़)
रणजीत सिंह, श्री (खलीलाबाद)
रणधीर सिंह, श्री (रोहतक)
रमानी, श्री (कोयम्बत्तूर)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज देव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजशेखरन, श्री (कनकपुरा)
राजाराम, श्री (सेलम)
राजू, डा० द० स० (राजमंड्रि)
राजू, श्री द० ब० (नरसापुर)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (धनबाद)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाबाई, श्रीमती (भद्राचलम)
राने, श्री एस० आर० (बुलडाना)
राम, श्री तु० (अरारिया)
राम चरण, श्री (खुर्जा)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम धनी दास, श्री (गया)
राम भद्रन, श्री टी० डी० (तिन्द्रीवनम्)
राम मूर्ति, श्री (मदुरै)
राम मूर्ति, श्री एस० पी० (शिवकाशी)
राम शेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सुभग सिंह, डा० (बक्सर)
राम सेवक, श्री (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रोबर्ट्सगंज)
राय, श्री चितरंजन (जयनगर)
राय, श्री रवि (पुरी)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती उमा (माल्दा)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, डा० वी० के० आर० वी० (बेल्लारी)
राव, श्री क० नारायण (बोबिबली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री रामपथी (करीमनगर)
राव, श्री तिरूमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (नगर कुरनूल)
राव, श्री रामेश्वर (महबूब नगर)
राव, श्री नरसिम्हा (पार्वतीपुरम)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री एन्थनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरियालगुडा)
रेड्डी, श्री दशरथ राम (कावली)
रेड्डी, श्री नारायण (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री नीलम संजीव (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्रीमती सुधा (मधुगिरी)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री क० (तुमकुर)
लक्ष्मी कान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (मेडक)
ललित सेन, श्री (मन्डी)
लास्कर, श्री नि० रं० (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (मुंघेर)
लुत्फुल हक, श्री (जंगीपुर)
लोबो प्रभु, श्री (उदिपि)

व

वंश नारायण, श्री (मिर्जापुर)
वर्मा, श्री प्रेमचन्द (हमीरपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
विजयराजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यार्थी, श्री राम स्वरूप (करौलबाग)
विश्वनाथन, श्री (वंडीवाश)
विश्वनाथन, श्री तेन्नेटि (विशाखापटनम)
विश्वम्भरम, श्री (त्रिवेन्द्रम)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वेंकटासुब्बया, श्री पें० (नन्दयाल)
वैंकटा स्वामी, श्री (सिद्धिपेट)
व्यास, श्री रमेशचन्द्र (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शम्भू नाथ, श्री (सैदपुर)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (भंजनगर)
शर्मा, श्री दी० चं० (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री ना० स्व० (डुमरियागंज)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री यज्ञ दत्त (अमृतसर)
शर्मा, श्री योगेन्द्र (बेगुसराय)
शर्मा, श्री रामावतार (ग्वालियर)
शर्मा, श्री वेणी शंकर (बंका)
शर्मा, श्री शिव (विदिशा)
शशि भूषण, श्री (खारगोन)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शारदानन्द, श्री (सीतापुर)
शालवाले, श्री राम गोपाल (चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (हापुड़)
शास्त्री, श्री रघुवीर सिंह (बागपत)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिव कुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाह, श्री टी० पी० (कांकर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाह, श्री वीरेन्द्र कुमार (जूनागढ़)
शाह, श्री शान्तिलाल (उत्तर-पश्चिम-बम्बई)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शिंकरे, श्री (पंजिम)
शिन्दे, श्री अन्नासाहिब (कोपरगांव)
शिव चंडिका प्रसाद, श्री (जमशेदपुर)
शिव चरण लाल, श्री (फिरोजाबाद)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिवप्पा, श्री (हसन)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपुरेम्बटूर)
शुक्ल, श्री शं० ना० (रीवा)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमंद)

शेर सिंह, श्री (झज्जर)
श्रीधरन, श्री (बडागरा)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संजीरूपजी, श्री (दादरा तथा नगर हवेली)
संत बक्स सिंह, श्री (फतेहपुर)
संतोषम, डा० म० (तिरुचेंडर)
संबन्धन, श्री (तिरुताणि)
सईद, श्री प० मु० (लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सट, श्री अब्राहीम सुलेमान (कोजीकोडे)
सत्य नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
सप्रे, श्रीमती तारा (बम्बई-पूर्वोत्तर)
सलीम, श्री मु० यू० (नलगौंडा)
सहगल, श्री अ० सिं० (बिलासपुर)
सांधी, श्री न० कु० (जोधपुर)
साम्भली, श्री इस्हाक (अमरोहा)
साधू राम, श्री (फिल्लौर)
साबू, श्री श्रीगोपालन (सीकर)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
साम्बसिवम, श्री (नागपट्टिणम)
साल्वे, श्री न० कु० (बेतूल)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, डा० शि० कु० (वीरभूम)
सिंह, श्री जि० ब० (साहाबाद)
सिंह, श्री दि० ना० (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री दे० वि० (सतना)
सिंह, श्री मुद्रिका (औरंगाबाद)
सिंह, श्री राम कृष्ण (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्यनारायण (दरभंगा)
सिद्दय्या, श्री (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालंदा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सुदर्शनम, श्री म० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुन्दर लाल, श्री झा० (बस्तर)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सुब्रावेलू, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर सिंह, श्री (झाबुपुर)
सूर्य नारायण, श्री को० (एल्लूरू)
सेक्वीरा, श्री (मरमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री तु० म० (कच्छ)
सेठी, श्री प्र० चं० (इन्दौर)
सेतुरामे, श्री नं० (पांडिचेरी)
सेन, डा० रानेन (बारासाट)
सेन, श्री अ० कु० (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री देवेन (आसनसोल)
सेन, श्री द्वैपायन (कटवा)
सेन, श्री फ० गो० (पूर्णिया)
सैयद अली, श्री (जलगांव)
सोंधी, श्री मनोहर लाल (नई दिल्ली)
सोनार, डा० अ० ग० (रामटेक)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोमसुन्दरम, श्री (थंजावूर)
सोमानी, श्री नन्दकुमार (नागौर)
सोलंकी, श्री प्र० नं० (कैरा)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधी नगर)
स्नातक, श्री नरदेव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालन्धर)
स्वेल, श्री (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हजरनवीस, श्री (चित्तुर)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रुगढ़)
हनुमन्तय्या, श्री (बंगलौर)
हरिकृष्ण, श्री (इलाहाबाद)
हाल्दर, श्री कं० (मथुरापुर)
हिम्मतसिंहका, श्री (गोड्डा)
हीरजी भाई, श्री (बांसबाडा)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

रिक्त

उपाध्यक्ष

श्री र० के० खाडिलकर

सभापति तालिका

श्री गाडिलिंगन गौड

श्री वासुदेवन नायर

श्री एम० बी० राणा

श्री एस० आर० राने

श्री प्रकाशवीर शास्त्री

श्री क० ना० तिवारी

सचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री; योजना मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री	श्री फरूद्दीन अली अहमद
वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री	श्री ब० रा० भगत
गृह-कार्य मंत्री	श्री यशवन्त राव चह्वाण
श्रम तथा पुनर्वास मंत्री	श्री हाथी
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री जगजीवन राम
विधि तथा समाज कल्याण मंत्री	श्री गोविन्द मेनन
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री	श्री चे० मु० पुनाचा
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री	डा० वी० के० आर० वी० राव
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री	डा० त्रिगुण सेन
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री	श्री के० के० शाह
वैदेशिक-कार्य मंत्री	श्री दिनेश सिंह
रेलवे मंत्री	डा० राम सुभग सिंह
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
प्रतिरक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री	श्री सत्य नारायण सिंह

राज्यमंत्री

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री भागवत झा आजाद
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री भक्त दर्शन
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री	डा० श्री० चन्द्रशेखर
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री दा० रा० चह्वाण
रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री परिमल घोष
विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री	डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री	श्री इ० कु० गुजराल
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री जगन्नाथ राव
प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री ल० ना० मिश्र
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री ब० सू० मूर्ति
इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री	श्री रघुरामैया
सिंचाई और विद्युत मंत्री	डा० कु० ल० राव
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री प्र० चं० सेठी
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री अन्नासाहिब शिन्दे
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री	श्री शेर सिंह
उप मंत्री	
रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री डा० एरिंग
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री स० चु० जमीर
प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मं० रं० कृष्ण
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री	डा० सरोजिनी महिषी
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री के० एस० रामस्वामी
वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री	श्री चौधरी राम सेवक
विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री	श्री मुत्याल राव
विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री	श्री मु० यूनस सलीम श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री भानु प्रकाश सिंह
संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री इकबाल सिंह
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

चतुर्थ लोक-सभा के आठवें सत्र का पहला दिन

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 जुलाई, 1969/30 आषाढ़, 1891 (शक)
Monday, July 21, 1969/ Asadha 30, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री नी० संजीव रेड्डी द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र
RESIGNATION BY SHRI N. SANJIVA REDDY OF THE OFFICE OF SPEAKER

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है·····

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : महोदय, मानव चांद पर उतर गया है। यह पहली घटना है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। सबसे पहले सभा में उसी का उल्लेख होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यथा समय इस बात का भी उल्लेख किया जायेगा।

Shri George Fernandes (Bombay South) : On a point of order, Sir, no reference has been made in today's Order Paper of the resignation of the Ex-Speaker. If you see the book written by Shri Shakdher, it is obligatory on your part to place the resignation letter of the Speaker before the House. After all the Spcaker was elected by us.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें तथा मेरी बात सुनें। जहां तक चांद पर मानव के उतरने का सम्बन्ध है, इसका उल्लेख किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री नी० संजीव रेड्डी ने 19 जुलाई, 1969 के

5 बजे म० प० से अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया है। उन्होंने एक संक्षिप्त पत्र लिखा है, जो इस प्रकार है :

"सेवा में

उपाध्यक्ष

लोक सभा, नई दिल्ली

महोदय,

मैं एतद् द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र देता हूं।

भवदीय

हस्ताक्षर—नी० संजीव रेड्डी

6 बजे म० प० 19-7-1969"

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री श्रीपति मिश्र (सुल्तानपुर-उत्तर प्रदेश)

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को दो मित्रों यथा डा० गोपाल राव बाजीराव खेडकर तथा श्री एन० रामासेशैया के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

डा० गोपाल राव बाजीराव खेडकर वर्ष 1952 से 1960 तक पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। अपने निधन के समय वह महाराष्ट्र सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री थे। उनका निधन 25 मई, 1969 को अमरावती में हो गया। उनकी आयु 69 वर्ष थी।

श्री एन० रामासेशैया वर्ष 1952 से 1957 तक पहली लोक सभा के सदस्य थे। अपने निधन के समय वह उड़ीसा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। 31 मई, 1969 को भुवनेश्वर में उनका निधन हो गया। उनकी आयु 71 वर्ष थी।

हमें इन मित्रों के निधन का गहरा दुःख हुआ है और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को हार्दिक संवेदनाएं भेजने में सभा मेरा साथ देगी।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, मैं आपके द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं और हमें गहरा दुःख है कि इस संसद् में हमारे दो प्रमुख भूतपूर्व सहयोगी डा० गोपाल राव बाजीराव खेडकर और श्री एन० रामासेशैया का निधन हो गया है।

डा० खेडकर स्वतन्त्रता संग्राम के पुराने सेनानी थे। वे अपने क्षेत्र के एक प्रमुख एवं माननीय नेता थे। उन्होंने बहुत लम्बे समय तक जनता की सेवा की थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय वह मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे और बाद में पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। यद्यपि मुख्यतया वह एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे, तथापि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। वह एक पत्रकार थे। शिक्षा तथा ग्रामोद्धार में वह गहन दिलचस्पी लेते थे तथा इन उद्देश्यों के लिये उन्होंने सराहनीय कार्य किया गया है। उनके निधन से हमने एक पुराने तथा महान सहयोगी को खो दिया है।

श्री रामासेशैया प्रथम लोक सभा में निर्दलीय सदस्य थे। वह तमिलनाडु के प्रमुख सार्वजनिक नेता था। हमें इन अपने दो प्रमुख सहयोगियों के निधन पर गहरा दुःख है।

महोदय, मैं आपसे संतप्त परिवारों के सदस्यों को हमारी हार्दिक संवेदनाएं भेजने का अनुरोध करती हूं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : महोदय, मुझे इन दो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के निधन पर गहरा दुःख हुआ है।

मैं श्री रामासेशैया को वर्ष 1927 से जानता हूं। वह तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। वह आन्ध्र प्रदेश के थे, न कि तमिलनाडु के।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरा अभिप्राय उड़ीसा से था।

श्री रंगा : उन्होंने उड़ीसा में ख्याति प्राप्त की थी। वह इस सभा के सदस्य थे। उन्होंने निर्दलीय सदस्य के रूप में तथा डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी के नेतृत्व में इस सदन की प्रथम डेमोक्रेटिक अपोजिशन पार्टी के सदस्य के रूप में वर्ष 1952 से 1957 तक सराहनीय कार्य किया है। वह गणतन्त्र परिषद के भी सदस्य थे तथा इस हैसियत से उन्होंने उड़ीसा के लोगों की दस वर्ष से अधिक समय तक सेवा की थी। इसके बाद वह स्वतन्त्र दल में शामिल हो गये थे तथा स्वास्थ्य मंत्री बन गये थे। वह दो वर्ष तक स्वास्थ्य मंत्री रहे तथा अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया। जो कोई भी उनके सम्पर्क में आया वह उनके व्यक्तित्व तथा सौहार्द से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वह तेलुगु के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। उन्हें दो राज्यों यथा आन्ध्र तथा उड़ीसा में सम्मान प्राप्त था, जो कि किसी बिरले व्यक्ति को ही होता है। हमें उनके निधन पर गहरा दुःख है। मैं श्री खेडकर को भी जानता था। स्वतन्त्रता संग्राम में वह हमारे सहयोगी थे। यदि मुझे ठीक याद है तो उन्हें प्रान्तीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त हुआ था। वह एक किसान थे तथा किसानों के मित्र थे तथा मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग लेना ही पसंद किया था। मुझे उनके निधन पर गहरा दुःख है।

मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों को हार्दिक संवेदनाएं भेजने में आपका, प्रधान मंत्री का तथा हमारा साथ देगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, at the beginning of the new session we have to express our heart felt condolences at the sad demise of our senior colleagues, who had left us for ever. Death is the finale of life and nobody can escape from it. Yet it is but natural to be sorry at the passing away of those with whom and under whose guidance we had worked. Their memory remains fresh in our minds.

I had been in close contact with Shri Khedkar. He had played a distinguished role in the struggle for independence in the pre indepence day and had done remarkable service to the nation in nation building work after independence. He was a prominent leader of Vidharba and the people there loved him very much. His strength was the people to whom he belonged and for whom he worked through out his life.

I have close contacts with Shri Ramaseshaiah also. He was a Member of the Democratic opposition Party of this House, which was constituted under the leadership of Dr. Shyama Prasad Mookerji. As Shri Ranga has said, he had deep interest in literature apart from politics. He was a good poet of Telgu and he had enriched that language to a great extent.

Sir, on behalf of my party and on my own behalf I express deep sorrow at the sad demise of Dr. Khedkar and Shri Ramaseshaih and pray to God that their souls may rest in peace.

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I did not have personal contacts. But I had some occassion of having talks with Shri Ramaseshaih, when he was Health Minister in the non-Congress Council of Ministers of Orissa. His talks had deep impressions on my mind which are still fresh. He was a gentleman and whosoever came in contact with him was impressed by his gentlemanliness.

Sir, on my own behalf and on behalf my party I express deep sorrow at the sad demise of Dr. Khedkar and Shri Ramaseshaih.

Shri Yogendra Sharma (Begu Sarai) : Sir, on behalf of my party I associate myself with the setiments expressed here on the sad demise of two ex-Members of this House.

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : महोदय, जिन दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन पर जो शोक और संवेदना की भावना प्रकट की गई हैं, मैं अपने को और अपने दल को उस शोक और संवेदना में शामिल करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनायें शोक संतप्त परिवारों को भेज दी जायें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, सदन के जिन दो भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु पर जो शोक और संवेदना की भावना प्रकट की गई है, मैं अपने को और अपनी पार्टी को उसमें शामिल करता हूं । श्री रामासेशैया केवल प्रथम लोक सभा के सदस्य ही नहीं थे, परन्तु अपनी मृत्यु के समय वह उड़ीसा के वर्तमान मंत्रिमंडल में मंत्री थे । एक उद्योगपति होने के नाते भी उन्होंने उड़ीसा के विकास में योगदान दिया था । हमें बहुत दुःख है कि हमने ऐसे व्यक्ति को खो दिया है । मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें भेज देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यगण अपना शोक व्यक्त करने के लिये थोड़ी देर मौन खड़े हो जायें ।

इसके पश्चात सदस्यगण कुछ देर तक मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while.

मानव का चांद पर पहुंचना

MAN's LANDING ON THE MOON

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, परमाणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): उपाध्यक्ष महोदय, मानव आज चांद पर उतर गया है, यह विश्व की एक अद्भुत तथा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी एक ऐतिहासिक घटना है । अब हम अपने इस विश्व को और अधिक सही रूप में देख सकते हैं और उसमें व्याप्त नवीन सुन्दरता की खोज कर सकते हैं ।

इस सभा के सभी सदस्यों की ओर से मैं अन्तरिम यात्री श्री आर्मस्ट्रांग तथा श्री एल्ड्रिन को जिन्होंने चांद पर पदार्पण किया है, और कमान्डर कोलिन्स को तथा तकनीसियनों के अति कुशल दल और उनके हजारों सह कर्मचारियों को जो उनके पीछे हैं, हार्दिक बधाइयां देती हूं ।

वास्तव में यह विज्ञान की एक महान विजय है जिसमें मानव का अदम्य तथा अद्भुत साहस झलकता है । अमरीकी लोगों के लिये और वास्तव में सभी मानव जाति के लिये यह गौरव का क्षण है ।

अमरीका तथा रूस के अन्तरिक्ष यात्री हमारे इस युग के अन्तरिक्ष सेनानी रहे हैं और उनके उदाहरण से विश्व के प्रत्येक नवयुवक को प्रेरणा मिलती है । उल्लास, हर्ष एवं विजय के इस महान अवसर पर हमारी कामना है कि अमरीका के ये साहसी अन्तरिक्ष यात्री सकुशल पृथ्वी पर लौट आयें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा सुझाव है कि सभा के सदस्य इन साहसी सेनानियों को उनकी इस विजय के लिये सम्मानार्थ खड़े होकर हर्षध्वनि करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त विचारों से सम्पूर्ण सभा सहमत है और हम उनके सकुशल लौट आने की कामना करते हैं । जैसा कि सुझाव दिया गया है हमें खड़े होकर इस विजय के लिये हर्षध्वनि करनी चाहिए ।

इसके पश्चात् सदस्यगण खड़े हुए और उन्होंने हर्षध्वनि की ।

The Members then stood up and gave an ovation

Shri Atal Bihari Vajpayee : I suggest that the sentiments expressed by the House are conveyed to the astronauts and their families.

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा किया जायेगा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में कटौती

*1. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा पालिसियों पर ली जाने वाली प्रीमियम की दरों को कम करने के लिये हाल में सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई अन्य सिफारिशों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख). निगम ने, वर्तमान प्रीमियम दरों की जांच के लिये बीमांककों की एक समिति नियुक्त की थी। उनकी रिपोर्ट निगम के विचाराधीन है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि "प्रीमियम दरें घटाकर तथा बोनस बढ़ाकर, निगम, अपनी पालिसियों को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास करे।"

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

डा० सुशीला नैयर : जहां तक मैं समझती हूं यह प्रतिवेदन अप्रैल में प्रस्तुत किया गया था। इस पर विचार करने में सरकार को कितना समय लगेगा ? सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है और क्या वह इन सिफारिशों को मानने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के पक्ष में है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमें यह प्रतिवेदन जनवरी, 1968 में प्राप्त हुआ था, उसके बाद हम मुरारका समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करते रहे हैं, अब ये दोनों प्रतिवेदन निगम के विचाराधीन हैं।

डा० सुशीला नैयर : मुरारका समिति के प्रतिवेदन को सरकार के पास कई महीने हो गये हैं, मैं जानना चाहती हूं कि इस प्रतिवेदन पर कब तक विचार किया जायेगा और निर्णय लिये जायेंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं उनसे यथा संभव शीघ्र निर्णय लेने के लिये कहूंगा ।

श्री रणजीत सिंह : माननीय मंत्री जी से हम यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि इन मामलों पर सरकार अन्तिम कार्यवाही कब तक करेगी और क्या वह एक निश्चित तिथि निर्धारित करेंगे ताकि अधिकारी लोग उसके अनुसार काम करें—बजाये हर वक्त यह उत्तर देने के कि प्रतिवेदन विचाराधीन हैं ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह एक जटिल मामला है, इसलिये कुछ समय लगना आवश्यक है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : I want to know the progress made so far in regard to LIC business since its nationalisation and whether it has also suffered losses as other corporations have. Besides, when the Insurance policies become matured and the repayment is due, the LIC officials harass the poor and illiterate claimants and unnecessarily delay the payments. I would, therefore, like to know whether Government propose to redress the grievances of such claimants.

Shri Jagannath Pahadia : The LIC is not running at losses and the complaints received about such matters are duly examined by the Government and necessary action taken under the rules. So far as the progress in regard to its business is concerned, the Hon. Member may consult the annual reports of the corporation which give all details of progress made in regard to their business etc.

Shri Ram Gopal Shalwale : Sir, I am not satisfied with the answer by the Hon. Deputy Minister. The Prime Minister who has for the first time taken-over the Finance Portfolio should come forward with a clear reply.

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : This question has been answered on previous occasions also and we are in a position to answer this question. As suggested, the Hon. Member can consult a public document which contains all such data.

श्री क० लकप्पा : अन्य देशों में तो बिल्ली और कुत्तों का भी बीमा कराया जाता है । लेकिन हमारे देश में इस सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली खराब नीति के कारण लाखों-करोड़ों लोगों के जीवन का बीमा ही नहीं होता । क्या सरकार लोगों के जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि लोग जीवन बीमा करवाये बिना न रहें, एक समिति गठित करेगी ? क्या सरकार देश में आर्थिक स्थिरता लायेगी और बीमा की दरों में कमी करवायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य ने कहा है कि देश में आर्थिक स्थिरता लायी जानी चाहिए । मैं समझती हूं सभा के सभी वर्ग उनके इस वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हैं । सरकार भी इसके लिये प्रयत्नशील है ।

Shri Jagannath Rao Joshi : In reply to a question answered on 14th April it was stated that the suggestion for reduction in the premium rates was under consideration of the Government. Even after three months, the same reply is being given. How long it will take for the Government to examine it and take a decision in the matter ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जहां तक प्रीमियम की दरों में कमी करने का सम्बन्ध है, यह तीन महत्वपूर्ण बातों से सम्बन्धित है—पहली बात है मृत्यु-दर, दूसरी बात जीवन बीमा निगम द्वारा कमाया जाने वाला ब्याज और तीसरी बात है व्यय अनुपात इस दृष्टिकोण से, जब यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, तो हम मुरारका समिति के प्रतिवेदन की जिसमें विशेषरूप से व्यय-अनुपात के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, प्रतीक्षा में थे। अब मुरारका समिति का प्रतिवेदन मिल चुका है और इस प्रतिवेदन को सामने रखते हुए जीवन बीमा निगम बोर्ड इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है और हम उनसे इन पर यथासंभव शीघ्र विचार पूरा करने के लिये कहेंगे।

Shri Brij Bhushan Lal: One of the important recommendations of the Expert Committee is that 25 per cent administrative staff is surplus there costing about 6 crores of rupees to the corporation. They have further stated that 50 per cent of the forms and statements which are sent to Branch offices are superfluous. Similarly 40 per cent of the forms and statements sent to Divisional offices and Zonal offices are surplus. They can be eliminated without sacrificing efficiency. The board of the corporation has not been discharging its functions as effectively as it should have done.

Then it has been said that group term insurance be given due recognition.

In view of this I want to know from the Government whether they have taken any steps to immediately implement these recommendations so as to save crores of rupees, and if not, the reasons therefor ?

श्री प्र० चं० सेठी : मोरारका समिति का प्रतिवेदन हाल में ही प्रस्तुत हुआ था। और यह प्रतिवेदन उक्त विषय पर है। उन्होंने व्यय के पहलू पर भी विचार किया है। परन्तु कर्मचारियों की संख्या में तुरन्त कमी करना एक बड़ी समस्या है और इससे जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

Shri Hardyal Devgun : Many times it has been stated by the Prime Minister and the Government that public undertakings are not meant only to earn profit but they are for giving relief to the people. Life Insurance Corporation has earned profit and its business has also increased keeping in view all these factors I want to know whether our assurance will be given that the premium rates will be reduced because the rates which were charged prior to nationalisation are still prevalent ? Now the question is what Government and people have gained from nationalisation. I want to know whether you are prepared to give an assurance that premium rates will be reduced in principle ? The question regarding quantum of reduction in premium rates can be decided later.

श्री प्र० चं० सेठी : खर्च के अनुपात तथा अन्य बातों के कारण समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जहां तक जीवन बीमा निगम की अन्य गतिविधियों का सम्बन्ध है, यह निगम मकान बनाने तथा सरकारी क्षेत्र और अन्य उद्योगों को ऋण आदि भी देने के कार्यों में संलग्न है, जो देश के लिए लाभदायिक हैं।

जहां तक प्रीमियम की दरों को कम करने का प्रश्न है निगम पालिसीधारियों को बोनस देता है जो कई मामलों में 95 प्रतिशत होते हैं अतः इस दृष्टि से यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तथापि यह एक शैक्षिक महत्व का प्रश्न है।

Shri Yajna Datt Sharma: Will the Hon. Minister give a definite date when the premium rates will be reduced?

Shri P. C. Sethi: No definite date can be given.

Shri Nawal Kishore Sharma: On the one hand it was the object of the nationalisation of the insurance business to utilise that money in the public interest and on the other hand to spread it throughout and attract more persons towards it. It is clear from the figures that we have failed to achieve that end fully. It was thought at the tune of the nationalisation of the insurance companies that we wlll be having resources to the tune of 8 thousand crores. At that time it was 12 crores of rupees and now it is 3 thousand crores of rupees. I therefore want to know whether the Government have taken any steps to remedy the situation or whether the Government have been receiving and considering the reports of various Committees? Some effective steps should be taken by Government. Premium rates should be reduced. Group insurance and crop insurance should be introduced without further delay. I want to know whether Government will give some definite date or fix some targets for the implementation of these things or will only continue to consider them indefinitely? I want categorical answer.

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने लाभदायक सुझाव दिये हैं जो हमारे विचाराधीन हैं।

Shri Yamuna Prasad Mandal: On page 906, in recommendation No. 146 of the Morarka Committee's report the Committee has mentioned the qualifications of the Chairman of Life Insurance Corporation and I am sorry to note that such persons are found in the Civil Services only. It is stated that persons outside that service are also selected. I am sorry to say that there are competent and able persons outside this cadre which might be considered for the post of chairman. I may read it out.

"While appointing person as the chairman of the Corporation, Government should satisfy itself that the person would serve as the chairman of the Corporation for a minimum period of five years. Men with requisite statute, competence and experience from outside the civil service should also be considered eligible for the chairmanship of the corporation." The two words of Civil Service are meaningless. Will the Government give an assurance that they will consider over these two words seriously while considering the reports of the Morarka Committee?

श्री प्र० चं० सेठी : वर्तमान बोर्ड डेढ़ वर्ष पहले बना था। वर्तमान बोर्ड में बीमा के विशेषज्ञ हैं। जब बोर्ड के पुनगर्ठन का समय आयेगा तब मोरारका समिति की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा।

Shri Atal Behari Vajpayee: Before I ask my question I want to know whether I should address you as Deputy Speaker or as acting Speaker?

Drilling of Oil Wells in the Arabian Sea

\+
*2. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri P. M. Sayeed:
Shri Manibhai J. Patel:
Shri D. N. Patodia:
Shri S. M. Krishna:
Shri Surendra Nath Dwivedi:
Shri Samar Guha:
Dr. Ranen Sen:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken in regard to the drilling of oil wells in the Arabian Sea;

(b) if so, the details thereof and the measures taken in this regard and results thereof;

(c) if not, the date when Government received the proposal first in this regard and when a decision is likely to be taken on this : and

(d) the number of proposals received so far in this connection, the number of them rejected and the reasons for their rejection ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया है ।

विवरण

(क) से (ग). खम्बात की खाड़ी के कम गहरे पानी में, अल्यिावेटईस्ट संरचना पर, रूस के तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से व्यधन कार्य करने का फैसला किया गया है। मई, 1969 में रूसी अधिकारियों के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; जिसमें निम्न व्यवस्था की गई है :

(क) अपेक्षित स्थिर किस्म् के ड्रिलिग प्लेट फार्म के लिए, प्रथम अवस्था का डिजाइन बनाना,

(ख) प्लेटफार्मों के डिजाइन में भारतीय डिजाइन इन्जीनियरों का प्रशिक्षण ,

(ग) हिन्द आयल डिजाइन इंस्टीट्यूट में कार्य डिजाइन बनाने ; और

(घ) ब्लाक आदि के निर्माण तथा संस्थापन पर एक या दो रूसी विशेषज्ञों की प्रति नियुक्ति ।

गहरे पानी में ड्रिलिग के बारे में परामर्शदाताओं की एक फर्म से, एक परामर्शी प्रबन्ध किया गया है । यह फर्म क्षेत्र से सम्बन्धित उपलब्ध वित्त का अध्ययन करेगी तथा पश्चिमी तट के गहरे पानी में अन्वेषी व्यधन कार्य करने के लिये, हमें अति उपयुक्त किस्म के चलते-फिरते तट-दूर ड्रिलिग प्लेटफार्म की सिफारिश करेगी । सम्बद्ध दीक्षा प्राप्त करने, वातावरण से परिचित होने तथा तकनीकी ड्रिलिग व्यक्तियों का प्रारम्भिक मूल्यांकन करने के लिए इस परामर्शी संस्था के एक विशेषज्ञ ने हाल ही में भारत का दौरा किया था । परामर्शदाताओं की रिपोर्ट दो महीनों अर्थात् लगभग अगस्त के अन्त तक प्राप्त हो जायेगी । रिपोर्ट की प्राप्ति पर, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ड्रिलिग के बारे में आगामी कार्यवाही करने का फैसला करेगा ।

(घ) दस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से अभी तक कोई रद्द नहीं किया गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Part 'C' of the question has not been answered in the statement laid on the table. The question was "If not, the date when Government received the proposals first in this regard and when a decision is likely to be taken on this." The statement is silent on this matter. The Hon. Minister should answer it.

In regard to part 'D' of the question it is stated that ten proposals have been received and none has been rejected. I want to know the countries from whom the proposals have been received, their terms and when the decision is likely to be taken there on ?

श्री दा० रा० चह्वाण : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित सभी दस प्रस्ताव मंत्रालय को 1966 और 1968 के बीच प्राप्त हुए थे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I wanted to know which country submitted the proposal first of all and whether it was the lowest ? I also wanted to know whether the country to whom the contract has been given has submitted the lowest proposal ?

श्री दा० रा० चह्वाण : 1966 में मंत्रालय में जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था वह एक अमरीकी फर्म का प्रस्ताव था जिसका नाम आशलैण्ड आयल कम्पनी है । स्केले आयल कम्पनी से भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । 1968 में किसी समय एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ था अतः विवरण में यह बताया गया है कि कुल दस प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन पर सभी प्रस्तावों पर विचार हो रहा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question has not yet been answered. It has been stated in regard to the part (a), (b) and (d) and an agreement has been reached with the Soviet Union and a consultancy Agency for drilling. I want to know whether this agreement has been signed after the receipt of tenders and if so, the reason for not giving the contract to the firm which submitted the lowest tender ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जिन दस प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है, वे बम्बई के गहरे समुद्र में खुदाई आदि के बारे में हैं । खम्भात के कम गहरे पानी में ड्रिलिंग के लिए सहयोग प्राप्त किया गया है । ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं । एक खम्भात क्षेत्र के कम गहरे पानी में खुदाई तथा दूसरी चीज बम्बई के गहरे समुद्र से तेल निकालना है । यह बम्बई से 60-70 मील उत्तर-पश्चिम में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : परामर्श देने का ठेका एक फर्म को दिया गया है । क्या यह ठेका कम टेण्डर वाले को दिया गया है अथवा नहीं ।

श्री दा० रा० चह्वाण : ये दोनों भिन्न बातें हैं । एक कम गहरे पानी में तेल निकालने के प्रयोजनार्थ तकनीकी सहयोग के बारे में है अर्थात् रूस के तकनीकी सहयोग के बारे में है । तकनीकी परामर्श देने का ठेका ब्रिटिश फर्म को दिया गया है । यह निर्णय किया गया है कि कुछ मामलों में तकनीकी परामर्श देने के लिए यह फर्म लाभदायिक सिद्ध होगी । इसके लिये टैण्डर नहीं मांगे गये थे । सभी फर्मों की जांच की गई थी तथा इस फर्म का चयन किया गया था ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether tenders were invited before entering into an agreement with the Soviet Union for shallow drilling ? If not, the reasons therefor ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इसमें टैण्डर मंगाने का प्रश्न नहीं है । जैसा मैंने कहा, शैलो ड्रिलिंग का काम रूस के तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जाना है ।

श्री प० मु० सईद : क्या छिद्रण तथा परामर्श के ऊपर शुल्क के रूप में होने वाले व्यय के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ? यदि हां, तो सभा को ब्योरे की जानकारी दी जानी

चाहिए। दूसरे मंत्री महोदय ने अभी बताया कि टैण्डर नहीं मंगाये गये थे। टैण्डर न मंगाने और इसको केवल बातचीत द्वारा निपटाये जाने के क्या कारण हैं ? मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए।

श्री दा० रा० चह्वाण : तकनीकी परामर्शदाताओं के सम्बन्ध में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। लगभग आठ अथवा दस प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उनकी क्षमता का अनुमान लगाने के पश्चात ही इंग्लैण्ड की इस फर्म को खुदाई के लिए यह काम सौंपने का अन्तिम रूप से निर्णय किया गया था। उनका शुल्क 19,500 डालर है।

श्री प० मु० सईद : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या कोई प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि क्या टैण्डर मांगे गये थे यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

श्री दा० रा० चह्वाण : टैण्डर मंगाना आवश्यक नहीं समझा गया। इस बात के बारे में कि गहरे समुद्र में तेल की खोज के लिए किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होगी, यह चल प्लेटफार्म होगा अथवा अन्य प्रकार, परामर्श प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। परामर्शदायी फर्म इन सभी मामलों पर विचार करेगी और वह इस बारे में अपना परामर्श देगी। इसके बाद प्राक्कलन आदि तैयार किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि परामर्श की इस अवस्था पर आप ने टैण्डर मंगाये थे अथवा नहीं।

श्री० दा० रा० चह्वाण : टैण्डर नहीं मंगाये गये।

श्री प० मु० सईद : मुझे उत्तर मिलना चाहिए। मेरा प्रश्न था कि यदि टैण्डर नहीं मंगाये गये थे तो इसके क्या कारण थे ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, परमाणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमने कम गहरे पानी में खुदाई स्वयं करने का निर्णय किया है और उसके लिए कोई टैण्डर नहीं मांगे गये हैं। हमने यह काम इस परामर्शदाता सार्थ को दिया है। जब सामान तथा अन्य वस्तुओं के बारे में प्रश्न उठेगा, तभी टैण्डर मांगने होंगे। इस बारे में तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत हमारे रूस के साथ परामर्श प्राप्त करने सम्बन्धी करार हैं। तट पर गहन खुदाई के बारे में हमें विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हमने ब्रिटेन की एक विश्वस्नीय फर्म के साथ भी परामर्श किया है और उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जब मैं जापान गई थी तो मैंने यह मामला नहीं उठाया था परन्तु जो अधिकारी मेरे साथ गये थे, उन्होंने जापानी अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत की थी जिन्होंने तट से दूर तेल की खोज की हमारी योजनाओं में रुचि दिखाई थी। उन्होंने हमारी सहायता करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है। हम अब इस समस्या के विभिन्न पहलुओं की जांच में लगे हुए हैं। हम ब्रिटिश फर्म से प्रतिवेदन की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं।

श्री मनुभाई पटेल : क्या परामर्शदातृ तथा अन्य तकनीकी मामलों सम्बन्धी ब्योरा प्त कर लिया गया है ? क्या बम्बई के गहन समुद्र में कोई स्थान निर्धारित किया गया है और ा अलियाबेट को उसमें शामिल किया गया है ? क्या खम्बात की खाड़ी में भी कोई स्थान र्धारित किया गया है और यदि हां, तो कौनसा ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने कम गहरे पानी के बारे में कहा था। सम्बन्धित क्षेत्र लियाबेट संख्या 1 तथा 2 और तापती ढांचा संख्या 1 तथा 2 हैं।

बम्बई महासमुद्र के बारे में मैंने कहा था कि यह बम्बई के उत्तर पश्चिम में स्थित गभग 2,000 वर्ग किलोमीटर है और उसमें जल की गहराई 60 मीटर से अधिक है।

अलियाबेट के बारे में मैंने कहा था कि यह पूर्व में है और उसमें पहले कुएं की खुदाई मार्च, 1970 के लगभग शुरू हो जायेगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री स्वयं यह नहीं जानते कि वह क्या उत्तर दे रहे हैं। यह कहा गया है कि जहां तक रूस के साथ कम गहरे जल में कुएं खोदने के करार का सम्बन्ध है, सरकार ने अन्य देशों से टैण्डर मंगवाना उचित नहीं समझा है। यदि यह बात है तो उस देश के पक्ष में निर्णय करने के मुख्य कारण क्या हैं। जहां तक मैं समझता हूं, इस किस्म की खोज के बारे में ब्रिटेन, जापान तथा अमरीका से भी प्रस्ताव आये थे।

सहयोग के इस समझौते की विशिष्ट शर्तें क्या हैं ? रूस ने किन शर्तों पर यह कार्य करना माना है ? इसमें वित्तीय प्रभार क्या हैं और प्रत्याशित उपज कितनी है इस सहयोग के बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : 1964 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने मास्को के टेक्नोएक्सपर्ट के साथ अलियाबेट में कम गहरे जल क्षेत्र के सर्वेक्षण का एक करार किया था। तदनुसार उन्होंने निर्णय किया था कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग स्वयं खुदाई के लिये कम गहरे जल वाले क्षेत्र का निर्धारण करेगा तथा रूसी फर्म के साथ अचल प्लेट फार्मों के लिये परियोजना तैयार करने, भारत में अचल प्लेटफार्मों के निर्माण में भाग लेने, उन्हें इकट्ठा करने तथा खुदाई के स्थानों पर लगाने तथा भारत में पहले तट से दूर कुएं की खुदाई करने, भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण की सुविधाएं देने तथा यदि किन्हीं विशेष मशीनों की और विशेष रूप से क्रेनों की आवश्यकता हो, तो उनके सम्भरण आदि के लिये प्रबन्ध किये गये थे।

यह निर्णय 1964 में किया गया था तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का डिजाइनिंग विभाग रूस के सहयोग से यह जानने का प्रयत्न कर रहा था कि भारत की किन विभिन्न वर्कशापों से ऐसा किया जा सकता है। अलियाबेट के सम्बन्ध में अब तक यही प्रबन्ध किये गये हैं।

बम्बई महासमुद्र के बारे में कई प्रस्ताव हमारे पास आये थे और जैसा कि प्रधान मंत्री ने

बताया है, जापान से भी प्रस्ताव आया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास इन सभी प्रस्तावों के अध्ययन के लिये कोई विशेषज्ञ नहीं है। अतः हमने यही उचित समझा है कि एक परामर्शदातृ फर्म नियुक्त की जाये। कई नाम आये थे। हमारा विचार यह था कि ब्रिटिश सार्थ बहुत उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वे बम्बई महासमुद्र में कुएं खोदने का काम लेने के इच्छुक नहीं हैं। हमने उनकी नियुक्ति कर दी है और अब वे भारत में हैं, हमने उनके साथ बातचीत की है तथा उन्होंने इसका अध्ययन किया है, उनके द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद सरकार निर्णय करेगी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने निर्देश पदों के बारे में बताया है, हिन्द आयल डिजाइन इंस्टीट्यूट तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का डिजाइन सैक्शन मास्को, के टेक्नोएक्सपर्ट्स से सहयोग से इस सम्बन्ध में कार्य कर रहा है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं यह जानना चाहता हूं कि रूसी सार्थ को कितनी राशि दी जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री एस० एम० कृष्ण : तेल के मामले में विचारधारा के प्रश्न का भारी प्रभाव पड़ा है जिसके कारण हम इस मामले में भी ढील तथा अनिश्चितता पाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या रूस से विशेषज्ञों का एक दल यहां आया था और उसने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से सिफारिश की थी कि उन्हें पहले खम्बात की खाड़ी के कम गहरे पानी में कुएं खोदने चाहिये क्योंकि ऐसा करना सबसे सरल है और पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद ही बम्बई महासमुद्र में कार्य आरम्भ किया जा सकता है। उसके बाद मित्सुबीशी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिष्टमण्डल जापान से आया था और उन्होंने भी यही विचार व्यक्त किया था कि पहले हमें कम गहरे पानी में कुएं खोदने चाहिये। इन दोनों के परामर्श के पीछे एक उद्देश्य है क्योंकि कम गहरे पानी में कुएं खोदना सदा ही सरल समझा जाता है और उसके लिये कम अनुभव तथा पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गहरे तट में कुएं खोदने के लिए तैरते प्लेटफार्म आदि की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि न तो जापानी सार्थ और न ही रूसी विशेषज्ञ गहन तट में खुदाई के लिये इच्छुक थे।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्होंने रूसी सार्थ के साथ करार क्यों किया और करार करने से पहले यह शर्त क्यों नहीं रखी गई कि यदि वे कम गहरे जल में खुदाई करेंगे तो उन्हें गहरे तट में भी खुदाई करनी होगी। इसी कारण अब रूस यह कहता है कि वे बम्बई महासमुद्र में खुदाई का काम नहीं करेंगे और वे केवल कम गहरे जल में खुदाई से ही संतुष्ट होंगे ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि रूसी विशेषज्ञों के परामर्श

अनुसार यह हमारे हित में होगा कि हम पहले कम गहरे जल से कुओं की खुदाई करें। हमने ा करने का निर्णय किया है क्योंकि इससे हमारे पास अनुभवी इंजीनियर हो जायेंगे। परन्तु जहां क गहन तट में कुओं की खुदाई का सम्बन्ध है, रूसियों को इसका कोई अनुभव नहीं है। अतः सियों के साथ यह ठेका करने का कोई लाभ नहीं कि कम गहरे पानी में खुदाई के बाद गहरे न में खुदाई का कार्य भी करें। हमें उनसे विशेषज्ञ मत प्राप्त करना चाहिये जिन्हें इसका नुभव हो।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मालूम होता है कि सरकार ने ब्रिटेन के साथ मिलकर गहरे जल में खुदाई करने का निर्णय किया है। मैंने समाचार-पत्रों में मंत्री महोदय का एक वक्तव्य पढ़ा है जिसमें कहा गया था कि गहरे जल में खुदाई के मामले में उनका अमरीका से पत्र-व्यवहार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि और किन देशों के साथ उनका इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हुआ है और किन देशों ने यह कार्य करने से वास्तव में इन्कार किया है ?

डा० त्रिगुण सेन : मंत्री महोदय ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि हमने किसी सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : 26 मई, 1969 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित श्री दा० रा० चह्वाण के वक्तव्य में कहा गया है :

"संघ सरकार इस परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिये अमरीका के साथ पत्र-व्यवहार कर रही है।"

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने कहा था कि हमारे विशेषज्ञ ब्रिटेन के एक सार्थ के साथ बातचीत कर रहे हैं।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने कई बार कहा है कि हमने ब्रिटेन की एक फर्म को इस बारे में परामर्श देने के लिये नियुक्त किया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी उपक्रमों के लिये लेखा परीक्षा बोर्ड

*3. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वित्त** मंत्री 17 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा चुका है ;

(ख) इस बोर्ड द्वारा वर्ष 1969-70 में लेखा परीक्षा के लिए किन-किन सरकारी उपक्रमों को चुना गया है ; और

(ग) क्या इस लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा चालू वर्ष में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड की लेखा परीक्षा की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) आशा की जाती है कि 1969-70 के दौरान लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों की समीक्षा की जायेगी ;

1. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
2. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
3. हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड
4. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
5. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
6. भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड
7. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
8. भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड

(ग) अब तक इस उपक्रम को सूची में शामिल नहीं किया गया है।

कर-अपवंचन के मामले

*4. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री सी० जनार्दनन :
श्री रवि राय :
श्री इशहाक साम्भली :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री भगवान दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर-अपवंचन के मामलों का पता लगाने वाले कलकत्ते के एक विशेषज्ञ श्री के० ए० लक्ष्मण प्रभु ने आयकर अधिकारियों के पास 49 ऐसे कर-अपवंचन के मामलों की सूची भेजी है जिन्होंने 25 करोड़ रुपये के मूल्य का कर-अपवंचन किया है और साथ ही मामलों से सम्बन्धित जानकारी का ब्योरा और सम्बन्धित कागजात भी साक्ष्य रूप में भेजे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन मामलों के सम्बन्ध में अभी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सदन जानता ही है कि सूचना के स्रोत के बारे में किसी भी प्रकार के ब्योरे अथवा उनके द्वारा सूचना दिये गये मामलों में की गयी कार्यवाही के ब्योरे जाहिर करना सम्भव नहीं है।

तूफान के कारण आंध्र प्रदेश को हुई क्षति

*5. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द० रा० परमार :
श्री को० सूर्यनारायण :
श्री मीठालाल मीना :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हाल में तूफान आया था ;

(ख) यदि हां, तो जन, धन, पशु तथा फसलों को हुई हानि का ब्योरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये राहत कार्यों का ब्योरा क्या है और इस बारे में राज्य सरकार ने क्या मांग की थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि तूफान के कारण कितनी हानि हुई, राहत और पुनर्वास के विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान भेजा था और केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देने के लिए राजी हुई है । राहत कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

विवरण

(ख) **राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में (मई, 1969 में) तूफान और बाढ़ से हुई हानि/नुकसान का ब्योरा :**

मानव जीवन की हानि	संख्या	738
पशु धन की हानि	संख्या	2.16 लाख
मकानों का नुकसान	संख्या	2.46 लाख
रुपयों में हानि 29.52 करोड़ रु०		
फसलों को नुकसान (जिसमें नकदी फसल भी शामिल है)	क्षेत्रफल	6.56 (लाख एकड़ों में)
रुपयों में हानि 32.40 करोड़ रु०		

(ग) राहत और पुनर्वास के कार्यों के लिए वित्तीय आवश्यकता आदि का ब्योरा

(लाख रुपयों में)

खर्च की मदें	खर्च के बारे में राज्य सरकार का अनुमान	राज्य सरकार से चर्चा करके निर्धारित की गई, खर्च की उच्चतम सीमा	(30-6-1969 तक का) सूचित खर्च	(आज तक) दी गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
(i) राहत की मदें (जैसे, मुफ्त सहायता, मकान बनाने के लिए अनुदान, बुनकरों और कारीगरों को अनुदान, पशु स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य के उपाय, दुखी परिवारों को नकदी सहायता, आदि)	606.00	390.00	240.41	
(ii) सड़कों, नहरों आदि की मरम्मत	1226.00	650.00	92.38	*350.00
(iii) किसानों आदि को ऋण	952.00	520.00	खर्च की कोई सूचना नहीं मिली	
जोड़	2784.00	1560.00	332.79	350.00

*केन्द्रीय सहायता जोड़ के आधार पर, खर्च की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, दी जाती है।

Loss of Life And Property Due to Floods in Andhra Pradesh

*6. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Ramavtar Sharma :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Hem Barua :**
Shri Hem Raj : **Shri Deven Sen :**
Shri Shri Chand Goyal : **Shri Beni Shankar Sharma :**
Shri Sradhakar Supakar : **Shri D. B. Raju :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Rama Chandra Veerappa :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the magnitude of the loss of life and property suffered as a consequence of floods at Vijayawada and its surrounding areas in Andhra Pradesh some time ago;

(b) whether Government have given assistance in the work of rehabilitation of flood victims;

(c) whether Government have tried to find out the causes of loss as a result of floods;

(d) if so, the details of such causes, besides the cause of natural calamity; and

(e) the steps Government propose to take to avoid recurrence of floods?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The losses on account of the cyclone and floods, which occurred in the Eastern Coast of Andhra Pradesh between 16th and 21st May, 1969, as reported by the State Government of Andhra Pradesh, are as under :

(i) Human life lost	738
(ii) Livestock lost	2.16 lakhs heads of cattle.
(iii) Houses damaged or collapsed	2.46 lakhs.
(iv) Damage to paddy crops and cash crops.	About 6.56 lakh acres in the districts of Krishna, Guntur and West Godavari.
(v) Total damage	Over Rs. 100 crores.

(b) Based on the recommendations of the Study Team which toured the affected areas Central Government have conveyed their approval to a ceiling of Rs. 15.6 crores for relief expenditure for purposes of Central assistance. A loan of Rs. 3.50 crores has been sanctioned so far. Further assistance will be in light of progress of expenditure, particulars of which have been called for from the State.

The State Government are stated to have spent over Rs. 3.89 crores on various relief measures, Rs. 6.50 crores towards public works and Rs. 2 crores towards loan for seeds, fertilizers, etc. upto 10th July, 1969. Full remission of land revenue for crops in the affected area has been granted, and collection of all arrears of land revenues, loans and cesses postponed.

(c) and (d) . The coastal districts of Andhra Pradesh were severely hit by cyclone storm during the 3rd week of May, 1969, which was an unusual phenomenon in mid-summer. This

caused heavy rains accompanied by winds of velocities upto 120 kms. per hour. As a result of this a large number of tanks and canals breached and several drains and water courses flooded. The water could not flow down due to inadequate capacity of the existing drainage channels and inadequate openings in the railway ventways.

(e) Union Minister of Irrigation and Power inspected the cyclone affected areas of Andhra Pradesh from 31st May to 3rd June 1969 and suggested **inter-alia** the following remedial measures:

(i) Immediate implementation of drainage scheme in the deltaic tracts as recommended by the Mitra Committee with modifications wherever necessary.

The State Government have already drawn up comprehensive schemes for the improvement of the drainage systems in the Godavari and Krishna deltas. Legislation has also been enacted for collection of a special drainage cess from farmers in the delta districts which would partly help to meet the cost of those schemes. However, to enable a beginning being made, a non-plan loan of Rs. 3 crores for the current year has been agreed to since due to the calamity, the farmers are not in a position to make contributions this year;

(ii) An analysis of the waterways provided in the ventways in the railways system;

(iii) Organisation for flood forecasting in the area by Radar;

(iv) Study of the flood problem in the river Muniyeru, Kattaleru and Wyra and undertaking flood protection measures.

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

*7. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ : **श्री लताफत अली खां :**
श्री जि० मो० विश्वास : **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के प्रश्न पर उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार कर रही है ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का कार्य संचालन

*8. **श्री क० हल्दर :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्य संचालन की समीक्षा करने के लिये

नियुक्त की गई उच्च शक्ति-प्राप्त तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में पहले से ही रख दी गई हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1255/69] समिति की मुख्य सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाई का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

Inspection by Minister of Irrigation and power of Gandak Adhwara and Kosi Project Areas

+

*9. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he toured the Gandak, Adhwara and Kosi Project areas to inspect the extension of work thereat ;

(b) whether it is also a fact that he has given an assurance that these projects would be completed early ;

(c) if so, whether Government have decided to allocate more funds for those projects ; and

(d) if so, the amount thereof and when it will be made available ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) I visited the Gandak and Kosi Project areas recently.

(b) There is great need to accelerate the pace of work on Gandak Project and this was discussed with the Project authorities.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Scheme to Check Floods

*10. **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Shri Onkar Singh :

Shri Sharada Nand :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) the names of the States in which floods occurred this year, the quantum of loss suffered by each of them, the names of the States to which assistance was given by the Centre and the quantum of assistance given to each of them ; and

(b) the details of the scheme formulated by Government for the next two years to check floods and the extent to which this is likely to prove useful ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Monsoon this year has just set in and we should expect floods during the next three months. In May last, there was an unusual cyclone and heavy rain-fall in the districts of Guntur, Krishna, West Godavari and Khammam of Andhra Pradesh and extensive damage partly due to floods and partly due to intensive rainfall occurred. The loss is estimated at Rs. 100 crores. Government of India have already released Rs. 3.5 crores as Central assistance for relief and rehabilitation measures.

Towards the end of June and during first three weeks of July, serious floods have occurred in Assam. The Brahmaputra and its tributaries specially Burhidehing, Desang, Pagladiya and Puthimari were in floods. The Brahamputra at Dibrugarh and some of its tributaries crossed the previous highest recorded levels. The low lying areas of Dibrugarh, Sibsagar and Nalbari towns were inundated. There were breaches in the embankments of Pagladiya resulting in dislocation of rail and road communications. Breaches also occurred in embankments of Burhidehing and Desang. Total loss as per preliminary assessment is Rs. 1.24 crores.

In Manipur, due to incessant rains after middle of June the rivers Imphal, Iril, Kanglia and Thombul overflowed their banks and breached the embankments. Several villages and standing crops in the adjoining areas were damaged. The total loss has been estimated at over Rs. 37 lakhs. Assam and Manipur have not yet approached the Centre for assistance.

(b) The flood control works proposed for the next two years have not yet been finalised by the States. However, the important works that are being taken up for construction include improvements of drainage in the deltaic areas of Krishna and the Godavari in Andhra Pradesh ; raising and strengthening of embankments in Assam, Manipur and West Bengal ; strengthening of flood embankments along the Kosi, the Kamla Balan and the Punpun in Bihar ; and protection works along Chhitauni Bund in Uttar Pradesh. Drainage is being improved in Punjab, Haryana and Delhi. Construction of Ukai Project in Gujarat, which on completion is expected to moderate Tapi floods, has been speeded up. All these works are expected to reduce flood damages in the affected areas.

कांग्रेस पार्टी को बैंक द्वारा ऋण का दिया जाना

*11. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड कमर्शियल बैंक आफ इण्डिया अथवा किसी अन्य अनुसूचित बैंक ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी/कांग्रेस अध्यक्ष अथवा किसी अन्य कांग्रेस संगठन को इस वर्ष दस लाख रुपये (इससे अधिक अथवा कम) का ऋण दिया था ;

(ख) क्या इन निकायों अथवा व्यक्तियों को किसान अथवा छोटे उद्यमी समझा जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के ऋण बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण कानून के उद्देश्यों के अनुकूल हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बन्धित बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जैसा कि सभा को मालूम है, किसी बैंक की किसी खास असामी के खाते से सम्बन्ध रखने वाली इस तरह की सूचना कभी प्रकट नहीं की जाती ।

(ख) से (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

Ayurvedic Systems of Medicine

*12. **Shri J. Sunder Lal:** **Shri K. M. Abraham:**
Shri Narain Swarup Sharma: **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ayurvedic system of medicine and Naturopathy are comparatively more convenient and within one's reach in view of India's poverty and non-availability of sources here;

(b) if so, the steps being taken by Government for the propagation and extension of both the said system; and

(c) the reasons for which Government is giving more importance to Allopathy than to Ayurvedic system of medicine?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): (a) Treatment according to the Ayurvedic system is economical and availed of by a large section of the population. There are very few institutions of practitioners of Naturopathy.

(b) Government has introduced a number of scheme during the successive Five Year Plans to promote the development of Ayurveda. This process of development will be carried forward in the Fourth Plan. Grants are also given to Nature Cure institutions.

(c) Encouragement is being given to the Ayurveda alongwith the Modern System of Medicine.

केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों में उद्योगों के लिये ऋण

*13. **श्री इ० के० नायनार :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री के० रमानी :

क्या **वित्त** मंत्री 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4156 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों में 31 मार्च, 1969 तक विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्योगों को दिये गये ऋणों के बारे में सरकार ने जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक

वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में जो सूचना उपलब्ध है वह क्रमशः संलग्न विवरण i, ii और iii के रूप में सभा की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1256/69]

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

गंगा के फालतू पानी को मोड़ने के लिए विशाल जल प्रदाय नहर

*14. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री भोलानाथ मास्टर :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा के मानसून के फालतू पानी को एक विशाल जल प्रदाय नहर द्वारा नर्मदा, कावेरी और थावरापन नदियों में डालने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). प्रतिप्रवाह के सभी संभव विकास और अनुप्रवाह की आवश्यकताओं के लिए गुंजाइश रखने के बाद भी, मानसून के महीनों में गंगा में जल की विशाल मात्रा व्यपवर्तन के लिए उपलब्ध होगी। इसके विपरीत, भविष्य में समुपयोजन की उच्च मात्रा होते हुए भी और विशाल भूमि शक्यता के रहते हुए भी जो पानी के अभाव में असिंचित रह सकती है, दक्षिणी नदियों की स्थिति के अधिक संदिग्ध रहने की आशंका है, क्योंकि इनको अधिकांशतः दक्षिणी-पश्चिमी मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है जो या तो अक्सर देर से आती हैं, या जल्दी ही लौट जाती हैं, या उनका मध्यान्तर लंबा हो जाता है, जिससे इन नदियों के बेसिनों में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. इसलिए इस संभाव्यता की टोपोशीट्स पर प्रारंभिक जांच कर ली गई है कि गंगा को कावेरी तथा आगे और दक्षिण में फीडर नहरों के साथ जोड़कर, उसके फालतू पानी का व्यपवर्तन किस प्रकार किया जाए ताकि इससे राजस्थान के इलाके और मैसूर का पठार लाभान्वित हो सकें। पटना के पास से गंगा में से निकाले जाने वाली योजक नहर को मेटूर बांध तक ले जाने में देश की बड़ी-बड़ी नदियों-सोन, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा के बेसिनों को तथा छोटे बेसिनों, जैसे पलार, पैनार आदि को पार करना पड़ेगा। इसको जोड़ने के लिए विभिन्न उप-बेसिनों में पानी संचित करने के लिए बहुत से बांधों तथा बराजों, क्रास-निकास कार्य सहित 2000 मील से अधिक लम्बी नहरों तथा बहुत से पम्पिंग केन्द्रों इत्यादि का निर्माण करना होगा। यह अत्यन्त विराट कार्य बड़ी कठिन परिस्थितियों में करना पड़ेगा और मोटा अन्दाजा यह है कि इस प्रस्ताव

के सम्बन्ध में पूर्ण अन्वेषण करने में ही 1 से 17 ½ करोड़ रुपये प्रति वर्ष 10 से 15 वर्षों तक व्यय करने होंगे। यदि धन उपलब्ध हो जाए तो ऐसा प्रस्ताव है कि इन अनुसंधानों को प्रारंभ किया जाए जिससे बहुत सारे इंजीनियरों को रोजगार मिल सकेगा। बहरहाल, इस बात को देखते हुए कि इस जोड़ने के कार्य का निर्माण करने के लिए विशाल मात्रा में धन की आवश्यकता होगी, इसका वास्तविक कार्यान्वयन करने के लिए इस शताब्दी के अन्त में ही विचार किया जा सकता है।

पी० एल० 480 निधियों के प्रभाव के बारे में प्रतिवेदन

*15. **श्री सेझियान :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री निहाल सिंह :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 निधियों के प्रभाव से सम्बन्धित खुसरो अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पी० एल० 480 लेन-देनों के संबंध में अध्ययन के लिए प्रोफेसर ए० एम० खुसरो की अध्यक्षता में नियुक्त दल के विचारणीय विषय इस प्रकार थे :—

(i) भारत सरकार के बजट में, अमरीकी पी० एल० 480 द्वारा वित्तपोषित आयातों से संबंधित लेन-देनों के दर्ज करने की वर्तमान प्रणाली की परीक्षा करना तथा उनमें, सुधारों को, यदि कुछ हों, सुझाव देना ताकि इन लेन-देनों का प्रभाव साफ तौर पर मालूम हो सके ;

(ii) मुद्रा-उपलब्धि पर और ऋण को नियंत्रित करने की अधिकारियों की क्षमता आदि पर पड़ने वाले असर के रूप में मुद्रा-प्रणाली पर पड़ने वाले इन लेन-देनों के प्रभाव की परीक्षा करना; और

(iii) इन लेन-देनों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव की परीक्षा करना।

दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 12 दिसम्बर, 1968 को दे दी थी।

2. दल ने पी० एल० 480 संबंधी लेन-देनों को बजट में दर्ज करने के मौजूदा तरीके में

किसी परिवर्तन का सुझाव न देते हुए, यह सुझाव दिया है कि पी० एल० 480 से सम्बद्ध लेन-देनों का हिसाब रखने की पेचीदगी को देखते हुए सरकार को अपने बजट पत्रों में, इन लेन-देनों से सरकार के वास्तविक साधनों की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को एक जगह पर दिखाया जाना चाहिए। दल ने इस प्रयोजन के लिए एक प्रोफार्मा भी तैयार किया है। सरकार द्वारा यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है और इसे कार्यान्वित भी किया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन (भाग-2) के पृष्ठ 57 पर सरकार के वास्तविक साधनों पर पी० एल० 480 से पड़ने वाला प्रभाव बताया गया है।

3. दल ने यह सिफारिश भी की है कि पी० एल० 480 रुपया-ऋणों के ब्याज की अदायगियां और उसके संबंध में की जाने वाली वापसियां विशेष प्रतिभूतियों के हिसाब में अलग से दिखायी जानी चाहिए। यह सिफारिश भी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और अमल में लायी जा चुकी है।

(देखिये उपर्युक्त व्याख्यात्मक ज्ञापन 1)

4. जहां तक विचारणीय विषयों की दूसरी और तीसरी मदों का संबंध है, दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 'इन लेन-देनों का वास्तविक प्रभाव यह हुआ है कि इनसे सरकार को साधन प्राप्त हुए हैं जिससे, अन्य बातें समान रहते हुए, सरकार का घाटा, जितना वह अन्यथा हुआ होता, कम हो जायगा। इसलिये इस रूप में पी० एल० 480 से मिलने वाली सहायता के बारे में यह कहा जा सकता है कि उससे मुद्रा-संकोचनकारी प्रभाव पड़ा है।' जहां तक पी० एल० 480 निधियों के मुद्रा-स्फीतिकारी प्रभाव का संबंध है, दल का यह विचार है कि पी० एल० 480 लेन-देन अपने आप में न तो मुद्रास्फीतिकारी हैं और न ही मुद्रा-अवस्फीतिकारी। सरकार ने ये विचार स्वीकार कर लिए हैं।

5. दल इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि जब पी० एल० 480 के अन्तर्गत मिलने वाली वस्तुओं की सप्लाई समाप्त हो जायगी तब पी० एल० 480 संबंधी संचित निधि से किये जाने वाले खर्चों से काफी अधिक मुद्रा-स्फीतिकारी प्रभाव पड़ सकता है। सरकार इस निष्कर्ष से सहमत है। रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गयी है कि इस सम्भावना से बचने के लिये एक या कई उपाय किये जा सकते हैं। दल का पहला सुझाव यह है कि पी० एल० 480 की संचित निधियों से होने वाला खर्च भारत सरकार की सहमति से उचित रूप से, एक क्रमबद्ध रीति से किया जाना चाहिए और इस प्रकार की सहमति तथा जानकारी से सरकार अपने अन्य खर्च का इस प्रकार समायोजन कर सकेगी जिससे कुल व्यय उस स्तर तक सीमित रह सकेगा जिससे अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीतिकारी प्रभाव न पड़े। दल का दूसरा सुझाव यह है कि संचित निधियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुदान के रूप में प्राप्त कर लिया जाय और दल का अंतिम विकल्प यह है कि अमेरिका की सरकार के साथ एक करार कर लिया जाना चाहिये जिसके अनुसार इन निधियों से रकम न निकाली जा सके। पी० एल० 480 की सभी रकमें इस समय भारत सरकार

की स्थायी प्रतिभूतियों में लगायी जाती हैं और इस रूप में पहले ही कोई रकम नहीं निकाली जाती । इसके अलावा, इस समय भी संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिये इन निधियों से, भारत सरकार के परामर्श से ही रकमें निकाली जाती हैं और इस प्रकार निकाली गयी रकमें बजट में खर्च खाते में दिखायी जाती हैं । परिणामत: रिपोर्ट में सुझायी गयी प्रणाली का पहले से ही अनुसरण किया जा रहा है और पी० एल० 480 निधियों से किये जाने वाले खर्च के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

भारत को अमरीकी सहायता

*16. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री इलापाल चौधरी :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री अजमल खां :
श्री एस० जेवियर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री दे० अमात :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के विदेश मंत्री मई, 1969 में भारत आये थे और उन्होंने भारत को अमरीकी सहायता जारी रखने के बारे में उनके साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अमरीका भारत को अधिक सहायता देगा या कम से कम वे वचन पूरे करेगा जो भारत ने 1969 में पूरे किये जाने के लिये उनसे अनुरोध किया है; और

(घ) क्या इस बात के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष में भारत को अमरीका से कितनी सहायता प्राप्त होगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री ने मई 1969 में अपनी भारत-यात्रा के समय उप-प्रधान मंत्री से केवल सामान्य बातचीत की थी और वह बातचीत भारत को दी जाने वाली अमरीकी सहायता के बारे में नहीं थी ।

(घ) विदेशी सहायता बिल पर अमरीकी कांग्रेस द्वारा विचार किया जा रहा है और इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि चालू वर्ष में भारत को कितनी अमरीकी सहायता मिलने की संभावना है ।

दिल्ली के लिए सामूहिक विकास योजना

*17. **श्री सूरज भान : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री क्रमश: 2 दिसम्बर, 1968 और 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2917 और 4076 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिये सामूहिक आवास योजना (ग्रुप

हाउसिंग स्कीम) को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय/आदेश दिल्ली प्रशासन को इस बीच भेजे जा चुके हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). ग्रुप हाउसिंग स्कीम का प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

गजेन्द्र गडकर आयोग का प्रतिवेदन

*18. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गजेन्द्र गडकर आयोग के प्रतिवेदन की सविस्तार क्रियान्विति के बारे में विचार कर रही है;

(ख) इससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ग) इन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). गजेन्द्र गडकर आयोग की अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949-100) 185, 195, 205 तथा 215 के 12 महीने के औसत के संदर्भ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति देने सम्बन्धी सिफारिश को सरकार ने कार्यान्वित कर दिया है । दूसरी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गयी हैं ।

विदेशों में सह उद्यम

*19. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक व्यापार संस्थान ने यह सुझाव दिया है कि उन भारतीय उद्यमों को जो विदेशों में सह उद्यमों में विनियोजन कर रहे हैं उन देशों में जिनमें वे विनियोजन कर रहे हैं, राजनीतिक जोखिम के विरुद्ध गारंटी दी जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अब भी विचाराधीन है ।

Complaint Against the Working of Delhi Development Authority

*20. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by Government against the working of the Delhi Development Authority during the last two years and the action taken by Government thereon ;

(b) whether it is a fact that there is no Member of Parliament in the Committee of the D.D.A.; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No specific complaints against the working of the Delhi Development Authority have been received by the Government.

(b) No Member of Parliament is a member of the Delhi Development Authority itself, but three Members of Parliament—two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha—are members of its Advisory Council.

(c) Does not arise.

स्ट्रा बोर्ड तथा मिल बोर्ड पर उत्पादन-शुल्क

*21. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक निश्चित स्तर तक उत्पादन बढ़ जाने पर मिल बोर्ड पर उत्पादन शुल्क एकदम अत्याधिक बढ़ जाता है और नैपाल से शुल्क मुक्त आयात के कारण उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उत्पादन शुल्क में कमी करने के बारे में विचार करेगी ; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि देशीय उद्योग पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े सरकार नेपाल से भारत आने वाले स्ट्रा बोर्ड और मिल बोर्ड पर आयात शुल्क लगायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) शुल्क की प्रभावी दरों का वर्तमान ढांचा इस प्रकार से निश्चित किया गया है कि प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से शुल्क की औसत दर में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि के अनुसार ही क्रमिक रूप से होती है। इस समय उपलब्ध सूचना यह है कि नेपाल से आयात के कारण देश के उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई के श्री नैनमल पूंजाजी शाह द्वारा विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार

*22. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के श्री नैनमल पूंजाजी शाह द्वारा विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के बारे में जांच पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में प्रारम्भिक जांच-निष्कर्ष क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि श्री नैनमल पूंजाजी शाह ने राजस्थान में अकाल सहायता कोष में 25 लाख रुपये दिये थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने तब पता लगाया था कि श्री शाह के पास इतनी बड़ी राशि किन परिस्थितियों में जमा हुई ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं । जांच-पड़ताल अभी जारी है ।

(ख) प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि सीमा-शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है ।

(ग) श्री नैनमल पूंजाजी शाह ने, राजस्थान सरकार के किसी प्रकार के हस्तक्षेप बिना ही, अपने आप राजस्थान के मुख्य मंत्री से यह इच्छा प्रकट की थी कि वह जालौर जिले में लगभग 25 लाख रुपये तक का अकाल राहत कार्य करना चाहते हैं, लेकिन, उन्होंने मुख्य मंत्री के सहायता कोष में नकद अथवा चेक द्वारा कोई रकम नहीं दी ।

(घ) सम्बन्धित विभाग इस मामले की ओर ध्यान दे रहे हैं ।

मैंगनीज खानों का विस्तार

*23. **श्री बेधर बेहेरा :**

श्री लखन लाल कपूर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में मैंगनीज खानों के प्रस्तावित विस्तार को रोकने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) काम के बन्द होने तथा कम होने के कारण काम से निकाले गये श्रमिकों को अन्य रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). मूल्यों में गिरावट तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेबोन, ब्राजील आदि देशों से

बढ़ी हुई होड़ के कारण मैंगनीज अयस्क का निर्यात व्यापार कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है। अतः देश में मैंगनीज खानों के विस्तार का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मैंगनीज अयस्क के निर्यात तथा आन्तरिक बिक्रियों को बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य खनन संस्थाओं को इस प्रकार के कर्मचारियों को नौकरी देने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये पत्र लिखे गये हैं।

दफ्तरियों के लिए प्रवर संवर्ग पद

*24. **श्री अदिचन** : क्या **वित्त** मंत्री 5 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में दफ्तरियों के लिए प्रवर संवर्ग पदों की संख्या और उनके वेतनमानों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कुछ मंत्रालयों/विभागों से सूचना अभी भी आनी है। पूरी सूचना यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शेख अब्दुल्ला को दिल्ली में दिया गया बंगला

*25. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
श्री ओंकार सिंह : **श्री श्रीगोपाल साबू** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला को बहुत कम किराये पर नई दिल्ली में एक बगला दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के बंगलों का किराया बाजार दर से 800 रुपये से 1600 रुपये मासिक होता है ;

(ग) यदि हां, तो शेख अब्दुल्ला को कम किराये पर रहने के लिये मकान दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) किरायेदार की परिभाषा करते हुए केन्द्रीय मंत्रालय ने जो प्रमाणपत्र दिया है, उसका वास्तविक पाठ क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) शेख अब्दुल्ला को 178 रुपये मासिक किराये पर तथा फर्नीचर के लिए 100 रुपये प्रति मास अतिरिक्त किराये पर एक मकान आवंटित किया गया है।

(ख) इस क्षेत्र में ऐसे बंगलों का बाजार दर का किराया 570 रुपये और 690 रुपये प्रति मास के बीच है।

(ग) शेख अब्दुल्ला को उन की रिहाई के बाद सार्वजनिक जीवन में उनके स्थान तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें वह बंगला अस्थाई आधार पर रखने की अनुमति दी गई, जहां उन्हें बन्दी रखा गया था।

(घ) इस मंत्रालय के द्वारा दखकार के वर्णन का कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है और न ही इसका जारी किया जाना आवश्यक है।

बढ़े हुए करों का प्रभाव

*26. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सीमान्त उपभोक्ताओं की संख्या को, जो अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, घटाये बिना, निरर्थक खर्च को रोकने के लिये करों में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है ;

(ख) क्या इस प्रकार करों में वृद्धि करने से और अधिक क्षमता बेकार नहीं होगी जिससे और अधिक बेकारी बढ़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभी स्वामियों को शामिल किये बिना जिनमें छोटे स्वामी भी शामिल हैं, शहरी क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों पर कर वृद्धि करना असंवैधानिक नहीं होगा, जिसका परिणाम होगा किराये में और अधिक वृद्धि होना ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अत्यधिक खर्च को रोकने के लिए लगाये गए करों का कम आय वाले वर्गों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) अत्यधिक खपत को कम करने के लिए किये जाने वाले उपायों से उद्योगों की काम में न लायी जाने वाली क्षमता में कोई खास वृद्धि होने की संभावना नहीं है। हर हालत में, सरकार की नीति यही है कि औद्योगिक क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग उत्पादक प्रयोजनों के लिए किया जाय न कि अत्यधिक खपत को बढ़ावा देने के लिए।

(ग) कर लगाये जाने के मामले में थोड़े मूल्य वाली सम्पत्तियों के मालिकों को तरजीह देना असंवैधानिक नहीं है।

Production of Chemicals from Petrol etc.

*27. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the efforts being made by Government to produce chemicals from petrol, tar-coal, etc.;

(b) whether Government are having full technical know-how for the purpose;

(c) if not, the efforts being made by Government to acquire the technical know-how; and

(d) the chemicals which Government has been successful to produce ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) to (c). The Research Institutes under the C.S.I.R. notably the Indian Institute of Petroleum, Regional Research Laboratory at Hyderabad and the Central Fuel Research Laboratory are engaged in developing know-how for production of chemicals from petroleum, coal-tar, etc. The number of chemicals being very large, it is not possible to undertake development work over the whole range at one time. Efforts are therefore being concentrated on those chemicals to be produced on priority basis in the country. Efforts are made to associate industry also with the work of development of know-how.

(d) Benzene, toluene, xylenes, etc. from petroleum, recovery and fractionation of phenols from tar and ammoniacal liquor, ion exchange material/active carbon from coal and coal-tar resins are some of the areas where know-how has been fully developed by the Laboratories concerned.

मैसर्स हिन्द गैलवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन को सामान की सप्लाई

*28. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री के० अनिरुद्धन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्द गैलवैनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड ने इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा उसे दिये गये आर्डर के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर पूरे माल की सप्लाई नहीं की थी ;

(ख) सामान की सप्लाई में विलम्ब के कारण कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है और यदि हां, तो उस की उपपतियां क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय तेल निगम को मैसर्स सप्लायस कारपोरेशन से 21,000 बैरलों की आपती खरीद करानी पड़ी थी जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1,34,400 रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा । सप्लाई में देरी होने से, इस्पात मूल्यों में वृद्धि के कारण भी बैरलों के मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई ।

(ग) और (घ). अनुमान समिति ने मामले की जांच कर ली है तथा उनके विचार (चौथी लोक सभा) छयासवीं रिपोर्ट में विद्यमान है, जिसका सरकार अध्ययन कर रही है ।

नामरूप (आसाम) में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

*29. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री बलराज मधोक :

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नामरूप में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह तथा आसाम में दूसरा शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां तो इस योजना का ब्योरा क्या है तथा इस उद्योग समूह तथा तेल शोधक कारखाने में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) आसाम के सिवसागर जिले के मोरेन-लकवा क्षेत्र में पेट्रो-रसायन के कई कारखाने स्थापित करने के लिए, आसाम औद्योगिक विकास निगम को आशय-पत्र दे दिया गया है । जहां तक आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना लगाने का प्रश्न है, सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की एक समिति ईस समय मामले का अध्ययन कर रही है ।

(ख) निम्नलिखित मदों तथा उत्पादन क्षमताओं के लिए आसाम औद्योगिक विकास निगम को आशय-पत्र दिया गया है :—

मद		प्रतिवर्ष क्षमता (मीटर टनों में)
1.	मथेनोल	7,000
2.	फोरमालिन	12,000
3.	नान-कानसेट्रेटिड गूल (50 प्रतिशत)	12,000
4.	कानसेट्रेटिड गूल (75 प्रतिशत)	13,000
5.	यूरिया फारमलडीहाइड मोलडिंग पाऊडर	1,000
6.	पी वी सी तैयार माल	6,000

Evaluation of Family Planning Programme by U. N. Study Team in India

*30. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the U. N. Study Team has submitted their final report regarding India's programme of family planning ;

(b) if so, the main conclusions and recommendations of the said team and whether a copy of the report will be laid on the Table ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Not yet—only an interim report of the U. N. Study Team was received on 8th May, 1969.

(b) Does not arise. Copies of the interim report of the U. N. Study Team have been placed in the library of the House.

(c) Adequate consideration can be given to the suggestions made by the Study Team only when the full and final report is received.

Medical Colleges in Madhya Pradesh

1. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of State and Central Government Medical Colleges in Madhya Pradesh at present and the location thereof ;

(b) the amount of financial assistance provided by the Central Government to those medical colleges during the last three years and the assistance proposed to be provided during the current year and the next year ;

(c) whether the present number of medical colleges in Madhya Pradesh is sufficient keeping in view large area and population of the State ; and

(d) whether some more medical colleges are proposed to be opened in the State during the Fourth Plan period and if so, their number and the places where they will be located ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There are six medical colleges in Madhya Pradesh run by the State Government. These are located at Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Rewa and Raipur. There is no Central Government Medical College in the State.

(b) Central assistance was provided to the State Government during the past under two schemes, namely, Centrally aided and the Centrally Sponsored. Assistance under the former scheme was released for all the Cetrally Aided Schemes together in lump and hence it is not possible to indicate the amount provided for the Medical Colleges specifically. Assistance

under the latter scheme was provided as follows :

1966-67	Nil
1967-68	Rs. 0.60 lakhs
1968-69	Rs. 0.60 lakhs

The Centrally sponsored scheme for the expansion of the admission capacity of Medical Colleges has been discontinued from the current year and the scheme for the establishment of new Medical Colleges has been included in the state plan. Grant of central assistance for the latter would be considered when specific proposals to that effect are received from the State Government.

(c) No.

(d) The State Government propose to start a new Medical College in the Fourth Five Year Plan. The location of the college has not been decided by them.

दामोदर घाटी निगम में लक्ष्य पूरे न होना

2. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार दामोदर घाटी निगम ने 1.66 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है और इसका कारण यह बताया गया है कि निगम अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सका ; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिक जलमार्गों का निर्माण किया जा रहा है जिसने लक्ष्य-प्राप्ति के समुपयोजन को बढ़ाने के लिये दामोदर घाटी निगम सिंचाई प्रणाली को अपने हाथ में ले लिया है ।

किसानों को ऋण

3. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को दिये जाने वाले ऋण पर किस दर से ब्याज लिया जाता है ;

(ख) औद्योगिक प्रयोजनों के हेतु दिये जाने वाले ऋणों पर किस दर से ब्याज लिया जाता है ;

(ग) सरकार द्वारा इन दोनों दरों में असमानता रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में किसानों को कुछ छूट देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज की दरें निर्धारित करते समय वाणिज्यिक बैंक आम तौर पर कई बातों का ध्यान रखते

हैं, जैसे प्रतिभूति का स्वरूप क्या है और उसकी विक्रेयता कैसी है, ऋण लेने वाला व्यक्ति क्या काम करता है और उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, ऋण की रकम कितनी है, ऋण देने पर और उसका हिसाब-किताब रखने पर कितनी लागत आयगी आदि। बैंकों के सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में अब बैंकों द्वारा ऋण लेने वाले की वित्तीय स्थिति और दी जाने वाली प्रतिभूति के बजाय, ऋण के प्रयोजन और तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से योजना की व्यवहार्यता पर अधिक जोर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने बड़े-बड़े बैंकों से जो आंकड़े प्राप्त किये हैं उनसे यह पता चलता है कि वे कृषि तथा उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों पर, आम तौर पर, 8 से $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बीच ब्याज लेते हैं। ब्याज की दरों के सम्बन्ध में किसानों को राहत देने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जाली निर्यातकर्ताओं का गिरोह

4. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत तथा बम्बई की जाली निर्यात करने वाली, निर्यातकर्ता फर्मों तथा सीमा शुल्क अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा कृत्य क्या हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग ने मामले दर्ज किये हैं ;

(ख) उन व्यक्तियों पर किस धारा के अन्तर्गत अभियोग लगाये गये हैं और क्या उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में जमानत का ब्योरा क्या है ;

(घ) इस मामले में मुअतिल किये गये सीमा शुल्क अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क)

निर्यातकर्ता फर्म

मेसर्स फ्लेक्स इंडस्ट्रीज, सूरत।

मेसर्स अमृतलाल मानचन्द ब्रदर्स, सूरत।

मेसर्स गोपाल ट्रेडर्स, बम्बई।

मेसर्स सी० जे० कारपोरेशन, बम्बई।

मेसर्स अजन्ता मेटल इन्डस्ट्रीज, बम्बई।

सीमाशुल्क अधिकारियों की सूची

श्री डी० बी० दलवी,	मूल्यांकक
श्री पी० डी० दारुवाला,	मूल्यांकक
श्री वी० एस० कोकेट,	मूल्यांकक
श्री वी० पी० जोशी,	मूल्यांकक
श्री जी० डी० नेरूरकर,	मूल्यांकक
श्री टी० एल० अलवे,	परीक्षक
श्री जी० पी० राव,	परीक्षक
श्री पी० एन० मोटवानी,	परीक्षक
श्री ए० एच० शेख,	परीक्षक
श्री आर० एन० नाइक,	परीक्षक

(ख) और (ग). निर्यातकर्ता फर्मों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 और धारा 511 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण आदेश 3 (ए) के साथ पठित आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अन्तर्गत अपराध करने का अभियोग लगाया गया है ।

सीमाशुल्क अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (डी) के अन्तर्गत अपराध करने का अभियोग लगाया गया है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, तथा मामलों की जांच की जा रही है । इस्तगासे की कोई कार्यवाही दायर नहीं की गई है । इसलिये जमानत मंजूर करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) और (ङ). विशेष पुलिस विभाग की जांच रिपोर्ट आने पर ही यह निश्चित किया जा सकेगा कि सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध, उनको निलम्बित करने योग्य प्रथम दृष्टया कोई मामला है अथवा नहीं । इसलिये सीमाशुल्क समाहर्ता ने ऐसी हालत में उन अधिकारियों को निलम्बित करना आवश्यक नहीं समझा ।

सरकारी उपक्रमों में लगी पूंजी

6. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष तक, राज्य-वार सरकारी क्षेत्र में कितनी तथा कौन-कौन सी फैक्टरियां थीं और प्रत्येक में कितना-कितना धन लगा हुआ था; और

(ख) गत वित्तीय वर्ष तक प्रत्येक फैक्टरी में कुल कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के विभिन्न एककों के नाम और उन एककों में राज्यों के अनुसार लगी पूंजी (कुल सम्पत्ति) का ब्योरा जानना चाहते हैं। 1967-68

के अन्त तक की, जो सब से हाल का ऐसा वर्ष है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों के लेखों के आंकड़े उपलब्ध हैं, सूचना अनुबन्ध 'क' में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1257/69]

जहां तक लाभ-हानि का सम्बन्ध है, 1967-68 के बारे में, जो सबसे हाल का ऐसा वर्ष है जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं केन्द्रीय सरकार के 83 उद्यमों से सम्बद्ध सूचना अनुबन्ध 'ख' में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1257/69] यह सूचना केवल उद्यमों के अनुसार दी गयी है न कि एककों के अनुसार।

पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, अमझोर

7. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठ वर्षों के बाद भी पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, अमझोर प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करने के लिये 400 मीट्रिक टन पाइराइट का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी है ;

(ख) इस समय प्रति दिन पाइराइट का कितना उत्पादन होता है और प्रति मीट्रिक टन इसकी लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमझोर कारखाने ने अयस्क के उपयोग के लिये समुचित प्रक्रिया नहीं चुनी है और यदि हां, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) उस शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या है जो इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिये फिनलैंड गया था तथा किस तारीख को गया था ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि अमझोर कारखाने ने एक भारतीय परामर्शदायी फर्म से सलाह लेने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और उस फर्म का नाम क्या है तथा उस फर्म को यदि कोई राशि दी गई है, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड (जो पहले पाइराइट्स एण्ड कैमीकल्स विकास कम्पनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) पाइराइट अयस्क के खनन तथा उस अयस्क से गन्धक और सल्फ्यूरिक एसिड तथा अण्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिये मार्च 1960 में स्थापित की गई थी। अमझोर क्षेत्र से प्रतिदिन 800 मैट्रिक टन पाइराइट अयस्क के उत्पादन के सम्बन्ध में प्रायोजना रिपोर्ट जनवरी 1965 में मंजूर की गई थी। उसके पश्चात् विदेशों से खनन मशीनरी आयात करने के कदम उठाये गये और मुख्य संयंत्र, जोकि 1967 के अन्त में प्राप्त हुआ, क्रमिक रूप से स्थापित किया गया और चालू किया गया। पाइराइट अयस्क के उत्पादन का प्रोग्राम सिन्दरी सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की अयस्क की आवश्यकताओं के अनुरूप

प्रावस्थाभाजित किया गया है। 400 मीट्रिक टन प्रतिदिन की निर्धारित उत्पादन दर को 1969 वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है।

(ख) पाइराइट का वर्तमान दैनिक उत्पादन 200-225 मैट्रिक टन है। लगाई गई पूंजी पर 10 प्रतिशत के लाभांश सहित खनन की लागत अंतरिम रूप से 224 रुपये प्रति मैट्रिक टन आंकी जाती है।

(ग) जी नहीं। पाइराइट अयस्क को उपयोग करने के लिये कम्पनी ने पहिले से ही सिन्दरी में एक सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र स्थापित कर लिया था (जोकि अब भारतीय उर्वरक निगम को अन्तरित कर दिया गया है)। एसिड संयंत्र में प्रायोगिक परीक्षण किये जा रहे हैं।

(घ) श्री एन० एन० कश्यप और डा० जी० पी० कणे उस शिष्ट मंडल के सदस्य थे जिसने 3 से 8 मार्च, 1964 तक फिनलैंड की यात्रा की थी।

(ङ) जी, हां। अमझोर में परिष्करण आदि सहित खनन की विभिन्न समस्याओं का लाभप्रद हल ढूंढने के विचार से कम्पनी ने देश के परामर्शदाता अभिकरणों से प्रारम्भिक पूछताछ की है। इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक धन वाले व्यक्ति

8. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे धनाढ्यों की संख्या कितनी है, जिनके पास गत पांच वर्षों में, वर्षवार, 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक धन था ; और

(ख) वर्ष 1968-69 में एक करोड़ रुपये से अधिक धन वाले पहले दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
1963-64	26
1964-65	34
1965-66	32
1966-67	29
1967-68	24

(ख) नाम नीचे विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

1967-68 में एक करोड़ रुपये से अधिक धन वाले सर्वोपरि दस व्यक्तियों के नाम

क्र० सं०	व्यक्तियों के नाम
*1.	श्री वी० डी० चाउगुले, वास्को, गोआ ।
2.	महामान्य महाराजा फतेहसिंहराव पी० गायकवाड़, लक्ष्मी निवास पैलेस, बड़ौदा ।
3.	परम महामान्य निजाम का विविध-कार्य-न्यास, किंग कोठी, हैदराबाद ।
*4.	दरभंगा के भूतपूर्व महाराजाधिराज डा० श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह ।
*5.	परम महामान्य भूतपूर्व निजाम सर मीर उस्मान अली खां बहादुर, मार्फत कानूनी प्रतिनिधि, किंग कोठी, हैदराबाद ।
6.	ट्रावनकोर के महाराजा, महामान्य सर राम वर्मा, कोडियार पैलेस, त्रिवेन्द्रम ।
7.	महामान्य विक्रमसिंह जी, गोंडल ।
8.	महामान्य महाराव श्री मदनसिंह साहेब, कच्छ, भुज ।
*9.	ग्वालियर के हिन्दू अविभाजित परिवार के भूतपूर्व महामान्य जे० एम० सिंदिया, मार्फत कानूनी प्रतिनिधि, समुन्द्र महल, बोर्ली, बम्बई ।
*10.	श्री वी० एम० सलगांवकर, वास्को, गोआ ।

*धन-कर विवरणी के आधार पर ।

इण्डियन आइल कारपोरेशन के उत्तरी शाखा डीपो को की गई सप्लाई

9. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष पेट्रोल एस० एस० डी०, एल० डी० ओ०, एस० के० ओ०, आई० के० ओ०, एम० टी० ओ० तथा स्नेहक और औद्योगिक तेलों में से प्रत्येक की उत्तरी शाखा डिपो अर्थात् कानपुर, सकूरबस्ती, जयपुर, आगरा, हिसार, अम्बाला, पटियाला, फिरोजपुर जलन्धर, पठानकोट, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली तथा बाराबंकी को कुल कितनी सप्लाई की गई ; और

(ख) क्या सप्लाई में अनुसूचित वृद्धि आशानुकूल थी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दीं जायेगी ।

अध्ययन-दौरे पर विदेशों में गये अधिकारी

10. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको पिछले तीन वर्षों में 15 जून, 1969 तक पेट्रोलियम उत्पाद तथा औषधियों (रसायनों) के विदेशों में अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा दी गई थी ; और

(ख) इन अधिकारियों के नाम, अनुमति प्राप्त विदेशी मुद्रा की मात्रा, दौरों की तिथियों तथा उनके दौरों के उद्देश्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

प्रधान मंत्री को पुस्तकों तथा अन्य साधनों से प्राप्त रायल्टी

11. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रधान मंत्री को किसी भी देश से पुस्तकों के रिकार्ड और अन्य साधनों से रायल्टी के रूप में कितनी धन-राशि प्राप्त हुई ;

(ख) उस देश का नाम क्या है तथा प्रति वर्ष उससे प्राप्त होने वाली धन-राशि कितनी है ;

(ग) प्रत्येक देश से रायल्टी प्राप्त करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में रायल्टी के रूप में प्राप्त धनराशि को उन्होंने किसी विदेशी बैंक में जमा किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस बैंक या उन बैंकों के नाम क्या हैं और वे किन-किन देशों में हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) ये रकमें स्व० श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तकों की रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

उस देश का नाम जहां से रायल्टी प्राप्त हुई है	वर्ष और रकम 1966-67	वर्ष और रकम 1967-68	वर्ष और रकम 1968-69
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
ब्रिटेन	1,031.17	1,139.47	540.29
श्रीलंका	21.90	568.11	शून्य
डेनमार्क	27.02	शून्य	50.00
संयुक्त राज्य अमेरिका	4,209.08	4,133.58	5077.80
सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ	4,620.67	शून्य	शून्य
जापान	शून्य	16,506.57	शून्य

शीतागारों के लिये दिये गये ऋण

12. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में शीतागारों के मालिकों के नाम तथा अन्य ब्योरे क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय प्राधिकारियों से ऋण प्राप्त किये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने शीतागारों के कार्य संचालन पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) न तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने और न ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में अब तक किसी शीतागार के लिए कोई ऋण स्वीकार किया है या कोई और वित्तीय सहायता दी है। फिर भी भूतपूर्व औद्योगिक पुनर्वित्त निगम लिमिटेड ने, जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने हाथ में ले लिया था, पश्चिम बंगाल वित्त निगम की मार्फत दो शीतागारों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त सहायता प्रदान की थी, जिसका ब्योरा नीचे

दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

स्वीकृति की तारीख	शीतागार-प्रतिष्ठान का नाम	निदेशकों का नाम	स्वीकृत और दिये गये पुनर्वित्त की रकम	बकाया रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-11-63	एस० आर० कोल्ड स्टोरेज (निजी स्वामित्व वाला प्रतिष्ठान)	श्री सैयदुल हक (स्वामी)	4.50	3.00
2-7-63	पण्डुआ कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	(i) श्री बिश्वनाथ झुंनझुनूवाला (ii) श्री बिश्वनाथ खेमका (iii) श्री भृगुनाथ प्रसाद	4.50	2.00
			9.00	5.00

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड द्वारा दिये गये ऋणों—यदि कोई हों—के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ख) और (ग). भारत सरकार (खाद्य विभाग) ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत, 1-1-1965 से शीतागार आदेश 1964 निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लागू किया है :—

(i) देश में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग पर शीतागार उद्योग का विकास करना ।

(ii) शीघ्र खराब हो जाने वाले खाद्य पदार्थों को शीतागार में रखने की स्थितियों को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना कि शीतागार कुशलतापूर्वक तथा कम खर्च से चलाए जाएं ।

(iii) उत्पादकों की सहायता करना ताकि वे उचित खर्च पर अपनी चीजें शीतागार में रख सकें ।

(iv) शीतागारों के सभी स्वामियों को तकनीकी सहायता और सलाह देना ।

इस आदेश के अनुसार शीतागारों के स्वामियों को खाद्य विभाग से एक लाइसेंस लेना होता है जिसका नवीकरण प्रति वर्ष किया जाता है। इस आदेश का क्रियान्वयन खाद्य विभाग के क्षेत्र-कर्मचारियों के माध्यम से करवाया जाता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शीतागार के अन्दर और बाहर स्वच्छता रखी जाती है और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के उचित परिरक्षण के लिए शीतागार के कक्ष में उपयुक्त तापमान तथा आर्द्रता रखी जाती है, सभी शीतागारों की समय-समय पर जाँच करते हैं। शीतागार में रखे गये खाद्य पदार्थों की किस्म पर उनके शीतागार में रखे जाने के प्रभाव की जांच करने के लिए वे खाद्य पदार्थों के नमूने भी लेते हैं।

परन्तु पश्चिम बंगाल के मामले में, पश्चिम बंगाल शीतागार (लाइसेंस और विनियमन) अधिनियम 1966 के अधिनियमित हो जाने के परिणामस्वरूप, पहली मई 1969 से, उस राज्य से, केन्द्रीय शीतागार आदेश वापस ले लिया गया है।

फिल्म उद्योग में आयकर अपवंचक

13. **श्री न० रा० देवघरे :**

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में फिल्म उद्योग में कितने व्यक्तियों द्वारा आयकर अपवंचन किये जाने के मामले सरकार को पता चले;

(ख) प्रत्येक कर अपवंचक के नाम कर की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ग) उस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) फिल्म उद्योग में काम करने वाले जिन व्यक्यिों के मामलों में वर्ष 1966-67 से 1968-69 के दौरान आय छिपाने का पता चला है, उनकी संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

हथकरघा उद्योग को औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

14. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने देश में हथकरघा उद्योग की सहायता करने के लिये एक नई योजना आरम्भ की है, और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश के हथकरघा उद्योग को सहायता देने के लिये कोई ऐसी विशेष योजना नहीं आरम्भ की है और न उसने इस उद्योग को अब तक कोई सहायता दी है। फिर भी, चूंकि यह उद्योग छोटे पैमाने के क्षेत्र का है, इसलिये उसे औद्योगिक ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था करने तथा हुंडियों को फिर से भुनाने की, विकास बैंक की योजनाओं में दी गई निम्नलिखित रियायतों से लाभ पहुंचेगा :—

(क) छोटे पैमाने के जो औद्योगिक एकक भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आते हैं उनको ऋण देने के मामले में, पुनर्वित के पात्र न्यूनतम ऋण की रकम 1 लाख रुपये से घटाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है, और पुनर्वित्त की रकम 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई।

(ख) ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत आने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को ऐसे ऋणों के ऐसे पुनर्वित्त के लिये 4½ प्रतिशत की वार्षिक रियायती दर चालू की गई थी बशर्ते कि ऋण देने वाली संस्था द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की कारगर दर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक न हो।

(ग) हुण्डियों को फिर से भुनाने की योजना के अन्तर्गत हुण्डियों के एक सेट से संबद्ध एक लेनदेन की न्यूनतम रकम, खेती के औजारों से (जिनके सम्बन्ध में कोई न्यूनतम रकम निर्धारित नहीं थी) मिल मशीनों के मामले में, 80,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दी गई और बैंक के स्थान पर एक बीमा कम्पनी की गारंटी उन लेनदेनों के लिये स्वीकार्य बना दी गई, जिनकी रकम एक खरीदार के सम्बन्ध में 3 लाख रुपये से अधिक न हो।

कम विकसित देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता

15. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत ने कम विकसित देशों को कितनी-कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी है ; और

(ख) किन-किन देशों को और कितनी-कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संबंध में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1258/69]** अन्य अधिकरणों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के विषय में जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायगी :

देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

16. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ; और

(ख) औद्योगिक और कृषि क्षेत्र से आय की स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 1967-68 तक उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

राष्ट्रीय आय का अनुमान

	1960-61 के मूल्यों के आधार पर			प्रतिशत वृद्धि	
	1965-66*	1966-67*	1967-68*	1965-66 की तुलना में 1966-67 में	1966-67 की तुलना में 1967-68 में
राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपयों में)	15045	15173	16525	0.9	8.9
प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	307.3	302.4	321.3	—1.6	6.2
कृषि क्षेत्र से आय† (करोड़ रुपयों में)	6421	6411	7560	—0.2	17.9
औद्योगिक क्षेत्र से आय†† (करोड़ रुपयों में)	3651	3670	3689	0.5	0.5

राज्य सरकारों की ओर बकाया केन्द्रीय ऋण

17. **डा० सुशीला नायर :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री बि० नरसिम्हा राव :
श्री श्रीधरण :
श्री क० लकप्पा :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्री गं० च० दीक्षित :
श्री भोलानाथ मास्टर :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री न० रा० देवधरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर सरकार से केन्द्रीय ऋण के 84 प्रतिशत

* अनन्तिम

† इसमें कृषि, वन तथा लट्ठे बनाना और मछली उद्योग भी शामिल है ।

†† इसमें बड़े पैमाने का निर्माण, छोटे पैमाने का निर्माण, खान और खदान, निर्माण कार्य बिजली, गैस और जलपूर्ति भी शामिल है ।

भाग तथा व्याज का भुगतान करना शेष है ;

(ख) अन्य राज्य सरकारों की ओर बकाया केन्द्रीय ऋण तथा व्याज का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन राशियों को अनुदान घोषित कर देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें केन्द्रीय ऋणों की वे रकमें दिखाई गई हैं जो 31 मार्च, 1969 को राज्य सरकारों के नाम बकाया थीं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1259/69**] संभवतः उन रकमों के बारे में सूचना मांगी गई है जो 1968-69 के अन्त तक देय हो गयी थीं, लेकिन जो राज्य सरकारों ने अदा नहीं की थी । जहां तक जम्मू और काश्मीर सरकार का सम्बन्ध है, उसके द्वारा कुल 29.52 करोड़ रुपये के ऋण की किस्तें और व्याज की 20.32 करोड़ रुपये की रकम दी जानी थी । लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर इन रकमों की वसूली मार्च, 1969 में स्थगित कर दी गयी थी । इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय ऋण वापस नहीं किये थे । उसने इनमें से कुछ बकाया रकमें चालू वर्ष में चुका दी हैं और अब उसके पास $17\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की रकम बकाया है । इन बकाया रकमों की वसूली के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं । राज्य सरकारों द्वारा चुकायी जाने वाली रकमें केन्द्र के साधव के रूप में हैं और इन सरकारों को दिये गये ऋणों के किसी भाग को बट्टे खाते डालने से केन्द्र की अपनी आयोजना और राज्यों की आयोजनाओं के लिये वित्त-व्यवस्था करने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

M/s. Aeroplane Shoe Factory

18. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Aeroplane Shoe Factory have concealed a large amount of profit which they earned by exporting shoes to Russia through the State Trading Corporation ;

(b) if so, the manner in which this concealed money was utilised ;

(c) whether it is also a fact that Russia had given this company a sum of Rs. 4,73,550/- in April, 1966 on the pretext of devaluation whereas the devaluation itself took place in June, 1966 ; and

(d) if so, the names of persons involved in this, the nature of action taken against those defaulters and the nature of measures proposed to be adopted to check such activities in future.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). Allegations of concealment of income are being investigated. As the investigations are not yet complete and assessments have yet to be made, it is not possible at present to state whether the assessee had concealed its income and if so in what manner the cancealed money was utilized.

(c) The State Trading Corporation gave to the assessee in November 1966 additional payment of Rs. 3,85,719/- in respect of supplies made from April to October 1966 as the prices in respect of such supplies had been fixed before devaluation.

(d) The above additional amount received by the firm is duly shown in the accounts of the firm. The firm had the following partners :—(i) Shri Jiwand Singh, (ii) Shri Avtar Singh, (iii) Shri Jamait Singh. Since the amount is accounted for in the books the question of any action in respect of these payments does not arise.

Computers in Life Insurance Corporation

19. **Shri Ranjit Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the impact of installation of computers in the Life Insurance Corporation from the point of view of economy in expenditure, etc.; and

(b) the nature of further measures proposed to be adopted in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia): (a) and (b). It is too early to assess the impact of installation of computer in Life Insurance Corporation from the point of view of economy in expenditure.

Irrigation Ministers' Conference at Nainital

20. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Sezhiyan :
Dr. Ranen Sen :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri Iswara Reddy :
Shri K. Suryanarayana :
Shri J. M. Biswas :
Shri D. N. Patodia :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Rabi Ray :
Shri Hem Raj :
Shrimati Ila Palchoudhuri :
Shri V. Narasimha Rao :
Shri R. Barua :
Shri Dhireswar Kalita :
Shri J. K. Choudhury :
Shri N. Shivappa :
Shri K. M. Koushik :
Shri G. C. Naik :
Shri P. K. Deo :
Shri D. Amat :
Shri Himatsingka :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri N. R. Laskar :
Shri Meetha Lal Meena :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri R. K. Amin :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri N. K. Somani :
Shri Y. A. Prasad :
Shri E. K. Nayanar :
Shri R. R. Singh Deo :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Irrigation Ministers and Officials of all States was held at Nainital some time ago ;

(b) if so, the subjects discussed and the main decision taken ; and

(c) the time by which it would be possible to implement those decisions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A Conference of State Ministers of Irrigation and Power was held at Nainital on the 26th and 27th May, 1969.

(b) A statement, showing the important subjects discussed and the recommendations made by the Conference, is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1260/69]**

(c) Action has been initiated on all the recommendations. It has been decided to raise the financial limit of minor irrigation schemes from Rs. 15 lakhs to Rs. 25 lakhs and to Rs. 30 lakhs in the case of hilly areas.

The two Committees recommended by the Conference have already been constituted—One to go into the question of delays that are occurring in procuring construction equipment and especially spare parts required for irrigation and power projects ; and the other to recommend special measures for the development of drinking water, irrigation and power facilities in the Himalayan Region.

The other recommendations are being considered in consultation with the Planning Commission, Central Ministries concerned and the State Governments.

जीवन बीमा निगम कलकत्ता में इलेक्ट्रानिक संगणक लगाया जाना

21. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में इलैक्ट्रिक संगणक लगाये जाने के कारण जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इलैक्ट्रिक संगणक लगाये जाने का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था के कर्मचारियों ने कलकत्ता में संगणक लगाये जाने का विरोध किया है ।

(ख) राज्य सरकार ने जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को सूचित किया है कि वह कलकत्ता में संगणक लगाने में मदद केवल तब ही करेगी जब कि जीवन बीमा निगम उपरोक्त अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था को इस बात का यकीन दिलाये कि कलकत्ता में संगणक लगाने की आवश्यकता है ।

(ग) सर्व प्रथम जीवन बीमा निगम को इस मामले पर विचार करना है ।

पोर्ट केनिंग परियोजना में छंटनी किये गये कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

22. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने उनसे अनुरोध किया है कि वह पश्चिम बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पोर्ट केनिंग परियोजना में छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति करने के आदेश दें ;

(ख) यदि हां, तो क्या आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पोर्ट केनिंग परियोजना में फालतू बताये गये अस्थायी कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं में काम पर लगाने का विचार रखती है । उस सीमा तक, जहां तक ऐसा सम्भव नहीं हो सकेगा, तब उन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी को समाप्त करने के सिवाये और हल नहीं होगा ।

Increase of Irrigation Tax

23. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission have advised the State Governments to increase the Irrigation Tax on the pretext of an increase in the national income ;

(b) if so, whether it is also a fact that many States have opposed this recommendation of the Planning Commission ;

(c) if so, the names of the States separately who have opposed and who have supported this recommendation ; and

(d) the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

An analysis made in the Planning Commission based on the recommendations of the Nijalingappa Committee had shown that there is scope for increasing the water rates in the States of Andhra Pradesh, Haryana, Tamil Nadu, Mysore, Punjab and Uttar Pradesh for mobilising resources for the Plan and to improve the financial returns from irrigation projects. A copy of these studies was sent to the State Governments in March, 1968 with a request to review the position regarding the existing water rates in their States in the context of raising

adequate resources for developmental plans. The reaction of the State Governments is given below :

(i) **Andhra Pradesh :** The water rates were increased by 100% only 6 years back and it would not be possible to revise water rates in the State for the present.

(ii) **Haryana :** No definite reply has been received from the State Government.

(iii) **Punjab :** The existing water rates are already high and the State Government do not consider it fair to enhance the water rates at this stage.

(iv) **Tamil Nadu :** Consequent to the abolition of land revenue, the question of increasing the water rates is under consideration of the State Government.

(v) **Mysore :** The water rates which were revised in 1965 have generally been framed taken into account the recommendations of the Nijalingappa Committee and have been fixed after careful consideration of the capacity of the beneficiaries to pay these water rates. Any further enhancement is not desirable for the present.

(vi) **Uttar Pradesh :** It is not possible to implement the recommendations of the Nijalingappa Committee ; higher rates, have, however, been fixed for pumping schemes and tubewells.

(d) The question was discussed at the recent Conference of the State Ministers of Irrigation and Power held in May, 1969. The Conference recommended that States should appropriately increase the water rates on irrigation projects and that in order to formulate practical steps for the purpose. Zonal inter-State meetings might be held, as contemplated by the National Development Council, for the purpose of ironing out some of the difficulties involved. In pursuance of this, it is proposed to hold shortly a meeting of the Irrigation Ministers of the States in the Northern region **viz** Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Haryana and the Union Territory of Himachal Pradesh to formulate practical steps for increasing water rates. Similar meetings of Ministers of the other regions also are proposed to be held in the near future.

कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

24. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री रविराय :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान तथा धातु विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रधानों के सम्मेलन में, जो हाल ही में हुआ था ; झरिया की गैर-सरकारी कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर सम्मेलन में क्या निर्णय किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) . खान तथा धातु विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के

अध्यक्षों के सम्मेलन में झरिया कोयला क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के अधीन कोयला खानों से, यदि आवश्यक हो तो क्रमिक राष्ट्रीयकरण द्वारा, कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया था। परन्तु इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के बहाये जाने और गंगा के जल दूषित होने सम्बन्धी समिति

25. **श्री मधु लिमये :**

श्री शिव चन्द्र झा :

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के बहाये जाने और गंगा के जल के दूषित होने सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या मुंगेर नगरपालिका को कोई प्रतिकर दिया जा रहा है ;

(घ) क्या तेलशोधक कारखाने के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या इस बात का पता लगा है कि बिना हिसाब-किताब रखे पेट्रोलियम उत्पादों को गैर-कानूनी तौर पर कारखाने से बाहर ले जाकर बाजार में बेचा जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अभी नहीं। तथापि, प्रतिवेदन के 21 जुलाई, 1969 को मिल जाने की आशा है।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड

26. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में एक संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन तथा सरकारी उपक्रम समिति के उसी विषय से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऋषिकेश परियोजना की पूंजीगत लागत 1961 के मुल अनुमान से 60 प्रतिशत अधिक हो गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस भारी वृद्धि की सूचना मन्त्रिमंडल को दी गई थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वहां बनाये जाने वाले प्रस्तावित कुछ उत्पादों के बारे में सहयोगियों के पास पर्याप्त जानकारी वाले व्यक्ति नहीं हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उत्पादन कार्यक्रम पर इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ताओं से क्या मूल्य वसूल किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) यह अनुमान है कि सदस्य महोदय का आशय 3 अप्रैल, 1968 के उस पत्र से है जो उन्होंने प्रधान मंत्री को भेजा था । तत्कालीन पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री ने 22 जुलाई, 1968 को सदस्य महोदय को उत्तर भेज दिया था । इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड से सम्बन्धित सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह कहना ठीक नहीं है कि चुने हुये उत्पादों के निर्माण के लिये सहयोगियों के पास आवश्यक जानकारी नहीं है ।

(ङ) पूंजीगत लागत बढ़ जाने से उत्पादन की लागत में कुछ वृद्धि हो गई है । परन्तु यह सोचने के कोई ठोस कारण नहीं है कि इससे उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कीमतों में अवश्य ही अनुचित वृद्धि हो जायेगी ।

Unauthorised Colonies in Delhi

27. **Shri J. Sunder Lal :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Yashpal Singh :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many unauthorised colonies have come up in Delhi due to the neglect or negligence of Government and the buildings at the cost of crores of rupees have been constructed in those colonies ;

(b) whether it is also a fact that Government is now hesitant about approving these colonies ;

(c) if so, whether Government propose to approve those colonies which have come up due to the negligence of Government and not to penalise the residents of these colonies ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). Unauthorised colo-

nies have come up not so much due to negligence on the part of Government as due to open flouting of the law on the part of the concerned individuals. These are not fully developed colonies but merely conglomerations of houses built by individual owners in a haphazard manner and in violation of the Master Plan of Delhi, the Delhi Municipal Corporation Act and the Delhi Development Act. Government are, however, alive to the need for keeping humanitarian grounds in view. The Delhi Municipal Corporation has already taken up the regularisation of 103 colonies. In these colonies, 'regularised' residential plots/houses would be released from the purview of acquisition, after the development charges have been paid by the plot-holders/house-owners. However, the areas (alongwith the structure thereon, if any) earmarked for community facilities in these colonies, such as schools, roads, parks etc. would be acquired and utilised by the Corporation for providing the civic amenities and community facilities.

The corporation has also undertaken a survey of un-authorised constructions put up upto 1st February, 1967. The survey indicates that there are 101 new unauthorised colonies. Out of these 68 are in residential areas and 33 in green and other non-conforming areas. Regarding these colonies, it has been decided that the acquisition work would be completed quickly so that it would act as a dampener to further unauthorised construction. After the acquisition proceedings are completed, lands and buildings would be offered back to the present occupants, except where such buildings etc. fall on roads, right of way or on land intended for community or other purposes. The lands would be given only on lease basis.

Constructions put up after 1st February, 1967 will have to be pulled down.

Effect of Ganga-Kobadak Project

28 **Shri J. Sunder Lal:** **Shri Yajna Datt Sharma:**
Shri Om Prakash Tyagi: **Shri Jai Singh:**
Shri Hardayal Devgun: **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Narain Swarup Sharma: **Shri Kirit Bikram Deb Burman:**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether this news report is correct that Pakistan contemplate to construct such a dam over River Ganga, as a part of Ganga Kobadak Project, as would not only cause damage to Farakka Dam but would also inundate Calcutta; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). Pakistan has put forward a scheme involving the construction of a high barrage across the river Padma about 2½ miles downstream of Hardinge Bridge in East Pakistan. Such a barrage will cause harm to large tracts of territory belonging to India by way of submersion and erosion etc. The effective functioning of the Farakka Barrage will also be affected due to the back-water effects of Ganga Barrage in Pakistan and this is detrimental to the Port of Calcutta. The Government of Pakistan have been advised that this project cannot form a basis for meaningful discussions.

Foreign Exchange spent on Import of Technical know-how

29. Shri J. Sunder Lal: **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Narain Swarup Sharma: **Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange spent by Government on the import of technical know-how from the foreign countries during the years from 1965 to 1968, year-wise;

(b) the details of the technical know-how imported during the aforesaid years, country-wise, as also the amount of money paid to each country for this purpose;

(c) the amount of money earmarked for the import of the technical know-how in the Fourth Five Year Plan;

(d) whether Government propose to make any change in the rule and the policy governing the import of technical know-how; and

(e) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b), A statement showing the country-wise breakup of remittances made abroad on account of royalties, technical know-how fees and technicians and professional services for the years 1965-66, 1966-67, 1967-68 and April June 1968 is laid on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. L.T.-1261/69]** The remittances were broadly in the following industries :—

I. Mining and Petroleum.

II. Manufacturing covering.

(i) Transport Equipment.

(ii) Machinery and Machine tools.

(iii) Chemicals and Allied products.

(iv) Electrical goods and machinery.

(v) Metals and Metal products.

(vi) Textile products.

III. Services.

Industry-wise breakup of these remittance figures is not available.

(c) No specific amount has been earmarked for making remittances on account of import of technical know-how in the Fourth Plan Period.

(d) and (e), The policy of Government continues to allow the import of technical know-how on a selective basis. It is not considered necessary to permit foreign collaboration where indigenous know-how, which is commercially exploitable, is either already available within the country or is likely to be developed in the near future. With a view to reducing continued dependence on foreign know-how and technology, greater stress is being laid on research and development within the country.

Extensions of duration of foreign technical collaboration agreements are normally not agreed to except in special circumstances or where new processes or know-how is involved.

In the matter of duration of technical collaboration agreements, a duration of 5 years from the date of commencement of production is now normally allowed, as against 10 years which was being allowed earlier. Promotion of exports has become another guiding factor in the consideration of foreign collaboration cases.

Government do not have at present any other proposal under consideration for modifications in the present policy and rules governing the import of technical know-how.

संसद सदस्यों के उपयोग के लिये वातानुकूलक

30. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री उमानाथ :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों के उपयोग के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास ऐसे कितनी वातानुकूलक हैं ;

(ख) कितने वातानुकूलक ठीक काम नहीं कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को इन वातानुकूलकों की खराब हालत होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(घ) इन वातानुकूलकों को चालू अवस्था में बनाये रखने पर सरकार द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया ; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) संसद् सदस्यों के लिये कोई एयर कन्डीशनर नहीं खरीदे गये हैं। तथापि, इस मौसम (सीजन) के दौरान मंत्री-पूल से 7 एयर कन्डीशनर संसद् सदस्यों को दिये गये हैं।

(ख) इस समय कोई नहीं।

(ग) जी हां, केवल एक।

(घ) संसद् सदस्यों को दिये गये एयर कन्डीशनरों के अनुरक्षण का कोई अलग से हिसाब नहीं रखा जाता। संसद् सदस्यों को दिये गये सात एयर कन्डीशनरों के अनुरक्षण पर लगभग 260 रुपये प्रति माह खर्च होते हैं।

(ङ) भंगता (ब्रेक डाउन) एयर कन्डीशनर में किसी खराबी के कारण नहीं थी अपितु वोल्टता उच्चावचन (वोल्टेज फ्लक्चुएशन) के कारण थी। भविष्य में इस प्रकार की खराबी

(फेलियर्स) को रोकने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाई कर रहा है ।

मंत्रियों की विदेश यात्रायें

31. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री के० अनिरुद्धन :**
श्री गणेश घोष : **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक कितने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और शिष्टमंडलों ने विदेश यात्राएं कीं ;

(ख) उनकी विदेश यात्राओं के उद्देश्य क्या थे ; और

(ग) उनकी विदेश यात्राओं के दौरान उन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) मंत्री.....3
राज्य मंत्री.....1
उप मंत्री.....1
प्रतिनिधि मंडल ...108

(ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई है ।[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1262/69]

(ग) 5,64,920 रुपये ।

भारतीय तेल निगम द्वारा ढोल सम्भरणकर्ताओं को भुगतान

32. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री भगवान दास :**
श्री नम्बियार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने बीजकों की जांच किये बिना कलकत्ता तथा बम्बई में ढोल सम्भरणकर्ताओं को भुगतान किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो इस हानि के लिये जिम्मेवार अधिकारी का नाम क्या है ; और

(ङ) उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) की 86 वीं रिपोर्ट में दी हुई है ।

(ग) से (ङ). इस रिपोर्ट में वर्णित समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों पर जांच की जा रही है ।

आयुर्वेदिक औषधालय

33. **श्री गणेश घोष :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री सी० के चक्रपाणि :
श्री के० रमानी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 24 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 4155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 1968-69 में प्रत्येक राज्य में खोले गये नये आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जी हां, अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1263/69] राजस्थान सरकार से अभी भी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और राज्य सरकार से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रियों द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत न किये जाना

34. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री सेझियान :
श्री बेधर बेहेरा :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री क० लकप्पा :
श्री प० मु० सईद :
श्री हु० चे० गौडा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री सूरजभान :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री जय सिंह :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रा० की० अमीन :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री दे० अमात :
श्री अजमल खां :
श्री एस० जेवियर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री शारदा नन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के किन-किन मन्त्रियों, राज्य-मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों

ने पिछले 10 वर्षों में आयकर अधिकारियों के पास अपने वार्षिक आय-विवरण नहीं भेजे हैं ; और

(ख) उनकी इस लापरवाही के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अब सभी मन्त्रियों ने अपनी विवरणियां दाखिल कर दी हैं और उन पर कानून के अनुसार कार्यवाही की गई है।

भाखड़ा के पानी में राजस्थान सरकार का भाग

35. **श्री बी० नरसिम्हा राव :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री मीठालाल मीना :
श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने हरयाना सरकार द्वारा उसको भाखड़ा के पानी का उचित भाग देने से इन्कार करने के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार से विरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में अभूतपूर्व अकाल पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य में इस समय अभाव की स्थिति फैली हुई है। इस विपत्ति को कम करने के लिये सहायता कार्य शुरू किये गये थे। पीने के पानी, खाना, चारा, परिवहन, डाक्टरी सहायता इत्यादि के लिये प्रबन्ध किये गये थे। नलकूप खोदने तथा दीर्घ और लघुकालीन वित्तीय सहायता आदि के लिये कार्यवाही कर दी गई है। अब तक 24 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को बीजों को खरीदने के लिये 2.5 करोड़ रुपये और उर्वरक तकावी ऋणों के लिये 80 लाख रुपये दिये गये हैं। पेय जल स्कीम के लिये भी एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का वायदा किया गया है किन्तु इस शर्त पर कि राज्य सरकार इसे 31-12-69 से पूर्व ही पूर्ण कर दे।

शहरों का दर्जा बढ़ाना

36. **श्री वी० नरसिम्हा राव :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री कार्तिक ओरांव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन नगरों और कस्बों की सूची अन्तिम रूप में तैयार कर ली है, जिनका दर्जा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया और नगर प्रतिकर भत्ता देने के लिये बढ़ाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन नगरों का दर्जा किस तारीख से बढ़ाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान भत्ता और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता देने के प्रयोजन से कुछ नगरों का दर्जा ऊंचा कर देने का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

गर्भपात सम्बन्धी कानूनों को उदार बनाना

37. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सीताराम केसरी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री जे० सुन्दर लाल :
श्री एम० सुदर्शनम :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र अध्ययन दल ने परिवार को सीमित रखने के लिये भी गर्भपात सम्बन्धी कानूनों का उदार बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गर्भपात सम्बन्धी कानूनों को उदार बनाने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अध्ययन दल द्वारा की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार का विचार उन पर क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सलाहकार मिशन का केवल एक अन्तरिम प्रतिवेदन 8 मई, 1969 को प्राप्त हुआ था । इस प्रतिवेदन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं । पूरा तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस अध्ययन दल के सुझावों पर पर्याप्त रूप से विचार किया जायेगा ।

तट-दूर छिद्रण के लिये संयुक्त उद्यम

38. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री जुल्फिकार अली खां :
श्री रा० वें० नायक :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री कृ० म० कौशिक :
श्री दे० अमात :
श्री रा० बरुआ :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तट-दूर छिद्रण कार्य और तेल में देश को आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से संगणक सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने और विदेशों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिये आवेदन मांगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या तट-दूर-तेल छिद्रण-कार्य में ईरान के साथ सहयोग सफल रहा है ; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समान उद्यमों के लिए इन्डोनेशिया की प्रस्तावित देन स्वीकार कर ली है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने भूगर्भीय, भूभौतिकी भण्डार दित्ते के एक छोटे अंश को तैयार करने के लिए एक संगणक का प्रयोग कर रहा है ।

फारस की खाड़ी के एक क्षेत्र में, संयुक्त उद्यम से, तेल का अन्वेषण और विकास कार्य

प्रगति पर है। विदेश में तेल की खोज तथा समुपयोजन से सम्बन्धित कोई अन्य प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) तट-दूर छिद्रण में संयुक्त उद्यम के लिये, इण्डोनेशिया ने कोई पेशकश नहीं की है।

मानवीय सम्बन्धों सम्बन्धी संस्था की स्थापना

39. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मानवीय सम्बन्धों सम्बन्धी संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संस्था संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट एजेंसियों और अन्य सामाजिक आर्थिक अध्ययन सम्बन्धी संस्थाओं के साथ या उनकी ओर से संयुक्त सर्वेक्षण करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संस्था की कब स्थापना होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का नारोजी नगर, नई दिल्ली स्थित पूछताछ कार्यालय के विरुद्ध शिकायतें

40. **श्री सूरजभान :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारोजी नगर, नई दिल्ली के फ्लैटों में टूटे हुए शीशों के स्थान पर नये शीशे लगाने सम्बन्धी शिकायतों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा तुरन्त ध्यान नहीं दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्टोर में बड़ी संख्या में शीशे होने पर भी 23 और 24 अप्रैल, 1969 को की गई शिकायतों पर भी अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) नारोजी नगर के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों के इस उपेक्षापूर्ण रवैये तथा व्यवहार के क्या कारण हैं जिससे इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों को बहुत असुविधा हो रही है ; और

(घ) इन फ्लैटों में रहने वाले लोगों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) टूटे हुये शीशे को बदलने के बारे में शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है । तथापि, जहां इन शिकायतों में खिड़कियों के टूटे हुए कपाटों (शट्टर) को भी साथ बदलना होता है, वहां कार्य के किये जाने में कुछ देरी हुई है ।

(ख) 23 तथा 24 अप्रैल, 1969 को प्राप्त हुई शिकायतों पर ध्यान दिया जा चुका है ।

(ग) पूछ-ताछ कार्यालय के कर्मचारियों के उपेक्षापूर्ण रवैये और व्यवहार के बारे में कोई मामला नोटिस में नहीं आया है ।

(घ) खिड़कियों के टूटे कपाटों को शीघ्र बदलने के लिए, उपाय किये जा रहे हैं ।

सेवा नगर रेलवे कालोनी, नई दिल्ली में अस्वच्छता की स्थिति

41. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवा नगर रेलवे कालोनी, नई दिल्ली, की अस्वच्छता के बारे में वहां के निवासियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डिफेंस कालोनी तथा लोदी कालोनी, के बीच से बहने वाले नाले में मच्छर तथा अन्य खतरनाक जीव-जन्तु पनप रहे हैं क्योंकि उसे साफ नहीं किया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो सेवा नगर रेलवे कालोनी के निवासियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण दिल्ली की बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

42. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली की बस्तियों (1) अलीगंज, (2) पिलन्जी,

(3) जोरबाग, (4) खेरपुर और (5) कोटला मुबारकपुर के निवासियों ने शौचालयों का निर्माण करने, नल के पानी की व्यवस्था करने और क्षेत्र को साफ रखने के लिये सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में बार-बार अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष, 1967 से उक्त बस्तियों की उपर्युक्त सुविधाओं के लिये खर्च की गई अलग-अलग धनराशि का उल्लेख करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर यथा समय रख दी जायेगी ।

दिल्ली में किदवई नगर में समाज सदन (कम्युनिटी हाल) और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था

43. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किदवई नगर (दिल्ली) के चतुर्थ श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों के निवासियों ने सरकार को समाज सदन वर्षा से बचाव के लिये आश्रम स्थल, अच्छी सड़कों, समुचित नाली व्यवस्था और खेल के मैदान की व्यवस्था करने के लिये अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) बस्ती में एक सामुदायिक कक्ष (कम्युनिटी हाल) पहिले ही से स्थित है । वर्षा से बचने का स्थान (रेन शेड) तथा चारों ओर सड़क (सरक्यूलर रोड) की व्यवस्था का प्रश्न परीक्षाधीन है । बरसाती पानी की नालियों की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य चल रहा है ।

दो बड़े उद्यान पहिले ही से विद्यमान हैं जिनका उपयोग बच्चों के खेल के मैदान के रूप में किया जा सकता है ।

औषधियां बेचने वाली अमरीकी फर्मों के विरुद्ध जांच

44. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री प० गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 12 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1958—68 के दौरान औषधियां बेचने वाली कुछ अमरीकी फर्मों द्वारा भारत

को अत्यधिक मूल्यों पर टेटरासाइक्लीन उत्पाद बेचकर 9 करोड़ रुपये की कथित मुनाफाखोरी की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). अब तक इकट्ठी की गई सूचना से पता चलता है कि कुछ अमरीकी फर्में, 1953—66 के वर्षों के दौरान कुछ एण्टीबायोटिक्स की कीमतों में कपट से समानता लाकर उस देश में लागू एंटी-ट्रस्ट कानून का उल्लंघन करने के कारण, दोषी ठहराई गई है। उस देश के उपभोक्ताओं ने मुआवजे के लिये दावे दायर किये हैं, ये दावे अब न्यायाधीन हैं। इस प्रश्न पर कि क्या कानून के अन्तर्गत अन्य देशों के आयातकर्ता इसी प्रकार के दावे कर सकते हैं और यदि हां, तो कैसे जांच की जा रही है। मामला कुछ जटिल है और कोई कार्यवाही करने का फैसला करने से पहले इसके तमाम पहलुओं पर भली भांति विचार करना पड़ेगा।

Premium rates of Postal Life and Life Insurance Corporations Policies

45. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the extent to which the rate of premium of the Postal Life Insurance is lower than that of the Life Insurance Corporation?

The Deputy Minister in the Minstry of Finance (Shri Jagannath Pahadia): The difference between the monthly rate of premium for Rs. 1,000 sum assured of Postal Life Insurance and that of Life Insurance Corporation ranges from 23 paise to 48 paise in the case of Endowment With Profit Plan and 38 paise to 73 paise in the case of Whole Life Limited Payment With Profit Plan.

Drinking Water for Delhi

46. **Shri Kanwar Lal Gupta:** **Shri O. M. Prakash Tyagi:**
Shri J. Sunder Lal: **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Bal Raj Madhok: **Shri Tenneti Viswanatham:**
Shri Narain Swarup Sharma:

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is scarcity of drinking water in many areas of Delhi;

(b) if so, whether Government propose to draw up a scheme to make adequate arrangements for supply of water in Delhi in view of its increasing population;

(c) whether Government would get water from Haryana and Uttar Pradesh; and

(d) the amount likely to be spent by Government during the next two years on the said scheme?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S Murthy) : (a) It can not be said that there is scarcity of drinking water in many areas of Delhi. Some shortage in the supply of drinking water is however, experienced in some areas of Delhi which happen to be at the tail end Jo the distribution system or on high elevations. To meet this shortage, additional pipe lines are being laid and booster pumps are being installed.

(b) Yes, the sources of water supply to Delhi are being augmented. Certain new schemes are being/have been taken up the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking.

(c) Yes. Water is already being obtained from Haryana during summer months when river Yamuna discharges are low. Uttar Pradesh Government has also agreed to supply water to Delhi on completion of Ramganga Project.

(d) According to Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking, the amount to be spent is about Rs. 500.00 lakhs

सिक्योरिटी प्रेस, नासिक का विस्तार

47. **श्री बेधर बेहेरा :**

श्री क० लकप्पा :

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सिक्योरिटी प्रेस, नासिक को बढ़ाने के लिये आवश्यक भूमि के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक को भूतपूर्व मद्य निर्माणशाला की संपदा के कुछ हिस्से देने के प्रश्न पर कुछ समय से महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत चल रही है। हाल में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि वह नासिक प्रेस के विस्तार के लिये आवश्यक भूमि दे देगी।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

48. **श्री अदिचन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री रा० बरुआ :

श्री चन्द्रशेखर सिंह :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री जि० मो० विस्वास :

श्री जनार्दनन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाये जाने वाले खाद्य पदार्थों में

मिलावट को रोकने के लिये एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक केन्द्रीय एकक बनाने का विचार है। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि वे मुख्यत: अन्तर्राज्य अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 9 में विहित कार्यों को ही करेंगे और राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन देने में सहायता करेंगे।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं से लाभों के मूल्यांकन के लिये संगठन

49. **श्री अदिचन :**
श्री निहाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लकप्पा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक शुरू की गई सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत् परियोजनाओं से लाभों का मूल्यांकन करने के लिये कोई संगठन स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के सदस्य कौन-कौन होंगे, इसके कृत्य क्या होंगे तथा इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) क्या इस संगठन का गठन किया जा चुका है और यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इसका प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राज्यों के सिंचाई व बिजली मंत्रियों की नैनीताल में 26 और 27 मई, 1969 को हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि राज्यों द्वारा उपयुक्त मशीनरी स्थापित की जाए ताकि उन लोगों को लाभों के मूल्यांकन पर मूल्यवान आंकड़े उपलब्ध किए जा सकें जो कि सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और बिजली परियोजनाओं के आयोजन और प्रबंध के कार्यभारी हैं। इस सुझाव को राज्यों के पास कार्यान्वितार्थ भेज दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में सिंचाई विकास के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ सलाह करके, एक सिंचाई आयोग स्थापित किया है। आयोग का गठन और विचारार्थ विषय का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1264/69]

वेतन में मंहगाई भत्ता मिलाना

50. **श्री अदिचन :** **श्री निहाल सिंह :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ता मिलाने के पश्चात् उन कर्मचारियों को जो 399-500 रुपये के बीच वेतन पाने वाले थे और जो इससे पहले वास्तविक मकान किराये की रसीद दिये बिना ही मकान किराया लेने के हकदार थे, अब मकान किराये की रसीद दिखानी पड़ती है जो पहले केवल अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ही आवश्यक था और वे कर्मचारी अब समयोपरि भत्ते से भी वंचित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; विशेष रूप से जब कि मंहगाई भत्ते के विलय के परिणामस्वरूप उनके पारिश्रमिक में कोई वृद्धि नहीं हुई है ;

(ग) क्या उन्होंने लोक-सभा के एक सदस्य को लिखित रूप से यह आश्वासन दिया था कि मंहगाई भत्ते के विलय के परिणामस्वरूप उन्हें कोई हानि नहीं होनी दी जायेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वेतनसीमा बढ़ाने का विचार कर रही है जिससे कि उन्हें वे लाभ पुनः प्राप्त हो जायें और उन्हें हो रही हानि समाप्त हो जाये; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि महंगाई भत्ता को वेतन में "शामिल किये जाने" के कारण 399-500 रु० की वेतन-सीमा में आने वाले कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि नहीं हुई है । इन कर्मचारियों को, पेंशन-लाभ में वृद्धि के अलावा, उन मामलों में वृद्धि मिलने का लाभ हुआ है, जिनमें नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता, प्रतिकूल जलवायु भत्ता, दूरस्थ स्थान भत्ता, पर्वतीय स्थान प्रतिपूर्ति भत्ता, शीतकालीन भत्ता, परियोजना भत्ता आदि मिलते हैं । महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल करने के आदेशों के कारण उन कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता पाने की हकदारी में कोई कमी नहीं आयी है क्योंकि यह भत्ता किराये को वास्तविक अदायगी की रसीद प्रस्तुत किये जाने पर, अभी तक पहले की दरों पर ही दिया जा रहा है । यह भत्ता तो राज सहायता के रूप में होता है और उसे अदा किये गये वास्तविक किराये से सम्बन्धित करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । महंगाई भत्ते के एक अंश को वेतन के रूप में मान लिए जाने के कारण, अतिरिक्त समय भत्ता देने के निमित्त वेतन की अधिकतम सीमा, इसलिए नहीं बढ़ाई गई है कि यह अतिरिक्त समय भत्ते पर होने वाले व्यय पर रोक लगाने का काम कर सके, क्योंकि अतिरिक्त समय भत्ता में भारी वृद्धि होती जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) जैसा कि ऊपर (ख) में दिया गया है।

संसद् सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कर

51. **श्री अदिचन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1968 से संसद् सदस्यों के वेतन और भत्तों पर आयकर नहीं लगता है जबकि कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतनों पर, जिनकी आय 4,000 रुपये प्रतिवर्ष भी है आय-कर लगता है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूतलिंगम समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार 7,500 रुपये तक आय वाले सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को छूट देने पर विचार कर रही थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र०चं० सेठी): (क) जी, नहीं। "संसद् सदस्यों का वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1954" के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक संसद् सदस्य 500 रुपए प्रतिमाह का निश्चित वेतन तथा जब संसद् का सत्र चल रहा हो तब, और किसी समिति की बैठक में भाग लेने पर 31 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता पाने का हकदार है। संसद् का सदस्य होने के नाते किसी व्यक्ति को प्राप्त दैनिक भत्ते पर कानून के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से कर से छूट मिली हुई है, जबकि संसद् के सदस्यों को मिलने वाले 500 रुपए प्रतिमाह की रकम आयकर लगने योग्य है। 4,000 रुपये की छूट की सीमा सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों की भांति संसद् सदस्यों के मामले में भी समान रूप से लागू होती है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी हां। इस प्रश्न पर वित्त विधेयक 1968 के समय तथा फिर अप्रैल, 1969 में विचार किया गया था। परन्तु यह निर्णय किया गया था कि छूट की सीमा बढ़ाना वांछनीय नहीं है। छूट के लिए 4,000 रुपए की वर्तमान सीमा हमारे देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की लगभग 7 गुनी है। हमारे देश में आयकर अदा करने वालों की संख्या का देश की कुल जनसंख्या के प्रति अनुपात केवल $\frac{1}{2}$ प्रतिशत के लगभग है और यदि श्री भूतलिंगम की सिफारिश के अनुसार छूट की सीमा बढ़ा दी जायगी तो यह अनुपात घट कर केवल $\frac{1}{4}$ प्रतिशत के लगभग रह जायगा। सरकार का विचार था कि आयकर का आधार विस्तृत रखा जाय जिसमें अंततः हमारी जनसंख्या का लगभग 20 से 30 प्रतिशत भाग आ जाय। इसके अतिरिक्त यदि छूट की सीमा बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी जायगी तो वास्तव में इसका अर्थ यह होगा कि 9,000 तथा 10,000 रुपये के बीच की सकल आय (जीवन बीमा भविष्य निधि आदि के माध्यम से की जाने वाली बचत के छूट-प्राप्त अंश की घटौती करने से पहले की आय) को आयकर से

छूट दी जाय । उस हालत में करीब 800 रुपये मासिक की आय वाला व्यक्ति आयकर अदा नहीं करेगा, जो न्यायोचित नहीं होगा । कम आमदनी वाले स्तरों पर देय कर की दर पहले ही कम है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह राय बनती है कि आयकर के लिए छूट की वर्तमान सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

तीसरा वेतन आयोग

52. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री रा० बरुआ :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री सुन्दर लाल :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इम्हाक साम्भली :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भोगेन्द्र झा :
डा० रानेन सेन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री पी० सी० अदिचन :
श्री निहाल सिंह :
श्री न० रा० देवधरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 मई, 1969 को हुई "इंटक" की बैठक में तीसरे वेतन आयोग की स्थापना की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या "इंटक" ने भी सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में कुछ और मांगें की हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार उन मांगों को किस प्रकार पूरा करने के बारे में विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ ने 19 और 20 मई, 1969 को हुए अपने अधिवेशन में कई विषयों पर प्रस्ताव पास किये थे, जिनमें औद्योगिक संबंध, कामगर परिभाषा में संशोधन, इंजीनियरी वेतन बोर्ड तथा अनिवार्य सेवाओं के कर्मचारियों संबंधी प्रस्ताव भी शामिल थे । नये वेतन आयोग की नियुक्ति से संबंधित मांग पर वित्त मंत्रालय ने विचार किया है और इस समय नया वेतन आयोग नियुक्त करना उपयुक्त नहीं समझा गया है, क्योंकि :

(1) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें अभी 1960 में ही तो अमल में आई हैं और मोटे तौर से उनके निष्कर्ष अभी भी प्रामाणिक हैं ।

(2) सरकारी कर्मचारियों के जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि की प्रतिपूर्ति महंगाई भत्ते में समुचित समायोजन द्वारा की ही जा रही है ।

(3) वेतन ढांचे में किसी भी स्तर पर संशोधन पर रोक लगी हुई है।

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा की गयी अन्य विविध मांगों पर सरकार के उन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचार किया जायगा, जिनसे मांगों का सम्बन्ध है।

भारत सहायता सार्थ-समूह से सहायता

53. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हेम राज :
श्री रवि राय :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री झा० सुन्दर लाल :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री मु० अ० खां :
श्री एस० जेवियर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री दे० अमात :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रा० बरुआ :
श्री मनुभाई पटेल :
श्री प० मु० सईद :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रा० वें० नायक :
श्री गु० च० नायक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवेन सेन :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री एम० एस० ओबराय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सहायता सार्थ समूह भारत को 7,000 लाख डालर की सहायता देने पर सहमत हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गैर-परियोजना सहायता के लिये कितनी धन-राशि की आवश्यकता होगी;

(ग) देश में इस ऋण का किस प्रकार उपयोग किया जायगा तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्व जिलों में उसमें से कितनी धन-राशि खर्च की जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारत सहायता संघ ने 22 और 23 मई 1969 को पेरिस में हुई अपनी बैठक में इस विषय में अपनी सहमति प्रकट की कि भारत को 1969-70 के लिए लगभग 70 करोड़ डालर की गैर-परियोजना सहायता की आवश्यकता है, जिसमें ऋण परिशोध सम्बन्धी सहायता के रूप में लगभग 10 करोड़ डालर की सहायता भी शामिल है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि 40 करोड़ डालर की परियोजना-सहायता की आवश्यकता भी युक्तिसंगत है। सहायता की आवश्यकताओं का यह निर्धारण जरूरतों के सरकारी अनुमान के अनुरूप ही है।

(ग) और (घ). वर्ष के दौरान वस्तुतः कितनी सहायता का वचन दिया जा सकेगा, यह सहायता देने वाले देशों में सहायता के लिए वैधानिक तथा अन्य प्रकार के अनुमोदन और द्विपक्षीय बातचीत की प्रगति तथा करारों पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर होगा। उपलब्ध गैर-परियोजना सहायता उर्वरक लौह और अलौह धातुओं, उद्योगों के लिए कच्चे माल और कलपुर्जों, फालतू हिस्सों आदि जैसी वस्तुओं के आयात के लिए काम में लाई जायगी जिनके लिए द्विपक्षीय ऋण करारों के अन्तर्गत आमतौर पर वित्त व्यवस्था की जा सकती है। गैर-परियोजना सहायता राज्यवार आधार पर नहीं बांटी जाती। विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल की जाने वाली गैर-परियोजना सहायता की वास्तविक राशि, ऐसी सहायता से वित्त-पोषित आयात वस्तुओं की आवश्यकताओं पर निर्भर रहेगी।

परियोजना गत सहायता का बंटवारा इस बात पर निर्भर रहता है कि विभिन्न राज्यों में अनुमोदित परियोजनाएं उपलब्ध हैं और वे परियोजनाएं परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में सहायता देने वाले अभिकरण को स्वीकार्य हैं।

गंडक परियोजना

54. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना चालू हो गई है और सिंचाई के लिये उसका उपयोग किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्व जिलों में कितने क्षेत्र में सिंचाई की जायगी;

(ग) क्या इस परियोजना का सिंचाई के अतिरिक्त कोई और उपयोग भी होगा;

(घ) नेपाल के कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी;

(ङ) क्या इस परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बराज लगभग पूर्ण हो गया है। नहर प्रणाली का एक भाग भी पूर्ण हो गया है और इस वर्ष लगभग 1.5 लाख एकड़ भूमि की खरीफ की सिंचाई करने के लिए पूर्वी मुख्य नहर में पानी छोड़ दिया गया है।

(ख) सभी नहरों के पूर्ण होने पर इस परियोजना से बिहार में 28.45 लाख एकड़ भूमि और उत्तर प्रदेश में देवरिया और गोरखपुर जिलों की 7.12 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी।

(ग) नेपाल को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्य पश्चिमी नहर के 9वें मील पर 15 मैगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता का एक पन बिजली घर बनाया जा रहा है।

(घ) 1.55 लाख एकड़।

(ङ) नेपाल में 65000 एकड़ में एक अन्य भूमि खण्ड की सिंचाई करने के लिए एक प्रारम्भिक प्रस्ताव की तकनीकी और आर्थिक सम्भाव्यता पर विचार हो रहा है।

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर चरस का पकड़ा जाना

55. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 मई, 1969 को सफदर जंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने पेरिस को जाने वाला एक 'एयर पैकट' पकड़ा था जिसमें चरस थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देबी लक्ष्मी की एक लकड़ी की मूर्ति के अन्दर चरस रखी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में देबी तथा देवताओं की मूर्तियों के इस प्रकार के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां। लगभग 400 रुपये मूल्य की चरस 16-5-1969 को पकड़ी गयी थी।

(ख) पकड़ी गयी चरस देबी लक्ष्मी की एक छोटी सी मूर्ति में छिपायी हुई थी ।

(ग) भेजने वाला आस्ट्रेलिया का राष्ट्रिक है, और उसको अदालत से 500 रुपये जुर्माना की सजा हुई है ।

(घ) जब कभी कानून-भंग के ऐसे मामले नोटिस में आते हैं, उन पर हमेशा उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । भारत से प्राचीन वस्तुओं का निर्यात केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस लिये बिना नहीं किया जा सकता ।

सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों और नर्सों की मांगें

56. **श्री एम० एस० ओबराय :**
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के डाक्टरों तथा नर्सों के कुछ प्रतिनिधिमण्डल पिछले दो महीनों में सरकार को, अपनी कठिनाइयों तथा उनकी तुलना में सेवा की अच्छी शर्तों की अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए उनसे मिले थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सा सेवा जिसके बारे में यह शिकायत है कि उसमें बहुत गिरावट आ गई है, के स्तर को सुधारने से डाक्टरों/नर्सों के लिये और अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) डाक्टरों तथा नर्सों की मुख्य मांगें इस सम्बन्ध में थीं :

(एक) अवकाश (हालीडेज) को ड्यूटी के बदले छुट्टियां;

(दो) औषधालयों में कार्य-भार में कमी;

(तीन) रोगियों को दवाइयों की सप्लाई के लिये ठेके पर कैमिस्टों की नियुक्ति ।

(चार) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों के सवारी भत्ते में वृद्धि; और

(पांच) औषधालयों की कार्यप्रणाली में एकल पारी (शिफ्ट) व्यवस्था लागू करना।

नर्सों की मांगें, महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता तथा मैसिंग भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में थी।

डाक्टरों की मांगें सम्बन्धित अधिकारियों के साथ परामर्श करके विचाराधीन हैं।

दिल्ली प्रशासन के अधीन दिल्ली अस्पतालों/अस्पतालों में काम कर रहे कनिष्ठ डाक्टरों तथा नर्सों की कुछ मांगों के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(ग) आशा है कि डाक्टरों तथा नर्सों की काम की शर्तों में सुधार से अस्पतालों तथा औषधालयों की चिकित्सा सेवा के स्तरों में सुधार होगा।

केरल के आयकरदाता

57. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री प० गोपालन :**

क्या **वित्त** मंत्री 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के उन दस व्यक्तियों के नाम एकत्र कर लिये हैं, जो अधिकतम आयकर देते हैं, और 1967 और 1968 में उनमें से प्रत्येक के मामले में कितना आयकर निर्धारित किया गया और प्रत्येक ने कितना आयकर दिया ;

(ख) 31 मार्च, 1969 को उक्त प्रत्येक व्यक्ति से कितनी राशि बकाया थी ; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वर्ष 1967-68 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है तथा 1968-69 के सम्बन्ध में इकट्ठी की जा रही है।

(ख) तथा (ग). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(क) से (ग) के सम्बन्ध में सारी सूचना यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की सेज पर रख दी जायगी।

इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन का ज्ञापन

58. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री नम्बियार :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री जुगल मंडल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाल ही में एक ब्योरेवार ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य मांगें कौन-कौन सी हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी मुख्य शिकायतों के प्रति अनुकूल रवैया अपनाने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). इस संघ ने 1 जुलाई, 1969 को एक ज्ञापन भेजा था उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है, उसमें उठाये गये प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1266/69]

राजस्थान नहर का निर्माण पूरा करना

59. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री बलराज मधोक :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रामचरण :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर का निर्माण शीघ्र पूरा किये जाने के बारे में अनुरोध करने के लिये हाल में प्रधान मंत्री से, कुछ संसद् सदस्य मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या विशिष्ट मांगें की थीं ;

(ग) राजस्थान नहर का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा क्या इस कार्य के सम्बन्ध में सरकार ने इस परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय किया है और यदि हां तो इस निर्णय का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में तेजी से कार्य करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप इस नहर के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान नहर के सम्बन्ध में उनकी विशिष्ट मांग यह थी कि नहर की कार्यान्विति के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में आवंटित राशियों के अलावा और धन की व्यवस्था की जाये और भारत सरकार एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इसकी कार्यान्विति को अपने हाथ में ले ले ।

(ग) और (घ). राजस्थान नहर के लिये अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर योजना आयोग से बात-चीत हो चुकी है । बहरहाल चौथी योजना में राजस्थान नहर परियोजना के लिये अतिरिक्त व्यय राशि के आवंटन के प्रश्न पर योजना आयोग तब विचार करेगा जब पांचवें वित्तीय आयोग का निर्णय उन्हें मिल जाएगा ।

आय-कर की बकाया राशि

60. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री निहाल सिंह :
श्री कार्तिक उरांव :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री अदिचन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर के पुराने मामलों को निपटाने तथा आय-कर की काफी बड़ी बकाया राशि वसूल करने के विचार से दो वर्षों का कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस वर्ष मई के महीने में आय-कर राजपत्रित सेवा संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ की 16वीं वार्षिक महासभा में अनुसंधान कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के तरीकों पर चर्चा की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो इस बैठक में इस बारे में क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ङ) जून, 1969 के अन्त तक आय-कर की बकाया राशि के बारे में नवीनतम अनुमान क्या है और यह बकाया राशि जून, 1968 तथा जून, 1967 के अन्त तक की बकाया राशि की तुलना में कम है अथवा अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). आयकर के निर्धारण के लिए बकाया पड़े मामलों को निपटाने के लिये 1968 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 1-4-1968 को जितने बकाया मामले पीछे से लाये गये थे उनमें से 31-3-1969 को आगे ले जाये जाने वाले बकाया मामले उस पूर्ववर्ती संख्या के दो-तिहाई से अधिक नहीं होने चाहिए। वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिये, कर-निर्धारणों के निपटाने का अखिल भारतीय लक्ष्य 39 लाख, रखा गया है, जो 1968-69 में निपटाये गये कर-निर्धारणों की संख्या से लगभग 5 लाख अधिक है। इस कार्यक्रम का आशय आयकर के बकाया पड़े मामलों को 31-3-1971 तक निपटाकर खतम कर देना है। आयकर की बकाया की वसूली के काम में तेजी लाने के लिये यद्यपि हाल ही में कई तरह की कार्यवाहियां अपनाई गयी हैं, परन्तु किसी निश्चित तारीख तक उनके वसूल करके खतम कर देने का कार्यक्रम बनाना सम्भव नहीं है।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) यह सवाल ही नहीं उठता।

(ङ) आयकर की बकाया तथा सकल बकाया मांग की स्थिति के बारे में नवीनतम सूचना 31 मार्च, 1969 तक की उपलब्ध है। 31 मार्च, 1967 तथा 31 मार्च, 1968 तथा 31 मार्च 1969 की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :

अवधि समाप्त होने की तारीख	सकल बकाया मांग	आयकर की बकाया की मांग
	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
31 मार्च 1967*	515.25	357.63*
31 मार्च 1968	622.61	374.52
31 मार्च 1969	774.40	435.49

*इसमें एक तो वे रकमें भी शामिल हैं जो वसूल हो चुकी हैं लेकिन उनका पेशगी-कर समायोजन होना अभी बाकी है और दूसरे वे रकमें हैं जिनके लिये कर की अदायगी की मियाद में वृद्धि की मंजूरी आयकर अधिकारी द्वारा अथवा अन्य आयकर प्राधिकारी द्वारा दी गयी है।

रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली में पानी की कमी

61. **श्री बलराज मधोक :**

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्मी के महीनों में रामकृष्णपुरम्, दिल्ली के निवासियों ने पानी की कमी के बारे में शिकायतें की थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न सेक्टरों के नलों में पानी आने के समय समान नहीं हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रामकृष्णपुरम् के सामने रिंग रोड के नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के बहुमंजिले फ्लैटों तथा अन्य मकानों में 24 घण्टे पानी की व्यवस्था है जबकि रामकृष्णपुरम् में दिन में काफी समय तक नलकों में पानी नहीं आता और पानी का दबाव इतना कम है कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं पहुंचता ; और

(घ) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में अलग-अलग वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को इस मूल सुविधा को उपलब्ध करने के मामलें में भी यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है और इसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) रामकृष्णपुरम् के सामने रिंग रोड के नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के बहुमंजिले फ्लैटों में पानी भी की भी सप्लाई नियत समय के लिये सीमित कर दी है, जैसे कि रामकृष्णपुरम् के अन्य क्वार्टरों के मामले में है ।

(घ) रामकृष्णपुरम् के विभिन्न सेक्टरों में जिनमें बहुमंजिले फ्लैट शामिल हैं पानी की सप्लाई की विभिन्नता स्थानीय निकायों के दो मेन्स जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है, के दबाव की विभिन्नता के कारण हैं । दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में पानी की सप्लाई की कमी को दूर करने के लिये दिल्ली नगर महापालिका ने "कैलाश रिजरवायर स्कीम" नाम की एक योजना आरम्भ की है जिसकी कि अगले दो या तीन वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है । यह आशा की जाती है कि इस योजना के पूरा होने पर स्थिति सुधर जायेगी ।

रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली के नये सेक्टरों में बिजली के कनेक्शन

62. **श्री बलराज मधोक :**

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली के नये सेक्टरों के कुछ क्वार्टरों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेक्टर संख्या 10, 11 और 12 की तरह के नये सेक्टरों में अब तक सड़कों पर भी बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों के लिये बनाई गई इस प्रमुख सरकारी बस्ती में इस मूल नागरिक सुविधा को जुटाने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सेक्टर XII में सिवाय एक क्वार्टर के जोकि खाली है, डी० ई० एस० यू० ने सेक्टर VIII, IX, तथा XII के सभी अन्य क्वार्टरों में बिजली दे दी है।

(ख) सेक्टर 11 तथा 12 में सड़क के प्रकाश की व्यवस्था की जा चुकी है। सेक्टर 10 को अभी विकसित करना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी कालोनियों में पार्कों का विकास

63. **श्री बलराज मधोक :**

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनिवासपुरी, एन्ड्रूजगंज तथा रामकृष्णपुरम्, (दिल्ली) में खेल के मैदान तथा पार्क बनाने के लिये आरक्षित कुल कितने खुले स्थान हैं तथा प्रत्येक कालोनी में वे कहां-कहां पर हैं और उनकी क्या स्थिति है ;

(ख) प्रत्येक कालोनी में उनमें कितने स्थानों का विकास कर लिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन प्लाटों पर निर्माण तथा आवास मंत्रालय का नियंत्रण होने के कारण दिल्ली नगर निगम उनका विकास नहीं कर सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इन कालोनियों में दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले पार्कों तथा खेल के मैदानों के विकास तथा देखभाल का कार्य पूरी तरह दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया जाये और इसके लिये अपेक्षित धन दिया जाये ताकि इन पार्कों, खेल के मैदानों का विकास शीघ्र किया जा सके और उनकी देखभाल ठीक तरह से हो सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्लाटों की कुल संख्या तथा उनका बस्ती के अनुसार [स्थिति का विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1267/69]

(ख) उद्यानों के हेतु प्लाटों का विकास किया जा चुका है। खेल के मैदानों के रूप में दिखाये गये सात प्लाटों का अभी विकास किया जाना है।

(ग) और (घ). अविकासित प्लाटों के विकास तथा पहले ही से विकासित प्लाटों का अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम को सौंपने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

C. P. W. D. Enquiry Office of R. K. Puram (Delhi)

64. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the labourers of the C.P.W.D. Enquiry Office in Ramkrishnapuram, Sector II, (Delhi) were beaten by the Welfare Committee workers on the 5th September, 1968 ;

(b) if so, the action taken against those workers ;

(c) whether any high official of C.P.W.D. had made a complaint to the Home Ministry in that connection ; and

(d) if so, the action taken thereon and result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There was an altercation between the beldar of the C.P.W.D. Enquiry Office, Sector II, R. K. Puram, and the Vice-President of the R. K. Puram, Cl. IV. Residents Welfare Association, leading to exchange of blows.

(b) No action was considered necessary as the matter was settled amicably with the intervention of the elders of the locality.

(c) The Chief Engineer (NDZ) sent a report to the Ministry of Home Affairs in response to a representation, received through that Ministry, from the President, R. K. Puram, Sector II, Cl. IV. Residents Welfare Association containing one-sided allegations against the C.P.W.D. workers.

(d) Since the Chief Engineer reported that the matter settled amicably, the Ministry of Home Affairs do not appear to have considered any further action necessary. They forwarded a copy of the report of the Chief Engineer to the President, R. K. Puram, Sector II, Cl. IV Residents Welfare Association for information.

Effects of Smoking on Human Health

65. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Jai Singh :**
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Sezhiyan : **Shri George Fernandes :**
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report which appeared in 'Hindustan' dated the 23rd May, 1969 that it would be compulsory to give the warning, alongwith all advertisements of cigarettes on American television, that smoking is dangerous for health and that it can cause death by cancer, heart trouble, whooping cough and other diseases ; and

(b) if so, whether Government propose to adopt similar measures to discourage smoking in the interest of public health and would make it compulsory to give such a warning on cigarettes packets ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Shri George Fernandes has given notice of his intention to introduce a bill on the subject of cigarette advertisement, and the matter is being considered in that context.

Survey of Gypsum Deposit in Bhutan

66. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the outcome of the survey of gypsum deposits in Bhutan ; and

(b) the details of the project for the extraction and utilization of gypsum of Bhutan ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Detailed sub-surface exploration by drilling is in progress.

(b) The question of extraction and utilization of gypsum will be considered after the results of exploration are known.

Setting up of Fertilizers Factories during Fourth Plan

67. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of fertilizer factories proposed to be set up during the Fourth Plan period and the number of factories out of them for the designing, fabrication and setting up of which the Research and Development Department of Sindri would be responsible ;

(b) the reasons for which all the factories are not being set up by the said Department ; and

(c) the reasons for delay on the part of Government in converting the Research and Development Department, Sindri, into a separate and independent Department and in its development and expansion expeditiously, in view of our heavy requirements in future and also in view of the markets of Asian and African countries ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Seven fertilizer factories, including expansion of existing units are under construction at present. Of these six are in the public sector and one in the private sector. In addition, nine projects have been approved in principle but how many of these will materialise during the Fourth Plan Period is not known at present. Of these nine, one is in the public sector and the remaining eight are in the private sector. The Planning and Development Division of the Fertilizer Corporation of India will be responsible, to the extent possible, for the design and engineering of three units being set up by the Fertilizer Corporation of India. The Division is also associating with the design and engineering work of a project being set up in Kerala in the public sector. The design and engineering of the units to be set up in future by the Fertilizer Corporation of India will also be entrusted, to the extent possible, to the P and D Division.

(b) In view of the heavy commitments of the P and D Division for design and engineering of plants in the public sector, it is not in a position, at present, to take up similar work for projects in the private sector.

(c) The Planning and Development Division under the Fertilizer Corporation of India is being run as a separate unit under the Corporation, with its own separate General Manager, budget etc. The Division will be expanded as and when the need for it arises.

Project for Refining Petroleum Coke

68. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the progress made in respect of the project for refining petroleum coke of public sector petrol refineries and of selling that to aluminium factories ; and

(b) the time by which Government would be in a position to refine their own coke and would stop giving raw coke to any private sector factory for refining ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The project for setting up a plant for calcining petroleum coke at Barauni refinery is under execution. Preliminary contracts with prospective customers are being made by Indian Oil Corporation Ltd.

(b) The coke calcination plant at Barauni refinery is likely to go on stream by mid-1970 and will consume bulk of the refinery's raw coke.

Raw coke from the Gauhati refinery is sold to the India Carbon Ltd., Gauhati as per current agreement.

Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against Reserved Posts

69. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9238 on the 12th May, 1969 and state :

(a) whether the requisite information regarding promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of the other offices under his Ministry has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) A statement furnishing the requisite information is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-1268/69].**

(c) Does not arise.

सामान्य भविष्य निधि

70. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य भविष्य निधि के ऐसे मामले कितने हैं, जिनमें भारत सरकार के अधिकारियों (राजपत्रित) के लापता जमा धन को अभी तक ढूंढा नहीं गया ;

(ख) कितनी राशि अभी तक समायोजित पड़ी हुई है और कब से ;

(ग) ऐसे लम्बित मामलों को निपटाने के लिये महालेखापाल का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों की होने वाली ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उनके मंत्रालय ने कोई बेहतर तरीका ढूंढ निकाला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) . सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) स्थायी आदेशों के अन्तर्गत, सामान्य भविष्य निधि के हिसाबों को पूरा करने के काम की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा लापता जमा-धन का पता लगाने तथा उसे जमा करने का कार्य भी जल्दी से जल्दी किया जाता है ।

बडिहारियापुर में तुंगभद्रा के रिसने के परिणामस्वरूप रायचूर जिले के निवासियों का पुनर्वास

71. **श्री स० अ० अगड़ी : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्रा मुख्य नहर के पानी के बड़ी मात्रा में रिसने के परिणाम-

स्वरूप मैसूर राज्य के रायचूर जिले में कोघल ताल्लुक के बडिहारिया पुर गांव के निवासियों को फिर से बसाने का निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया था ;

(ग) क्या इसके लिये कोई भूमि अर्जित की गई है तथा भुगतान कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो किस तारीख को तथा कितनी भूमि अर्जित की गई है ; और

(ङ) इस असाधारण विलम्ब तथा ग्रामवासियों को सभी प्रकार के कष्ट दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ) . जानकारी मैसूर सरकार से प्रतीक्षित है और वहां से प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायगी।

बेलारी जिला (मैसूर) में हगरीबोमनहाली परियोजना

72. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बेलारी जिले में हगरीबोमहाली परियोजना (सिंचाई) पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) यह परियोजना कब मंजूर की गई थी और इस पर कितनी धन-राशि खर्च होने का मूलतः अनुमान था और उसमें कितनी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था थी ;

(घ) इन अनुमानों में कितनी बार संशोधन किया गया था कौन-कौन से वर्ष में तथा संशोधित राशि का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

हिरेनाला परियोजना मैसूर

73. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बलगांव जिले में बेलहोंगल ताल्लुक में हिरेनाला परियोजना के निर्माण की गति धीमी पड़ गयी है ;

(ख) यह योजना कब मंजूर की गई थी और इससे कितनी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई थी और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ;

(ग) आरम्भ से लेकर अब तक वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है और परियोजना के काम की गति धीमी करने के क्या कारण हैं ;

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बर्माशैल तथा एस्सो द्वारा अशोधित तेल का शोधन

74. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्माशैल तथा एस्सो तेल शोधक कारखाने अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक अशोधित तेल साफ करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन तेल शोधक कारखानों को अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक तेल साफ करने की अनुमति क्यों दी गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिये, 1963 से बर्मा शैल और एस्सो शोधन-शालाओं को, लाइसेन्सकृत क्षमताओं से अधिक क्षमताओं पर परिचालन के लिये अधिकृत किया गया है ।

Family Planning Among Muslims

75. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Kartik Oraon :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Family Planning Office located in Dehradun has revealed that the Family Planning programme and insertion of loop have not been extended to Muslim community as they oppose this programme ;

(b) whether it is also a fact that the family planning programmes have affected only the Hindu and Scheduled Castes families ;

(c) if so, the ratio among the Muslims, Hindus and Scheduled Castes in regard to adoption of family planning measures ; and

(d) whether Government would consider the measures to enforce family planning among all communities ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The Government of Uttar

Pradesh have been requested to furnish the information which will be intimated to the Sabha, when it is received.

(b) and (c). No. Though community-wise statistics regarding acceptance of the programme are not maintained, information available from several localized studies shows that the family planning services are being availed of by members of all the communities more or less in proportion to their population.

(d) The family planning movement in India is already equally applicable and available to all the communities. It has been founded on a rational, scientific and voluntary basis. The programme is essentially related to the socio-economic development of the people of all the communities.

Sale of Kerosene Oil in Black Market

76. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of those persons who have been granted licences of Kerosene oil by the Department of Civil Supplies are misusing their licences and selling the kerosene oil in black market outside Delhi ;

(b) whether Government have received some complaints of this nature during the last one year ; and

(c) if so, the details thereof and the action taken by Government against those persons ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) No such case has been brought to Government's notice.

(b) No.

(c) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र में विनियोजन

77. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्रों में विनियोजन नीति में 1968 की नीति की तुलना में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) इस समय सरकारी क्षेत्र में कितनी सामान्य अंश पूंजी लगी हुई है तथा ऋण और अग्रिम राशि के रूप में कितना धन दिया गया है ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में विनियोजन से कितने प्रतिशत लाभ हुआ और आगामी वर्ष तथा बाद के वर्षों में कितने लाभ होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य ने 1968 की किस नीति की ओर संकेत किया है। जहां तक सरकारी क्षेत्र में निवेश करने

का सम्बन्ध है, यह नीति जारी है कि निवेश-सम्बन्धी जो निर्णय किये जायें वे सभी तकनीकी, आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रख कर यथासम्भव पूर्ण रूप से किये गये व्यवहार्यता सम्बन्धी व्यापक अध्ययनों/तैयार की गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित हों।

(ख) और (ग). 1967-68 के अन्त में, जो बिलकुल हाल का ऐसा वर्ष है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों के लेखे उपलब्ध हैं, इन उपक्रमों में कुल 3,333 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी जिसमें से 1633 करोड़ रुपया सामान्य शेयरों में लगा हुआ था और 1700 करोड़ रुपया ऋण के रूप में था। इसके अतिरिक्त, उपक्रमों ने, कार्यचालन पूंजी के लिये नकद-उधार व्यवस्था के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये के ऋण लिये थे। इन उपक्रमों में लगी हुई पूंजी से 1967-68 में प्राप्त आय का विवरण, "केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के 1967-68 के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट" में दिया गया है जो 13 मई, 1969 को सभा की मेज पर रख दी गयी थी। 1968-69 और बाद के वर्षों की आय का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

भारत में डाक्टरों और नर्सों की आवश्यकता

78. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने डाक्टरों और नर्सों की आवश्यकता है और कितने औषधालयों में एक भी डाक्टर और नर्स नहीं है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में वह योजना कौन-सी है जिसमें सरकार ने डाक्टरों और नर्सों की कमी दूर करने की व्यवस्था की है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि लोग नर्स तथा डाक्टर के व्यवसाय को अपनाने के पक्ष में क्यों नहीं हैं और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जन संख्या के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानतः कुल 170870 डाक्टरों तथा 120000 नर्सों की जरूरत पड़ेगी।

मार्च, 1969 के अन्त तक 4919 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 352 केन्द्रों में डाक्टर नहीं थे। औषधालयों में डाक्टरों और नर्सों के रिक्त पदों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में डाक्टरों तथा नर्सों को प्रशिक्षण देने की योजनाएं राज्य सेक्टर में रखी गई हैं। वर्तमान मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता जो कि लगभग 12000 है, में 1500 की वृद्धि करने के हेतु चौथी योजना में दस नये मेडिकल कालेज खोलने का विचार है। इसी तरह नर्सिंग प्रशिक्षण की सुविधाओं में भी वृद्धि करने का विचार है ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना में 8000 और अधिक नर्सों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

(ग) इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है किन्तु जहां तक सरकार को जानकारी है देश में चिकित्सा तथा नर्सिग व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने की ओर अधिक लोग अग्रसर हो रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व

79. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के अनुचित रवैये के कारण हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है यद्यपि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की भूमि पर स्थित है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार और भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के बीच मतभेद हैं ;

(ग) भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड में हिमाचल प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार और भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के बीच किसी मतभेद की सूचना नहीं मिली है।

(ग) भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व वहां के मुख्य अभियंता, बहूद्देश्यीय परियोजनाएं एवं विद्युत पहले ही कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली

80. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड के 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के कार्यकरण के परिणाम देखे हैं तथा इसके कार्य में कोई प्रगति बताई गई है अथवा ह्रास बताया गया है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य गत वर्ष की तुलना में अच्छा रहा है अथवा नहीं, इस कम्पनी को कुल कितना लाभ अथवा घाटा हुआ, इसने कुल कितना उत्पादन, बिक्री तथा निर्यात किया और इसकी वस्तुओं के स्टाक का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों से इस कम्पनी का संचालन करने वाले अधिकारियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और सचिव के नाम क्या हैं तथा वे इन पदों पर कितने समय से कार्य कर रहे हैं और उनके वेतन और भत्ते क्या हैं तथा वे कहां-कहां से लिए गए हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों में पिछली कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या जनता में कम्पनी का नाम ऊंचा करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं, लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और हिस्सेदारों की सितम्बर, 1969 में होने वाली वार्षिक बैठक में उन अनुमोदन के बाद, वार्षिक रिपोर्ट तथा आडिट किया हुआ तुलन-पत्र सरकार को पेश किया जायेगा ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुये, इस अवस्था में तुलना संभव नहीं है ।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

नाम	पदनाम	कब से	वेतन	कैफियत
1. श्री के० पी० माधवन नायर	चेयर मैन	27-9-1965 (नियुक्ति का नवीकरण वार्षिक आधार पर)	अवैतनिक	गैर-सरकारी
2. श्री मुहम्मद फजल	प्रबन्ध निदेशक	15-2-1965	रु० 2500-2000-100-2500 के वेतन में	इंडस्ट्रीयल मैनेजमेन्ट पूल आफिसर
3. श्री जी० एस० चन्देकर	सचिव	11-3-1966	रु० 1100-1100-50-1400 के वेतनमान में	,,

(घ) प्रश्न नहीं उठता । कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में बराबर प्रगति की है और इसके कार्य परिणाम संतोषजनक रहे ।

जीवन बीमा निगम सम्बन्धी मुरारका समिति

81. **श्री रा० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री सीताराम केसरी :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री कं० हाल्दर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को जीवन बीमा निगम सम्बन्धी मुरारका समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों के संक्षिप्त विवरण की प्रतियां 12 मई, 1969 को सदन की मेज पर रखी गई थीं ।

(ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

नेशनल बोर्ड आफ न्यूट्रीशन फार चिल्ड्रन (राष्ट्रीय बाल पोषाहार मंडल)

82. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० मु० सईद :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार "राष्ट्रीय बाल पोषाहार मण्डल" स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड का मुख्य प्रयोजन क्या है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) से (ग). योजना आयोग ने जनसंख्या के सभी असुरक्षित वर्गों के लिए जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, पोषण सम्बन्धी नीति और कार्यक्रमों के समन्वयन के हेतु एक कार्य दल का गठन किया है। बच्चों के लिए अलग से एक न्यूट्रीशन बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आसाम में स्वर्ण भण्डार

83. **श्री रा० बरुआ :**
श्री हेम राज :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रारम्भिक खोज से पता चला है कि आसाम के माहबलांग क्षेत्र में सोने के बड़े-बड़े भण्डार हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण कब किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है और भूवैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में तत्काल खुदाई करवाने का निदेश दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कितनी सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी, नहीं। असम सरकार ने, जिन्होंने अन्वेषण किये हैं, सूचित किया है कि क्षेत्र में किये गये प्रारम्भिक अन्वेषणों से जहां तहां सोना पाये जाने का पता लगा है।

(ख) असम सरकार द्वारा क्षेत्र के खनिजयुक्त खंड का विस्तृत अन्वेषण 1968-69 के क्षेत्रीय कार्य-मौसम के दौरान प्रारम्भ किया गया है।

(ग) जी, नहीं। क्षेत्र में सोना अयस्क की काफी मात्रा में उपलभ्य राशियों के सिद्ध हो जाने के पश्चात् ही इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का प्रश्न उत्पन्न होगा। राज्य सरकार ने खाईयां खोदकर तथा परीक्षण व्यधन के द्वारा विस्तृत अन्वेषण करने के लिये पहिले ही भूवैज्ञानिक भेज दिये हैं।

(घ) चट्टानों के 22 नमूनों में से, जिनका विश्लेषण किया गया, केवल 3 नमूनों में प्रत्येक मैट्रिक टन चट्टान में 0.8 ग्राम से लेकर 6.2 ग्राम तक सोना प्राप्ति की सम्भावनाएं दृष्टिगत हुई हैं।

मैसूर राज्य में खानों के मालिक

84. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में तुमकुर जिले में चिक्का नई कानाहल ताल्लुक में तथा चित्रदुर्ग जिले में हिखूर, होसदुर्ग ताल्लुकों में चलने वाली खानों की संख्या कितनी है तथा उनके मालिकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ खानों के मालिकों के विरुद्ध कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि स्वामित्व तथा अन्य करों के भुगतान के मामले में उन्होंने सरकार को धोखा दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने उन खानों के मालिकों के विरुद्ध जांच करवाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में पोलिस्टर फाइबर के कारखाने की स्थापना

85. **श्री एम० एस० ओबराय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने उस राज्य में पोलिस्टर फाइबर का कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम ने पोलिस्टर कारखाने के लिये इंडस्ट्रीज (डिवैल्पमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1967 के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र भेजा है ?

(ख) मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

सोने और घड़ियों की तस्करी

86. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री यशपाल सिंह :**

श्री क० लकप्पा : **श्री शशि भूषण :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने और घड़ियों की तस्करी के मामले गत दो वर्षों की

तुलना में वर्ष 1968-69 में काफी बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित तस्करी के मामलों में जिन व्यक्तियों का हाथ था उनमें से कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये और सजा दी गई ; और

(ग) तस्करी को कम से कम करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह कहना बहुत कठिन है कि वर्ष 1968-69 के दौरान सोना और घड़ियों के तस्कर-आयात में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। लेकिन, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गये सोने तथा घड़ियों का मूल्य नीचे दिये अनुसार हैं :

वर्ष	पकड़े गये सोने का (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर) मूल्य (लगभग)	पकड़ी गई घड़ियों का मूल्य (लगभग)
1966-67	192 लाख रुपये	126 लाख रुपये
1967-68	532 लाख रुपये	186 लाख रुपये
1968-69	386 लाख रुपये	248 लाख रुपये

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) सुगमता से पार किये जा सकने वाले क्षेत्रों पर अच्छा नियंत्रण रखने के लिये निरोधक कर्मचारियों को पुनर्नियोजित किया गया है। जप्त की गई अरब नौकाओं को गश्त लगाने के काम में लिया जा रहा है। उडन-जल नौकाओं का भारतीय समुद्र में परीक्षण किया गया है जिससे उन्हें प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा सके। चोरी-छिपे रूप में लाई गई वस्तुओं का पता लगाने के लिये सीमाशुल्क अधिनियम में संशोधन किये गये हैं। गुप्त सूचना के सम्यक संग्रह तथा सुसमन्वय के लिये भी व्यवस्था की गई है।

यूनिटों का बिक्री तथा पुनः खरीद मूल्य

87. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1969 में यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने यूनिटों के बिक्री मूल्य में वृद्धि की थी ;

(ख) क्या पुनः खरीद मूल्य में भी वृद्धि की गई है और यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) यूनिट के मूल्य में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यूनिटों का बिक्री मूल्य 19 मई, 1969 से प्रति यूनिट 10·80 रुपये से बढ़ाकर 10·85 रुपये कर दिया गया है ;

(ख) पुनः खरीद मूल्य भी उसी तारीख से प्रति यूनिट 10·40 रुपये से बढ़ाकर 10·45 रुपये कर दिया गया है ;

(ग) ट्रस्ट की आधारभूत प्रतिभूतियों के मूल्य में हुई वृद्धि को और पिछले मूल्य-निर्धारण के बाद इकट्ठी हुई आय को हिसाब में लेने के लिए, यूनिटों का विक्री मूल्य समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से सहायता

88. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री देवेन सेन :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से अनेक परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी है ;

(ख) क्या भारत ने उद्योगों को चालू रखने के लिए आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गैर-परियोजना सहायता मांगी है ; और

(ग) चालू वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से मांगी गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ग). जी, हां । सिंचाई परियोजनाओं, कृषि-परियोजनाओं और रेल विकास कार्यक्रम के लिए सहायता के सम्बन्ध में निवेदन किये गये हैं । इन पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार हो रहा है ।

(ख) उद्योगों को चालू रखने के लिए आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में गैर-परियोजना सहायता मांगने के लिए तैयारी की जा रही है ।

फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक

89. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री रा० वें० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री गु० च० नायक :
श्री जेवियर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि फिल्म उद्योग के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर बातचीत करने के लिए इस वर्ष मई में उनसे मिले थे ;

(ख) चर्चा के मुख्य विषय क्या थे और उसमें क्या-क्या बातें उठायी गई थीं ; और

(ग) उठायी गई बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां। फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के प्रतिनिधियों की उप-प्रधान मंत्री के साथ मई, 1969 में एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने, फिल्म उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के बारे में दिनांक 29 मई, 1969 का ज्ञापन पेश किया। ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दे भी शामिल हैं :

(i) रंगीन फिल्मों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में राहत ;

(ii) केवल निर्यात के लिये तैयार की गयी सिनेमा फिल्मों की कापियों की निकासी किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क जमा कराये बिना होने दी जाय।

(iii) फिल्म निर्माता एवं निर्देशक भी वार्षिकी योजना में शामिल हो सकें।

(iv) कलाकारों, संगीत निर्देशकों आदि को वार्षिकी बीमा अथवा आस्थगित भुगतान की एक योजना लागू की जाय।

(v) निर्यात के प्रोत्साहन के लिये सुविधाएं।

(ग) उपर्युक्त मदों के बारे में क्रमानुसार स्थिति नीचे दी गयी है।

(i) रंगीन फिल्मों के प्रथम 35 प्रिन्टों को छोड़कर बाकी कापियों की निकासी पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रभावी दरों को, 27 जून 1969 से, फिल्म की लम्बाई चौड़ाई के आधार पर प्रति मीटर 5 से लगाकर 25 पैसे तक के हिसाब से कम कर दिया गया है। प्रमाणीकरण के 12 महीने बाद निकास की गई रंगीन फिल्मों की कापियों को भी उत्पादन शुल्क से पूरी छूट दे दी गयी है।

(ii) वर्तमान कार्यविधि के अन्तर्गत, इस्तेमाल की गयी फिल्मों के प्रिन्ट जमानत के साथ बांड भरने अथवा प्रतिभूति बैंक गारंटी देने पर किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क अदा किये बिना निर्यात की जा सकती हैं।

(iii) और (iv). इन मुद्दों पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड विचार कर रहा है।

(v) फिल्म उद्योग वालों को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने तथा विदेशों में स्थानीय शूटिंग आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। प्रत्याशित निर्यात के बदले अग्रिम आयात लाइसेन्स भी दिये जाते हैं।

सिन्धु आयोग का प्रतिवेदन

90. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिन्धु आयोग की इस्लामाबाद में हुई बैठक के बाद प्रस्तुत किया गया उसका प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेगी ;

(ख) इस आयोग में भारत का प्रतिनिधि कौन है और इस पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है ;

(ग) आयोग की एक वर्ष में कितनी बार बैठक होती है और किसी बैठक के लिए कार्य सूची किस प्रकार तैयार की जाती है ; और

(घ) अब तक इससे क्या लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पिछले वर्षों की भांति स्थाई सिंधु आयोग द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जा रही है।

(ख) सिंचाई व बिजली मंत्रालय में सिंधु जल आयुक्त भारत सरकार की ओर से आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आयोग पर भारत सरकार द्वारा किया गया वार्षिक व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एक वर्ष में हुई बैठकों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि विचारार्थ विषय कितने हैं और किसी भी आयुक्त ने बैठक बुलाने के लिए कितनी बार आग्रह किया है। आयोग आम तौर से एक वर्ष में एक बार भारत में और एक बार पाकिस्तान में 3-4 बैठकें करता है। संधि में उठाए गए मामलों में से किसी पर भी यदि कोई आयुक्त किसी विशेष बैठक में विचार-विमर्श करना चाहे तो उसे कार्य-सूची में शामिल कर देते हैं।

(घ) स्थाई सिंधु आयोग ने सिंधु जल संधि 1960, जो कि विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सद्भाव और मित्रता की भावना से की गई थी, के कार्यान्वयन में काफी लाभदायक कार्य किया है। आयोग का उद्देश्य और कार्य ये हैं कि सिंधु नदी प्रणाली के जल के विकास के संबंध में दोनों दलों में सहयोग को बढ़ाया जाये। आयोग के कार्यों में अन्य चीजों के साथ-साथ संधि के परिशिष्ट (च) के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करना (संक्रांतिकाल के दौरान पाकिस्तान को जल की सप्लाई जो कि मार्च 1970 में समाप्त होती है) और नदियों पर विविध विकासों तथा कार्यों से सम्बन्धित तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए नदियों के निरीक्षण दौरे सम्मिलित हैं।

विवरण

वर्ष	वार्षिक व्यय
1961-62	रुपये 16,365
1962-63	रुपये 14,909
1963-64	रुपये 22,824
1964-65	रुपये 17,949
1965-66	रुपये 11,461
1966-67	रुपये 16,215
1967-68	रुपये 16,439
1968-69	रुपये 28,991
1969-70 (मई 1969 तक)	रुपये 2,715

नेपाल में भारतीय तेल निगम का सहायक संगठन

91. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री जय सिंह :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
डा० सुशीला नैयर :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० अ० अगड़ी :
डा० रानेन सेन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वेंकटप्पा नायक :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम का एक सहायक (संगठन) नेपाल में बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय तेल निगम के पेट्रोलियम उत्पादों के नेपाल में वितरण के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है और इस बारे में नई व्यवस्था क्या होगी ; और

(घ) नई व्यवस्था के लाभ-हानि का ब्योरा क्या है और इससे भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). भारतीय तेल निगम ने भारत के बाहर के देशों में, जिनमें नेपाल भी शामिल है, व्यापार करने के लिये एक पूर्णतया स्वामित्व सहायक कम्पनी बनाई है। इससे ऐसे व्यवसाय भली भांति करने में सुविधा मिलेगी और भारतीय हितों पर किसी प्रकार भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय नेपाल में भारतीय तेल निगम के मार्किटिंग प्रभाग का एक विक्रय कार्यालय है जो इंडियन आयल के उत्पादों की बिक्री का कार्य संभालता है। इस कार्यालय को बन्द कर दिया जायेगा और इस सहायक कम्पनी का एक कार्यालय नेपाल में परिचालनों की देख रेख करेगा।

शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफजल बेग की सम्पत्ति

92. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री राम सिंह अयारवाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओंकार सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री सूरज भान :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 21 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला तथा मिर्जा अफजल बेग के अपने नाम तथा उनकी पत्नियों, लड़के, लड़कियों तथा दामादों के नाम पर सम्पत्ति तथा उसके स्रोतों के बारे में इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी को शीघ्र इकट्ठा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पूछताछ अभी चल रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न व्यक्तियों को धन कर अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं। विवरणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। उनके प्राप्त होने पर मामले की छानबीन की जायगी।

यदि कोई धन सम्पत्ति लेखाबाह्य प्रकार से प्राप्त की गई पाई जायगी तो उस पर कर निर्धारण किया जायगा तथा कानून के अन्तर्गत अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जायगी ।

चोरी किये गये आयकर की वसूली

93. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोरी किये गये आय-कर को वसूल करने के लिए लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु आयकर विभाग द्वारा की गई प्रार्थना पर जनता ने सहयोग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो लोगों के सहयोग के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में कितना आय कर वसूल हुआ, ऐसे मामलों को निपटाने तथा सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने के मामले में अन्तिम रूप से निर्णय करने में कितना समय लगा ;

(ग) क्या उड़ीसा से ऐसा सहयोग प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना धन वसूल किया गया तथा पुरस्कार के रूप में कितना धन दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसे इकट्ठा करने में बड़ा समय और श्रम लगेगा । मुखबिरों द्वारा दी गई सूचना वाले मामलों को निपटाने में कितना समय लगता है, यह सूचना की किस्म पर निर्भर करता है । पुरस्कार मामलों का अन्तिम निर्णय होने पर तथा अतिरिक्त कर वसूल हो जाने अथवा वसूल होने में कोई कठिनाई नहीं होने पर ही दिये जा सकते हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) मुखबिरों द्वारा दी गई सूचना के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर की वसूल हुई रकम तथा मुखबिरों को दिये गये पुरस्कारों की रकम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

डेंकानाल, उड़ीसा में आयकर कार्यालय स्थापित करना

94. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डेंकानाल, उड़ीसा में आयकर कार्यालय स्थापित करने के बारे में अब अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जी हां । डेंकानाल, उड़ीसा में 1 जुलाई 1969 से आयकर कार्यालय खोल दिया गया है ।

जनसंख्या में वृद्धि को रोकने में लूप के प्रयोग से सफलता

95. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण,आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिये लूप कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है क्योंकि अधिकांश मामलों में इसका लगातार प्रयोग नहीं किया जा रहा था ;

(ख) क्या लूप का कोई निकल्प ढूंढ़ने के लिए उनके मंत्रालय ने कोई अनुसंधान किया है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों और अन्य विदेशी आविष्कारों तथा लूप के तुलनात्मक लाभ और हानि का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) लूप कार्यक्रम जो 1965 में शुरू किया गया था, प्रारम्भ में सफल रहा । बाद में इसमें कुछ अवरोध आगया । कार्यक्रम अब फिर से लोकप्रिय हो रहा है ।

(ख) वर्तमान तरीकों, जिनमें लूप भी शामिल है, के सुधार और नये तरीकों के विकास पर अनुसंधान कार्य प्रगति कर रहा है ।

(ग) और (घ). जी हां । विभिन्न तरीकों और उपायों की उपयोगिता और कारगरता भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सतत मूल्यांकन के आधार पर निश्चित की जाती है । ऐसे अध्ययन अभी चल रहे हैं ।

नर्मदा जल विवाद सम्बन्धी अधिकरण

96. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** :
श्री श्रद्धाकार सूपकार :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री द० रा० परमार :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सोमचन्द सोलंकी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रा० बरुआ
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री दे० वि० सिंह :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शशि भूषण :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री जुगल मण्डल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी जल विवाद एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इसके बारे में कोई आपत्ति की है और यदि हां, तो वह क्या है ; और

(घ) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अभी तक गठित नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को सुझाव देते हुए लिखा था कि विवाद को सुलझाने के लिये बातचीत द्वारा समझौते के लिये आगे प्रयत्न किये जाने चाहिए । चूंकि इस विषय पर, जोकि 6 वर्षों से भी अधिक समय से निलंबित है, गुजरात सरकार आगे विचार-विमर्श के पक्ष में नहीं है, इसलिए इस विवाद को न्यायनिर्णय के लिए भेजने का फैसला मान्य है ।

Progress of Family Planning Programme

97. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Sradhakar Supakar :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the extent to which further progress has been achieved in the Family Planning Programme ;

(b) whether it is a fact that certain oral contraceptives are successfully being used in many countries of the world ;

(c) whether Government of India have carried out any experiment with these pills ; and

(d) if so, the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The further progress in the family planning programme as reported by the States is as follows :

(i) **Sterilization Operations**	
(a) During 1968-69	16,49,686 (Provisional)
(b) During 1969-70 (April and May)	1,29,948
(c) Progressive total since inception	60,32,656
(ii) **IUCD insertions**	
(a) During 1968-69	4,72,539 (Provisional)
(b) During 1969-70 (April and May)	46,334
(c) Progressive total since inception	29,10,291

(b) Yes.

(c) and (d). Yes. The Indian Council of Medical Research has carried out clinical trials on several Oral Pills and has recommended 12 brands of oral pills for use in India under medical supervision. 256 Oral contraception Pilot Projects have been commissioned and the reports received are being analysed.

New Residence for Prime Minister

98. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Ram Charan:
Shri Shri Chand Goyal:

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the further progress since made in regard to the work of construction of the Prime Minister's third House;

(b) whether the Central Government is still in a dilemma in regard to converting the Tin Murti House again to the Prime Minister's House; and

(c) if so, the causes which are posing as hindrance in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The work relating to the new official residence of the Prime Minister is still at the planning stage.

(b) No, Sir. The Government have taken a decision to construct a new official residence for the Prime Minister in the Rashtrapati Bhavan campus.

(c) Does not arise.

सरकारी उपक्रमों का लाभ न कमाना

99. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 22 मई, 1969 के अपने पत्रकार सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को लाभ न होने का उल्लेख किया था और कहा था कि सरकार ने अब कमियां समझ ली हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कमियां स्वीकार की हैं ;

(ग) क्या विभिन्न अध्ययन दलों और समितियों ने पहले ही कुछ अथवा सभी कमियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था ; और

(घ) उन त्रुटियों को दूर करने के लिए पहले ही तुरन्त आवश्यक कार्यवाही न करने के क्या कारण थे और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि उपक्रमों से लाभ हो सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 22 मई, 1969 को एक संवाददाता सम्मेलन में और बातों के साथ-साथ, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की

लाभकारिता का जिक्र किया था और यह संकेत भी दिया था कि इन उपक्रमों के संचालन की कमियों को, जहां कहीं वे हों, दूर करने के उपाय किये जा रहे हैं।

(ख) कुछ सरकारी उपक्रमों में अनुकूलतम कार्यकुशलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं और उनको दूर करने के लिए किये गये उपाय 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-ज्ञापन' नामक पुस्तिका में बताये गये हैं जो 28 फरवरी, 1969 को बजटपत्रों के साथ परिचालित की गयी थी।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकारी उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देने, मुख्य सरकारी उपक्रमों का कार्यभार प्रबन्ध के क्षेत्र में सफल व्यक्तियों को सौंपने, मुख्य-कार्यपालकों को, जो कामयाब साबित नहीं हुए हैं, हटाने, सरकारी उपक्रमों के संचालन में प्रबन्ध सम्बन्धी आधुनिक तकनीकों को प्रचलित करने में सहायता देने, आदि जैसे विभिन्न उपाय अपना कर सरकार इन उपक्रमों के प्रबन्ध में सुधार करने का लगातार प्रयत्न करती रही है। सरकार की हमेशा यह इच्छा रही है कि सरकारी उपक्रमों को इस प्रकार से चलाया जाय कि वे अपने सभी उद्देश्यों को, जिसमें लाभ कमाना भी शामिल है, पूरा कर सकें।

भूरे (ग्रे) कपड़े के निर्माताओं पर उत्पादन शुल्क

100. **श्री एस० आर० दामानी:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूरे कपड़े के निर्माताओं पर पहले उत्पादन शुल्क सबसे कम था तथा शुल्क उस कपड़े को तैयार करने के प्रक्रिया के कारण बढ़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपड़े की कुछ निर्धारित किस्मों पर नये यथा मूल्य शुल्क के अन्तर्गत ऐसा कोई अन्तर नहीं किया गया है तथा अन्य अनिर्धारित ऐसी किस्मों के सम्बन्ध में अन्तर अभी भी है जो निर्धारित शुल्कों के अन्तर्गत आती है ; और

(ग) जब कुछ किस्मों के बारे में यथा मूल्य शुल्क लगाने का विचार किया गया था तो यह अन्तर दूर करने के क्या कारण थे तथा क्या सरकार इस मामले पर नये सिरे से विचार करना चाहेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सूती कपड़ों की कुछ किस्मों पर मूल्यानुसार शुल्क इस बात को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था कि जब बजट से पूर्व कपड़ों की इन किस्मों का शुल्क निर्धारण, विशिष्ट दरों के अनुसार किया जाता था तब इन किस्मों पर, उसी मूल स्तर के अन्य कपड़ों की तुलना में कम शुल्क आयद होता था। फिलहाल, सूती कपड़ों की इन कीमती किस्मों पर शुल्क की दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

टाटा उर्वरक परियोजना

101. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री क० लकप्पा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बेधर बेहेरा :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री गु० च० नायक :
श्री एस० जेवियर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प० मु० सईद :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री द० रा० परमार :
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीठापुर में उर्वरक का एक कारखाना खोलने का टाटा बन्धुओं का प्रस्ताव अन्तिम रूप से समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने टाटा परियोजना को स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं तथा मामला किस अवस्था में है तथा इस मामले में निर्णय करने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(घ) प्रस्ताव में कुछ विशेष लक्षण हैं ; जिनकी समस्त दृष्टिकोण से ध्यानपूर्वक जांच करने की जरूरत है । प्रवर्तकों ने भी इंगित किया है कि वे कुछ पुनरीक्षणों पर विचार कर रहे हैं । यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ।

भाखड़ा गांव का विद्युतीकरण

102. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा गांव में, जिसके नाम पर विशाल भाखड़ा बांध का

नाम रखा गया है, अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). भाखड़ा ग्राम के विद्युतीकरण के लिये 3 मास पूर्व निर्देश दिये गये थे । कार्य चल रहा है ।

मैसर्स हिन्द गैलवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों का सम्भरण

103. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 14 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तब से सारी सूचना एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लग जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार कम्पनी 2,50,000 बैरलों (ढोलों) की सप्लाई के लिये वचनबद्ध थी जिसका अंश भारतीय तेल निगम के इस्पात में से प्राप्त किया जा सकता था । इसको ध्यान में रखते हुए जबकि मध्यस्थ के पंचाट में बताया गया था कि हिन्द गैलवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी ढोलों की शेष मात्रा की सप्लाई के बन्धन से मुक्त नहीं की जा सकती, इससे इस्पात के स्रोत के बारे में, जिससे ढोलों को तैयार किया जाता था, क्रय आदेश की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

मैसर्स हिन्द गैलवनाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा अन्य तेल कम्पनियों को सप्लाई किये गये ढोलों के बारे में भारतीय तेल निगम के पास कोई सूचना नहीं है । उन्होंने भारतीय तेल निगम को सूचित किया था कि उन्हें कोल्ड रोल्ड स्टील प्राप्त नहीं हो रहा है ।

मध्यस्थ पंचाट के बाद, भारतीय तेल निगम और मैसर्स हिन्द गैलवनाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारतीय तेल निगम को हिन्द गैलवनाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी को 75,267 ढोलों का इस्पात सप्लाई करना था और हिन्द गैलवनाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी को 31 दिसम्बर, 1968 से पहले अपने कोल्ड रोल्ड इस्पात से 36,000 ढोलों की सप्लाई करनी थी बशर्ते कि निर्माताओं के पास इस्पात उपलब्ध हो । मैसर्स हिन्द गैलवनाइजिंग इन्जीनियरिंग कम्पनी ने 31 दिसम्बर, 1968 तक अपने कोल्ड रोल्ड इस्पात में से

36,000 ढोलों में से 15,079 ढोलों की सप्लाई की। शेष ढोलों के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें कोल्ड रोल्ड इस्पात की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं हो रही और वे कोल्ड रोल्ड इस्पात के ढोलों की सप्लाई तब करेंगे जब उन्हें कोल्ड रोल्ड इस्पात उपलब्ध होगा। अपनी जरूरतों की आवश्यकता पर विचार करते हुए और हिन्द गैलवनाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी के निर्माण की कम दर का लाभ उठाने के लिये, भारतीय तेल निगम ने 31-12-1968 तक दिये जाने वाले शेष 20,921 ढोलों के लिये अपने इस्पात को सप्लाई करने का निर्णय किया। समझौता भंग नहीं हुआ है और मैसर्स हिन्द गैलवनाइजिंग और इन्जीनियरिंग कम्पनी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल शोधक कारखानों द्वारा गाज इस्पात चादरों का आयात

104. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विटूमन ड्रम बनाने के लिये प्रत्येक तेल शोधक कारखाने द्वारा 1966 से लेकर 1968 तक आयात की गई 24 गाज की इस्पात चादरों का विशिष्ट विवरण क्या था तथा उनकी लम्बाई चौड़ाई कितनी थी ;

(ख) ऐसे प्रत्येक तेल शोधक कारखाने ने इन वर्षों में ऐसी चादरों का आयात करने के लिये लागत, बीमा, भाड़ा सहित प्रति टन कितना मूल्य दिया ;

(ग) ऐसी आयातित इस्पात चादरों के एक मीट्रिक टन से मैसर्स वर्मा शैल रिफाइनरी ने औसतन कितने विटूमन ड्रम बनाये ; और

(घ) मैसर्स एस्सो स्टैंडर्ड रिफाइनरी कम्पनी तथा कालटैक्स रिफाइनरीज ने ऐसी आयातित विटूमन ड्रम चादरें सप्लाई करके निर्माताओं से प्रत्येक मीट्रिक टन में से औसतन कितने विटूमन ड्रम प्राप्त किये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). संलग्न विवरण-पत्र में ब्योरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1269/69]**

(ग) आयातित इस्पात के एक टन से तैयार किये गये ड्रमों की संख्या अलग से उपलब्ध नहीं है। किन्तु 1966-68 के दौरान दोनों आयातित एवं देशीय इस्पात के प्रति टन से तैयार किये गये ड्रमों की सही संख्या निम्न प्रकार है :

1966	98.93
1967	92.06
1968	97.38

(घ) मैसर्स एस्सो स्टैण्डर्ड और कालटैक्स शोधन शालाओं की इस्पात के एक मीटरी टन से उपलब्ध विटूमन ड्रमों की औसतन संख्या क्रमशः 94 और 97 है ।

कांसे की खपत और आवश्यकता

105. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा : **डा० सुशीला नैयर :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में देश में कांसे की कुल खपत और वास्तविक आवश्यकता कितनी थी ;

(ख) उक्त अवधि में इसकी कितनी मात्रा आयात की गई और देश में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) देश में "सिलवरी ब्रोन्ज" नामक एक नये वैकल्पिक उत्पाद, जिसे इंडियन पेटेंट विशिष्ट विवरण संख्या 87430 के अन्तर्गत पेटेंट किया गया है और जिसे आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, के उत्पादन से कितनी बचत होने की आशा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फारस की खाड़ी में डुबाई से सोने की तस्करी

106. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री म० ला० सोंधी : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 मई, 1969 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए वह समाचार देखा है जिसमें बताया गया है कि फारस की खाड़ी में स्थित छोटे शेख राज्य डुबाई से भारत में प्रति वर्ष 1500 लाख डालर का सोना तथा अन्य माल चोरी-छिपे लाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) भारत में चोरी-छिपे माल लाये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत में तस्कर आयात और निर्यात की समस्या की ओर सरकार का ध्यान लगा हुआ है।

तस्कर आयात निर्यात को रोकने के लिए सारे देश में दृढ़ उपाय किये जा रहे हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में विशेष व्यवस्थित सतर्कता बरती जा रही है जिसमें सम्यक रूप से गुप्त सूचना इकट्ठा करने और कर्मचारियों को तैनात करने के उपाय भी शामिल हैं। चोरी छिपे रूप में लाई गयी वस्तुओं का पता लगाने की सहूलियत के लिए हाल ही में सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में भी संशोधन किया गया है।

Levy of Wealth Tax in 1968-69

108. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of persons in the country who have been levied wealth-tax during 1968-69; and

(b) whether Government propose to assign the responsibility of levying and recovering wealth tax to State Governments?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) The number of persons in the country who have filed their Wealth-tax returns voluntarily or against whom notices under section 14 (2) of the Wealth-tax Act, 1957 have been issued for Assessment year 1968-69 is 1,05,934.

(b) No, Sir.

Recovery of Taxes by States

109. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government propose to assign the responsibility of assessing and collecting Income-tax and Estate duty to State Government; and

(b) if so, from which date and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi). (a) No, Sir.

(b) Under the Constitution, taxes on income other than agricultural income and estate duty in respect of property other than agricultural land can be levied only by Parliament and not by any State Legislature. Estate duty on agricultural land though leviable by the States under the Constitution is being levied by Parliament and collected by the Central Government, in respect of all States other than West Bengal and Jammu and Kashmir, in pursuance of Resolutions passed in this behalf by State Legislatures under Article 252 of the Constitution. In the light of this position under the Constitution, the question of assigning to the States the work of assessing and collecting income-tax and estate duty does not arise. From the administrative point of view, the present system has been working satisfactorily. For the sake of uniformity, it is also necessary to continue the existing system.

Uniform rates of Power for Irrigation Purposes

110. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the rate at which power is provided to agriculturists of various States for irrigation purposes ;

(b) whether Government propose to levy uniform rates in all States ; and

(c) the names of States which recover the expenditure incurred on extending the electric line to wells from cultivators ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The electricity is supplied to farmers for agricultural purposes at the rates as shown in the Annexure enclosed, by the State Electricity Boards. **[Placed in Library. See No. LT-1270/69].**

(b) It will not be possible at this stage to levy uniform rates in all States. All India Grid should be formed before any such step can be taken.

(c) Excepting Haryana all the other States collect service connection charges at varying rates.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता में कमी

111. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कमी करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) भारत को किन साधनों से वित्तीय सहायता मिलने की आशा है और क्या उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) हमें विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मित्र देशों से विकास के लिए सहायता प्राप्त होने की आशा है । सहायता की शर्तें अलग-अलग होती हैं और वे सहायता के स्वरूप और स्रोत पर निर्भर रहती हैं ।

आसाम और उत्तर बंगाल में बाढ़

112. **श्री हेम बरुआ :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री तुलसीदास दासप्पा : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम और उत्तरी बंगाल में बाढ़ आने का खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षत्रों में बाढ़ को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भूमि के कटाव से पहले ही आसाम के धुबरी नगर को खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो नगर को इस गम्भीर खतरे से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) असम में ब्रह्मपुत्र नदी में और उत्तरी बंगाल की नदियों में बाढ़ें लगभग हर साल आती हैं ।

(ख) राज्य सरकारों ने तट बंध, नगर सुरक्षा कार्य, कटाव रोधी कार्य इत्यादि जैसे बाढ़ नियंत्रण उपायों का काम हाथ में लिया है और ये सब कार्य इस समय जारी हैं, जो पूर्ण हो जाने पर बाढ़ों से होने वाली क्षति में काफी कमी कर सकेंगे ।

(ग) जनवरी, 1969 से धुबरी नगर के निकट भंयकर कटाव हो रहा है, जिसका धुबरी नगर के कुछ भागों पर असर पड़ा है ।

(घ) कटाव को रोकने के लिये अस्थाई, सुरक्षा उपाय किए गए हैं जैसे बांसों के बेड़े बनाकर छोड़ना, बहते हुए पिंजड़े इत्यादि । स्थायी उपायों के बारे में अन्वेषण हो रहा है ।

पोंग बांध का पूर्ण रूप से निर्माण

113. **श्री हेम राज :** **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री झा० सुन्दर लाल : **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **श्री भोला नाथ मास्टर :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने के लिये 27 करोड़ रुपयों के अलावा, जिनकी चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में व्यवस्था की गई है, अधिक धन मांगा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि इस धन की व्यवस्था न की गई तो पोंग बांध को पूरा करने के काम में देरी हो जायेगी तथा पोंग बांध के निर्माण से विस्थापित हुए व्यक्तियों को फिर से बसाने के काम में देरी हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान नहर के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के प्रश्न को योजना आयोग के साथ उठाया गया है। स्थिति का पुनरवलोकन पांचवें वित्तीय आयोग की सिफारिशें उपलब्ध हो जाने के पश्चात किया जायेगा।

राजस्थान के पोंग बांध क्षेत्र में भूमि की खरीद

114. **श्री हेम राज :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, आसाम, दिल्ली तथा पंजाब में कई धनी व्यक्ति पोंग बांध क्षेत्र में, जो जलमग्न हो जाएगा, भूमि खरीद रहे हैं ताकि उन्हें राजस्थान में पुनर्वास के लाभ प्राप्त हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितनी भूमि खरीदी है तथा इस प्रकार के जाली विक्रय को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के कुछ व्यक्तियों ने (परन्तु बम्बई और असम के किसी भी व्यक्ति ने नहीं) पोंग बांध क्षेत्र में भूमि खरीदी है।

(ख) लगभग 26 एकड़ तक भूमि खरीदी गई है। किन्तु ऐसे नये खरीदारों को राजस्थान में पुनर्वास के लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिये विस्थापितों की परिभाषा में उचित रूप से संशोधन करने के हेतु पग उठाए जा रहे हैं।

Committee of Experts to Assess the Success of Schemes for Expansion of Electricity, Irrigation and Flood Control

115. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute a Committee of Experts to assess the success of schemes for expansion of electricity, irrigation and flood control ; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard and the details of the constitution and terms of reference of the Committee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). At the Conference of State Ministers of Irrigation and Power held at Nainital in May, 1969, it was recommended that suitable machinery should be set up by the State Governments for purposes of evaluation of benefits from irrigation, flood control and power projects. This recommendation of the Conference has been commended to the State Governments for implementation.

In addition, the Government of India have, in consultation with the State Governments, set up an Irrigation Commission to review the irrigation development and related problems in the country. The composition and terms of reference of the Commission are appended. **[Placed in Library. See No. LT-1271/69]**

महालेखापाल, बिहार के कार्यालय में अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

117. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है महालेखापाल, बिहार के कार्यालय में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिन्होंने अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के रूप में नौकरी ले ली है हालांकि वे ऐसी आदिम जातियों के सदस्य नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के नाम, उन पदों के नाम जिन पर वे कार्य कर रहे हैं, उनकी आदिम जाति के नाम दर्शाने वाली पूरी सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में अनधिवासी परिवारों का पुनर्वास

118. **श्री कार्तिक उरांव** :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 तक दिल्ली में कितने अनधिवासी परिवारों को बसाया जाना था ;

(ख) उनमें से कितने परिवारों को उक्त तिथि तक वास्तव में बसाया गया ;

(ग) मार्च, 1967 के बाद से अप्रैल, 1969 तक कितने अनधिवासी परिवारों को बसाया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि मार्च, 1967 तक अपेक्षित संख्या में अनधिवासी परिवारों को नहीं बसाया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेवार थे और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मार्च, 1967 तक पुनः बसाये जाने वाले अनधिवासी परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ था । तथापि, 1960

में जब यह योजना बनाई गयी थी तब सार्वजनिक भूमि पर अनधिवास करने वाले परिवारों की संख्या अनुमानत: 50,000 थी ।

(ख) 22,555

(ग) 17,436

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पुन: बसाने के लिये कोई निश्चित लक्ष्य ही नहीं था ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में आवश्यकता से अधिक भूमि का अर्जन

119. **श्री कार्तिक उरांव :** **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मार्च, 1967 तक कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि आवश्यकता से बहुत अधिक भूमि अर्जित की गई थी; यदि हां, तो आवश्यकता से अधिक भूमि के अर्जन के लिए कौन जिम्मेवार है और इससे सरकार को कितनी हानि हुई है ;

(ग) आवश्यकता से अधिक भूमि के अर्जन के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली में "बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटान" की योजना के अन्तर्गत मार्च, 1967 तक 5214.12 एकड़ भूमि का अर्जन अन्तिम रूप से किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में मादीपुर, नांगलोई, हस्तल नामक झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में प्लाट बदलने के लिए अनुमति

120. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मादीपुर, नांगलोई तथा हस्ताल में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों

में एक खण्ड / स्थान से दूसरे खण्ड / स्थान में प्लाट बदलने की अनुमति दी गई है;

(ख) अलाटियों के नाम क्या हैं और (नये तथा पुराने) प्लाटों की संख्या क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मादीपुर और हस्ताल में एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में कुछ प्लाट बदलने की अनुमति दी गई । नांगलोई में ब्लाक बदलने की कोई अनुमति नहीं दी गई ।

(ख) एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 1272/69]

(ग) पारस्परिक अदला-बदली या अन्य अनिवार्य कारणों से बदलने की अनुमति दी गई ।

दिल्ली की मादीपुर नामक झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती में प्लाटों के आवंटन में अनियमितता

121. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी, मादीपुर में प्लाटों के आवंटन के बारे में अनियमितताओं के सम्बन्ध में (दिल्ली विकास प्राधिकार के अन्तर्गत झुग्गी-झोंपड़ी योजना में कार्य कर रहे) अधिकारियों के विरुद्ध सम्बन्धित विभाग को कोई शिकायतें भेजी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं ; उनके नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). जे० जे० कालोनी, मादीपुर में प्लाटों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई । जे० जे० कालोनी में कमियों तथा आवंटनों के बारे में जे० जे० कालोनी मादीपुर तथा अन्य जे० जे० कालोनियों के संबंध में सामान्य अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं जिनकी जांच गुण और दोष के आधार पर की जाती है तथा उचित कार्यवाई की जाती है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन झुग्गी-झोंपड़ी योजना में प्रतिनियुक्ति अधिकारी

122. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों / विभागों से दिल्ली विकास प्राधिकार के अन्तर्गत झुग्गी-झोंपड़ी योजना में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को उनके राज्यों / विभागों को वापस भेजने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों का सामान्य प्रत्यावर्तन के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऐसा प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण की रचना के अनुरूप नहीं होगा जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों / राज्यों से विशेष शर्तों पर अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं।

दिल्ली को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई

123. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को बिजली भाखड़ा नंगल परियोजना से सप्लाई की जाती है तथा पंजाब को बिजली दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम से सप्लाई की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी बिजली सप्लाई की गई तथा प्रत्येक मामले में बिजली किस दर से सप्लाई की जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम, उत्तर प्रदेश को बिजली बेच रहा है;

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि पंजाब को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण उस राज्य के उद्योग और कृषि का विकास रुक रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या भाखड़ा तथा नंगल परियोजना से दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को बिजली की सप्लाई बन्द करने अथवा कम करने का सरकार का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भाखड़ा बिजली प्रणाली दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को 80 मैगावाट तक बिजली की सप्लाई कर रही है। भाखड़ा प्रणाली के जलाशयों में पानी की विकट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 80 मैगावाट की स्वीकृत बिजली मात्रा में अपनी सप्लाई को कम करके भाखड़ा प्रणाली को राहत प्रदान की। यह राहत 25 दिसम्बर, 1968 से लेकर 15 मई, 1969 तक, 10 मैगावाट और 40 मैगावाट के बीच भिन्न-भिन्न मात्राओं में दी गई। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को भाखड़ा प्रणाली से सप्लाई की जाने वाली बिजली की औसत दर 4.36 पैसे प्रति यूनिट है। भाखड़ा प्रणाली को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा राहत के तौर पर दी गई बिजली पर जो दर लगाई गई है वह उत्पादन लागत और खरीदी गई बिजली की लागत के फर्क के बराबर है। उत्पादन लागत अनन्तिम तौर पर 11 पैसे प्रति यूनिट निश्चित की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). भाखड़ा नांगल परियोजना से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सप्लाई होने वाली बिजली में कटौती के प्रस्ताव का आधार बिजली सप्लाई संबंधी समझौते की वे शर्तें होंगी जिन पर इस समय दोनों पक्षों के बीच बात-चीत चल रही है।

राजस्थान के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए चिकित्सा सहायता

124. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री जय सिंह :
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले के अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में मृत्यु दर के अधिक होने के समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता के लिए विशेषतया चिकित्सा सहायता के लिए प्रार्थना की है या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई सहायता दी है; और

(ग) बाड़मेर जिले में मृत्यु दर अखिल भारतीय मृत्यु दर की तुलना में कितनी अधिक अथवा कम है, गत तीन वर्षों में रोगों को नाश करने में कितनी सफलता मिली है और इस मामले में अग्रेतर सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । दिल्ली से जांच-दल भेजे गये थे तथा औषधियां दी गईं ।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना में सामग्री उतारने चढ़ाने वाला संयंत्र

126. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंजीनियरी, परामर्शदात्री तथा डिजाइन सेवाओं तथा तकनीकी जानकारी के बारे में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के बारे में अपनी घोषित नीति के अनुसार सरकार एक भारतीय सलाहकार फर्म को बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या 5 के लिये सामग्री उतारने चढ़ाने वाले संयंत्र के परामर्श तथा डिजायन बनाने का काम सौंपने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर सकी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): परामर्शदाता-सेवाओं के बारे में आये हुए प्रस्ताव राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के विचाराधीन हैं ।

भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय स्मारक

127. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति के लिए जिनकी पदासीन होते हुए मृत्यु हुई है, राष्ट्रीय स्मारक बनाने हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या स्मारक बनाने के लिए स्थान अन्तिम रूप से चुन लिया गया है ; और

(ग) इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि राष्ट्रपति के स्मारक में भारतीय वास्तुकला की झलक हो ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Repayment of Foreign Loans

128. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Abdul Ghani Dar :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Gunanand Thakur :
Shri Nath Pai :
Shri N. R. Deoghare :
Shri Baburao Patel :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent to which India has to repay the loans to various foreign countries as on the 30th June 1969, the nature of those loans and the amount of interest and the principal required to be paid annually and the currency in which are to be paid ; and

(b) the details of the scheme formulated by Government of India to repay the above loan and interest thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Foreign loans received by Government fall into three broad categories. They are (i) loans repayable in foreign Currency, (ii) loans repayable through export of goods and (iii) loans repayable in Indian rupees.

The amounts of principal and interest due under the first category are paid in the currency of the foreign country/agency concerned while the payments due in respect of the second category of loans are made through the export of Indian goods to the lending countries. Payments in respect of the third category of loans are made initially and finally in rupees.

A statement containing the outstanding debt liability of the Government of India as on the 31st May 1969 (upto which date only the figures are readily available) is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-1273/66]**

While the repayments of principal are made in accordance with the amortisation schedules applicable to each agreement, the amount of interest payable on the loans is calculated from year to year on the basis of the interest rate applicable to the loan in relation to the drawals of the loans and the repayments falling due. These amounts will, therefore, vary from year to year. During the current year (1969-70) a sum of Rs. 203.06 crores is payable by the Government of India towards repayment of principal and another sum of Rs. 156.58 crores by way of interest charges on foreign loans.

(b) The repayment of the loans and interest payments thereon are made in accordance with the provisions of the relevant loan agreements. The payments due on the first and second categories are made from our export earnings. The payments due under the last category are made from the rupee resources of the Government.

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता

129. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये बहुत अधिक राशि की सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) अब तक किये गये व्यय का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). जी नहीं । फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ जनविद्या प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई के लिये विदेशी विशेषज्ञों, शिक्षा वृत्तियों और उपकरणों के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है । 1957 से प्राप्त ऐसी सहायता का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	विशेषज्ञ अमरीकी डालर में लागत	उपकरण अमरीकी डालर में लागत	अमरीकी डालर में कुल लागत
1957	13,126	8,909	22,035
1958	15,218	—	15,218
1959	11,389	—	11,389
1960	—	—	—
1961	9,827	—	9,827
1962	9,554	—	9,554
1963	18,832	—	18,832
1964	15,442	386	15,828
1965	20,025	—	20,025
1966	394	—	394
1967	22,000	—	22,000
1968	7,200	—	7,200
			152,302

1969 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार नियोजन सम्बन्धी द्वितीय मूल्यांकन दल के भारत दौरे का खर्च भी वहन किया ।

गांधी शताब्दी वर्ष में ग्राम विद्युतीकरण

130. **श्री राम चरण :** **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गांधी शताब्दी वर्ष में (2 अक्तूबर, 1970 तक) एक लाख गांवों को बिजली देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रत्येक राज्य द्वारा कुल कितना धन व्यय किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इन एक लाख गांवों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। धन की उपलभ्यता के अनुसार गांधी जन्म शताब्दी वर्ष के अन्त तक, अर्थात् 2 अक्तूबर, 1970 तक देश में कुल एक लाख गांवों में बिजली लगा देने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग). राज्यवार संभावित परिव्यय और लक्ष्यों के बारे में तभी ज्ञात हो सकेगा जब राज्य इस उद्देश्य के लिये अपने उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन कर लेंगे और अपने कार्यक्रम को भी निर्धारित कर लेंगे।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को दुकानों का नियतन

131. **श्री रामचरण : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को नियत करने के लिये कुछ दुकानें रक्षित रखी गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन 13 दुकानों में से, जो रक्षित रखी गई हैं, 5 दुकानें मोहन सिंह मार्केट में हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तीन अथवा चार बार टेंडर मांगे गये हैं परन्तु किसी भी व्यक्ति ने इन दुकानों का आर्थिक किराया भी देने का प्रस्ताव नहीं किया है क्योंकि दुकानें मार्किट के पिछले हिस्से में स्थित हैं जहां किसी भी व्यापार के चलने के कोई अवसर नहीं हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि आई० एन० ए० कालोनी के डेरी मालिकों ने इन दुकानों के लिये 25 रुपये माहवार किराया देने की पेशकश की है जबकि टेंडर में इन दुकानों का किराया 180 रुपये माहवार दिखाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां । दिल्ली में कुछ दुकानें अनुसूचित जाति के सदस्यों को आवंटन के लिये सुरक्षित कर दी गयी हैं (दिल्ली में कोई अनुसूचित आदिम जाति नहीं हैं ।)

(ख) अनुसूचित जातियों के लिये 8 दुकानें सुरक्षित कर दी गयी हैं, जिनमें से 5 मोहन सिंह मार्केट में स्थित हैं ।

(ग) टेंडर चार बार मांगे गये थे तथा इस बाजार के पिछले भाग में 48 दुकानों में से केवल 5 दुकानों को टेंडर के आधार पर आवंटित किया जा सका । अन्य कुटेशनों पर एकोनोमिक रेन्ट से कम होने के कारण आवंटन के लिये विचार नहीं किया जा सका । टेंडरों के प्रति अच्छी प्रक्रिया न होने के कारणों का पता नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) कारणों का पता नहीं ।

रासायनिक पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध

132. **श्री रामचरण : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधियां बनाने के काम में आने वाले कुछ रासायनिक पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन रासायनिक पदार्थों के नाम क्या हैं ; और

(ग) किन-किन अन्य रासायनिक पदार्थों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है जो औषधियां बनाने के प्रयोग में लाये जाते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . रसायनों की सूचियां, जिनकी औषध और भेषज उद्योग को आवश्यकता होती है और जिनकी बिना रोक-टोक या सीमित आधार पर आयात की अनुमति है या प्रतिबंधित हैं ; इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल पालिसी बुक के परिपृष्ट 19 और 28 में दी गई हैं ।

मैसर्स अमींचन्द प्यारे लाल

133. **श्री जय सिंह :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल के श्री सुरेश कुमार द्वारा किये गये सौदों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस मामले से सम्बन्धित पक्षों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 के उत्तर में 29 जुलाई, 1968 को बताया गया था कि नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल, कलकत्ता के श्री सूरज पाल के नाम भेजे गये पत्र की फोटो-नकल प्रवर्त्तन निदेशालय को प्राप्त हुई थी जो श्री सुरेश कुमार को अदायगी के लिये पौंड 461-12-7 की 23 अक्तूबर, 1959 को टी० टी० प्राप्त होने के बारे में था। यह प्रत्यक्ष है कि विदेशी मुद्रा बैंक की मार्फत प्राप्त हुई है। यह लेन-देन वर्ष 1959 का है और बैंक के वे रिकार्ड अब उपलब्ध नहीं हैं जिनसे पता चल पाता कि इस लेन-देन में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमनों का कोई उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। प्रवर्त्तन निदेशालय ने बताया है कि इस मामले में आगे जांच की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है और इसलिये जांच बन्द कर दी गई है।

उत्तरीय क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन

134. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी क्षेत्र के राज्यों की बिजली की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ख) उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के कारखानों का कुल उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक परियोजनाओं और नलकूपों के तीव्र विस्तार के कारण मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है और यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या सहायता दे रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). आशा है कि उत्तरी क्षेत्र में 1969-70 तक बिजली की कुल मांग लगभग 2750 मैगावाट हो जायेगी जबकि कुल वास्तविक बिजली लगभग 2075 मैगावाट ही उपलब्ध हो सकेगी।

(ग) और (घ) . जबकि उत्तरी क्षेत्र में बिजली की मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी ; चौथी योजनावधि में बिजली के कम सप्लाई होने की सम्भावना है। किन्तु वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण, इस क्षेत्र में विविध राज्यों की बिजली प्रणालियों के समेकित प्रचालन से उपलब्ध उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपभोग को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही कर दी गई है। इस उद्देश्य से, अन्तर्राज्यीय पारेषण सम्पर्कों के निर्माण के लिये पृथक् रक्षित केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त चौथी योजना के दौरान इस क्षेत्र में कार्यान्वियनार्थ नई बिजली उत्पादन स्कीमों पर विचार किया जा रहा है।

भाखड़ा परियोजना के स्वामित्व का दावा

135. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा सरकारें भाखड़ा परियोजना के एक मात्र स्वामित्व तथा नियंत्रण के दावे कर रहे हैं ;

(ख) उनके दावे तथा जवाबी दावे क्या हैं ;

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी भाखड़ा परियोजना पर अपना दावा किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . भाखड़ा परियोजना का प्रशासन, अनुरक्षण और प्रचालन इस समय भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड को सौंपा हुआ है, जिसको पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अधीन गठित किया गया है। इस बोर्ड में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधि हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों की सरकारें इस परियोजना के ऊपर अपने-अपने पूर्ण नियंत्रण का दावा कर रही हैं।

(ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी यह भावना व्यक्त की है कि इस परियोजना का स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंध उसे सौंप दिया जाये। भाखड़ा परियोजना का निर्माण राजस्थान सरकार और संघटित पंजाब की सरकार ने सांझे तौर पर किया था और इस परियोजना में राजस्थान सरकार का अंश पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। परन्तु राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के ऊपर अपने पूर्ण नियंत्रण का कोई दावा पेश नहीं किया है। बल्कि, वे तो इस बात का विरोध करते हैं कि इसका पूर्ण नियंत्रण किसी एक ही राज्य को सौंपा जाये।

इन्द्रावती परियोजना

136. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में इन्द्रावती सिंचाई परियोजना को चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में शामिल किये जाने की संभावना है ; और

(ख) परियोजना पर कितना व्यय किये जाने का अनुमान है और इसके अन्तर्गत कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि अपर इन्द्रावती परियोजना के चरण 1 को चौथी योजना में शामिल कर लिया जाये । चौथी योजना में शामिल करने के लिये नई स्कीमों की सूची को अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत स्कीम की अनुमानित लागत 24.20 करोड़ रुपये है और इससे हर साल 3,13,600 एकड़ भूमि की सिंचाई होने की संभावना है ।

एशियायी विकास बैंक

137. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में हाल ही में हुई एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैठक में भारत ने प्रस्ताव किया है कि विकासशील देशों द्वारा निर्यात के लिये ऋण की जो पेश-कश की गई है, उसके लिये पुनर्वित्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर एशियायी विकास बैंक विचार करे ताकि निर्मित वस्तुओं के विक्रय के मामले में वे अपनी प्रतियोगिता शक्ति बढ़ा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अप्रैल, 1969 में सिंगापुर में हुये एशिया और सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग के 25वें वार्षिक अधिवेशन में एशियाई विकास बैंक के क्रियाकलाप की समीक्षा के संबंध में बोलते हुये भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने बैंक की दूसरी वार्षिक बैठक में पहले किये गये इस प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित किया कि बैंक विकासशील देशों से पूंजीगत माल का निर्यात करने को प्रोत्साहन देने के लिये निर्यात ऋण के पुनर्वित्त की उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करने पर विचार करे ।

मामला बैंक के विचाराधीन है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एक प्रोफेसर द्वारा नेशनल फोरम की स्थापना

138. **श्री अ० दीपा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के एक वरिष्ठ प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष ने नेशनल फोरम के नाम से एक राजनैतिक संस्था बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस फोरम के संसाधनों की कोई जांच की है तथा क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है कि इस फोरम को विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ग) क्या किसी चिकित्सा संस्थान तथा अस्पताल में ऐसे फोरम की स्थापना की अनुमति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारतीय नेशनल फोरम एक समिति है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत है और इस समिति का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इस संस्थान के नेत्र विज्ञान के प्राध्यापक व्यक्तिगतरूप में इस समिति के सेक्रेटरी जनरल हैं।

(ख) इस समिति के नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसके वित्तीय-स्रोत सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला चन्दा, संस्थाओं तथा व्यक्तिगतरूप से दिया गया दान है। समिति को किसी विदेशी पूंजी के प्राप्त होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). भारतीय नेशनल फोरम की स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नहीं हुई है।

उड़ीसा के दैत्री खानों से प्राप्त लौह-अयस्क का निर्यात

139. **श्री रबिराय : क्या पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एक संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने दैत्री खानों से उड़ीसा में पारादीप पत्तन से जापान को लौह-अयस्क निर्यात करने के मामले में धांधली की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) दैत्री खानों से प्राप्त लौह-अयस्क को जापान को पुनः निर्यात करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). इस विषय में श्री रबिराय, संसद सदस्य से प्राप्त दिनांक 16 मई, 1969 के पत्र की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1274/69]**

(ग) दैत्री अयस्क को जापान तथा अन्य देशों में बेचने के प्रयास जारी हैं।

नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस को सरकार के अधिकार में लिया जाना

140. **श्री रबिराय :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस को, जहां गांधी जी का निधन हुआ था, सरकार द्वारा अधिकार में लिये जाने के बारे में वे श्री जी० डी० बिड़ला से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) देश में बिड़ला हाउस को सरकार द्वारा अधिकार में लिये जाने के पक्ष में जनमत को ध्यान में रखते हुये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Underground Drinking Water from Bed of Yamuna River

141. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have undertaken the task of digging with a view to find out the underground drinking water from the bed of the Yamuna river ;

(b) if so, the outlines of the scheme ;

(c) the additional quantity of water likely to be made available for the public of Delhi and by what time ; and

(d) the total expenditure to be involved thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The scheme consists of sinking an RCC well of 4 meters below the bed of the river. The bottom of the well is plugged by concrete. Slotted pipes of 300 mm dia. are driven horizontally is 8 to 10 radial directions for a total length of 550 metres. The underground water percolates through the collector pipes into the well and the same is pumped to the distribution system.

(c) The additional quantity will be 2.5 million gallons per day and the same is likely to be supplied to the public before summer, 1970.

(d) The expenditure involved for both Civil and Mechanical works for the well portion amounts to Rs. 15 lakhs approximately.

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये भाड़ा

142. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये सरकार ने जहाजी कम्पनियों को भाड़े के रूप में प्रति टन कितनी राशि दी है ;

(ख) क्या ये आयातित उत्पाद खरीदे गये थे और टेंडर मांगने के बाद उठाये गये थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) सरकार स्वयं पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को प्रत्यक्ष रूप से देख-रेख नहीं करती है इसलिये सरकार द्वारा जहाजी कम्पनियों को भाड़ा की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) और (ग). इस समय पेट्रोलियम उत्पादों में से केवल विमानन गैसोलीन की कतिपय किस्में, मिट्टी का तेल और लुब्रीकैण्ट्स, तेल कम्पनियों द्वारा आयातित किये जाते हैं । जब कभी विमानन गैसोलीन की आवश्यकता होती है, तब तेल कम्पनियों से कोटेशन्स प्राप्त करने के बाद इसकी लघु मात्रा आयातित की जाती है । पहले से तय और सरकार द्वारा स्वीकृत हुए मूल्यों पर भारतीय तेल निगम रूस से मिट्टी के तेल का आयात करता है । लुब्रीकैण्ट्स मुख्यत: अमरीकी (सहायता) निधि में से आयात किये जाते हैं । इसके बारे में पद्धति यह है कि अमरीका में प्रतियोगी बोलियों के बाद इन्हें प्राप्त किया जा सकता है किन्तु इस शर्त की छूट के अन्तर्गत जो सोल एजेंसी को लागू है, विभिन्न तेल कम्पनियां अमरीका में अपनी-अपनी मुख्यालयों/सम्बद्ध संस्थाओं से रियायती दरों पर लुब्रीकैण्ट्स का आयात करती रहती हैं । पहले से तय और सरकार द्वारा स्वीकृत हुए मूल्यों पर भारतीय तेल निगम की मार्फत लुब्रीकैण्ट्स का आयात रुपया स्रोत से किया जाता है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

143. **श्री प० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (केरल) के निदेशक बोर्ड ने प्रबन्धक निदेशक को मन्नाम शूगर मिल्स कोआपरेटिव सोसाइटी से आवश्यक जमानत जो 31 दिसम्बर, 1968 को 6,13,512 रुपये की बनती थी, लेने के लिये समुचित उपाय करने का अधिकार दिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धक निदेशक द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा बकाया रकम की अदायगी तक या वैकल्पिक तौर पर बकाया तथा उस धनराशि की जो भविष्य में होने वाली सप्लाई के कारण होगी, राज्य सरकार से गारण्टी प्राप्त होने तक, कम्पनी ने उक्त सोसायटी को उर्वरकों की सप्लाई बन्द कर दी है । केरल सरकार का मन्नाम शूगर मिल्स कोआपरेटिव सोसायटी में काफी हिस्सा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तलकर्षक के पुर्जों के आयात के लिये गुजरात सरकार को विदेशी मुद्रा

144. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तलकर्षक के कल-पुर्जों का आयात करने के लिये गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1.25 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हां । गुजरात सरकार ने एक प्रार्थना-पत्र भेजा था कि रुपये 1,13,486 की विदेशी मुद्रा कास्ट स्टील पंप कास्टिंग और सैंड ड्रेजर के इंपेलरों के आयात के लिये निर्मुक्त की जाए ; उनका एक अन्य प्रार्थना-पत्र उकई परियोजना के बीवर किंग सैंड ड्रेजर के लिए कटर कम्प्लीट के आयात हेतु रुपये 29,150 की विदेशी मुद्रा निर्मुक्त करने के लिये आया था ।

(ख) पहले प्रार्थना-पत्र के लिए रुपये 1,03,168 और दूसरे प्रार्थना-पत्र के लिए रुपये 29,150 के मूल्य की विदेशी मुद्रा निर्मुक्त कर दी गई थी।

इण्डियन आयल कारपोरेशन में विनियोजन

145. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1969 तक इण्डियन आयल कारपोरेशन में सरकार ने कुल कितनी राशि विनियोजित की है ;

(ख) उसके तेल शोधक कारखानों के लिये जून, 1969 तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ;

(ग) तेल तथा प्रत्येक उत्पाद की खोज के लिये पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ;

(घ) इन परियोजनाओं के आरम्भ से विभिन्न संस्थानों तक सभी स्तरों पर उसके उत्पादों में कुल कितनी कमी हुई और इस कमी के क्या कारण थे और क्या इस कमी के लिए किन्हीं अधिकारियों को दण्ड दिया गया था ;

(ङ) 31 मार्च, 1969 तक कितना लाभ हुआ ; और

(च) इस अवधि में इंडियन आयल कम्पनी, ऐसो तथा बी० ओ० सी० के प्रत्येक उत्पादक के लिये क्या-क्या दरें रही हैं और विदेशों से आयातित उत्पादों की दरें क्या रही हैं और यदि उनमें कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 13,359,08 लाख रुपये।

(ख) भारतीय तेल निगम ने अपने तेल शोधक कारखानों में 79.77 करोड़ रुपये की राशि विनियोजित की है। इसने रसायन तथा औषध परियोजनाओं में राशि विनियोजित नहीं की है।

(ग) भारतीय तेल निगम तेल की खोज नहीं करता है, इसलिये इस कार्य पर कोई रकम खर्च नहीं की गई है।

(घ) 1967-68 के दौरान 28.66 लाख रुपये की उत्पाद हानि हुई थी। यह स्टाक हानि देखरेख के कार्य तथा वास्पयीकरण करते समय होती है और तेल उद्योग की क्षम्य हानियों की सामान्य सीमाओं में है।

(ङ) 1964-65 से 1967-68 तक भारतीय तेल निगम को निम्नलिखित लाभ हुए :

	(करोड़ रुपयों में)
1964-65	0.76
1965-66	1.01
1966-67	6.26
1967-68	10.83

(च) थोक शोधित पेट्रोलियम उत्पादों तथा विटूमेन के अधिकतम विक्रय मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और सभी तेल कम्पनियों पर समान रूप से लागू होते हैं। तथापि, तेल कम्पनियां उपभोक्ताओं को बट्टा देकर अपने उत्पाद कम मूल्य पर बेचने में स्वतंत्र हैं। यह व्यवसायिक राज समझे जाते हैं लूब्रीकैण्ट्स, ग्रीसिज तथा विशेष उत्पादों का कोई अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है। प्रत्येक कम्पनी द्वारा निर्मित तथा ब्लैंड किये गये कुछ छाप युक्त उत्पाद तथा विशेष वस्तुओं के बारे में कम्पनियों के विक्रय मूल्यों में अन्तर हो सकता है। ऐसे उत्पादों के लिये विक्रय मूल्य, आयातित वेस स्टाक की लागत, अवयवों, वलैंडिंग तथा पैकिंग खर्च, लाभ तथा अन्य प्रतियोगी परिस्थितियों के आधारों पर निर्धारित की जाती हैं। आयातित उत्पादों के लिये अदा किये गये मूल्यों को बताना भारतीय तेल निगम के व्यापारिक हित में नहीं है।

तेल मशीनरी और तेल उत्पादों का आयात

146. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार, 30 जून, 1969 तक तेल-मशीनरी तथा विभिन्न तेल उत्पादों के आयात पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन, एस्सो तथा बी० ओ० सी० के विभिन्न उत्पादों तथा आयातित वस्तुओं का 1960, 1965 में तथा 30 जून, 1969 को थोक बिक्री तथा फुटकर बिक्री मूल्य क्या-क्या थे ;

(ग) क्या कोई अन्तर है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इण्डियन आयल कम्पनी अपने उत्पाद किन्हीं विदेशी कम्पनियों को बेच रही है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार, उसने प्रत्येक उत्पाद किस दर पर बेचा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये व्यय की

धनराशि निम्न प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
1966	51.31
1967	39.67
1968	40.73
1969 (जनवरी से अप्रैल तक)	9.14

तेल मशीनरी के आयात के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार मुख्य बन्दरगाहों पर तेल कम्पनियों के केन्द्रों पर प्रचुर शोधित पेट्रोलियम उत्पाद और विटूमैन के मूल शिखरतम विक्रय मूल्यों का निर्धारण करती है । यह सारी तेल कम्पनियों पर लागू होता है । फिर भी कम्पनियां उपभोक्ताओं को निर्धारित शिखरतम विक्रय मूल्यों की तुलना में अपने उत्पादों को कम मूल्यों पर बेचने में स्वतंत्र हैं, प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न शिखरतम मूल्यों तथा प्रत्येक उपभोक्ता, व्यापारी या एजेंट से प्रत्येक उत्पाद के लिये प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा वास्तविक रूप में लिये गये मूल्यों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं व्यापारिक राज है ।

(घ) जी हां । भारतीय तेल निगम ने भारत में कार्य कर रही विदेशी तेल कम्पनियों के साथ उत्पाद विनिमय व्यवस्था की है । उक्त निगम मोटर स्पिरिट जैसे फालतू उत्पादों को भी उन्हें बेचता है और समय-समय पर सरकारी मूल्य सूत्र के आधार पर उनसे मूल्य वसूल किये जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल के बोर्दा में तेल छिद्रण

147. **श्री समर गुह :** **श्री देवेन सेन :**
डा० रानेन सेन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में केनिंग के निकट बोर्दा में लगभग 4000 मीटर गहराई तक एक कुएं का छिद्रण करके अचानक उसका काम बन्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या इस कुएं में सबसे अधिक दबाव (3000 एटमासफीयर) वाली हवा पाई गई थी और कच्चा तेल भी निकाला गया था ;

(ग) यदि हां, तो आगे छिद्रण कार्य रोकने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या उसी क्षेत्र में बोर्दा 3 नामक एक अन्य जगह छिद्रण के लिये चुनी गई थी और प्रारम्भिक कार्य के लिये लगभग 10 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं लेकिन फिर उसे बन्द कर दिया गया था और कुएं के छिद्रण के लिये उपकरणों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भेज दिया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) दक्षिण बंगाल के केनिंग तथा अन्य क्षेत्रों में तथा इस राज्य के तटवर्ती खण्ड में तेल संसाधनों की पूरी तरह और शीघ्र खोज के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ग). ड्रिल स्टरिंग से चिपक जाने के कारण, जिसे तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी नहीं निकाला जा सका, छिद्रण 4197.5 मीटर की गहराई पर बन्द कर दिया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(घ) एक अन्य कुआं (बोर्दा 3) के छिद्रण के लिये एक स्थान दे दिया गया है और उस स्थान पर 4.036 लाख रुपये (भूमि को इस्तेमाल करने का मुआवजा शामिल न करते हुये) खर्च किये गये थे । बाद में उस स्थान पर छिद्रण न करने का फैसला किया गया था ।

ड्रिलिंग रिग जम्मू तथा काश्मीर राज्य को नहीं भेजा गया है । यह पश्चिम बंगाल में ही है । तथापि, छिद्रण के उपकरण तथा सामान की कुछ सहायक मदें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अन्य परियोजनाओं, जहां इस किस्म की मदों की सप्लाई कम है, को भेजी जा रही है ।

(ङ) बोर्दा 1 के छिद्रण परिणामों को दृष्टि में रखते हुए बोर्दा 3 का छिद्रण न करने का फैसला किया गया था । संरचनात्मक रूप से बोर्दा कुआं संख्या 1 से नीचे होने के कारण बोर्दा कुआं संख्या 3 में, बोर्दा कुआं संख्या 1 में प्रतिकूल परिणामों को दृष्टि में रखते हुये, हाइड्रोकाबेन्ज मिलने की आशा नहीं है ।

(च) क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । यदि सर्वेक्षणों से कोई अनुकूल संरचना पाई गई तो संरचना के परीक्षण के लिये छिद्रण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना

148. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के निष्पादन के लिये नेपाल सरकार की मंजूरी ले ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके बाद क्या कार्यवाही की जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार पश्चिमी कोसी नहर के प्रस्तावित मार्ग को और

अधिक उत्तर की ओर हटाना चाहती है और कमला नदी के बांधों का जयनगर से उत्तर की ओर साथ-साथ निर्माण करना चाहती है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). नेपाल सरकार की स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के जैसलमेर में तेल की खोज

149. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी फ्रांसीसी कम्पनी ने फ्रांस की सरकार के माध्यम से भारत सरकार को 10 करोड़ रुपये का ऋण दिया है और राजस्थान के जैसलमेर में तेल के कुओं की खोज करने तथा उनके प्रयोग करने और खुदाई करने के लिये फ्रांसीसी कम्पनी को ठेका देने के लिये कहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कम्पनी खुदा परियोजना आरम्भ करने में असफल रही और उसने धन का गोलमाल कर दिया ;

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी का नाम क्या है ;

(घ) इस मामले का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

कलेक्टरों द्वारा ली जाने वाली भिन्न-भिन्न सीमा-शुल्क दरें

150. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम पर तैनात भिन्न-भिन्न कलेक्टरों द्वारा आयातित माल तथा मशीनरी पर अलग-अलग दरों पर सीमा-शुल्क लिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दर लगाने में ये कलेक्टर अपना स्वविवेक इस्तेमाल करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में एक समान नीति निर्धारित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). भारतीय टेरिफ अधिनियम 1934 की प्रथम अनुसूची में दी गई विभिन्न मदों के अन्तर्गत आने वाले, आयात हुए माल पर लगने वाले शुल्क की दरें उस अनुसूची में ही दी हुई हैं। कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारतीय टेरिफ अधिनियम अथवा-सीमा शुल्क अधिनियम 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा भिन्न दरें भी निश्चित की गई हैं। शुल्क की इस प्रकार निश्चित की गई दरों से भिन्न दरें वसूल करना, न तो सीमाशुल्क समाहर्ताओं के अधिकार में है और न उनके विवेक पर निर्भर करता है।

2. यह अवश्य है कि आयात किया गया कोई विशिष्ट माल, शुल्क निर्धारण के निमित्त, टेरिफ की किस मद के अन्तर्गत वर्गीकरण करना योग्य है, इस बात का फैसला समाहर्ता करते हैं। कभी-कभी वर्गीकरण करने की इस प्रथा में अन्तर आ जाने से शुल्क की अलग-अलग दरें वसूल हो जाती हैं। दरों में अन्तर की ऐसी कोई बात जब कभी देखने में आती है अथवा जब कभी किसी समाहर्ता को किसी वस्तु का वर्गीकरण करने के मामले में कोई शंका होती है तो सीमाशुल्क के समाहर्ता आपस में परामर्श करके सही वर्गीकरण कर लेते हैं। यदि समाहर्ताओं के बीच में मतभेद होता है, अथवा पूर्ण परम्परा में कोई परिवर्तन करना जरूरी समझा जाता है तो वर्गीकरण का निर्णय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है।

Area under Irrigation in Morena and Bhind

151. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the acreage of land which was proposed to be brought under irrigation in the districts of Murena and Bhind from the Chambal Project during the previous agricultural year and the area actually brought under irrigation ;

(b) the reasons for the shortfall ; and

(c) the persons responsible for the loss caused to agriculturists as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The information is as under :

District	Target Area (in acres)	Irrigated area (in acres)
Morena	145000	90200
Bhind	96000	30000

(b) The shortfall in irrigation is due to breaches in canals.

(c) A Committee of Enquiry has been constituted by the Government of Madhya Pradesh whose terms inter-alia include the apportionment of responsibility amongst the persons responsible for design, construction and up-keep of the works. The Committee's report is awaited by the State Government.

भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड को नांगल हरीके तथा फिरोजपुर बांधों का सौंपना

152. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने नांगल हरीके तथा फिरोजपुर बांधों का नियन्त्रण अब भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड को सौंप दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त बांधों को भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड को सौंपने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पहली नवम्बर, 1966 से ही, जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, नांगल बांध भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के अधीन चला आ रहा है। तथापि, पंजाब सरकार ने हरिके और फिरोजपुर के मुख्य कार्यों का नियंत्रण अभी तक भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड को नहीं सौंपा है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

दक्षिण मोती बाग, नई दिल्ली को जाने वाली सड़क का बन्द किया जाना

153. **श्री अ० दीपा :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राव तुलाराम मार्ग से दक्षिण मोतीबाग (नानकपुर), नई दिल्ली को सड़क जो 11 वर्ष पुरानी थी, बन्द कर दी गई है और उसका एक भाग शान्ति निकेतन बस्ती को बेच दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसे बेचने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ;

(ग) इस बिक्री के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या मोतीबाग दक्षिण को एक मात्र इसके मार्ग में बाजार तथा दूध की डेरियों के

कारण बहुत भीड़-भाड़ रहती है और यह सड़क इसके छोर पर है ; और

(ङ) दक्षिण मोती बाग के निवासियों की सुविधा के लिये जिन्हें उपरोक्त सड़क के बन्द किये जाने के कारण असुविधा हुई है, उक्त सड़क को फिर से खोलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). दिल्ली नगर निगम ने शान्ति निकेतन कालोनी के ले-आउट प्लान का अनुमोदन करते हुये सम्पर्क मार्ग (एप्रोच रोड) को बन्द कर दिया और इसके बहुत निकट ही एक अन्य मार्ग को यातायात के परिचालन को और अच्छा बनाने के लिये खोल दिया। यह साउथ मोतीबाग को मिलाने वाले अन्य सम्पर्क मार्ग के अतिरिक्त है।

Seizure of Foreign Goods by Customs Authorities at Surat

154. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the customs authorities at Surat had seized foreign goods worth about Rupees one and a half lakh in April, 1969 from a boat ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) In April, 1969, customs authorities at Surat seized foreign goods worth about Rs. 2.14 lakhs, from a boat.

(b) Five persons were arrested in this connection and subsequently released on bail. Further investigations are in progress.

Shortage of Doctors in Madhya Pradesh Hospital

155. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6287 on the 14th April, 1969 and state :

(a) whether the information asked for regarding the shortage of doctors in Madhya Pradesh in parts (a) to (c) of the question has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the information, duly collected would be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) and (c). Replies to parts (a) and (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 6287 are in the negative and part (c) thereof does not arise.

Income Tax Arrers Outstanding Against Firms of Madhya Pradesh

156. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6299 on the 14th April, 1969 and state :

(a) whether the information regarding the firms of Devas, Shajapur and Indore, against which arrears of income-tax are outstanding has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the information will be collected and placed on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Yes, sir.

The required information regarding the firms of Indore, Ujjain, Devas and Shajapur of Madhya Pradesh has since been collected and its details are given in the attached statement :

Statement

Question	Answer
(a) Total number of firms of Indore, Ujjain, Devas and Shajapur of Madhya Pradesh, against which Income-tax arrears are outstanding.	1588
(b) The total income-tax arrears outstanding in these districts ; and	1.09 crores.
(c) the steps proposed to be taken to realise such arrears.	Such steps as are available in law are being taken on the facts and circumstances of each case.

(c) Does not arise.

गुजरात के गांवों में पीने के पानी की सुविधा के लिए केन्द्रीय सहायता

157. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने पीने के पानी की सुविधा से सर्वथा वंचित 1043 गांवों में पानी की सप्लाई का कार्य करने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वित्तीय सहायता देने की प्रार्थना की है (गुजरात समाचार, दिनांक 4 जून, 1969) ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Committee to Study Tax System

158. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any study Team was appointed to study the present tax system and also to ascertain the scope of getting more revenue from the agricultural sector ; and

(b) if so, the recommendations thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मन्त्रालयों तथा विभागों में विदेशी सलाहकार

160 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में कितने तथा किन-किन देशों के विदेशी सलाहकार थे ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कारण कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

उर्वरक उद्योग का विकास

161. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में, अलग-अलग उर्वरक उद्योग के विकास का कार्यक्रम क्या है ;

(ख) क्या टाटा उर्वरक परियोजना अभी सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) इस प्रस्तावित उर्वरक संवर्द्धन बोर्ड के निर्देश-पद क्या होंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बा० रा० चह्वाण) : (क) सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर, कोचीन, मद्रास और बरौनी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कानपुर में नई उर्वरक परियोजनाओं का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। सरकारी क्षेत्र में नाम-रूप और उद्योग मण्डल के कारखानों में विस्तार-योजनाओं के निर्माण-कार्य को हाथ में लिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में ट्राम्बे (विस्तार) और गैर-सरकारी क्षेत्र में कांडला, गोआ तथा मंगलौर में उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण-कार्य के शीघ्र ही शुरू होने की आशा है। इसके अलावा, मिर्जापुर विशाखापत्तनम, महाराष्ट्र में शेवे-नहोवा तथा कम्पट्टी, पंजाब (या उत्तर प्रदेश) में किसी सही स्थान पर उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना तथा विशाखा-पत्तनम पर उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में, सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) एक उर्वरक संवर्द्धन संस्था की स्थापना का प्रस्ताव तथा उसको सौंपे जाने वाले कार्य अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था के लिये कलकत्ता में आवास

162. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था में अपने कार्यालय के लिये कितने मकान ले रखे हैं ;

(ख) प्रत्येक मकान में तल-स्थान कितना है तथा प्रत्येक मकान का किराया कितने रुपये हैं ;

(ग) क्या उन मकानों में से एक मकान बिरला बन्धुओं का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका कुल तल-स्थान कितना है तथा मासिक किराया क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) केवल नौ इमारतें।

(ख) प्रत्येक इमारत का कुल उपलब्ध स्थान तथा दिया जा रहा मासिक किराया

नीचे दिखाया गया है :

क्रम संख्या	इमारत का नाम	वास्तविक उपलब्ध स्थान (वर्ग फुटों में)	मासिक किराया	टिप्पण
1	2	3	4	5
1.	27, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता	53,780	शून्य	यह इमारत, जिसका स्वामित्व इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के न्यासी के पास है, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के सांविधिक कब्जे में है।
2.	29, जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता।	34,300	शून्य	यह सरकारी सम्पत्ति है।
3.	15 ए और 15 बी, काईड स्ट्रीट, कलकत्ता।	6,273	शून्य	यह सरकारी सम्पत्ति है।
4.	77 बी, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।	4,100	660/-	यह इमारत सम्पदा मैनेजर, कलकत्ता, द्वारा, उसके सामान्य पूल आवास में से नियतन की गई है और इसका किराया उसके द्वारा दिया जाता है।
5.	5/1, खगेन्द्र चैटर्जी रोड, कलकत्ता।	74,712	17,077/-	यथोपरि
6.	38/1, पांडित्य रोड, कलकत्ता।	23,000	1,845/-	यथोपरि
7.	2, जस्टिस चन्द्र माधव रोड, कलकत्ता।	22,881	8,000/-	यथोपरि
8.	5, मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता।	20,564	4,000/-	यथोपरि
9.	रत्नाकर बिल्डिंग, 4, चौरंगी लेन, कलकत्ता -16	95,579	95,579/-	यह इमारत इस विभाग द्वारा सीधी किराये पर ली गई है और इसका किराया विभाग लेखे से दिया जाता है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में हैजे का प्रकोप

163. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61 से 1968-69 तक भारत में वर्ष-वार, तथा राज्य-वार कितने व्यक्तियों को हैजा हुआ ;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार रोग संचार का स्थानिक केन्द्र इस समय पश्चिम बंगाल से हटकर तमिलनाडु बन गया है जहां से एल्टोर कीटाणु दक्षिण-पश्चिम भागों में बहुत बड़े क्षेत्रों में फैल गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो यह नई घटना होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस रोग को रोकने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो क्या ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री ब० सू० मूर्ति**) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1275/69**]।

(ख) सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अभी तक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं मिली है, किन्तु उनके प्रेस सूचनाओं में ऐसी एक सूचना दी गई है।

(ग) तमिलनाडु कई सालों से हैजा रोग संचार का स्थानिक केन्द्र बना हुआ है और 1964 से यह रोग वहां से देश के दक्षिण-पश्चिम भागों में फैल गया है। ऐसा हैजे के एल्टार प्रजाति नामक जीवों के विचित्र व्यवहार के कारण हुआ है।

(घ) हैजे की रोक थाम और नियंत्रण के आवश्यक उपाय राज्य सरकार और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा हैजा फैलने के मौसम से पहले तथा उसके दौरान बरते जाते हैं। रोग ग्रस्त क्षेत्रों में इन प्रयत्नों को तीव्र करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र पुरस्कृत हैजा नियंत्रण योजना को सम्मिलित कर लिया गया है।

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

164. **श्री शिवनारायण शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी तेल-शोधक कारखाने (इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड) ने तरल सल्फा डाइआक्साईड की सप्लाई प्राप्त करने के लिए एक गैर-सरकारी उपक्रम (द एसोसियेटिड इन्डस्ट्रीज आसाम लिमिटेड) से एक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या गोहाटी तेल-शोधक कारखाने से सल्फाडाइआक्साईड की सप्लाई नियमित रूप से मिल रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी हां। दिसम्बर, 1960 में किये गये करार के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं :

(1) **मूल्य** : 660·00 रुपये प्रति मीटरी टन और उत्पादन शुल्क।

(2) **भाड़ा** : गोहाटी से बरौनी तक का रेल भाड़ा भारतीय तेल निगम देगा और गोहाटी से बरौनी से गोहाटी का मैसर्स एस्सोशियेटिड इंडस्ट्रीज (आसाम)।

(3) **ठेके की अवधि** : पांच वर्ष।

(4) **सिलैन्डर्ज** : 30 सिलेन्डरों का आयात भारतीय तेल निगम करेगा और बकाया का मैसर्स एस्सोशियेटिड इंडस्ट्रीज (आसाम)।

(5) **मुआवजा** : निम्न आधारों पर वसूल होगा :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा दिया गया मूल्य (एफ० ओ० आर० अलवाय)

(ख) भरे हुये सिलैन्डरों का अलवाय से गोहाटी तक रेल भाड़ा।

(ग) खाली सिलैन्डरों का गोहाटी से अलवाय तक रेल भाड़ा।

(घ) सामान का विलम्बित वितरण।

(ग) जी नहीं, संयंत्र में दीर्घकालीन कठिनाइयां उत्पन्न हो गईं और इसलिये उनके लिए अभी तक कोई सप्लाई 1964 में प्राप्त लगभग 4 मीटरी टनों के सिवाये करना सम्भव नहीं था।

नया मोतीनगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

165. **श्री कमलनाथन :**

श्री अदिचन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 15 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है तथा नया मोती नगर, नई दिल्ली के "बी" ब्लाक की पहिली मंजिल में पानी की सप्लाई के बारे में अभी वही स्थिति बनी है जैसी कि पहले थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार को उस क्षेत्र के निवासियों की ओर से अब तक कितने अभिवेदन प्राप्त हो चुके हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इस लापरवाही तथा अप्रत्याशित विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) उस क्षेत्र के निवासियों की लम्बी अवधि से चली आ रही पानी की कठिनाई कब तक दूर होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी नहीं, जल-द्वारों की सुव्यवस्था तथा "नजफगढ़" क्षेत्र में 24 वाले मुख्य नल से मिलान के उपरान्त, जल पूर्ति की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। इससे अन्तिम छोर पर स्थित क्वार्टरों को राहत मिली है।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र में पानी की कमी के बारे में अनेकों अभ्यावेदन मिले हैं और जल द्वारों की सुव्यवस्था करके जल पूर्ति के सम्बन्ध में अधिक से अधिक राहत दी जा रही है।

(ङ) स्थायीरूप से समाधान करने के हेतु बूस्टर पम्पिंग स्टेशन की व्यवस्था करने तथा वर्तमान 2 इंच व्यास वाले नल की जगह चार इंच व्यास वाले नल लगाने के 57000 रुपये की कुल लागत वाले काम को इस वर्ष हाथ में लिया जा रहा है और इसके पूरा होने में 18 महीने लगेंगे।

आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित योजना को कार्यान्वित करना

166. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के तूफान-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने योजना आयोग से उन पूर्व योजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर बातचीत की है जिन्हें उपरोक्त क्षेत्रों में अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस बारे में कौन-सा विशिष्ट सुझाव दिया है तथा योजना आयोग की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जून, 1969 में आन्ध्र प्रदेश के चक्रवात-पीड़ित क्षेत्र के अपने दौरे के पश्चात्, केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया कि मित्रा समिति की सिफारिशों को, जिसमें बाढ़ जल के काफी शीघ्र निकास व्यवस्था के लिए निर्माण कार्य परिकल्पित थे कार्यान्वित करने की शुरुआत तुरन्त की जानी चाहिए। इन निर्माण कार्यों को किसानों के अंशदान से वित्तीय सहायता

मिलनी है। केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से सिफारिश की थी कि बिपत्ती को देखते हुए किसान इस स्थिति में नहीं है कि चालू वर्ष के दौरान अंशदान कर सकें और कार्यों को शुद्ध करने के लिए आन्ध्र प्रदेश को विशेष ऋण सहायता दी जानी चाहिए और ये निर्माण कार्य किसानों से चंदा उगाह कर चालू रहेंगे। उप-प्रधान मंत्री प्राकृतिक विपत्तियों पर होने वाले व्यय के लिये राज्यों को सहायता के लिये प्रावधान में से, केवल चालू वर्ष के लिए 3 करोड़ रुपये का योजनेतर ऋण देने के लिए सहमत हो गए।

प्रतिनिधिमण्डलों का विदेशों में दौरा

167. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा की सत्रावसान अवधि (मई-जुलाई, 1969) के दौरान सरकार द्वारा गठित कितने प्रतिनिधिमण्डलों ने विदेशों की यात्रा की तथा इन प्रतिनिधिमण्डलों को भेजने के क्या उद्देश्य थे ;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की ; और

(ग) इन यात्राओं में कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा इकट्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

पंचग्राम में तेल निधि

168. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एक दल कचार जिले में गया था जिसे पंचग्राम क्षेत्र में तेल तथा गैस मिला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां छिद्रण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने का है ; और

(ग) वहां से तेल तथा गैस की कितनी मात्रा निकाले जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बदरपुर के आस पास कम गहरे व्यधन कार्य किये हैं तथा अब दल किये गये कार्य की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। तेल/गैस के लिये अभी तक कोई व्यधन नहीं किया गया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का इस क्षेत्र में प्रवेश करने का विचार है तथा हाल ही में अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जिनकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

गैर-सरकारी भवनों में खोले गये रिजर्व बैंक के कार्यालय

169. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक के सत्रह कार्यालय दूरस्थ गैर-सरकारी इमारतों में हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन इमारतों का प्रति मास कितना किराया दिया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार से भूमि अर्जित की गयी थी और बाद में बिना इमारत बनाये लौटा दी गयी ; और

(घ) यदि हां, तो उस भूमि के विकास पर कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी : (क) बैंक के कार्यालयों/विभागों और उसकी सम्बद्ध संस्थाओं को, जिन्हें बैंक की अपनी तीन इमारतों में स्थान नहीं दिया जा सका, पट्टे पर लिये गये 13 मकानों में स्थान दिया गया है। इनमें से एक मकान को छोड़कर बाकी सब मकान बैंक की मुख्य इमारत से लगभग तीन मील की दूरी के अन्दर-अन्दर स्थित हैं।

(ख) बैंक द्वारा पट्टे पर ली गयी इमारतों का किराया लगभग 2 लाख रुपया प्रतिमास है।

(ग) जी, हां। इमारतें बनाने में होने वाले भारी पूंजीगत खर्च को देखते हुए इमारतें बनाने का विचार छोड़ दिया गया था।

(घ) लगभग 22 लाख रुपया। रिजर्व बैंक इस बात के लिए राजी है कि वह यह रकम महाराष्ट्र सरकार से नहीं लेगा और इसके बदले में महाराष्ट्र सरकार इस बात के लिए राजी है कि वह रिजर्व बैंक द्वारा उसे देय जमीन का किराया नहीं लेगी।

त्रिवेन्द्रम स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी

170. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण त्रिवेन्द्रम स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कितने कर्मचारी अभी तक (1-6-69 को) निलम्बित अथवा अपदस्थ हैं ; और

(ख) कुल कितने कर्मन्चारी अन्तर्ग्रस्त थे और कितने वापस ले लिये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 29 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था तथा 27 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गयीं थीं। इनमें से,

1 जून, 1969 तक निलम्बित कर्मचारियों में से 15 को बहाल कर दिया गया है तथा सेवाएं समाप्त किये गये कर्मचारियों में से 8 को नौकरी में वापस ले लिया गया है। 14 व्यक्ति अभी भी निलम्बित हैं तथा 19 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थीं।

पश्चिमी सहायता

171. **श्री भगवान दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के सचिव ने 5 जून, 1969 को प्रेस सम्मेलन में अपनी पेरिस की बैठक से वापस आने के बाद कहा था कि 'पश्चिमी सहायता का नाटक बहुत कुछ तदर्थ नाटक है' ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि सहायता देने वाले पश्चिमी देशों से उन्हें पांच वर्षीय सहायता का कोई वचन मिलने की आशा नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अर्थ विभाग के विशेष सचिव ने 5 जून, 1969 को पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए 22 और 23 मई, 1969 को हुई सहायता संघ की बैठक के परिणामों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि सामान्यतः सहायता के लिये बचन हमारी आयोजना की अवधियों के अनुरूप लम्बी अवधि के लिए नहीं दिये जाते हैं, बल्कि सहायता की आवश्यकताओं के वार्षिक निर्धारण के आधार पर दिये जाते हैं और इसलिए सहायता संघ ने भारत की चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिये सहायता की उपलब्धि के बारे में अपना कोई विचार प्रकट नहीं किया।

(ग) सरकार, हर सम्भव अवसर पर, इस बात पर जोर देती रही है कि सहायता के लिए वचन लम्बी अवधि के लिये दिये जाएं ताकि विकास के लिये किए जाने वाले आयोजन का क्रम अधिक समय तक जारी रखा जा सके।

रामकृष्णपुरम, दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के आवंटियों और किरायेदारों के विरुद्ध शिकायतें

172. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में रामकृष्णपुरम, दिल्ली के सेक्टर-2 के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के आवंटियों तथा/अथवा किरायेदारों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) उक्त अवधि में जिन लोगों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके क्वार्टरों की क्रम संख्या क्या-क्या है और शिकायत करने वाले लोगों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में शिकायत का संक्षिप्त विवरण क्या है ;

(ग) क्या सम्पदा निदेशालय ने प्रत्येक मामले में जांच आरम्भ करने से पूर्व अपने रिकार्ड से यह सत्यापन कर लिया है कि शिकायत करने वाले लोग वास्तविक हैं और वास्तविक आवंटियों के नाम सही हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) प्रत्येक शिकायत के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1276/69]

(घ) और (ङ). यह आवश्यक नहीं कि शिकायतें सरकारी क्वार्टरों के आवंटियों की ओर से हों। यह आवंटियों के साथ रहने वाले लोगों की ओर से भी हो सकती हैं तथा गैर-अलाटियों की ओर से भी। गुमनाम/छद्मनाम से आई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। प्राप्त हुई शिकायतों पर जांच आरम्भ करने से पूर्व भी, सर्व प्रथम शिकायत करने वाले को, मामले का स्पष्टीकरण करने के लिये बुलाया जाता है, और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि शिकायत गलतनाम से की गई है, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

निर्माण सम्बन्धी उपकरणों की प्राप्ति के लिये समिति

173. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये निर्माण सम्बन्धी उपकरण तथा पुर्जे प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारणों पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में कौन-कौन व्यक्ति हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

1. श्री कमलापति त्रिपाठी, उप-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश — अध्यक्ष
2. श्री एस० बी० चह्वाण, सिंचाई व बिजली मंत्री, महाराष्ट्र राज्य .. सदस्य

3. श्री एस० एस० बरूसी, सिंचाई व बिजली मंत्री, पंजाब राज्य .. सदस्य
4. श्री पी० सी० सेठी, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री, .. सदस्य
5. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी, केन्द्रीय औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य राज्य मंत्री । .. सदस्य
6. चौधरी राम सेवक, केन्द्रीय विदेश व्यापार एवं सम्भरण उपमंत्री। .. सदस्य
7. प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, केन्द्रीय सिंचाई व बिजली उपमंत्री । .. सदस्य
8. श्री एम० ए० रहमान, सदस्य, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (जल-स्कंध) । .. सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय

1. सिंचाई व बिजली परियोजनाओं के लिये निर्माण उपकरण और फालतू पुज प्राप्त करने में देरी के कारणों की खोजबीन करना ; और
2. (क) आयात किये हुए उपकरण और (ख) देशी उपकरण के सन्दर्भ में निर्माण उपकरण और फालतू पुर्जों की प्राप्ति में होने वाले इस प्रकार के विलम्बों को रोकने के लिये उपाय सुझाना ।

इस समिति की स्थापना 8 जुलाई, 1969 को हुई थी और ऐसी सम्भावना है कि यह छः महीने के भीतर अपना काम पूरा करके भारत सरकार के सिंचाई व बिजली मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को युनिसेफ से सहायता

174. **श्री य० अ० प्रसाद :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युनिसेफ ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को अगले पांच वर्षों में व्यय करने के लिये 120 लाख डालर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र विशेष और परियोजना विशेष में यह धन खर्च किया जायेगा ; और

(ग) इस धन में कितना धन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में व्यय किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). 1969—74 की अवधि में भारत को युनिसेफ से चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं/प्रायोजनाओं के लिए लगभग 12,069,000 डालर की सहायता उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है :

1. ग्राम स्वास्थ्य
2. ग्राम जलपूर्ति
3. क्षय नियन्त्रण
4. चेचक के टीके का उत्पादन
5. चिकित्सा शिक्षा
6. स्वास्थ्य, परिवहन और साज-सामान का रखरखाव
7. कुष्ठ नियन्त्रण

(ग) युनिसेफ सहायता का नियतन योजना/प्रायोजनावार किया जाता है, राज्यवार नहीं। यह बतलाना सम्भव नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में कितना धन व्यय किया जायगा ।

सरकारी परियोजनाओं की कार्य पद्धति

175. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की जांच तथा सुधार का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) इसके लिए कितने एकक चुने गये हैं तथा इस दिशा में किये गये अध्ययन की क्या प्रगति है ; और

(ग) इस कार्य में किन एजेंसियों और संस्थाओं का सहयोग लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सरकारी उद्यम ब्यूरो सभी सरकारी उद्यमों के काम पर बराबर नजर रखता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, ब्यूरो संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ मिलकर, गहराई से अध्ययन भी करता है ताकि विशिष्ट समस्याओं के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उन्हें सुलझाने के उपाय सुझाए जा सकें। यह एक सतत् प्रक्रिया है और इन अध्ययनों के जरिए और अन्य प्रकार से भी, जो उपाय ब्यूरो द्वारा सुझाये जाते हैं वे उद्यमों को बता दिये जाते हैं ताकि वे (उद्यम) कमियों को दूर करने के लिये कार्रवाई शुरू कर सकें। ब्यूरो ने सरकारी उद्यमों के कार्य का अध्ययन करने के लिये, अभी तक विशेषज्ञ परामर्शदाता-संगठनों से कोई सहायता नहीं ली है, परन्तु अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया है कि जब कभी आवश्यक समझा जाए ऐसे अध्ययनों के लिए, प्रसिद्ध परामर्शदाता संगठनों से सहायता ले ली जाय ।

थाम्पसन रोड, नई दिल्ली पर डाक व तार विभाग के क्वार्टर

176. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में थाम्पसन रोड स्थित डाक व तार विभाग के मकानों के निवासियों को उन मकानों को खाली करने का आदेश दिया गया है ताकि शिमला से आने वाले कर्मचारियों को स्थान मिल सके ;

(ख) क्या एक सरकारी कर्मचारी को बाहर निकालकर दूसरे सरकारी कर्मचारी को आश्रय देना उचित है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) थाम्पसन रोड पर डाक तथा तार विभाग के मकानों में वर्तमान में रहने वाले व्यक्तियों में से केवल 12 व्यक्तियों से उनके मकान, डाक तथा तार के महालेखाकार के शिमला-कार्यालय से आने वाले कर्मचारियों को जगह देने के लिये, खाली करने को कहा गया है ।

(ख) और (ग). ये मकान खासतौर पर, डाक तथा तार के महालेखाकार के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये हैं और लेखा परीक्षा तथा लेखा निदेशक तथा डाक व तार, दिल्ली के कर्मचारियों को केवल इसलिये दे दिये गये थे कि उस समय महालेखाकार के कर्मचारियों के लिए उनकी आवश्यकता नहीं थी । अब इन मकानों की उस कार्यालय के कर्मचारियों के लिये जरूरत है जो दिल्ली में सामान्य पूल के मकान पाने के हकदार नहीं हैं । लेखा परीक्षा तथा लेखा के निदेशक तथा डाक व तार, दिल्ली के कार्यालय के कर्मचारी सामान्य पूल के मकान पाने के हकदार हैं और उन्हें इसके लिये प्रार्थनापत्र देने को कहा गया है ।

Payment of Compensation to Inhabitants of Kosi Embankment

177. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of compensation paid to the people who had been living in the area covered by the embankments of Kosi ;

(b) whether it is a fact that at the time of the construction of embankments the State Government and the Central Government had given an assurance to the people of that area that full compensation would be paid to them after the constructions of embankments ;

(c) if so, the reasons for which Government are not paying compensation to 3 lakhs people of these 300 villages and are trying to remove them from that area without paying compensation to them ; and

(d) whether the Central Government propose to set up a High Level Committee to solve the problem of these three lakhs people and to pay full compensation to them and if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Undertaking sanctioned scheme of rehabilitation, an area equivalent to the area of homestead land available to a family within the embankments is provided in a rehabilitation block located on the country side of the embankment. An additional area equal to 40% of the total area of homestead land of a particular village is provided for common facilities like roads, schools etc. Each family gets house building grant equal to the full value of the house left on the river side without any deduction on account of depreciation. The existing houses within the embankments are also left to owners for undertaking cultivation In addition, drinking water facilities in the form of wells, tube-wells and tanks are also provided. There is also a provision for helping the displaced persons with boats for undertaking agricultural operations within the Kosi embankments. The total amount spent on rehabilitation including house building grant and expenditure on provision of common facilities like approach roads, tanks, community halls etc. is Rs. 130 lakhs upto the end of March, 1969.

(b) and (c). No assurance had been given that all the lands between the embankments would be acquired. The State Government have reported that the land located within the embankments continues to yield good crops though cultivation in some portion is uncertain on account of the changing course of the river and heavy floods from time to time. It was also expected that the river will form a set course.

(d) In July, 1967, the State Government constituted a Study Team under the Chairmanship of the Kosi Area Development Commissioner for preparation of a Master Plan for the development of the area within the Kosi embankments in the fields of Agriculture, Animal Husbandry, Co-operation, Small Scale Industries, Reclamation of Waste Land and other allied matters. The Study Team has completed its work. In the circumstances, it is not considered necessary to constitute a High Level Committee to go into this question.

Sterilization, Loop Insertion and Tubectomy Cases in Various States

178. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of cases of sterilisation loop insertion and tubectomy in various States, separately under the Family Planning Scheme during the period from 1st July, 1968 to 30 June, 1969;

(b) the number of cases in which the persons whose sterilisation was done were less than 18 years or more than 50 years of age;

(c) whether Government have received any complaints to the effect that sterilisation is done mostly by misleading the persons or by exerting pressure on them; and

(d) if so, the steps taken by Government to remove these complaints?

The Minister of State in Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandra Sekhar): (a) to (d). The information is being collected from the States. It will laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Family Planning Programme During Fourth Plan

179. **Shri Ram Singh Ayarwal:** **Shri Sharda Nand:**
Shri Bharat Singh Chauhan: **Shri Hukam Chand Kachwai:**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the total number of persons to be brought under the family planning programme during the first year (1969-70) of the Fourth Five Year Plan;

(b) the total amount of expenditure proposed to be incurred on the family planning programme during the Fourth Five Year Plan and the financial year 1969-70, separately; and

(c) the estimated number of vasectomy operations proposed to be performed and the number of loods to be inserted during the current financial year ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) 5.3 million.

(b) The estimated figures are as follows :—

(1) For the Fourth Five Year Plan .. .. Rs. 300 crores.

(2) For the year 1969-70 .. .. Rs. 42 crores.

(c) The targets for sterilisation (vasectomy and tubectomy) and I.U.C.D. insertions for the year 1969-70 are 2.2 millon and 0.7 million respectively.

उड़ीसा में निकल धातु के भण्डार

180. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सरुआबिल-सुकेरंज खण्ड में हो रहा जांच कार्य इस बीच पूरा हो चुका है ;

(ख) क्या अब तक एकत्रित आंकड़ों से वहां निकल के काफी बड़े भण्डार होने का निष्कर्ष निकाला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक वहां कितने भण्डार होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं। अन्वेषण अभी भी प्रगति पर है।

(ख) गर्त्तन तथा व्यधन द्वारा अब तक सीमांकित किया गया निकलयुक्त सम्भाव्य क्षेत्र लगभग 0.6 वर्ग किलोमीटर है।

(ग) उपलभ्य राशियों का अनुमान व्यधन कार्य के पूरा कर लिये जाने पर लगाया जायेगा।

उड़ीसा सरकार द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकालना

181. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने अपनी जमा राशि से जो 15.62 करोड़ रुपये अधिक निकाले थे उनका भुगतान पूरा कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह भुगतान कब पूरा किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने रिजर्व बैंक से अपनी जमा राशि से अधिक जितनी रकम निकाली थी उसे उसने, केन्द्रीय सरकार से 16 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम लेकर, 27 जून, 1969 को चुका दिया है ।

Strike by Supervisors of State Bank of India

182. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Vasudevan Nair :
Shri Abdul Ghani Dar :
Shri N. Shivappa :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Tenneti Viswanatham :
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :
Dr. Ranen Sen :
Shri Shiva Chandrajha :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri K. Anirudhan :
Shri P. P. Esthose :
Shri K. Ramani :
Shri Shashi Bhushan :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri C. K. Bhattacharya :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Supervisors of the State Bank of India went on a country-wide strike during June, 1969 ; and

(b) if so, the causes of the strike and the action taken by Government in regard to their demands ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) Yes, Sir.

(b) The immediate cause of strike was the issue of charge-sheets to four officials of the Bombay local head office for refusal to carry out specific instructions of the Chief Accountant relating their official duties and suspension orders on four officials for leaving the keys of safes containing important documents and valuables belonging to the bank and its customers in an irresponsible manner with the Chief Accountant and absenting themselves from duty in order to participate in a mass casual leave agitation. The Government did not intervene in the dispute and the strike was called off on 27th June by the Supervisory officials.

बाढ़ सहायता के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सहायता

183. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को 31 जुलाई, 1969 तक 1968 में उड़ीसा

में बाढ़ तथा तूफान से हुई हानि के सम्बन्ध में राहत कार्य के लिये कुल कितना धन दिया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह जानने के लिये लेखे की जांच-पड़ताल की है कि धन उसी उद्देश्य के लिये व्यय किया गया जिसके लिये यह दिया गया था ;

(ग) राज्य में बाढ़ तथा तूफान से हुये नुकसान को पूरा करने के लिये किन विभिन्न मदों के अन्तर्गत धन दिया गया था और प्रत्येक मद के अधीन कितना धन दिया गया ; और

(घ) इस उद्देश्य के लिये केन्द्र से जो सहायता मिली है उसमें और वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार ने 1968-69 और 1969-70 में अपने ही संसाधनों-योजना तथा गैर-योजना से कितना धन व्यय किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) उड़ीसा की सरकार द्वारा 1968 में तूफान और बाढ़ के कारण राहत और पुनर्वास सम्बन्धी कार्यों पर किये गये खर्च के लिये उड़ीसा की सरकार को अब तक 4.50 करोड़ रुपया दिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय सहायता, व्यय की प्रगति को देखते हुये, दी जाती है और अन्ततः उसका समायोजन, महालेखापाल द्वारा प्रमाणित व्यय की परीक्षित राशियों के आधार पर किया जाता है ।

(ग) व्यय की जिन मदों के लिये केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार किया गया था, वे ये हैं : (1) सहायता की मदें, जैसे मुफ्त सहायता, गृह-निर्माण अनुदान राहत-कार्य, मछुवों को अनुदान, आदि (2) किसानों और मछुवों को ऋण और (3) सड़कों और नहरों आदि की मरम्मत । लेकिन केन्द्रीय सहायता वास्तव में कुल व्यय के आधार पर दी जाती है, इसका अलग-अलग मदों से सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता ।

(घ) राज्य सरकार का अनुमान है कि वह 1968-69 और 1969-70 के दो वर्षों में विभिन्न राहत-कार्यों पर 6.16 करोड़ रुपया खर्च करेगी । इसकी तुलना में, अब तक 4.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी गई है । इस प्रकार, राज्य सरकार 1.66 करोड़ रुपये अपने साधनों में से खर्च करेगी ।

प्रधान मंत्री के लिये नया निवास स्थान

184. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने चुने हुये वास्तुविदों से प्रधान मंत्री के निवास स्थान के लिये एक नये भवन का नमूना देने को कहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त भवन अनुमानतः उतना ही बड़ा होगा जितना कि तीन मूर्ति भवन है ;

(ग) क्या उन्होंने प्रधान मंत्री से यह सुनिश्चित करा लिया है कि उनका वर्तमान निवास स्थान, जहां कि वह काफी समय से रहती आयी हैं, या तो अपर्याप्त है या उनके पद की गरिमा के प्रतिकूल है अथवा अन्य बातों में अनुपयुक्त है ; और

(घ) क्या इस आडम्बरपूर्ण निर्माण में इतना धन व्यय करना उचित समझा गया है जबकि जनता की इतनी अधिक प्राथमिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं । यद्यपि आरम्भ में वास्तुओं के आरम्भिक चयन का प्रस्ताव था, जिन्हें प्रधान मंत्री के नये सरकारी निवास स्थान का डिजाइन प्रस्तुत करने को कहा जाता था, परन्तु अब खुली प्रतियोगिता करने का प्रस्ताव है ।

(ख) क्षेत्रफल (ले आऊट एरिया) का विस्तार अन्ततः चुने गये डिजाइन पर निर्भर होगा ।

(ग) और (घ) . यह प्रश्न केवल प्रधान मंत्री की निजी इच्छाओं और सुविधाओं से सम्बन्धित नहीं है । सरकार ने मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया है । वे इस परिणाम पर पहुंची है कि वर्तमान व्यवस्था कई प्रकार से अपर्याप्त है और तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि भारत के प्रधान मंत्री के लिये, उनकी जरूरी एवं न्यूनतम, सरकारी और सार्वजनिक तथा निजी आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखते हुये, एक नये और स्थाई सरकारी निवास स्थान का निर्माण किया जाना चाहिए ।

भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग तथा केन्द्रीय सरकार के दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता

185. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर गये हुये भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता उनके मूल विभाग में उन्हें मिलने वाले मूल वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर मिलता है। जबकि केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता बिल्कुल नहीं दिया जाता ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के संसाधनों पर यह अनावश्यक बोझ नहीं है, जिसका बजट केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित किया जाता है और संसद् द्वारा अनुमोदित होता है ; और

(ग) जब केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गये भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति भत्ता बन्द किया गया है तो दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग और केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी समान, समतुल्य अथवा निम्न वेतनमानों पर केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं ये प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ता पाने के हकदार नहीं होते।

(ख) संघ राज्य-क्षेत्रों में अभी अपेक्षित योग्यता तथा पद-संख्या के अनुसार स्थानीय संवर्ग नहीं बन पाये हैं, और इसलिये वहां पदों को भरने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये प्रतिनियुक्ति भत्ते पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को अनावश्यक नहीं माना जा सकता।

(ग) केन्द्रीय सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देना बन्द करने के आदेश आरम्भ में दिल्ली प्रशासन के मामले में सामान रूप से लागू किये गये थे किन्तु बाद में कुछ संघ राज्य-क्षेत्रों में तथा दिल्ली में भी पदों को भरने में हुई कठिनाइयों को देखते हुये इन राज्य-क्षेत्रों में उक्त आदेशों को तब तक लागू नहीं करने का फैसला किया गया जब तक प्रतिनियुक्ति भत्ते की सामान्य योजना पर पुनर्विचार नहीं कर लिया जाता।

स्वर्ण को अवैध रूप से रखना

186. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपराधिक जांच विभाग (सी० आई० डी०) ने, 1 जनवरी, 1968 से 1 जून, 1969 तक कुल कितने मूल्य का अवैध रूप से रखा गया सोना (अवैध धन) पकड़ा है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति दोषी पाये गये और गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) इस प्रकार अवैध रूप से सोना रखने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सम्भवतः प्रश्न उस सोने के बारे में है जिसे आयकर अधिकारियों ने लेखा बाह्य धन के रूप में पकड़ा है। 1 जून, 1968 से 31 मई, 1969 तक की अवधि में आयकर अधिकारियों ने ऐसा कोई सोना नहीं पकड़ा।

(ख) और (ग) . ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अविवाहितों के लिये चैमरियां

187. **श्री एन० शिवप्पा** :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अविवाहितों के लिये एक कमरे वाली चैमरियां,

जिनमें भोजन करने के कक्ष, रसोईघर और शौचालय जैसी सांझी सुविधाएं हों, बनाई गई हैं ;

(ख) क्या इसके निवासी इन सुविधाओं के लिये किराया दे रहे हैं और सम्पदा कार्यालय उनके वेतन में से इन सांझे कमरों में प्रयुक्त होने वाले पानी तथा बिजली की राशि काट लेता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इनमें प्रयोग के लिये फरनीचर दिया हुआ है तथा वह उसका किराया लेता है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके सांझे नौकरों की बेदखली के लिये कार्यवाही क्यों की जा रही है और उनके कमरों को बन्द क्यों किया जा रहा है, जबकि उन्होंने उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक कमरे वाली चैमरियां आरम्भ में अविवाहितों को आवंटित करने के लिये बनाई गई थी । परन्तु अब इन्हें विवाहित अधिकारियों को भी आवंटित किया जा रहा है ।

(ख) आवंटियों से सांझे भोजन करने के कक्षों, रसोई घरों या शौचालयों आदि के लिये कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाता । रहने के कमरों में पानी के नलों की व्यवस्था नहीं की गई है और इन्हें केवल रसोई घरों, गुसलखानों, शौचालयों आदि में लगाया गया है । प्रत्येक 20 चैमरियों के लिये एक सांझा पानी का मीटर लगाया गया है और आवंटियों से फ्लैट रेट पर जल-प्रभार लिये जाते हैं । प्रत्येक चैमरी में बिजली की खपत के लिये पृथक-पृथक बिजली के मीटर लगाये गये हैं, और आवंटी बिजली के प्रभार स्थानीय निकायों को सीधे अदा करते हैं । सीढ़ियों, स्नानगृहों, शौचालयों, रसोई घरों, भोजन कक्षों आदि जैसे सांझे स्थानों के विद्युत-प्रभार आवंटियों से फ्लैट रेट पर वसूल किये जाते हैं ।

(ग) जहां भोजन कक्ष, रसोई घरों में फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है, किराया नियमों के अनुसार लिया जाता है ।

(घ) 10 चैमरियों के प्रत्येक ब्लाक के लिये, एक भोजन कक्ष, एक रसोई और 2 स्नान-गृह, शौचालय का एकत्र सैट है । एक ब्लाक में भोजन कक्ष और रसोई घर आदि आवंटियों के प्रयोग के लिये है । 8 ब्लाकों के बारे में ये शिकायतें प्राप्त हुई कि भोजन कक्षों का उपयोग व्यापारिक आधार पर मैस चलाने के लिये किया जा रहा है, तथा इन ब्लाकों विशेष के बाहर रहने वाले लोगों द्वारा इन भोजन कक्षों का उपयोग किया जा रहा है । मामले की छान-बीन की गई और भोजन कक्षों से अनधिकृत दखलकारों को निकाल दिया गया और सभी आवंटियों की स्वीकृति आने पर तथा इस शर्त पर कि सभी आवंटी सांझे स्थानों के अनुरक्षण, देखरेख और उनके उचित प्रयोग के लिये उत्तरदायी होंगे, भोजन कक्ष और रसोई घर को ब्लाक के एक आवंटी

के नाम एलाट करने का निर्णय किया गया। आजकल यही पद्धति प्रचलित है और केवल 3 भोजन कक्ष आवंटियों के नाम आवंटित है।

रिजर्व बैंक द्वारा फटे पुराने नोटों को बदलना

188. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत एक वर्ष में भारत के रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं में नये नोटों के लिये कितने फटे-पुराने नोट दिये गये ; और

(ख) देश में परिचालित नोटों की तुलना में इन फटे-पुराने नोटों का कितना प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 21 मार्च 1969 को समाप्त हुये वर्ष में भारत के रिजर्व बैंक के कार्यालयों में, नये नोटों में परिवर्तन के लिये, विभिन्न मूल्यवर्गों के कितने फटे पुराने नोट प्रस्तुत किये गये थे और परिचालित नोटों की तुलना में इन फटे-पुराने नोटों का प्रतिशत कितना था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1277/69]

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

189. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कोयले पर आधारित कोरबा उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और इसमें कब से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा चह्वाण) : सरकारी क्षेत्र में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने का अन्तिम फैसला अभी तक नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आवश्यकता

190. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आवश्यकताओं के बारे में सर्वेक्षण करने के लिये विशेष प्रभाग स्थापित किया गया था ; यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या इस विभाग द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई ऐसा प्रभाग स्थापित नहीं किया गया तो इसके क्या कारण है और यह कब तक स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, मध्य प्रदेश में दो विशेष जांच प्रभाग काम कर रहे हैं। पहला प्रभाग 1964 में बनाया गया था और दूसरा प्रभाग हाल ही में बनाया गया है।

(ख) और (ग). पहले प्रभाग ने ग्राम जल पूर्ति समस्या मूल्यांकन की अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1966 में प्रस्तुत की। ग्राम जल पूर्ति समस्या का मूल्यांकन करने हेतु इस प्रभाग ने राज्य के 76,843 गांवों को चार विभिन्न वर्गों में विभक्त किया नामतः (i) कठिन एवं कमी वाले क्षेत्र (ii) वे क्षेत्र जहां जल पूर्ति अपर्याप्त है (iii) विशेषतः पिछड़े क्षेत्र और (iv) वे क्षेत्र जहां सुरक्षित और साफ पानी की आवश्यकता है। इन सभी गांवों के लिये जल पूर्ति की सुविधाओं की व्यवस्था करने की अनुमानित लागत 85 करोड़ रुपये है। अब दोनों ही प्रभाग प्राथमिकता के आधार पर अलग-अलग गांवों के लिये योजनाएं एवं प्राक्कलन तैयार करने में लगे हुये हैं।

सभी योजनाओं के लिये प्राथमिकता तथा परिव्यय का निर्धारण करना राज्य सरकार का काम है। चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य प्लान योजनाओं जिनमें राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम सम्मिलित है, के लिये केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋण तथा एक मुश्त अनुदान के रूप में दिया जा रहा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आसाम के चाय बागानों के मालिकों द्वारा
आय कर का अपवंचन

191. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के चाय बागानों के मालिकों द्वारा आय-कर के अपवंचन के मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान आयकर की कितनी राशि उन पर बकाया है और बकाया धन को उगाहने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). ऐसे चार मालिकों के मामलों में कर-अपवंचन की कुछ शिकायतें थीं। एक मामले में शिकायत निराधार पायी गयी

तथा पूछ-ताछ के पश्चात् मामले को खतम कर दिया गया । अन्य तीन मामलों में जांच-पड़ताल अभी जारी है ।

(ग) कुछ नहीं ।

भारतीय तेल निगम द्वारा बाजार व्यापार में वृद्धि

192. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र में भी अपना व्यापार बढ़ाया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, इसके बाजार व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) गैर-सरकारी व्यापार में भारतीय तेल निगम बाजार व्यापार 1965 में 13.80 प्रतिशत, 1966 में 20.35 प्रतिशत, 1967 में 26.17 प्रतिशत और 1968 में 31.15 प्रतिशत था ।

उदयपुर के निकट उद्योग-समूह

193. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उदयपुर के निकट एक उर्वरक उद्योग-समूह स्थापित करने का है जो उदयपुर की झीलों के निकट पाये जाने वाले फास्फेट के बड़े निक्षेप पर आधारित होगा ; और

(ख) इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा और इसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). उदयपुर के निकट तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में स्थित राक फास्फेट के निक्षेपों की अभी तक जांच की जा रही है । सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी दल ने, अब तक उपलब्ध दित्तों के आधार पर, सालादीपुर या उदयपुर में, राक फास्फेट के इन निक्षेपों तथा पाइराइट्स के निक्षेपों के इस्तेमाल से, एक उर्वरक उद्योग-समूह के स्थापित किये जाने की संभावना व्यक्त की है । निक्षेपों के व्यापारिक समुपयोजन के बाद ही ऐसे उद्योग-समूह की स्थापना पर विचार किया जा सकता है ।

विश्व बैंक द्वारा भारत को ऋण

194. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के लिए नए ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्व बैंक प्राधिकारियों के सम्मुख भारत को और अधिक ऋण देने के बारे में भारत सरकार के कौन से प्रस्ताव विचारार्थ पड़े हैं, विलम्ब का क्या कारण है और सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) तराई बीज प्रायोजना और तीसरी दूर संचार प्रायोजना के सम्बन्ध में सहायता के लिये विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ, 18 जून, 1969 को उधार ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे । ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1278/69 **]**

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

बिहार में युनिसेफ केन्द्र का कार्य

195. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनिसेफ का एक केन्द्र बिहार में कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) उसके आरम्भ होने से अब तक कितना धन व्यय किया गया है, उसकी तुलना में बिहार केन्द्र की विशिष्ट उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि बिहार केन्द्र के बी० सी० जी० दल ने दरभंगा जिला के मधुबनी उपमंडल की अपेक्षा समस्तीपुर उपमंडल में अधिक दौरे किये हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सामान्यतः तथा विशेषकर दरभंगा जिले में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के बारे में बी० सी० जी० दल की निश्चित नीति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). बिहार राज्य में यूनिसेफ द्वारा कोई केन्द्र नहीं चलाया जा रहा है ।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

कोसी और कमला ब्लान में बाढ़ का नियंत्रण

196. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बिहार में कोसी और कमला ब्लान नदियों की बाढ़ों को नियंत्रण में रखने के लिए पग उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कोसी ।

(1) पश्चिमी तटबन्ध के अन्तिम छोर पर जहां कहीं भी दरारें आई थीं उनकी पूर्ण रूपेण मरम्मत कर दी गई थी और तटबन्धों को उनके डिजाइन के मुताबिक कर दिया गया है।

(2) कोसी नदी के दोनों ओर के समस्त तटबन्ध का ध्यानपूर्वक सर्वेक्षण कर लिया गया है और जहां कहीं तटबन्धों के सेक्शनों में कोई कमी रह गई थी उन्हें ठीक कर दिया गया है।

(3) नई ठोकरें बना दी गई हैं और पुरानी ठोकरों की मरम्मत कर दी गई है। तटबंधों के निकट जाने वाली धार की उप-शाखाओं को बन्द कर दिया गया है।

(4) आपात्काल के लिये काफी सारे बोल्डर, रेत के बोरे, बांस तथा बाढ़ का मुकाबला करने के लिये अन्य सामग्री कुछ नाजुक स्थलों पर इकट्ठी कर ली गई है।

(5) तटबंधों का निरीक्षण करने के लिये नियुक्त अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

(6) वायरलेस सैटों और टेलीफोन के तारों को सही कर दिया गया है और बिजली सप्लाई के वैकल्पिक तरीकों का प्रबंध कर लिया गया है, ताकि बिजली के एक जगह से फेल हो जाने पर भी वायरलेस सेट काम करते रहें।

(7) भारी वृष्टि के दौरान भी पश्चिमी तटबंधों को मोटरों लायक बनाने के लिये उनके ऊपरी हिस्से पर उत्तरोत्तर चरणों में, ईटें और लोहा आदि लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

कमला बालान

इन तटबंधों के साधारण रख रखाव के अतिरिक्त, उनको मजबूत किया जा रहा है और उनके ऊपर की 12 फुट की चौड़ाई को 16 फुट किया जा रहा है ताकि इसे 50 वर्ष आवृत्ति-बाढ़ के लिये सुरक्षित कर दिया जाए ।

इस तटबंध को ऊंचा और मजबूत करने का काम झंझरपुर रेलवे पुल के प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह की ओर पड़ने वाले नाजुक स्थानों में पूरा कर दिया गया है और अन्य स्थानों पर यह कार्य चल रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Inadequate Supply of Electricity and Water in Delhi

197. **Shri Shashi Bhushan**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether people living in Delhi are experiencing more difficulties this year as compared to previous years due to inadequate supply of electricity and water and if so, the reaction of Government in this regard with a view to remove the said difficulties of the people;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the fact that many years back a few public hydrants were installed in Delhi and at other places in its vicinity and about 100 families depend on one public hydrant and out of them only 10 or 15 families can draw water from it and the rest of the people have to wander for fetching water from the surrounding areas; and

(c) if so, the suggestions and instructions proposed to be issued by Government to Municipal Corporation and Municipal Committee with a view to solve the said problem?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddhesh war Prasad): (a) No, Sir.

(b) and (c). In the Urban areas of the Delhi Municipal Corporation there are about 4,000 free public hydrants and in the NDMC area there are about 150 public hydrants. Since there is a lot of wastage of water in these public hydrants, no additional free public hydrants are being installed in the Delhi Municipal Corporation area. Metered public hydrants are, however, provided at the cost of applicants.

कोयली में पेट्रोलियम-रसायन कारखाना समूह

198. **श्री नन्द कुमार सोमानी**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा की एक फर्म ने कोयली में पेट्रोलियम-रसायन कारखाना समूह में भाग लेने के लिये प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). देश में आगामी 5 से 10 वर्षों में संश्लिष्ट रबड़ के लिए मार्किट तथा कोयली उद्योग समूह के अंग के रूप में सही किस्मों के निर्माण के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के अध्ययन में भाग लेने के लिये कनाडा के मैसर्स पोलीमर कारपोरेशन ने पेशकश की हैं। पेशकश की शर्तें विचाराधीन हैं।

दक्षिण मोती बाग (नानकपुर) को जाने वाले मार्ग का बन्द किया जाना

199. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह जब हाल ही में नई दिल्ली में नानकपुर में एक उत्सव में शामिल होने के लिये गये थे तो लिखित रूप में उनसे यह अभ्यावेदन किया गया था कि राव तुला राम मार्ग से दक्षिण मोती बाग कालोनी तक जाने वाला उप-मार्ग बन्द कर दिये जाने के कारण दक्षिण मोती बाग (नानकपुर) के निवासियों का उस मार्ग को प्रयोग करने का अधिकार छीन लिया गया है;

(ख) क्या इस मामले में जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मामले की जांच की जा रही है। तथापि, बंद सड़क के बहुत ही निकट एक और पहुंच सड़क का निर्माण किया जा चुका है।

भारत में कुष्ट रोग के उपचार तथा उसकी रोक थाम के लिये चिकित्सक

200. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० अ० अगड़ी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई-जून, 1969 में एक महीने तक भारत का दौरा करने वाले रूस के दो प्रमुख कुष्ठ रोग चिकित्सकों ने भारत में कुष्ठ रोग के उपचार तथा उसकी रोकथाम के लिये और अधिक चिकित्सकों की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) क्या उनके सुझाव की जांच कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारियों की कमी के बारे में सरकार को जानकारी है । इस कार्यक्रम में लगाये गये चिकित्सा अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के हेतु 150 रु० प्रतिमास विशेष भत्ते के रूप में दिया जाता है । अभिस्थापन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को भी ऐसा ही भत्ता दिया जाता है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1505 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 1505

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथ नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : श्री एस० डी० सोमसुन्दरम, संसद् सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 1505 के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में, जिसका उत्तर 3 मार्च, 1969 को दिया गया था, यह कहा गया था कि ऊंचे तकनीकी पदों के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्टाफ के दो आवेदन-पत्र प्रति वर्ष अग्रेषित किये जाते हैं और यह कि सक्षम बिजली कर्मचारियों की कमी के कारण केवल दो आवेदन-पत्र अग्रेषित किये जाते हैं । तथ्यों की और छानबीन करने के परिणामस्वरूप, यह पता चला है कि ऊंचे पदों के लिए अराजपत्रित (इलैक्ट्रिकल) स्टाफ से 1968 के दौरान प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की कुल संख्या 184 थी । इनमें से 172 आवेदन-पत्र अग्रेषित किये गये थे । शेष 12 में से 5 इसलिए रोके गए क्योंकि या तो आवेदन पत्र देर से प्राप्त हुए अथवा वे उच्चतर पदों के लिये नहीं थे । केवल 7 सेक्शनल अधिकारी (इलेक्ट) के आवेदन-पत्र सार्वजनिक हित में रोके गये क्योंकि सम्बन्धित सैक्शनल अधिकारी महत्वपूर्ण मण्डलों से सम्बद्ध थे जिनका काम मंत्रियों आदि के निवास स्थानों में रेफरीज्रेटरज, एयरकण्डीशनिंग प्लांट तथा इलैक्ट्रिकल इन्स्टालेशन का अनुरक्षण करना था । परिणामत: प्रश्न के भाग (ख) तथा

(ग) के उत्तर को निम्नांकित रूप से संशोधित करना चाहिए :—

"यह सत्य है कि बिजली के सक्षम कर्मचारियों की कमी के कारण, कुछ आवेदन-पत्र सार्वजनिक हित में अग्रेषित नहीं किए गए हैं ।"

पूर्व दिए गए उत्तर में इस अशुद्धि का मुझे खेद है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF UNSTARRED QUESTION NO. 1040

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : दिल्ली नगर निगम ने 15 नवम्बर 1968 के अपने पत्र में बताया था कि नगर निगम ने सरकारी जमीन पर बलात् कब्जा करने के जुर्म में उन व्यक्तियों

के विरुद्ध जो या तो वर्षों पहले मर चुके हैं अथवा जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है कोई मुकदमें दायर नहीं किये है। इसी सूचना के आधार पर 18 नवम्बर 1968 को लोक सभा में श्री विभूति मिश्र द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :—

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

2. तदनन्तर नगर निगम ने बतलाया कि मैसर्स रामजी लाल राम स्वरूप के विरुद्ध श्री रामजी लाल के माध्यम से दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 321 के अधीन (बिना आज्ञा सरकारी जमीन पर कब्जा) दो मामले चलाये गये थे और बाद में यह पता चला कि श्री राम जी लाल वर्षों पहले मर चुके थे। निगम ने यह भी बतलाया कि ऐसे मामलों पर खर्च बहुत मामूली हुआ। प्रत्येक मामले पर मुश्किल से 10 रुपये से अधिक खर्च हुआ। सम्बन्धित निरीक्षक को मुअत्तल कर दिया गया था।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृपया पहले दिये गये उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित उत्तर को माना जाये।

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो या तो वर्षों पहले मर चुके हैं अथवा जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सरकारी जमीन पर बलात् कब्जा करने के जुर्म में दावे दायर किये हैं ;	(क) जी हां। दो मामलों में ऐसा किया गया था और यह दोनों दावे एक ही व्यक्ति की एक फर्म के विरुद्ध थे।
(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों के कारण सरकार को कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ी ; और	(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा किया गया खर्च मामूली था और मुश्किल से एक मामले पर 10 रुपये से अधिक खर्च हुआ।
(ग) सरकार ने इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?	(ग) सम्बन्धित निरीक्षक को दिल्ली नगर निगम ने मुअत्तल कर दिया था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय सैनिक मिशन और भारतीय वायरलैस आपरेटरों को नेपाल से वापिस बुलाया जाना

Shri Balraj Madhok (South-Delhi) : Sir, I call the attention of Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement in regard thereto :

"Demand of the Prime Minister of Nepal after the visit to Nepal by the Minister of External Affairs regarding withdrawal of Indian Military Mission and Indian Wireless Operators from Nepal."

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : कुछ समय से नेपाली अधिकारी इस बात पर आग्रह करते रहे हैं कि नेपाल में सैनिक सम्पर्क अधिकारी हटाये जायें। मई, 1969 में नेपाल के विदेश मंत्री के दिल्ली के दौरे तथा जून, 1969 में मेरे नेपाल के दौरे में भी इस बात पर विचार किया गया था।

हमने नेपाली अधिकारियों को बताया है कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । यह प्रबन्ध पारस्परिक हित में सहयोग के लिये किये गये थे।

Shri Balraj Madhok : Nepal and India are very near to each other and have closer religious and cultural affirmities. But the wrong policies of our Government have resulted in lack of good relations even with our nearest neighbourers.

Nepal is now a buffer state between China and India. India has left an impression that she cannot protect herself, how can she protect neighbouring States. That is the basic reason of deterioration of Indo-Nepal relations.

Unless and until we increase religious and cultural relations with Nepal, our relations with her cannot improve.

I would like to know whether the stationing of wireless operators and liason group in Nepal was an ad-hoc arrangement? I also want to know whether this has any connection with Indo-Nepal Treaty of 1950?

Secondly, I want to know whether this demand was put up by the Nepalese Government before our Government leaders when they visited Nepal, and if so, the difficulties Government is coming across in this matter? Also I want to know whether Government will have talks with Nepal Government on matters of mutual interest?

China and Pakistan are sending their top diplomates to Nepal. Our Government on the other hand treats such in an ordinary way. Will our Government send some such person there who can help in improving relations with Nepal.

Shri Dinesh Singh : I agree with the Hon. Member that we have very close relations with Nepal. These are ages old. These relations exist in many a field. The treaty of 1950 is a treaty of friendship and peace. It has no direct relation with this. Nepal is a sovereign country and we have to treat it like that....(**interruptions**). Both countries are free country. Both want peace. May be that China and Pakistan are infiltrating in Nepal. It is the concern of Government of Nepal. How can we interfere in their internal affairs. We on our part want to strengthen our friendship with Nepal.

श्री सु० कु० तापड़िया : जब मंत्री महोदय नेपाल गये थे उस समय उस यात्रा को बहुत सफलतापूर्वक बताया गया था। एक समाचार-पत्र ने तो विशेष रूप से उसे बहुत बड़ी सफलता माना था। नेपाल ने यह मांग इस यात्रा के तुरन्त बाद की है। मंत्री महोदय ने वहां ऐसी क्या बात कही थी कि यह मांग की गई है। इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि हम सैनिकों को हटाने को सहमत हो जायें तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसी बात नहीं कि मेरी यात्रा के तुरन्त बाद यह मांग रखी गई है। काफी समय से इस पर चर्चा चल रही थी। चर्चा के बाद जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें उल्लेख है कि सभी ऐसे विषयों पर दोनों देशों के विशेषज्ञ बातचीत करेंगे। हमारे सैनिक वहां पर नेपाल वालों की सहायता के लिये हैं। वह वहां पर कोई गुप्त कार्य नहीं करते।

Shri Kanwar Lal Gupta: There is no doubt that we should have good relations with Nepal. The Nepalese Prime Minister's statement asking for withdrawal of Indian personnel has been published immediately after his return. Had this demand been made on diplomatic level, it would have been better. This shows that our Minister's visit to Nepal has not been successful. This also shows that our relations are taking an adverse turn. This is due to mishandling this issue by our Government.

The Hon. Minister on his return from Nepal said that India and Nepal had withstood many powerful pressures from abroad to divide the two countries. I want to know the names of countries that put pressure to disrupt this friendship. Secondly, I want to know whether China is trying to recruit Gurkhas in her forces; if so the reaction of Government in this regard?

I want him to clarify whether it is a fact that the King did like a discussion on Vietnam and West Asia in his interview?

Shri Dinesh Singh: It is not correct. I have also seen such reports in papers. Many things were discussed with the King. I cannot give details about them all.

We have already announced that in case of aggression on Nepal, we provide assistance to Nepal and stand with her. I cannot say anything regarding recruitment of Gurkhas by China. There is no use in giving names of the countries that are instigating Nepal. There is no use in going in detail.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): We know that our relations with Nepal are very old and we want to strengthen all the more. I feel that when the Hon. Minister visited Nepal, he should have agreed to the withdrawal of Indian personnel. Now some people in Nepal are trying to blackmail our Government. I want to know the reasons for causing irritation in our relations with Nepal. Those causes should be removed. What is the progress in regard to talks on Kosi project?

Shri Dinesh Singh: I do not want to say more than what is contained in the joint communique. We are agreeable in principle to what they want.

श्री म० ला० सोंधी : वहां पर हमारा राजदूत एक बड़ी रुकावट है। हमें नेपाल से मैत्री दृढ़ करनी चाहिये। यदि एक व्यक्ति अयोग्य है तो उसे वापिस बुला लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka): We claim that our relations with Nepal are historical, religious and cultural. But we find that with the visit of each V. I. P. our relations are deteriorating. Our late President Dr. Hussain had visited, our former foreign Minister had visited. Then there was the susta affair, which baffled us here. At that time also it was said that our relations are very cordial. Shri Dinesh Singh's visit was also described as a triumph. I want to know whether any progress has been made in regard to agreement that was signed in 1965 on the exchange of arms with Nepal. Another complaint is regarding Karnali Hydel project. What is the progress of talks in that respect?

Shri Dinesh Singh : We have no hesitation in providing help for Karnali project. We want to examine that scheme. Thereafter it would be decided.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी प्रक्रिया जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं : **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1232/69]**

बिहार राज्य के बारे में उद्घोषणा

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अधीन बिहार राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 4 जुलाई, 1969 की उद्घोषणा की एक प्रति, जो दिनांक 4 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1600 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) के अनुसरण में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा दिये गये दिनांक 4 जुलाई, 1969 के आदेश की एक प्रति जो दिनांक 4 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1601 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) राष्ट्रपति को भेजे गये दिनांक 1 जुलाई, 1969 के बिहार के राज्यपाल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1233/69]

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं दिनांक 22 मई, 1969 के सरकारी संकल्प संख्या एफ० 1—3/68—ए ई की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए एक स्वायत्तशासी केन्द्रीय परिषद का गठन किया गया, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1234/69]**

संसद्-कार्य तथा नौवाहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 3) जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 4 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया ।

(दो) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 4) जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 9 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया ।

(तीन) प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 5) जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया ।

(चार) स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 6) जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 3 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित किया गया ।

(पांच) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 7) जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित किया गया ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1235/69]

(छः) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन बैंकिंग कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन तथा हस्तांतरण) अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 8) की एक प्रति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 19 जुलाई, 1969 को प्रख्यापित किया गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1236/69]

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं इनकी एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1969 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण, जैसाकि लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (2) के अधीन अपेक्षित है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1237/69]

(2) रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी समिति, 1962 के प्रतिवेदन के भाग 1 में की गई सिफारिश की मद संख्या 20 (दो) के सम्बन्ध में सरकार की पुनरीक्षित टिप्पणियों की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1238/69]

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मैं सूती कपड़ा उद्योग के लिए द्वितीय केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में दिनांक 17 मई, 1969 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी० 8 (15) 68 की एक प्रति। सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1239/69]

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक, 1 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1554 में प्रकाशित हुआ था।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2185 की एक प्रति, जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1240/69]

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन कोयला खान (परीक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति, पुनः सभा-पटल पर रखेंगे, जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 938 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये। संख्या एल० टी०** 825/69]

(2) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1201 की एक प्रति जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 1241/69]

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं स्थायी सिंध् आयोग के 31 मार्च, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :— **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 1242/69]

(1) भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1969 में लिये गये बाजार ऋण का परिणाम बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1243/69]

(2) लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन लोक ऋण (वार्षिक जमा प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1310 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1311 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1244/69]

(3) जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन जमा बीमा निगम, बम्बई, के वर्ष 1968 के कार्य के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**- 1245/69]

(4) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अधीन बीमा (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 28 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1275 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1246/69]

(5) आयकर अधिनियम,. 1961 की धारा 280 जेड ई की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2447 की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कर प्रत्यय पत्र (औद्योगिक उपक्रमों का स्थानान्तरण) योजना, 1967 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये टी०** 1247/69]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 23 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2000 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1969 का प्रारूप जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2005 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1248/69]

(7) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण तथा कुल बिक्री) संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 9 जून, 1909 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1362 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1363 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1249/69]

(8) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 10वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1317 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1318 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 11वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1319 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1320 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 12वां संशोधन, 1969, जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1321 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1322 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 13वां संशोधन, 1969 जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1323 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1324 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 14वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1325 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1326 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 15वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1327 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1328 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 16वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1329 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1330 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 18वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1543 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1544 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 17वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1545 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1546 (हिन्दी संस्करण) प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 19वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1547 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1548 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1549 जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 6 जनवरी, 1968 की जी० एस० आर० 20 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 21वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1566 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1567 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 22वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1568 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1569 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 23वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1570 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1571 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 24वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1572 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1573 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 25वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1574 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1575 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 26वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1576 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1577 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 27वां संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1578 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1579 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1250/69]

(9) औषधीय तथा सौंदर्य प्रसाधन (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) औषधीय तथा सौंदर्य प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) पहला संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1344 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस०

आर० 1345 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1251/69]

(दो) औषधीय तथा सौंदर्य प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1561 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1562 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधीय तथा सौंदर्य प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) तीसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1563 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1564 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1252/69]

(10) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1019 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1021 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उल्लिखित माल (अवैध निर्यात का निवारण) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1157 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जी० एस० आर० 1158 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1159 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 1160 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) अधिसूचित नाम (अवैध आयात का निवारण) नियम, 1969 हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1161 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) जी० एस० आर० 1162 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 1163 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी० एस० आर० 1164 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) उल्लिखित माल (अवैध निर्यात का निवारण) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1165 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1166 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) जी० एस० आर० 1167 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) जी० एस० आर० 1168 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1170 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) जी० एस० आर० 1169 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1171 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 1172 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) जी० एस० आर० 1173 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्रह) जी० एस० आर० 1178 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अठारह) जी० एस० आर० 1179 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 1180 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 17 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) जी० एस० आर० 1195 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर०

1196 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 13 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1226 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) जी० एस० आर० 1227 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेईस) जी० एस० आर० 1228 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौबीस) जी० एस० आर० 1331 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1332 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 1333 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1334 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छब्बीस) जी० एस० आर० 1337 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1338 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) जी० एस० आर० 1339 जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) निवास-स्थान का बदलना नियम, 1969 जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1478 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1479 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्तीस) जी० एस० आर० 1480 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1481 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 21 जून, 1969 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीस) जी० एस० आर० 1540 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इकतीस) जी० एस० आर० 1580 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1581 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 5 जुलाई, 1969 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1253/69]

(11) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1067, 1068, 1069 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 3 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1233 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1234 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 19 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1236 जो दिनांक 22 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 1342 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1343 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 7 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 1387 जो दिनांक 14 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० आर० 1388 जो दिनांक 14 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 1459 जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी० एस० आर० 1460 जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) जी० एस० आर० 1482 जो दिनांक 21 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1254/69]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

श्री तिरुमल्ल राव (काकिनाडा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:—

(1) औद्योगिक विकास तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)—औद्योगिक लाइसेंस देना—के बारे में प्राक्कलन समिति के नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 79वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय—विदेशी मुद्रा—के बारे में प्राक्कलन समिति के 30वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 89वां प्रतिवेदन।

———

रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य
STATEMENT ON RAILWAY ACCIDENTS

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं बहुत ही दुख के साथ—

कई माननीय सदस्य उठे—

Shri Rabi Ray (Puri) : Two hundred people have been killed. He must first resign.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : यह एक गम्भीर मामला है। कई सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। बड़े खेद की बात है कि आपने सबको अस्वीकार किया है। स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): रेल दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती हैं और मंत्री महोदय वक्तव्य दे देते हैं। और खेद व्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार के वक्तव्यों का दिया जाना। एक औपचारिकता सी बन गई है। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): दो रेल दुर्घटनाओं में 280 से भी अधिक व्यक्ति मरे हैं। मामला बहुत गम्भीर है और मैं निवेदन करता हूं कि स्थगन प्रस्तावों के द्वारा इस पर चर्चा की अनुमति दी जाये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): यह बहुत ही दुख की बात है कि इस जैसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर भी आपने स्थगन प्रस्ताव को ग्रहण नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करें और चर्चा की अनुमति दें।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ध्यान आकर्षण सूचना के

रूप में चर्चा करने से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। अतः आपके लिये अब एक ही विकल्प है कि आप स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके सरकार की आलोचना करने का अवसर दें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, you should not have taken a decision on the Adjournment Motions without hearing us. I suggest that it should now be circulated and taken up at 4.00.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस विषय पर अन्य किसी समय जो आपको ठीक लगे चर्चा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारी भी यही राय है कि इस विषय पर हमारी सुविधानुसार किसी भी समय चर्चा हो सकती है किन्तु इन स्थगन प्रस्तावों पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सुझाव दिये गये हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं स्थगन प्रस्तावों पर पुनः विचार करने के लिये तैयार हूँ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं वक्तव्य को सभापटल पर रखता हूँ।

विवरण

महोदय, मैं बहुत ही दुख के साथ उन दो गम्भीर दुर्घटनाओं के बारे में एक बयान देने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो हाल ही में घटित हुई हैं। पहली दुर्घटना में, 21-6-69 को लगभग 01-10 बजे गाड़ी नं० 6 डाउन इलाहाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस गाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के वाराणसी-भटनी जं० मीटर लाइन खंड में जखनिया और दूलहपुर स्टेशनों के बीच मगई पुल के पहुंच मार्ग के पास किलोमीटर 94/12-11 पर पटरी से उतर गयी। इसके फलस्वरूप गाड़ी का इंजन उलट कर पीलपाये की ढलान पर जा गिरा, इंजन के बाद के तीन डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये और नदी में जा गिरे और उनके बाद के चार डिब्बे अर्थात् चौथे से सातवें डिब्बे पटरी से उतर गये। आखिरी 3 डिब्बे पटरी पर ही खड़े रहे। इस दुर्घटना में 63 व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये और 136 व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें से 46 को गम्भीर चोटें पहुंचीं। बाद में, अस्पताल ले जाते समय 3 व्यक्ति और मर गये और 6 अस्पताल में मरे। इस तरह कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 72 है।

2—दुर्घटना के बारे में सूचना मिलते ही वाराणसी, मऊ जं० और गोरखपुर से डाक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के साथ चिकित्सा सहायता गाड़ियां दुर्घटना-स्थल की ओर रवाना की गयीं। घायल व्यक्तियों की दुर्घटना-स्थल पर देख-भाल करने के बाद, उन्हें मऊ, वाराणसी और आजमगढ़ के अस्पतालों में दाखिल किया गया। दुर्घटना के बारे में सूचना मिलते ही पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक विभागाध्यक्षों के साथ दुर्घटना स्थल की ओर चल पड़े। मैं भी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और इंजीनियरिंग सदस्य के साथ दुर्घटना स्थल पर गया और अस्पताल में घायल व्यक्तियों को देखा।

3—मृतकों के निकट सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी कर दी गयी है।

4—कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने दुर्घटना की जांच की। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार रेल की पटरी के साथ जान-बूझकर की गयी विध्वंसक कारवाई के परिणाम-स्वरूप गाड़ी पटरी से उतरी थी। यह जघन्य कार्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया था जिन्होंने किलोमीटर 94/12-11 पर 39 फीट लम्बी एक पटरी के जोड़ और स्थिरक खोलकर पटरी को उसके पोल्ते स्थान से हटा दिया था।

5—प्रत्यक्षत: अपराधियों की योजना गाड़ी को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की थी; इसी उद्देश्य से उन्होंने रेल की पटरी की निरन्तरता भंग करने के लिए गर्डर पुल के पहुंच मार्ग को चुना, जहां पर पुश्ते की ऊंचाई 22 फीट है।

6—जब गाड़ी तेज रफ्तार से चलती रहती है, तो दुर्घटना को टालने के लिए इस बात का पता लगाना न तो दिन की रोशनी में सम्भव है और न ही रात में इंजन की बत्ती की रोशनी में कि रेल की पटरी कहां पर नहीं है। एक्सप्रेस गाड़ी की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ी ही कम थी, जो इस खंड के लिए निर्धारित रफ्तार है।

7—दूसरी दुर्घटना 14-7-69 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-वाल्टर खंड के जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशन पर हुई। उस दिन 21-40 बजे गाड़ी नं० 513 अप डीजल मालगाड़ी गाड़ी नं० 398 अप आसनसोल-पुरी सवारी गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गयी जिसके परिणामस्वरूप सवारी गाड़ी के पिछले 2 डिब्बे चकनाचूर हो गये। इस दुर्घटना में 69 व्यक्ति घटना-स्थल पर मर गये और 132 को चोटें पहुंचीं जिनमें से 16 व्यक्ति चोट की पीड़ा से मर गये और इस प्रकार मरने वालों की कुल संख्या 85 तक पहुंच गयी।

8—दुर्घटना की सूचना मिलते ही खड़गपुर से चिकित्सा गाड़ी और खुर्दा रोड और भद्रक से चिकित्सा गाड़ी तुरंत घटनास्थल की ओर भेजी गयी। चिकित्सा सहायता गाड़ी के पहुंचने से पहले स्थानीय डाक्टरों द्वारा 90 व्यक्तियों की मरहम-पट्टी की गयी, जिनमें से 70 व्यक्तियों को सड़क के रास्ते जाजपुर टाउन सिविल अस्पताल और 20 व्यक्तियों को गंगडी स्वास्थ्य केन्द्र में भेजा गया। चिकित्सा सहायता गाड़ी के पहुंचने के बाद शेष 42 घायल व्यक्तियों की मरहम-पट्टी रेलवे डाक्टरों द्वारा की गयी और बाद में उन्हें कटक मेडिकल कालेज अस्पताल में भेज दिया गया।

9—रेलवे राज्य मंत्री, रेलवे बोर्ड के इंजीनियरिंग सदस्य के साथ दुर्घटनास्थल पर गये और अस्पतालों में घायल व्यक्तियों से मिले।

10—रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, जो दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक और विभागों के मुख्य अधिकारियों के साथ 15-7-69 को घटनास्थल को गये थे, इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।

11—कुछ मामलों में मृतकों और घायल व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह के रूप में भुगतान किया जा चुका है और बाकी मामलों में भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है।

12—इन दोनों दुर्घटनाओं में मृत्यु और घावों के लिए मुआवजे के दावों की जांच और रकम का निर्धारण तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा किया जायेगा जिसकी नियुक्ति शीघ्र ही सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से की जायेगी।

एक माननीय सदस्य : इस पर आपका निर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्तावों को लम्बित रखा गया है। हम चर्चा करके यह निर्णय करेंगे कि इसको किस रूप में सभा के सामने लाया जाये।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण
NATIONALISATION OF BANKS

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The Minister for Parliamentary Affairs has placed on the Table a copy of the ordinance relating to the nationalisation of Banks. I do not want to go into the merits of the ordinance. The question is not whether nationalisation is right or wrong. The question is that of its propriety. The ordinance was promulgated by the Acting President on the advice of the Prime Minister only 40 hours before the Parliament was going to meet. This is directly related to the dignity and decorum of the House and has a great bearing on the practice and procedure of Parliamentary democracy.

This is not the first time that the right of the Government to promulgate an ordinance has been discussed in Parliament. I quote a few words from the letter that Speaker Mavlankar in his letter of July 17, 1954 to the Prime Minister Jawahar Lal Nehru :

> "The issue of an ordinance is undemocratic and cannot be justified except in cases of extreme urgency or emergency".

Shri Mavlankar further said :

> "If this ordinance issuing is not limited to extreme cases the result may be that Government may go on issuing ordinances giving Lok Sabha no option but to rubber stamp the ordinance".

Panditji replied :

> "I am unable to see why this should be considered undemocratic. Parliament will be the ultimate judge as to whether the use of this power has been right or wrong".

Was the Banking industry in crisis ? Was there any emergency necessitating the nationalisation of Banks ? If there was any crisis it was in the Congress Party itself.

Mr. Deputy Speaker, Sir, you have to protect the rights of this House. The dignity of this house is in your hands. You must give an opportunity to discuss this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। इस औचित्य के निर्णय का बुद्धिमत्ता से कोई सम्बन्ध नहीं है। शीघ्रता तथा आपत्ति कालीन मामलों में ऐसा पग उठाने की व्यवस्था है। प्रधान मंत्री अब अपना वक्तव्य दें।

श्री नारायण दांडेकर (जाम नगर) : इस मामले के दो पहलू हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान में अध्यादेश जारी करने की व्यवस्था है। परन्तु व्यवहार में हम ऐसा अन्तर्सत्रावधि में ही करते रहे हैं, सत्र को पूर्व संध्या को ऐसा नहीं किया जाता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I, have a point of order. If Shri Dandeker is allowed to speak you will have to give a chance to us.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जबतक श्री बाजपेयी के व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा समाप्त नहीं हो जाती तबतक क्या प्रधान मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकती ?

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मेरा श्री बाजपेयी के व्यवस्था के प्रश्न के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं उस बारे में व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बार बार रोकने पर भी उन्होंने मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं दिया, अतएव इसे लेख बद्ध नहीं किया जाएगा।

श्री अब्दुल गनी दार : *

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बाजपेयी को बताया था कि इस मामले में अध्यादेश जारी करने में शीघ्रता आवश्यक थी। उचित यही है कि प्रधान मंत्री औचित्य के प्रश्न का उत्तर दें।

श्री नारायण दांडेकर : अध्यादेश जारी करना उचित नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैंने श्री बाजपेयी के विरुद्ध व्यवस्था दी है और अब आप के विरुद्ध भी देता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक के स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 2 मिनट पर पुनः समावेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

---

* सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री उत्तर देंगी ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : प्रधान मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकती ।

श्री नारायण दांडेकर : मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतएव प्रधान मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकती ।

श्री कंवर लाल गुप्त : इस मामले पर निर्णय लेना न्यायालय का कार्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अस्वीकृति का प्रस्ताव रख सकते हैं ।

श्री रंगा : यह सर्वविदित है कि प्रादेश स्वीकार कर लिया गया है । सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाने वाला है । हम भी अध्यादेश के विरुद्ध कुछ कहेंगे । तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय लेगी । ऐसी स्थिति में क्या औचित्य का प्रश्न उठाना तथा प्रधान मंत्री का वक्तव्य देना उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ने उचित प्रश्न उठाया है । हमने एक समिति बनाकर इस बारे में नियम बनाए है । इसलिये प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने से नहीं रोका जा सकता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना व्यवस्था का प्रश्न रखिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Prime Minister will have to give a statement when she comes forward before the House for the regularisation of the ordinance. Apart from that she has already given her statement over the A. I. R. Thirdly the sub-judice matters are not discussed here.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय,

परसों एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके द्वारा भारत में निगमित बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । आपकी अनुमति से, मैं इस सभा को वे बातें बताऊंगी जिनका विचार करके सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय किया और उस भावना का भी उल्लेख करूंगी जिसके अनुसार सरकार इस निर्णय को क्रियान्वित करना चाहती है ।

2. लगभग पन्द्रह वर्ष पहले, संसद ने इस बात का अनुमोदन किया था कि हमें अपने सामने समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना का लक्ष्य रखना चाहिए । तब से अब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं । इस देश में हम जो नई सामाजिक व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था और लोक-महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रभाव शाली बड़ी संस्थाओं पर लोक-स्वामित्व नियंत्रण रखना अनिवार्य

और महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसे निर्धन देश में, इस तरह के उपायों को हम खास तौर से जरूरी समझते हैं, क्योंकि भारत, सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था अर्थात ऐसी व्यवस्था कायम रखते हुए शीघ्रता से आर्थिक प्रगति करना चाहता है जिसमें कुछ इने-गिने व्यक्तियों का प्रभुत्व न हो और जिसमें सभी को समान अवसर उपलब्ध हों।

3. किसी भी समाज में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो प्रभावशाली माध्यम हुआ करते हैं, वित्तीय संस्थाएं उनमें से ही है। इसी तथ्य के अनुसार, आज से लगभग दस वर्ष पहले हमने जीवन बीमा तथा भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया का राष्ट्रीकरण किया था। तब से हमने, उद्योग-धन्धों तथा कृषि के लिये दरम्याने या लम्बे अरसे के ऋणों की व्यवस्था करने के लिये सरकारी क्षेत्र में अन्य संस्थायें कायम की हैं। बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जनता की बचतों का संग्रह करना और उन्हें उत्पादन के काम के लिये उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थाओं पर सार्वजनिक नियंत्रण कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

4. हमें हाल के वर्षों में बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है पर इसके बाद अब हमारी अर्थ-व्यवस्था फिर से विकास और प्रगति करने की स्थिति में पहुंच गई है। कृषि-क्षेत्र में खास करके उद्योग, विद्या और अन्य दिशाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे निर्यात में भी प्रभावशाली वृद्धि हुई है। बिजली की पूर्ति, परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशिक्षित लोगों की उपलब्धि में भी बहुत वृद्धि हुई है। हमारे देश की औद्योगिक बुनियाद मजबूत हो गयी है और साथ ही विविध उद्योगों की स्थापना भी हुई है। इस स्थिति में हमने इस वर्ष के शुरू में, चौथी पंचवर्षीय योजना बड़े भरोसे और दृढ़निश्चय से शुरू की है।

5. पिछले कुछ दिनों से जिस सवाल पर हम बराबर ध्यान देते चले आ रहे हैं, वह यह है कि विकास की इस प्रक्रिया में हम किस प्रकार अधिक से अधिक शक्ति और गति पैदा कर सकते हैं, जिससे सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में चौथी आयोजना के लक्ष्य न सिर्फ पूरे किये जायं, बल्कि यदि हो सके, तो उनसे भी ज्यादा काम किया जायं। हमारे सामने जो मुख्य समस्या रही है वह पूंजी का निवेष और उत्पादन की गति को बढ़ाने की है, जिससे हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें और रोजगार मिलने के अवसर बढ़ा सकें। यह जरूरी है कि हम जहां तक संभव हो अधिक से अधिक बचत जुटाएं और देश की योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें उत्पादन के काम के लिये इस्तेमाल करें। सरकार का विश्वास है कि बड़े-बड़े बैंकों पर लोक-स्वामित्व कायम हो जाने से, जिसके लिये आम जनता का समर्थन हमें प्राप्त है, राष्ट्रीय साधनों के अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से जुटाई जाने और उनका उपयोग किये जाने के काम में बहुत मदद मिलेगी, जिससे हम और ज्यादा यकीन के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे।

6. भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश में भारत में निगमित उन सभी अनुसूचित बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था की गई है जिनके पास जमा रकमें पिछले जून के अन्त में 50 करोड़ रुपये से कम नहीं थी। इस वर्ग के चौदह बैंकों में और भारतीय राज्य बैंक तथा उसके सहायक बैंकों में, जो पहले से ही लोक-स्वामित्व के अधीन चल रहे हैं, इस देश के बैंकों में, जमा रकमों की 85 प्रतिशत से अधिक रकमें जमा हैं। सभा यह बात महसूस करेगी कि राष्ट्रीयकरण के स्वरूप को देखते हुये और ऐसी चालें चली जाने की सम्भावना को भी पहले से ही रोकने के लिये, जो सम्भवतः लोकहित में न होती यह आवश्यक था कि शीघ्रता से और संहसा कार्रवाई की जाती जो केवल अध्यादेश जारी करके ही की जा सकती थी। चूंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार के इरादे के बारे में अटकलें बहुत जोर शोर से लगाई जाने लगीं थीं इसलिए अधिक समय नष्ट न करते हुये ऐसी कार्रवाई करना और भी आवश्यक हो गया था। यह कार्रवाई संसद के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई है जो एक विधेयक द्वारा जिसे चालू सत्र में पेश करने का सरकार का विचार है, प्राप्त किया जायगा।

7. जहां तक विदेशी बैंकों का सम्बन्ध है, सामान्यतः वे बैंक देश में विशिष्ट प्रकार के कारबार जैसे विदेशी व्यापार और पर्यटन की सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। सम्बद्ध देश के कानूनों के अनुसार एक देश के बैंकों का दूसरे देश में काम करना मुख्यतः इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है और यह काम अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा के एक अंश के रूप में होता है। हमारे भारतीय बैंकों की शाखाएं भी कई देशों में है। सरकार की यह सामान्य नीति रही है कि विदेशी बैंकों की नई शाखाएं केवल बड़े-बड़े बन्दरगाहों वाले नगरों में ही खोली जाएं, जहां उनकी विशिष्ट सेवाओं की आवश्यकता होती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये, सरकार ने यह फैसला किया है कि भारत से बाहर निगमित किये गये विदेशी बैंकों की शाखाओं पर यह अध्यादेश लागू न किया जाय।

8. जैसा कि मैंने उस दिन कहा, यह राष्ट्रीयकरण के नये युग की शुरुआत नहीं है। अर्थ व्यवस्था का कोई भी स्वरूप हो, व्यापक रूप से यह माना जाता है कि बैंकों के कार्य बड़े-बड़े सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हों और उनपर सरकार का कड़ा नियंत्रण हो। सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वांछित नियंत्रण और हमारी समस्याओं की अत्यावश्यकता के अनुरूप प्रगति केवल राष्ट्रीयकरण द्वारा ही हो सकती है।

9. मैं अपने इस आश्वासन को दोहराना चाहती हूं कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी गैर-सरकारी उद्योग और व्यापार की ऋण सम्बन्धी उचित आवश्यकताएं, चाहे वे बड़ी हो या छोटी, पूरी की जाती रहेंगी। वास्तव में हमारी यह कोशिश रहेगी कि अर्थ व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताएं, और खास कर किसानों, छोटे उद्योगपतियों और अपना निजी काम धन्धा करने वाले व्यवसायिक समूहों की आवश्यकताएं अधिकाधिक मात्रा में पूरी की जाय। राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक निश्चित उद्देश्य यह होगा कि वे नये और प्रगतिशील उद्यमकर्ताओं

को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें और देश के विभिन्न भागों के लिये नये अवसर प्रदान करें जो अब तक उपेक्षित और पिछड़े हुये हैं। अब बैंक और अच्छी तरह से किसानों के काम आ सकेंगे और कृषि-उत्पादन तथा गांवों के विकास कार्यों को सामान्यत: और बढ़ावा दे सकेंगे। बैंकों पर सरकार का अधिकार हो जाने से बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को सट्टेबाजी और दूसरे अनुत्पादक कार्यों के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बड़े-बड़े बैंकों और अब तक उन पर नियंत्रण रखने वाले बड़े औद्योगिक समूहों के बीच सम्पर्क काट दिये जाने के फलस्वरूप, सरकार का यह विश्वास है कि उसने जो कदम उठाया है उससे बैंक-व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त व्यवसायिक-प्रबन्ध का विकास करने की दिशा में उचित वातावरण तैयार हो सकेगा। सरकार प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को सबसे अधिक महत्व देती है।

10. जमाकर्ता बैंकों में जो रकम जमा करवाते हैं वह बैंकों के पास एक प्रकार की धरोहर के रूप में रहती है। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है उनके जमाकर्ताओं के हितों की, न केवल बराबर रक्षा की जाती रहेगी बल्कि अब उन्हें स्वयं राज्य का भी समर्थन प्राप्त होगा। यहां मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, नये उद्यमकर्ताओं और अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रोंके सम्बन्ध में आर्थिक क्षमता पर विचार किये बिना कोई जोर नहीं दिया जायेगा। हम केवल उसी तरीके से उन व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं जिन्होंने अपनी बचत की रकमें जन-हित के लिये हमें सौंप दी हैं। लेकिन आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुये भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को पहले से और अधिक मात्रा में ऋण दिये जा सकते हैं। आम जनता को स्टेट बैंक के काम के बारे में पहले से ही जानकारी है जिसके आधार पर वे यह भली भांति जान सकते हैं कि किस प्रकार लोक-हित और सुरक्षा तथा जमाकर्ताओं को अधिक लाभ पहुंचाने जैसे उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जा सकता है।

11. अध्यादेश में सम्बद्ध बैंकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा के लिये भी कर्मचारियों के व्यवस्था की गई है। वे कर्मचारी अब लोक स्वामित्व वाली और सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायी बैंक व्यवस्था के कर्मचारी हो गये हैं। इससे समाज के प्रति उन पर अधिक जिम्मेदारी आ जाती है। राष्ट्रीयकरण के कार्य-क्रम की सफलता मुख्यत: इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार कुशलता, कर्तव्य-निष्ठा तथा आस्था के साथ अपना दैनिक कार्य करते हैं और बैंक के असामियों के साथ शिष्ट और सम्मानप्रद व्यवहार करते हैं। मुझे आशा है कि इन बैंकों के सभी कर्मचारी और उनके संघ हमारे इस कदम को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग और सहायता देंगे।

12. बैंकों को लेने के लिये अध्यादेश में एक फार्मूले के अनुसार उचित मुआवजा देने की योजना की व्यवस्था है जिसे संसद ने बैंक विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 को

अधिनियमित करते समय हाल ही में स्वीकार किया था। अध्यादेश में यह व्यवस्था है कि मुआवजा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में चुकाया जाएगा।

13. इस समय, राष्ट्रीयकृत प्रत्येक बैंक का अस्तित्व एक नये निगम के रूप में पृथक बनाये रखने का विचार है, ताकि अध्यादेश के अन्तर्गत आने वाले बैंकों का कार्य यथासम्भव कम से कम अस्तव्यस्त हो और लोगों को असुविधा न हो। ऐसे प्रत्येक बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब केन्द्रीय सरकार की ओर से उस बैंक का अभिरक्षक है और वह केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण और निदेशन के अधीन कार्य करेगा। प्रत्येक मामले में भूतपूर्व निदेशक बोर्ड विघटित हो गया है और अध्यादेश में सरकार को इन निदेशक बोर्डों के स्थान पर परामर्शदाता बोर्डों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था अन्तरिम है। प्रबन्ध के ढांचे में परिवर्तन करना भी आवश्यक हो सकता है ; ये परिवर्तन पूरी तरह से सोच-विचार करने के बाद किये जाएंगे। अध्यादेश में इस प्रकार के परिवर्तनों की व्यवस्था की गई है।

14. जैसा कि नीति सम्बन्धी अन्य विषयों में किया जाता है, सरकार ने वर्तमान निश्चय केवल राष्ट्रीय हितों और देश के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का विचार करते हुये किया है। समाजवादी समाज की स्थापना करना हमारा घोषित लक्ष्य है लेकिन हम कोरे सिद्धान्तवादी विचारों से प्रेरित नहीं हुये हैं। हमें एकमात्र चिन्ता यही रही है कि विकास की गति को तेज किया जाय और इस प्रकार गरीबी और बेकारी की समस्या को प्रभावशाली ढंग से हल किया जाय, जनता के धनी और निर्धन वर्ग तथा पिछड़े हुये क्षेत्रों के बीच विद्यमान असमानताओं को धीरे-धीरे कम किया जाय।

मैं महसूस करती हूं कि इस निर्णय को कारगर ढंग से अमल में लाना ही इसकी कसौटी है। कार्य को सफल बनाने के लिये सरकार सभी सम्भव कदम उठाने के लिये कटिबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर इस सभा के सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को उद्देश्य सहित सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

उप-प्रधान मंत्री के त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RESIGNATION OF DEPUTY PRIME MINISTER

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : मैं अत्यन्त खेद के साथ अपने त्यागपत्र के कारण पर सभा में प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि इसमें मेरे तथा प्रधान मंत्री के सम्बन्धों का प्रश्न है। जो परिस्थिति है, उसमें मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि मेरे लिये मंत्रिमण्डल में अपने आत्म-सम्मान का बलिदान किये बिना रहना सम्भव नहीं, क्योंकि मुझे वित्त मंत्रालय से, बिना परामर्श किये, भार मुक्त कर दिया गया।

चौथे निर्वाचन के पश्चात कांग्रेस दल ने अपना नेता चुना। प्रधान मंत्री के आग्रह पर ही मैं मंत्रिमण्डल में उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के रूप में सम्मिलित हुआ। उनके आग्रह पर ही मैंने वित्त विभाग सम्भाला। दो वर्ष से मैं वित्त मंत्री के रूप में दल तथा मंत्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करता रहा हूं। प्रजातंत्र का यह मान्य सिद्धान्त है कि हर व्यक्ति को सोचने तथा अपने दृष्टिकोण को स्वतंत्रता एवं निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत करने का अधिकार है। सभी निर्णय निष्पक्ष वादविवाद के पश्चात तय किये जाने चाहिये। निर्णयों का अनुपालन मैं पूर्णरुपेण करता रहा हूं। मेरे 39 वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर जो भी दृष्टिपात करेगा वह मेरी बात की पुष्टि करे बिना नहीं रह सकता।

प्रधान मंत्री के 10 तारीख के पत्र से मुझे आश्चर्य हुआ, जिसमें कहा गया था कि उनकी मति में मेरी कुछ दृढ़ मान्यताएं हैं जिनके कारण बंगलौर में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करना मेरे ऊपर एक भार होगा अतएव उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार स्वयं लेने का निश्चय किया है। स्पष्ट है कि बंगलौर में पारित आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव मैंने बिना किसी प्रस्तुत संकोच के प्रस्तुत किया था। यदि मैं किसी बात को स्वीकार कर लेता हूं तो उसे कार्यान्वित करने का हृदय से यत्न करता हूं। यह बात प्रधान मंत्री को विदित है। अतः स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री को मेरी सत्यनिष्ठा पर विश्वास नहीं रहा। निर्णय से पूर्व मेरे द्वारा दृढ़तापूर्वक व्यक्त विचारों के कारण ही सम्भवतः प्रधान मंत्री ने मेरे निश्चयों के बारे में धारणा बनाई है। यदि निर्णय से पूर्व के तर्क-वितर्क को आरक्षण माना जायगा तो कोई भी व्यक्ति स्पष्ट मत व्यक्त नहीं कर सकेगा। तथा वह स्थिति प्रजातन्त्र के लिये हानिकर होगी।

मैं कई वर्ष तक बम्बई राज्य का मुख्य मंत्री तथा 9 वर्ष केन्द्रीय मंत्री मण्डल में रहा हूं। इस अवधि में मैंने दल की तथा मंत्री मण्डल की निर्धारित नीति के कार्य-वहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार मेरे व्यापक सहयोग के बावजूद भी प्रधान मंत्री ने अब मुझसे अविश्वास प्रकट किया है तब मेरा मंत्रिमण्डल में बना रहना व्यर्थ है। जिस ढंग से मुझे वित्त विभाग के कार्य-भार से मुक्त किया गया है उससे मेरे आत्म-सम्मान को धक्का लगा है। मैंने उनसे कहा कि वे अपने को मेरी स्थिति में रखकर सोचें और यदि वे अनुभव करें कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें उस अन्याय को दूर करना चाहिए। परन्तु वे ऐसा करने को उद्यत नहीं हुई।

पिछले कई महीनों से कुछ निहित स्वार्थ व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्रयत्न किये जाते रहें हैं जिनमें यह व्यक्त किया जाता रहा है कि मैं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तन का विरोधी हूं। ये लोग शायद नहीं जानते कि मेरा जन्म तथा पालन-पोषण निर्धनता में हुआ है। निर्धनता और असमानता को दूर करने में मैं सदा यत्नशील रहा हूं। मैं मानता रहा हूं कि ये परिवर्तन अति अल्प काल में नहीं लाए जा सकते। समाज तथा सरकार के संयुक्त एवं निरंतर प्रयत्नों से ही यह परिवर्तन लाए जा सकते हैं।

यदि मैं इस कार्रवाई के पश्चात् भी उप-प्रधान मंत्री बना रहना स्वीकार करूं तो यह बात मेरे सम्मान के विरुद्ध होगी और इससे यही समझा जायगा कि यह मैंने कुरसी के लिये ही किया है। मुझे आशा है कि सदन मेरी कार्यवाही का औचित्य अनुभव करेगा। आपकी अनुमति से मैं प्रधान मंत्री के साथ हुए अपने पत्र-व्यवहार की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जिससे कि सदन को तथ्यों की ठीक जानकारी हो सके।

Shri Madhu Limaye : The Former Deputy Prime Minister has given a statement on the principles of Democracy, Parliamentary procedure and the composition of cabinet. We should be given an opportunity to discuss these issues in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मेरा श्री मोरारजी देसाई के साथ एक लम्बी अवधि से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहा है। पिछले दो वर्षों में मंत्रिमण्डल में रहते हुए वे अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते रहे हैं। उनके विचारों से किसी को भी हानि हुई हो ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिए।

मैंने पत्रों द्वारा तथा उनके साथ हुए विचार-विमर्श में सविस्तार उन कारणों को बता दिया है, जिनसे मुझे वित्त-मंत्रालय अपने अधीन करने का निश्चय करना पड़ा।

श्री देसाई अनुशासन का पालन करने के लिये प्रसिद्ध हैं और किसी भी निर्णय को उनके द्वारा कार्यान्वित न करने अथवा उनकी कार्यनिष्ठा के प्रति कभी कोई संदेह नहीं उठा है।

यह मामला स्वीकृत निर्णयों को ईमानदारी से कार्यान्वित करने का ही नहीं था। सभी जानते हैं कि वर्तमान आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में श्री मोरारजी देसाई के कुछ अपने निंश्चित विचार थे। बंगलौर में हुई बैठक में मैंने नीति के पुर्नानिर्धारण के सम्बन्ध में एक नोट प्रस्तुत किया था और उसके आधार पर वहां इस बारे में विचार-विमर्श हुआ। इस नीति सम्बन्धी टिप्पण को कांग्रेस द्वारा घोषित समाजवादी लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में एक महत्वपूर्ण कदम ही नहीं समझा गया वरन् उसके लिये आवश्यक कार्यवाही की भी मांग की गई जिनका सूत्रपात किया जा चुका है। अतः इसी आधार पर मैंने यह उपयुक्त समझा कि मैं स्वयं वित्त मंत्रालय का भार अपने हाथों में ले लूं क्योंकि इन नीतियों को कार्यान्वित करने के बारे में इस मंत्रालय का सीधा सम्बन्ध है।

इस प्रकार प्रश्न केवल वित्त मंत्री को बदलने का था। जब मैंने यह पद बदलने का निश्चय किया तो पहले मैंने श्री देसाई को पत्र लिखा जिसमें उन्हें इस निर्णय से सूचित किया था। उसके उपरांत मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। वास्तव में मैं चाहती थी कि श्री देसाई उप-प्रधान मंत्री पद पर बने रहें। मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि हम लोग विस्तृत व्यवस्था के बारे में विचार करें किन्तु इस विषय में बातचीत करने के लिये परस्पर मिलने से पूर्व ही श्री देसाई ने अपना त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की।

मैं श्री देसाई और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उनके सरकार को छोड़ने से मुझे भारी दुःख हुआ है। श्री देसाई ने देश की महती सेवा की है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में

भाग लिया था। अतः यह स्वाभाविक है कि मेरी उनके प्रति भारी आस्था है। मैं फिर एक बार उनको हृदय से धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि वह जिस प्रकार अब तक सरकार को अपनी बहुमूल्य सलाह देते रहे हैं आगे भी देते रहेंगे।

उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार (आपराधिक मामलों में) का विस्तार विधेयक

ENLARGEMENT OF THE APPELLATE (CRIMINAL) JURISDICTION OF THE SUPREME COURT BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिए विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विस्तार के लिए विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय आगामी सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

तेल-क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक

OIL FIELDS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तेल-क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव चन्द्र झा इस विधेयक के पुरःस्थापन पर विरोध करना चाहते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Sir, I oppose the introduction of the Oil-fields (Regulation and Development) Amendment Bill in accordance with the provisions made in the Constitution. It has been mentioned in the entries 53 and 54 of the Union List of the Constitution that all oil-fields and mines fall under the control of the Central Government. But

these oil-fields and mines are still under the control of the Private Sector. This position is against the preamble of our constitution and also against our objectives of social welfare.

In this context I request the Hon. Minister to withdraw this bill. The Government should also bring a bill envisaging the nationalisation of the oil-fields and mines in order to take steps in regard to the proper regulation and development of the oil-fields.

डा० त्रिगुण सेन : उद्देश्य तथा कारण बताने वाले वक्तव्य में हमने उल्लेख किया है कि इसमें केवल सीमित क्षेत्र ही आता है। 1962 में रायल्टी की दर निश्चित की गई थी। बाद में भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भूतलक्षी प्रभाव के साथ रायल्टी की दर बढ़ाने का पंचाट दिया। अतः जब तक इसमें संशोधन नहीं होता हम भूतलक्षी प्रभाव से रायल्टी नहीं दे सकते। इस प्रकार इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तेल-क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

डा० त्रिगुण सेन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथाभत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक को लाने के बारे में बहुत बार विरोध किया गया है। जब संसद् सदस्यों के वेतन या भत्ते में 31 रुपयों से 51 रुपयों की वृद्धि की गई थी तब भी हमने विरोध किया था। प्रश्न यह है कि जब सरकार अपने कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है तो संसद् सदस्यों के भत्ते आदि में वृद्धि क्यों होनी चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

[**श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए**
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

स्थिति यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है तथा असंख्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि वे अधिक वेतन की मांग न करें क्योंकि

सरकार के पास पैसा नहीं है । नई-नई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । अतः ऐसी स्थिति में संसद् सदस्यों के भत्ते को बढ़ाकर प्रति दिन 51 रुपये किया जाना उचित नहीं है । भत्ते में वृद्धि होने से प्रति माह 1000 रुपयों का अतिरिक्त भार पड़ेगा । इसका जनता के ऊपर ही भार पड़ेगा । अतः सभी माननीय सदस्यों को इस बात की अनुभूति होनी चाहिये कि वे जनता की लागत पर ये अतिरिक्त भत्ता लेंगे । मुझे माननीया प्रधान मंत्री के भाषण से बड़ी निराशा हुई है और मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री इस विधेयक को वापस ले लें ।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh): Sir, it should be recalled that a committee consisting of the Members of both the Houses made certain recommendations unanimously with regard of the certain facilities to be given to the Members of the Parliament. The facilities proposed were of the nature of providing them the free transport throughout the state concerned, free postage and a stenographer so that the members may easily get themselves connected to the people of their constituencies. All these facilities were recommended with the view that the Members would be able to perform their duties more effectively and conveniently. But what we observe now is that no heed is being paid towards all these recommendations and much stress is being laid on the enhanced rates of the daily allowances of the Members while this recommendation was made by majority. We are being much criticised in the public on the point that because raising of our allowances is under our own control so there would be no difficulty in this matter. People feel that their interests are being ignored by the Members and the Government. Therefore, this misgiving of the public must be eraised and the Government should have brought a bill regarding the facilities proposed to be given to the Members and not a bill regarding to the enhancement of the daily allowance. Thus I oppose this bill.

Shri George Fernandes (Bombay-South): Sir, I am at a loss to understand the congruity of enhancing the daily allowance of the Members of the Parliament involving a heavy amount of Rs. 1 crore **vis-a-vis** the new economic measures being adopted by the Government in the field of bank's nationalization to secure the more resources for the country. The genuine demand of increasing the pension rates of the pensioners being put forward by us was spurn aside by the Government in the name of non-availability of money or the economic crisis in the country. But for this heavy amount being proposed to be incurred there is no economic crisis in the country. It is obviously strange.

I am constrained to mention that there is a vast difference between the policies and the practice of the Government. For the benefit of the pensioners and the Government servants Government have no money to spare but they are not hesitating a least to sanction more and more money to the M.Ps. I think that to give certain facilities to the Members may be said all right but the enhancement of daily allowance can not be said justifiable.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): On a point of order, Sir, Mr. Speaker has already given his ruling that only those decisions will be brought in the shape of bill which are accepted unanimously. No bill can be introduced against the ruling of the Speaker and unless the ruling of the Speaker is changed this bill can not be introduced here.

सभापति महोदय : श्री उमानाथ का क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उमानाथ (पुडुकोटै) : इस सदन ने एक समिति की स्थापना की थी तथा उसी समिति की कुछ सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक लाया गया है । इस समिति को कई मामलों पर

विचार करने को कहा गया था जिनमें एक मामला सदस्यों के वेतन के सम्बन्ध में भी था। किन्तु जब माननीय अध्यक्ष से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने आदेश दिया कि समिति केवल सदस्यों को सुविधायें देने के मामलों पर ही विचार कर सकती है वेतन के विषय में नहीं। बाद में समिति ने माननीय अध्यक्ष से फिर पूछा कि क्या उसे सदस्यों के वेतन में परिवर्तन करने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर लिखित आदेश दिये कि समिति को सदस्यों की सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार है किन्तु उसे वेतन के प्रश्न पर विचार करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समिति ने अध्यक्ष महोदय के आदेशों का उल्लंघन किया है तथा सदन की आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। अतः यह विधेयक अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के उल्लंघन पर आधारित है। इसीलिये मैं इसके पेश किये जाने का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : उस समिति में मैं भी था तथा मैं जानता हूं कि समिति में इस बारे में विचार हुआ था। किन्तु चूंकि यह समिति राज्य सभा तथा लोक सभा दोनों ही सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनाई गई थी अतः समिति ने यह निर्णय किया था इस बारे में अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय बाधक नहीं हो सकता।

प्रश्न यह है :

'कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।'

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided:

पक्ष में	220	विपक्ष में	62
	Ayes 220;		Noes 62

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री रघुरामैया : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के बारे में सांविधिक संकल्प तथा भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE 1969 AND INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 3)

का, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 4 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की बहुत अभ्यस्त हो गई है। सरकार के इस रवैये से इस सभा का महत्व बहुत घट जाता है क्योंकि सभा के लिये केवल सरकार निर्णयों पर अपनी स्वीकृति की मुहर ही लगाना शेष रह जाता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बारे में प्रख्यापित किया जाने वाला अध्यादेश संसद् के समवेत होने से केवल 40 घंटे पूर्व ही प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश को टाला जा सकता था।

जहां तक प्रस्तुत अध्यादेशों का सम्बन्ध है मेरे विचार से कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां नहीं थीं जिनके कारण रेलवे मंत्री महोदय को अध्यादेश के द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वालों को दी जाने वाली सजा में वृद्धि करनी पड़ी है। इस बात को सभा में सामान्य रूप से लाया जा सकता था। अतः मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे सरकार की अध्यादेश प्रख्यापित करने की आदत को कम करें। इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 123 में संशोधन होना चाहिए अथवा संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त होनी चाहिए जो राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह दे। राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को प्रख्यापित करने से पूर्व इस समिति से सलाह लें कि क्या वास्तव में अध्यादेश न्यायसंगत है।

रेलवे तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुशल प्रबन्ध की कमी तथा भ्रष्टाचार जैसी अनेक बुराइयां पाई जाती हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंकों में भी नौकरशाही तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा।

वास्तव में बिना टिकट यात्रा को रोकना चाहिए क्योंकि इससे देश के राजस्व में भारी हानि हो रही है। किन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि बिना टिकट यात्रा को रोकने के बारे में वर्तमान व्यवस्था को भी पूर्णरूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। स्टेशनों पर भारी भीड़ टिकट लेने को जमा होती है किन्तु सभी व्यक्ति टिकट नहीं ले पाते और बिना टिकट लिये ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। यद्यपि बहुत से यात्री टिकट लेना चाहते हैं किन्तु उपयुक्त व्यवस्था के न होने के कारण वे टिकट नहीं ले पाते।

इतना ही नहीं स्वयं टिकट कलेक्टर भी बिना टिकट के यात्रियों को ठगते हैं। यद्यपि बहुत से यात्री टिकट लेना चाहते हैं किन्तु टिकट कलेक्टर उन्हें जुर्माने से डराकर अपने लिये कुछ धन लेकर उन्हें छोड़ देता है। अतः यदि इस जुर्माने में और वृद्धि की गई तो टिकट कलेक्टर और भी यात्रियों को ठगने में समर्थ होंगे क्योंकि अधिक जुर्माने के कारण यात्री यही अच्छा समझेंगे कि उससे कम टिकट कलेक्टर को देकर अपनी जान छुड़ाएं। मंत्री महोदय इन तथ्यों की जांच भी कर सकते हैं।

इस स्थिति को देखते हुए मेरा यह सुझाव है कि रेलवे अधिनियम के अनुच्छेद 68 (2) के अन्तर्गत यात्रियों को प्रमाणपत्र अथवा टिकट देने की समुचित व्यवस्था की जाए और यात्रियों को प्रमाणपत्र देने की भी सुविधा प्रदान की जाए जिससे यह पता चले कि यात्री टिकट खरीदना चाहते थे। उन लोगों के साथ जो रेल का वैध भाड़ा भी नहीं देते हैं, ठीक यात्रियों को तंग नहीं करना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले ठीक यात्री को वर्दी पहने हुए टिकट संग्रह कर्ता को प्रमाणपत्र देने का अधिकार होना चाहिए जिससे वास्तविक यात्री को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस व्यवस्था से रेलवे को जो वित्तीय हानि होती है, वह भी बन्द हो जायेगी।

जब तक वर्तमान विधानों को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा। दण्ड बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। यह अध्यादेश निरर्थक है। अतः इसमें संशोधन करना चाहिये।

रेलगाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ होने के कारण भी बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि होती है। टिकटों के आरक्षण के सम्बन्ध में भी कठिनाइयां हैं। अनेक प्रकार के उपायों के बावजूद आरक्षण की प्रणाली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। इसको दूर करने के लिए रेल गाड़ियों में 50 प्रतिशत स्थान की वृद्धि करनी चाहिए, और रेलगाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए, और रेल गाड़ियों में रेल के डिब्बों की भी वृद्धि करनी चाहिए। इससे रेल के डिब्बों के निर्माता इंजीनियरिंग उद्योग को रेल के डिब्बे बनाने के जो आदेश दिए जायेंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा। ऐसा जान पड़ता है कि रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले टिकट निरीक्षक एवं संवाहकों की भी कमी है और यदि बिना टिकट यात्रा इसी कारण होती है तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

रेलवे सुरक्षा दल अक्षम और अयोग्य है। मुख्य रेलवे स्टेशनों पर भी यदि यह दल होता है तो ये सक्रिय नहीं होता। दिल्ली से गाजियाबाद तक लोग जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करते हैं और किसी भी श्रेणी के डिब्बे में प्रवेश कर लेते हैं और वास्तविक यात्रियों को तंग करते हैं। टिकट निरीक्षकों को उन अभियुक्तों को, जो अव्यवस्था फैलाते हैं, पकड़ने का साहस नहीं होता। यदि रेलवे सुरक्षा दल इन स्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं हैं तो इस दल का विस्तार करने के बजाए से इसे और अधिक दृढ़ बनाना चाहिए। मुख्य स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा दल की टुकड़ियां होनी चाहिए जिनका उपयोग बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए किया जाना चाहिए। यह समस्या केवल दिल्ली और गाजियाबाद के बीच ही नहीं है, अपितु बिहार, पश्चिम-बंगाल तथा अन्य राज्यों में भी है।

रेलवे सम्पत्ति की बहुत चोरी होती है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय गम्भीरता से विचार करें और रेलवे सुरक्षा दल को और अधिक सक्रिय बनाएं, क्योंकि चोरी के साथ-साथ हत्याएं भी होती हैं।

रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि इन दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि उसी तेजी से हो रही हैं जिस तेजी से अमरीका अन्तरिक्ष विज्ञान में प्रगति कर रहा है और देश में रेलवे संचालन की क्षमता में निरन्तर ह्रास हो रहा है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि भारतीय रेलों में यात्रा करने के बजाये चन्द्र की यात्रा कहीं अधिक सुरक्षाजनक अनुभव होगी। प्रत्येक दुर्घटना के सम्बन्ध में यही कहा जाता है मशीनों की खराबी अथवा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती है। यदि संचालन योग्यता में इस प्रकार ह्रास होता तो रेलों में दुर्घटनाओं के अतिरिक्त और कोई आशा भी नहीं की जा सकती।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलों का एकाधिकार होने पर भी प्रति वर्ष घाटा ही होता है। यात्री तथा माल भाड़े में निरन्तर वृद्धि हो रही है। रेलों के लागत लेखों का हिसाब किताब सुचारु रूप से एवं योग्यतापूर्वक नहीं रखा जाता। ऐसी अतः यह देखना चाहिए कि रेलवे के किन भागों में घाटा हो रहा है तथा कौन से भाग ठीक चल रहे हैं। ऐसी बात तभी हो सकती है, जब लागत-लेखे ठीक तरह से रखे जाएं। जहां कहीं भी घाटा हो रहा है, उन्हें वहां संचालन योग्यता में तथा प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे ये बुराइयां दूर हो सकें। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए और इससे बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में कमी होगी। कैपिटल एक्सप्रेस तथा ताज एक्सप्रेस का किराया इतना अधिक है कि निर्धन या मध्यम वर्ग का यात्री उसे नहीं दे सकता। फिर भी इस सम्बन्ध में कहा यह जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ों की तुलना में ये भाड़े कम है, परन्तु इसके अनुरूप प्रति व्यक्ति आय को नहीं देखा जाता। अतः प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए रेल के भाड़ों को कम करना चाहिए, ताकि देश का निर्धन व्यक्ति भी उसे दे सके।

जहां तक रेल सुविधाओं का सम्बन्ध है, वे तो नहीं के बराबर हैं। आधी गाड़ियों में प्रकाश नहीं होता, पंखे काम नहीं करते पानी ठंडा करने के लिए कूलर तो है पर वे काम नहीं करते। नलको में पानी नहीं आता। मंत्री महोदय को तीसरे दर्जे के डिब्बों में बैठकर यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, अन्यथा वे स्वयं ही इन सब बातों का अनुभव करते कि इन यात्रियों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

यदि रेलों के संचालन की योग्यता में सुधार करना है तो रेलवे बोर्ड में सुधार की बहुत अपेक्षा है।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह तो स्वयं ही व्याख्यात्मक विधेयक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को वास्तविक यात्रियों की सहायता के लिए ही जारी किया है।

यह अध्यादेश लागू होने के 10 दिन के भीतर ही, एक प्रतिवेदन के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या 2,32,649 से घट कर 96,292 रह गई।

अधिक किराये की वसूली के रूप में यात्रियों को सर्टिफिकेट देने के लिए वर्दी में रेलवे कर्मचारी को अधिकार देने के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है ठीक तो है परन्तु जो वास्तविक यात्री हैं वह तो स्टेशन पर टिकटघर से ही टिकट खरीद लेते हैं। इस सम्बन्ध में यदि कहीं कोई कठिनाई है, मैंने आदेश दे दिए हैं कि टिकटघरों की संख्या बढ़ा दी जाए। ऐसे यात्रियों से जो किराये के रूप में अधिक धन प्राप्त हुआ है वह 105 प्रतिशत अधिक है। इस दस दिनों के दौरान भारतीय रेलों के स्टेशनों के टिकटघरों से टिकटों की बिक्री में 4.18 प्रतिशत से 9.4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। अध्यादेश को लागू करने का विशेषकर यही उद्देश्य था।

इस विधेयक का आशय भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुच्छेदों 112 तथा 113 में संशोधन करने का है जिसके द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वालों को पहले से कड़ा दण्ड दिया जाए और यात्रियों को रेलवे टिकटघर से ही टिकट लेने को वाध्य किया जाए।

इस प्रस्तावित संशोधन का एक समान महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि गम्भीर असुविधाओं में कमी की जाए जो बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग रेलगाड़ियों में अधिक भीड़ करके वास्तविक यात्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं।

श्री कोठारी ने रेलवे सुरक्षा दल के कार्य के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। सम्भवतः उन्हें इस दल के कार्य की जानकारी नहीं है। रेल यात्रियों से हमें पूरी सहानुभूति है और हम यह विश्वास देना चाहते हैं कि चलती गाड़ियों में किसी भी यात्री की हत्या न हो। रेलवे सुरक्षा दल का मुख्य कार्य तो रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह अध्यादेश निरर्थक है, सो बात नहीं है। मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनसे पता चलता है कि यह अध्यादेश किस प्रकार से प्रभावी रहा है। अधिक भीड़ को दूर करने के लिए अधिक टिकटघरों की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे गाड़ियों तथा रेल के डिब्बों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। पूर्व की समय सारिणी में हमने देहली-गाजियाबाद लाइन पर चलने वाली रेलों की संख्या बढ़ा दी है। नई दिल्ली-फरीदाबाद-पलवल-लाइन पर अप्रैल तीसरे सप्ताह से एक अतिरिक्त गाड़ी चला दी हैं और पहली जुलाई से दो डीजल इंजन की रेलगाड़ियां बढ़ा दी जायेंगी। अतः हम वास्तविक यात्रियों के लिए अधिक सुविधा व सुरक्षा का आश्वासन देते हैं और इस उद्देश्य के लिए हम भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुच्छेद 112 और 113 में संशोधन करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : संकल्प तथा प्रस्ताव सदन के सम्मुख हैं और दोनों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्र दुर्ग) : मैं रेलवे मंत्री महोदय के बिना टिकट रेल यात्रा करने की कुप्रथा को समाप्त करने के प्रयत्नों की सराहना करता हूं। परन्तु अध्यादेश लागू करने की प्रथा आए दिन की हो गई है। इस अध्यादेश के लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी मंत्री महोदय ने बताया है कि इस अध्यादेश के लागू करने से बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम हुई है और रेलवे को धन की जो हानि होती थी वह भी दूर हुई है। अतः मैं आशा करता हूं कि रेल बजट में जो 13 करोड़ या 15 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था वह आगामी बजट में नहीं दिखाया जायेगा और वह बिल्कुल पूरा हो जायेगा।

बिना टिकट यात्रा करने की बुराई को समाप्त करने की बजाए रेलवे विभाग के कर्मचारियों के कार्य करने की योग्यता तथा क्षमता को बढ़ाया जाए तो यह बुराई दूर हो सकती है। मैं समस्त रेल कर्मचारियों को दोषी नहीं बताता। यदि हमारे रेल कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि की जाये तो यह बुराई बहुत हद तक कम हो सकती है।

बिना टिकट यात्रा का प्रचण्ड प्रभाव छोटी लाइनों अथवा लूप लाइनों पर है। वहां पर कोई जांच नहीं है, निरीक्षण नहीं है। यही कारण है कि ये लूप लाइनें घाटे में चल रही हैं।

हमारे पास रेलवे टिकट निरीक्षण कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं क्या उन्होंने इस अध्यादेश के लागू होने तक इस स्थिति में कोई प्रगति की ?

रेलवे के सरकारी क्षेत्र में आने से इन पर 3000 करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं और देश को इससे काफी आय की अपेक्षा है परन्तु रेलवे भी अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भांति कार्य कर रही हैं।

रेलों से कितने रुपये का घाटा होता है इसकी चिन्ता नहीं। अब तो चिन्ता है मानव जीवन के साथ रेलों के खिलवाड़ की। पन्द्रह दिन के भीतर दो रेल दुर्घटनाओं में जो सौ से अधिक मनुष्यों के जीवन की हानि हुई उसकी क्षति पूर्ति कैसे करेंगे ? यह जो हानि हुई वह केवल मनुष्यों की लापरवाही राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा की गई तोड़-फोड़ की कार्यवाही से हुई थी। ये समाज विरोधी अथवा राष्ट्रविरोधी तत्व अपनी विचारधाराओं को इस देश में थोपना चाहते हैं। और देश में कठिनाई उत्पन्न करना चाहते हैं। वह कितनी रोमांचकारी दुर्घटना थी। तोड़फोड़ की कार्रवाई से एक पुल पर तीन डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए तथा नदी में गिर गये और लगभग सौ यात्रियों की मृत्यु हो गई। आप ऐसा अध्यादेश क्यों जारी नहीं करते कि जिस कर्मचारी की लापरवाही से ऐसी दुर्घटना होगी तो उसे फांसी लगा दी जायेगी।

इन आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाओं की रोक-थाम अवश्य होनी चाहिए अन्यथा रेल से यात्रा करना घबराहट की बात हो जायेगी।

मुझे पता चला है कि चल-टिकट निरीक्षकों को अन्य चल-कर्मचारियों की भांति दैनिक

भत्ता नहीं मिलता है उनको वे समान सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। अत: इनकी इन शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और साथ-साथ इन चल-टिकट निरीक्षकों को भी अपना करणीय कार्य सुयोग्यता से करना चाहिए।

रेलगाड़ियों में जो बहुत अधिक भीड़ हो जाती है उसको समाप्त करने के उपाय करने चाहिए। विशेषकर तीसरे दर्जे के डिब्बों में प्रत्येक लाइन पर यह कठिनाई है। ये यात्री कई दिन तक बिना आराम अथवा नींद की यात्रा करते हैं। यह तो सच है कि कुछ शयन स्थानों की व्यवस्था की गई हैं, परन्तु यात्रियों की संख्या की तुलना में वे बहुत कम हैं और कई सौ मीलों तक यात्रियों को जगह के अभाव में खड़े-खड़े यात्रा तय करनी पड़ी है।

तीसरे दर्जे के टिकटघरों से टिकट लेने के लिए, विशेषकर दिल्ली जैसे बड़े नगरों में यात्रियों को बहुत अधिक असुविधाएं और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यदि कोई यात्री टिकट के भाड़े से अतिरिक्त धन देने का प्रयत्न करे तो उसको टिकट सुविधापूर्वक मिल जाता है। ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए। रेलवे मंत्री गुप्त रूप से यह देख सकते हैं कि रेलवे कर्मचारी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और कौन-कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए। वे तीसरे दर्जे की रेलगाड़ी में यात्रा कर यह भी पता लगा सकते हैं कि इन यात्रियों को क्या कठिनाइयां हैं। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I rise to support this Bill and to oppose the resolution moved by Shri Kothari.

Ticketless travelling in our country has become a serious problem. It is a matter of pleasure that Government considered the necessity of promulgating an ordinance and the Bill has been moved before the House.

I take it for granted that like other people, employees are honest and dishonest too. But I shall definitely say that there is a chain of people from top to bottom who have indulged into wrong practice. There is corruption in railway staff; they ask money for getting you a ticket reserved. Even the ticket examiners have become corrupted and even then they praise the Railway staff. It would be better if they instead give lecture to the Railway staff.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब सदन में विधेयक हो तो हमें उसकी शर्तों आदि पर विचार करना चाहिए परन्तु ये लोग यहां असंगत बातें कर रहे हैं। अत: मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विधेयक पर ही विचार किया जाए।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : इन्होंने रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध अनेक आरोप लगाए हैं और वे कर्मचारी यहां पर उपस्थित नहीं हैं ताकि वे अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों का निराकरण कर सकें। यह इकतरफा मामला है। क्या आप हमें उनकी ओर से बोलने का अवसर देंगे ? हम आपको बताएंगे कि वास्तव में इन सब बुराइयों के लिए कौन उत्तरदायी है। क्या इस सदन में सरकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं ?

मैं समझता हूं कि कोई अन्य व्यक्ति है जो इन सब बुराइयों के लिए उत्तरदायी है। मैं इस सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि संचल टिकट परीक्षक अपने उच्चतर अधिकारी को उत्कोच देता है और टिकट लिपिकों, टिकट निरीक्षक कर्मचारियों पर आरोप लगाए जाते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इन सब बुराइयों की जड़ क्या है।

मैं पिछली बार जब बोल रहा था तो मुझे इन बातों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने भाषण के समय इन बातों का उत्तर दे सकते हैं।

Shri Randhir Singh : The Union Leaders instead of making allegation should co-operate with the Government in stopping the ticketless travel. They should feel their responsibility.

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

It is true that everybody is not honest. But I can say that about 75 per cent persons are dishonest. The penalty should be more to deal with this problem. Today ticketless travelling has become a fashion. Nearly 70 per cent persons daily travel without ticket between Delhi and Ghaziabad and between Delhi and Sonipat. Ticketless travelling has become the part of their habit. They think that those people are fool who travel with tickets.

One of the causes of railway accidents is the overcrowding in trains. People travel without tickets. I congratulate the Hon. Minister for his good work.

Shri George Fernandes : I rise on a point of order. The resolution moved on the ordinance is under the constitution and every Member has a right to oppose the ordinance.

Shri Randhir Singh : The Hon. Member is wasting the time of the House.

सभापति महोदय : जब कोई संकल्प संविधान के अनुसार सभा में लाया जाता है तो यह कहना अनुचित है कि सभा का समय बर्बाद किया जा रहा है।

श्री जि० मो०बिस्वास : मैं पूरी तरह यह मानता हूं कि बिना टिकट यात्रा करना एक बुराई है जिसे दूर किया जाना चाहिए। किन्तु इस बुराई को दूर करने के लिए अध्यादेश जारी करके जो तरीके अपनाये गये वे गलत हैं। इस सम्बन्ध में रेलवे निरीक्षण कर्मचारियों से परामर्श करके कोई उपाय किये जाने चाहिए थे। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह अध्यादेश जारी किये जाने के बाद रेलवे की आय में वृद्धि हुई है। किन्तु हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जनता बहुत गरीब है। हो सकता है कभी किसी व्यक्ति को परिस्थितिवश टिकट खरीदने का समय नहीं मिलता है और उसे बिना टिकट रेलगाड़ी में चढ़ना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति से अतिरिक्त शुल्क ले लिया जाये तो वह दे सकता है और यदि उस पर 10 रुपये जुर्माना किया जाये, जो कि वह नहीं दे सकता है, तो वह जेल जाना पसन्द करेगा। इस प्रकार सरकार

को राजस्व नहीं मिलेगा और उस व्यक्ति के लिए जेल में भोजन की व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी। अत: मैं समझता हूं कि यह समस्या का हल नहीं है।

गत माह एक व्यक्ति को दस रुपये जुर्माना किये गये और उस व्यक्ति ने टिकट निरीक्षक की पत्नी से 20 रुपये वसूल कर लिये। बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों द्वारा निरीक्षण कर्मचारियों पर आक्रमण किये जाने की घटनाएं होती रहती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसे रेलवे कर्मचारी कारगर ढंग से लागू कर सकें। यदि केवल जुर्माना 50 पैसे किया जाता है तो उसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से दे सकता है। बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग अधिकतर तीसरी श्रेणी में यात्रा करते हैं क्योंकि वे गरीब होते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने टिकट निरीक्षण कर्मचारियों की आलोचना की है और उन पर बेईमान होने का आरोप लगाया गया है। इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नवीनतम नीति के अनुसार प्रशासन में व्यय कम किया गया है, और अनेक श्रेणियों के पद समाप्त किये गये हैं। टिकट निरीक्षक आदि कर्मचारियों के पद भी कम किये गये हैं। इसलिये रेलगाड़ियों में उनकी कमी रहती है। कभी-कभी यह कार्य अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों से कराया जाता है।

मैंने बजट पर बोलते हुए भी यह कहा था कि यदि रेलवे में भ्रष्टाचार है तो वह बड़े अधिकारियों में है। रेलवे की भोजन-कार के लिये 30 किलो गोश्त आता है और रसीद दी जाती 40 किलो गोश्त की। 10 किलो गोश्त अधिकारियों के घर जाता है। इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि अनेक संसद् सदस्यों के साथ उनके मित्र बिना टिकट यात्रा करते हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाता है तो वे कहते हैं कि मंत्री महोदय से हमारी जान-पहचान है।

डा० राम सुभग सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक गंभीर आरोप है। माननीय सदस्य को प्रमाण देकर यह बात साबित करनी चाहिए।

श्री जि० मो० बिस्वास : मैं मंत्री महोदय को तथ्य बता सकता हूं। मैं यह बात सभा में कह रहा हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को सामान्यतः इस सभा के माननीय सदस्यों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए और उन्हें अस्पष्ट आरोप नहीं लगाने चाहिए। श्री रणधीर सिंह को बोलने के लिये प्रत्येक सम्भव अवसर नहीं लेना चाहिये। श्री बिस्वास ने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं श्री बिस्वास को भी यह बताना चाहता हूं कि श्री रणधीर सिंह ने किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। श्री बिस्वास यदि इस सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो उन्हें विशिष्ट आरोप लगाना चाहिए और उसे सभा पटल पर रखना चाहिए।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : श्रीमन्, या माननीय सदस्य नाम बतायें या इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें पर्याप्त चेतावनी दे दी है :

श्री अ० सि० सहगल (बिलासपुर) : यह अच्छा होगा यदि माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य का नाम दें या पत्रों को अभी सभा-पटल पर रखें । ढिलमिल आरोप लगाना उचित नहीं है । इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसे मैंने पहले ही ध्यान में रख लिया है और माननीय सदस्य को आरोप सभा-पटल पर रखने के लिये कह दिया है ।

श्री जि० मो० बिश्वास : मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री टिकट निरीक्षण कर्मचारियों से परामर्श करें और इस बुराई को दूर करने का कोई तरीका निकालें । इस संशोधन से यह बुराई दूर होने की नहीं है ।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : Mr. Chairman, Sir, Shri Biswas has considerably lightened my burden, since he himself admits that there should be some penalty. The penalty of Rs. 10/- seems to be draconian and I appeal to the Hon. Minister to reconsider his decision since this would work great injustice to the poor people. At present the booking windows are opened just 15 minutes before the train whistles in indefiance of the orders or instructions that might be there. I suggest that windows should be opened half-an-hour or one hour before the train steams in and administration should be toned up in this regard.

As regards the ticketless travelling, it has become a menacing problem. It is a source of discomfort not only to III class passengers but also to the bonafide I class passengers as the ticketless passengers intrude into their compartments and make their sitting incommodious. Hence I feel that the Ordinance should be put on the statute book.

As regards the reservation in trains, it is a common experience that the bonafide passengers are not able to get the reservation while those who are prepared to grease the palm do get the reservation. This should be looked into. Another suggestion is that the number of booking windows at the big stations should be increased as their present number is not able to cope with the ever increasing number of passengers. With these modifications I support the Bill.

Shri Suraj Bhan (Ambala) : There is a motivation behind the promulgation of the ordinance. The Railways have been incurring losses for the last many years. With a view to drawing a veil on the inefficiency and mismanagement, the losses are being attributed to ticketless travelling. The figures of the losses due to ticketless travelling are being inflated.

In future the people will not patronise Railway and there are reasons for this. In the first place there is overcrowding in trains while in buses not a single passenger can be taken in excess of the authorised capacity as they are compelled to do so on the pain of being challaned. Secondly, Railway travel is most unsafe and hazardous. The Bill envisages a penalty of Rs. 10 instead of 50 paise. This penalty of Rs. 10/-- is certainly not going to line the coffers of the Government, since the T.T.E. and the ticketless passenger will divide the penalty

amount between themselves. The real solution of this problem lies in increasing the strength of the T. T. E. staff. Although it will entail more expenditure, yet at the time it will offset the losses due to ticketless travelling. Arrangements should also be made for the safety of T. T. Es. They should also be treated as running staff alongwith Engine driver and the Fireman. For these reasons I oppose the Bill.

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : Sir, the ordinance had been promulgated obviously to offset the deficit of Rs. 10 to 15 crores due to ticketless travelling. I very much doubt if this ordinance will be able to achieve the desired objective, on the contrary it will give a new vent to the venality of the Railway staff. Short distance passengers who arrive at the station just at the eleventh hour can ill afford to pay Rs. 10 as penalty and the penalty amount will be shared by him with the T. T. E. It need not be added that it is the innocent and honest passengers who are always caught while the habitual ticketless travellers go scot free since the later get prior information about the checking squad. Hence to penalise the innocent and the poor people would not meet the ends of justice.

Shri B. P. Mandal (Madhipura) : From my own experience, I can say that we cannot check ticketless travel by imposing heavy fines alone. On the branch lines ticketless travel has assumed alarming proportions. The T.T.Es. dare not realise any fines from them for fear of their lives, for no protection has been provided for them on such lines. I therefore request the Government to provide protection for the railway staff on Branch line stations and especially on the North-Eastern Railway.

Sometimes trains are made to stop for a long time on account of non-availability of water. When I encountered such a situation once, I asked the railway staff why the train was not moving. I was told that the train would move only after water had been brought from the nearby station. The train could have taken water from the earlier station where there was a big installation of water there. This question was raised in the Bihar Council as well. Then it was stated that the railway staff was in collusion with small shopkeepers who paid them something and therefore they stopped supply of water. That station is near the river Ganges. I had written about this matter to the Railway Minister but no action has been taken.

Unless armed protection is provided for the railway staff, this Bill is not going to produce good results.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : In Bihar the incidence of ticketless travel is on the high side and people also travel on the roofs of the trains. The railway staff is helpless because if they ask them to come down they are likely to receive beating from those passengers. Why people travel without tickets ? The malady is that we have lost our national character. We cannot hold anyone responsible for this. It is for the Government and the people outside the Government to think out the reasons for this. Is it the political atmosphere which is responsible for this ? We shall have to think out the reasons for this.

Members of Parliament receive V.I.P. treatment and they have not to experience any difficulty in seating themselves in first class compartments whereas the travelling public fight for accommodation in the third class coaches. When the people see this kind of discrimination they get frustrated. It should be the responsibility of the Government to provide seats for the passengers. When they purchase tickets, they expect that they will get seating accommodation. It is one of the remedy for preventing ticketless travel. There is very little ticketless travelling in Mahrashtra.

We shall have to build up our national character in order to prevent theft and pilferage of railway property. For preventing ticketless travel we shall have to provide police protection to the railway staff. Sometimes the Station Master become entirely helpless.

Political parties should generate the right type of atmosphere in the country. The public should be made aware that to travel without ticket is a treason to the country. The railway staff should also behave properly with the travelling public particularly the rural folk.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore): This ordinance was totally unwarranted. It was a direct attack on the poor public of our country. This is not legal even.

In the Bangaon, Basirhat and Hasanabad area there is a single line on which lakhs of people travel. Only two or three trains run on this line and the people can not get any seat therein. They are put to great difficulties and the small children cry for water. Instead of introducing more trains on such sections, this ordinance has been promulgated. We should do something for the railway passengers and give them amenities.

Similar is the case of Lakshmikantpur. So many accidents have taken place there but no new trains have been introduced as yet. I stress that new train should be introduced on this line.

I have seen at the Katwa station on the Eastern Railway how the railway staff take bribes and how the thefts take place. The D.S., the Station Master, other officials and the G.R.P. are in league with each other. I cite one example. They delivered 2 wagons of mangoes out of three and after showing the third one as damaged, disposed that of, compensation for which will have to be paid by the railways. I have seen such things myself and requested the manager to conduct an inquiry into it. But it was not done. I shall be sending all the information to the Railway Minister and he will at least reply to my letter.

If the Government would have promulgated an ordinance for holding inquiry into cases of corruption and for punishing and dismissing officers found guilty, then we could have understood that the Government was taking the right course. But what will be the effect of such an ordinance? The poor people will be harassed and made to pay whatever they have for no fault of theirs. Generally there are no proper booking facilities on the railway stations. In spite of the best of intention people are not able to purchase tickets and are forced to travel without ticket as they cannot afford to miss the train. I therefore urge that adequate booking facilities should be provided on all the railway stations. Taking into account the poverty prevailing in this country the imposition of such heavy fines is not warranted at all.

This amendment is being brought to give it the shape of law. Ticket Checkers should be given the right to issue tickets to those who could not purchase the tickets. As a result of it the income of the Railways will also increase. We also do not want ticketless travellings. The Railways have not adopted the proper procedure to check ticketless travellings. Railway Board always acts against the people. It gives wrong advise to our ministers. It is, therefore, requested that this Bill should be withdrawn and another Bill in its place should be brought.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन बढ़ाया गया जुर्माना बहुत अधिक है। जुर्माने में 1000 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अमीर व्यक्ति 10 रुपये के जुर्माने की परवाह नहीं करेगा लेकिन एक किसान के लिये, जिसे बहुत कम दूरी का सफर करना होगा और जो जल्दी में टिकट नहीं खरीद सका है, यह जुर्माना बहुत अधिक होगा। यदि इस प्रकार बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति एक या दो होंगे तो टिकट चेकर उन्हें न्यायालय में ले जा सकता है। लेकिन यदि उनकी संख्या बहुत अधिक होगी तो टिकट चेकर मजबूर होगा और वे उन्हें यात्रा करने की अनुमति दे देगा या उनसे एक एक रुपया ले लेगा और इस प्रकार जुर्माना वसूल नहीं किया जायेगा जिससे रेलवे को हानि होगी। पहले यह व्यवस्था थी कि यदि कोई यात्री जल्दी में टिकट न ले सके और वह गार्ड को इसकी सूचना दे दे तो गार्ड एक प्रमाण पत्र दे देता था कि अमुक व्यक्ति ने ठीक यात्रा की है। अब इस व्यवस्था को समाप्त करने से उन यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जो वास्तव में टिकट खरीदना चाहते हैं लेकिन समय की कमी के कारण टिकट नहीं खरीद सके।

टिकट खरीदने की उचित सुविधाएं न होने के कारण छोटे स्टेशनों पर लोग टिकट खरीदने में सफल नहीं होते।

ये वास्तविक कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों को देखते हुए बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिये नियत जुर्माने की रकम दस रुपये से कम की जानी चाहिए। निम्नतम वर्ग के लिये यह राशि अधिक है।

रेलवे को बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों से 10 से 15 करोड़ रुपये की हानि होती है। रेलवे ने गाड़ियों में चोरी से होने वाली हानि का अनुमान लगाने के बारे में क्या किया ? अधिकांश चोरियां रेलवे कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं। रेलवे चोरियों को रोकने के लिये पूरे उपाय किये जाने चाहिये। इन चोरियों के कारण यात्रियों को बहुत कठिनाइयां होती हैं। माननीय मंत्री को ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए जो चोरी को रोकने के लिये बहुत सख्त हो।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री कोठारी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का विरोध करता हूं।

Shri George Fernandes : This ordinance was not necessary. Actually the loss to the railway is not to the tune of 10 to 15 crores but it is to the tune of 20 to 25 crores. Measures to control this situation should immediately be taken. There are many defects in the working procedure of the Railway Board. In the administrative report of the Railways it has been stated that the checking squads of railways is working properly and with great speed. It has recovered rupees 2 crores and 68 lakhs from the persons travelling without tickets. But in the reports it is said that railways suffer loss amounting to 10 to 15 crores due to thefts. After two-three years checking it was found that the loss was to the tune of Rs. 20 to 25 crores.

It is not proper to recover Rs. 10. from a person who has failed to take 50 p. ticket. Ticketless travelling should surely be stopped. But the railways should also provide facilities to its passengers. Third Class passengers are being neglected. The Hon. Minister should make an amendment that tickets will be sold according to the capacity of a train. If such an amendment is brought ticketless travelling will automatically be stopped. Facilities given to the Third Class passengers are much less than the facilities provided to the First Class passengers. Proper attention should be given in this matter.

The present ordinance is being misused. People are unnecessarily being put to trouble. If we want to stop ticketless travelling in the trains proper sitting arrangement should be made for the passengers. Government should try to minimise the difficulties of the people.

People have to stand for quite a long time in queues for purchasing tickets. This difficulty should immediately be solved.

The transportation of 15 thousand tons of wheat from Haryana in the rainy season and that too in open wagons, has resulted in loss to the sender and the Railways as also in general create embarrassment to the hungry people. In addition to pilferage, this is also one of the causes of heavy losses to the country. I want that the Government should take effective steps to check these losses.

Some of my friends here have put allegations on and doubted the honesty of the Railway employees, but, instead let me remind them of the case in which the C.B.I. has filed a case against Shri Shanti Prasad Jain, which says that while working on the post of Managing Director in The Times of India, he had indulged in misappropriating Rs. 50 thousand without submitting a receipt therefor. Such are the leaders of our society. They boast about great ideals but they themselves are lying in this dirt.

Similar is the case of bureaucracy here. The former finance Minister Shri Morarji Desai has stated that people in our country evade tax to the tune of Rs. 600 crores. And these tax evaders are only the big Capitalists who are said to be the persons who give new light to our society, and not the poor Railway employees. Therefore, instead of suspecting the integrity and honesty of the Railway employees, these people should peep into their own hives before putting allegations on others.

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : इस विधेयक में दो बातें हैं। एक तो यह कि उप-खण्ड (1 ए) में '50 पैसे के स्थान पर 10 रुपये रहेगा तथा दूसरे यह कि उप-खण्ड (1) यह बात आ जायेगी कि जुर्माना 10 रुपये से कम नहीं होगा तथा 500 रुपये तक किया जा सकता है। परन्तु इस जुर्माने के बारे में निर्णय कौन करेगा कि 500 रुपये देने ही चाहिए या कम और क्योंकि सब ही तो जेब में 500 रुपए नहीं लिये फिरते, तो 500 रुपये न दे सकने पर क्या होगा ?

मैं मानती हूं कि बिना टिकट यात्रा को रोका जाना चाहिए परन्तु यह जुर्माना तो कठोर दण्ड है, केवल कुछ लोगों को ही इससे रोका जा सकता है। बिना टिकट यात्रा रोकने का यह उपाय ठीक नहीं। क्योंकि जब कोई ट्रेन पकड़ने की धुन में है तो ये नियम उसके दिमाग में नहीं आते।

मेरे क्षेत्र कृष्णानगर से नवदीप घाट तक इतनी बिना टिकट यात्रा होती है कि रेलवे लाइन ही बन्द कर देने की नौबत आई मालूम होती है। वहां खोमचे वाले सर्वाधिक बिना टिकट यात्रा करते हैं। आप बिना सूचना दिये उन पर छापे मारें तो वे पकड़े जा सकते हैं। परन्तु मुझे पता चला है कि ऐसे छापों के बारे में लोगों को पहले ही सूचना मिल जाती है।

दूसरे, मेरे क्षेत्र का नवदीप स्थान एक बड़ा पर्यटन केन्द्र है। छुट्टियों, शुक्रवारों तथा पूर्णचन्द्र के दिनों में तथा अन्य विशेष अवसरों पर भारी संख्या में यात्री आते हैं। गाड़ियां खचाखच भरी होती हैं तथा यात्री छतों पर भी चढ़े होते हैं। इस अवसर पर अधिक गाड़ियों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए तथा टिकटों की जांच की जानी चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि 55 और गाड़ियां बढ़ा दी गई हैं। परन्तु शायद उनका अभिप्राय 55 डिब्बों से है। मैं जानना चाहती हूं कि उन गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के कितने डिब्बे हैं क्योंकि तृतीय श्रेणी के डिब्बों से ही रेलवे को कुछ लाभ होता है।

रेलवे सलाहकार समिति में सुझाव दिया गया है कि टिकट खिड़कियों की कमी के कारण काफी लोग टिकट नहीं ले पाते रेलवे खिड़कियों की संख्या बढ़ाये। यदि सारा दिन नहीं तो कम से कम भीड़ के समय तो टिकट खिड़कियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोग अवश्य ही टिकट खरीदें।

फिर यह बात मैं नहीं समझ पाती कि महिला टिकट परीक्षक क्यों नहीं रखे गये हैं। गाड़ी में चढ़ने से पूर्व भी यह ध्यान रखा जा सकता है कि लोग टिकट अवश्य लें। इससे अनेक लोगों की दिक्कतें दूर होगी तथा रेलवे को धन भी प्राप्त होगा।

10 रुपये जुर्माना नियत करने में रेलवे को इतना धन नहीं मिलेगा जितना कि अधिक टिकट खिड़कियां खोलने तथा और अधिक महिला टिकट परीक्षक काम पर लगाने से प्राप्त हो सकता है। रेलवे यदि केवल तीर्थ अवसरों को ध्यान में रखकर अतिरिक्त गाड़ियां चलायें तथा तृतीय श्रेणी के अधिक डिब्बे रखें तो इससे काफी लाभ होगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगी क्योंकि इसका अभिप्राय बिना टिकट यात्रा रोकना है। परन्तु हमें लाऊड स्पीकर तथा अन्य श्रव्य-दृष्ट माध्यमों से भी टिकट खरीदने के बारे में जनता को जानकारी देनी चाहिए।

रेलवे में चोरियों की घटनायें बहुत बढ़ गई है। जांच करने पर मालूम होगा कि इन चोरियों से जो हानि हो रही हैं वह बिना टिकट यात्रा करने से होने वाली हानि से कहीं अधिक है। प्रश्न यह है कि चोरियां होती क्यों हैं। पहरा तथा निगरानी विभाग इन चोरियों को रोकने में अयोग्य मालूम होता है। फिर उन लोगों को भी यथेष्ट सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

महिलाओं के डिब्बों के बारे में बड़ी शिकायतें हैं तथा प्रायः बेकार में ही खतरे की जंजीर खींची जाती है। स्वयं ही खतरे की जंजीर भी ऐसी जगह लगाई गई हैं कि आवश्यकता के समय महिला उस तक पहुंच नहीं सकती। यह जंजीर बैठने की बेंच के ही पास कहीं लगाई जानी चाहिए।

उपरोक्त सुझाव मैंने मंत्री महोदय के विचारार्थ रखे हैं और यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि जुर्माने की राशि 10 रुपये से बढ़कर 500 रुपये नहीं करनी चाहिए। इससे लोगों को बड़ी परेशानी होगी। इसके विपरीत आप सतर्कता विभाग को सचेत कर सकते हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपको यात्रा सुविधायें भी बढ़ानी चाहिये; तृतीय श्रेणी के यात्रियों को अधिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए, मुख्यता तृतीय श्रेणी के यात्रियों से ही रेलवे को लाभ होता है। मंत्री महोदय उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच-बिहार) : ऊपर से यह विधेयक सामान्य सा दीखता है परन्तु यदि यह स्वीकृत हो गया तो इसका प्रभाव केवल बिना टिकट यात्रा करने वालों पर ही नहीं प्रत्युत भारत के प्राय : प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा। यह अधिनियम धारा (1) तथा (1 A) में परिवर्तन करके दण्ड को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है तथा 50 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है अर्थात् यह परिवर्तन केवल दण्ड सीमा को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है।

इस विधेयक को प्रस्तुत करके के उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि इसे बिना टिकट यात्रा को रोकने के उद्देश्य से यहां सभा में लाया गया है। हम मानते हैं कि बिना टिकट यात्रा रोकी जानी चाहिये परन्तु क्या दण्ड सीमा बढ़ाकर ? इससे तो यह अपराध अधिक होगा तथा दोषी व्यक्ति निगरानी कर्मचारियों से बचने का प्रयत्न को अनेक उपाय ढूढ़ेंगे। इस बारे में तो ऐसा कुछ किया जाना चाहिये कि बिना टिकट यात्रा करने वाले स्वयं यह अनुभव करें कि बिना टिकट यात्रा करना अच्छा नहीं है।

वास्तव में दण्ड-विधान सुधार के लिये होता है परेशान करने के लिए नहीं। रेलवे विभाग शायद समझता है कि अधिक दण्ड देने से यह कम हो गयी। परन्तु ऐसी बात नहीं है, अनेक माननीय सदस्यों के विचार सुनकर, मेरा विचार है तथा मेरी अपील है कि मंत्री महोदय इस विधेयक को वापस ले लें तथा इस पर नये ढंग से विचार करके तथा अन्य विधेयक पेश करें।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में कुछ अनियमिततायें भी हैं। उदाहरणार्थ एक गाड़ी कुछ दूर तक यात्री गाड़ी के रूप में जाती हैं परन्तु बाद में वह डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ी में परिवर्तित कर दी जाती है। अब जो यात्री आरम्भ से इसमें बैठा है इसके पास जो टिकट है वह आगे जाकर अनुचित हो जायेगा तथा बेकार में ही उसे दण्ड भुगतना पड़ेगा क्योंकि उसके

पास तो यात्री गाड़ी का टिकट होगा और उस समय वह मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ी में बैठा होगा। इसी प्रकार की अनियमितितायें इस विधेयक में हैं।

ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि बिना टिकट यात्रा करने वालों ने रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ को जान से मार डाला। आगे भी न जाने कितने रेलवे कर्मचारियों के साथ ऐसा हो। ये बातें भी ध्यान में रखी जानी चाहिये। इस प्रकार तो बिना टिकट यात्रा भी रुक सकेगी। इस सम्बन्ध में तो ऐसा कुछ किया जाये कि बिना टिकट यात्रा करने की लोगों में भावना ही पैदा न हो। टिकट लेने वाले यात्री को गाड़ी में एक जगह तो मिलनी ही चाहिये। परन्तु इस विधेयक में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। श्री जार्ज फरनेन्डीज ने ठीक ही कहा है कि रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वालों के बारे में ही विचार कर रहा है बिना स्थान यात्रा करने वालों के बारे में नहीं।

मेरा निवेदन है कि उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिये। मंत्री महोदय सारे तथ्य एकत्रित करें तथा उनका अध्ययन करें। वह पता लगायें कि लम्बी यात्रा करने वाले यात्री दोषी हैं या कि छोटी यात्रा करने वाले। प्रायः छोटी यात्रा करने वाले ही जल्दबाजी में गाड़ी पकड़ते हैं और टिकट नहीं ले पाते।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यात्री चाहे टिकट लेना भी चाहें तो भी नहीं ले पाते हैं। इस लिये सबसे पहले यह पता लगा लेना चाहिए कि किन-किन सैक्शनों में तथा कितने मील तक बार-बार बिना टिकट यात्रा होती है। केवल इसके बाद ही विधेयक लाया जाना चाहिए।

जिस धारा का मैंने उल्लेख किया है उसमें और भी बहुत सी अनियमितितायें हैं। इसके अन्तर्गत यदि किसी यात्री कर भाड़ा 50 पैसे लगता हो और उसने टिकट न ली हो तो उसे 11 रुपये देने पड़ेंगे—50 पैसे टिकट के, 50 पैसे अधिक किराये के तथा 10 रुपये दण्ड के/इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि 1 से 10 रुपये की टिकट तक के लिये 50 पैसे तथा 11 से 20 रुपये तक की टिकट तक के लिये 1 रुपया दण्ड दिया जाना चाहिये तथा इसके बाद भी इसी अनुपात से/इस धारा से गरीब जनता पर बहुत कुप्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे बहुत छोटी यात्रा करते हैं और उनका टिकट प्रायः एक रुपये से अधिक नहीं होगा।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I am not one with the Hon. Minister in regard to the enhancement of penalty from eight annas to Rs. 10. There are some reasons for that. The first is that at small stations the platform tickets are generally not available. So when the persons go to see off their kiths and kins at the stations they are harassed there by the staff and police. Secondly, some times it so happens that the booking clerk or the station master attends to his duty a bit late as a result of which passengers are unable to get tickets and are left with no alternative but to travel without tickets. Hence they should be cautioned.

In some sections T.T.Es. cannot dare ask passengers to show their tickets because they are afraid of them. Hence arrangements should be made for their protection. From such passengers nothing can be charged even if the penalty is enhanced ten-fold.

The Railway is running at a loss firstly because of the enhanced booking rates and secondly because the porters charge high rates to load the goods in the trains. Apart from it many cases of pilferage have been noticed in Railways.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON TAE TABLE

श्री रघुरामैया (गुन्टूर) : आज सुबह श्री मोरारजी देसाई ने प्रधान मंत्री और उनके बीच हुए पत्रव्यवहार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी थी परन्तु उसमें 20 जुलाई के पत्र की प्रति शामिल नहीं थी जो प्रधान मंत्री ने उन्हें भेजा था। अतः क्या मैं प्रधान मंत्री की ओर से आपकी अनुमति से उसकी प्रति सभा-पटल पर रख सकता हूं।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Has any new letter been received from the Prime Minister ?

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री की ओर से संसद् कार्य मंत्री प्रधान मंत्री तथा श्री मोरार जी के बीच हुए पत्रव्यवहार की एक प्रति सभा-पटल पर रख रहे हैं।

भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1969 तथा भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE. INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE 1969 AND INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri Kukam Chand Kachwai (Ujjain) : All in the House have opposed the enhancement of penalty in Railways in order to increase the income of Railways. There is one more paradoxical thing. On the one hand T.T.Es have been apointed to bring to surface the hidden money by imposing a penalty of Rs. 10 instead of 50 paise and on the other hand cable attendants have been put on the jobs of T.T.Es.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण कल जारी कर सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 1969/31 आषाढ़, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 22nd July, 1969/Asadha 31, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—3-10-1969—600